राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या : 14

शनिवार,

21 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): नव वर्ष की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, साहब, सबको नव वर्ष मंगलमय हो।

श्री अध्यक्ष: आप सबको भी। अनुपस्थिति के लिए अनुमति।

अनुपस्थिति अनुमति

ओटाराम श्री, सदस्य, को दिनांक 21.3.2015 से 29.3.2015 तक

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री ओटाराम, सदस्य, विधान सभा ने धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण 21 मार्च, 2015 से 29 मार्च, 2015 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है। क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) डा. राजकुमार शर्मा, सदस्य की ओर से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग में आरपीएससी के माध्यम से नियुक्त द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के पदस्थापन में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में।

शिक्षा विभाग की चर्चा में आ चुका।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रक्रियाधीन 15773 नर्स ग्रेड द्वितीय भर्ती में पदों की संख्या यथावत् रखने के सम्बन्ध में।

(3) श्री भंवर सिंह, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर में बिजली से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रमेश, सदस्य की ओर से राज्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंताओं और ठेकेदारों के भ्रष्टाचार के प्रकरणों में निरन्तर वृद्धि होने के सम्बन्ध में।

ये स्थगन प्रस्ताव आये हैं। उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 50 स्थगन प्रस्ताव का है, उसको अगर ठीक ढंग से पढ़ लिया जाए तो ऐसे स्थगन प्रस्ताव नहीं आएंगे। केवल बोलने का अवसर लेने के लिए स्थगन प्रस्ताव लिखते हैं तो उचित नहीं है।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से बाड़मेर, जैसलमेर जिलों के 362 स्थानों के लिए अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियमित सीधी भर्ती सीएमएचओ के द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री कृष्णा कड़वा, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत बनायी जाने वाली डिग्गी के निर्माण की सब्सिडी 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 40 से 50 प्रतिशत करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दौसा की प्राचीन जीर्ण-शीर्ण बावड़ियों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती कमसा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की ग्राम पंचायत जाजीवाल कलां की अधूरी पड़ी टंकी का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती द्रोपती, सदस्य की ओर से बाल विकास परियोजना

(श्री अध्यक्ष)

दातारामगढ़ सीकर में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व सहयोगिनी के सामाजिक कल्याण कोष की काटी गयी राशि सम्बन्धित कोष में जमा नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रतन लाल जलधारी, सदस्य की ओर से सीकर के दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में योग्य व सक्षम कुलपति, रजिस्ट्रार एवं विशेषाधिकारी की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु नया पुलिस थाना देवनगर एवं पुलिस चौकी गोयलों की ढाणी में खोलने के सम्बन्ध में।

(8) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में लगातार घटित हो रहे सड़क हादसों पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु फ्लाई ओवर या अण्डरब्रिज के निर्माण की आवश्यकता के सम्बन्ध में।

(9) श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल की कोबाल्ट थिरैपी मशीन खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत मोरोली में जमीन अधिग्रहण कर सहनावली से नगला माना एवं मोरोली से नगला माना तक रास्ता बनाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री बंशीधर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खण्डेला की पेयजल समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कार्मिकों के लिए पेंशन योजना लागू करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 21 मार्च, 2015 को शून्यकाल में बोलने हेतु 29 पर्चियां प्राप्त हुईं जिनमें शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गयीं, जो निम्नांकित हैं:-

(1) श्री हरिसिंह रावत, विधान सभा क्षेत्र भीम के पूर्व ग्राम देवगढ़,

(श्री अध्यक्ष)

भैरूखेड़ा, काकरोद ग्राम पंचायत से रलायता, भटेरी, कुआथल से बियाणा को जिला भीलवाड़ा से जिला राजसमन्द के विधान सभा क्षेत्र भीम में स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री संजीव कुमार, बीओटी के अन्तर्गत रिडकोर को दी गयी क्षतिग्रस्त सड़क रावतसर नोहरभादरा से बालसमन्द का निर्माण कार्य शीघ्र करवाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजेन्द्र सिंह भादू, सूरतगढ़ शहर में नयी पेयजल योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री कैलाश चौधरी, चवा, बायतू, फलसूण्ड, रामदेवरा, भावुका, भीवड़ा, कानोट, पाटोदी व जोधपुर सड़क मार्ग को दो लेन करने के सम्बन्ध में।

श्री हमीर सिंह भायल।

सूचना

अलवर में वकीलों पर लाठीचार्ज

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फार्मेशन। एक सैकिंड के लिए। अलवर में कल पुलिस द्वारा वकीलों के साथ अकारण लाठीचार्ज किया गया। आप भी वकील रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वकीलों को इतना बुरी तरह पीटा गया कि देखने वाले भी दंग रह गये। इतनी जबरदस्त मार पुलिस अधीक्षक ने और वो भी क्यों नहीं...

श्री अध्यक्ष: यह पाइंट आफ आर्डर तो नहीं हुआ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पाइंट आफ आर्डर की भी मर्यादा होती है। श्री हमीर सिह भायल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब एक वकील समुदाय को इस तरीके से पीटा गया है और पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मैंने सही किया है पीट करके।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, पाइंट आफ आर्डर नहीं है। श्री हमीर सिंह भायल।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो, माननीय अध्यक्ष

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

महोदय, इस पर कम से कम गृह मंत्रीजी चूंकि यह एसपी पहले भी विवादास्पद रहा है- हमारे सीकर में भी रहा, चित्तौड़ में भी रहा, अलवर में भी रहा, भरतपुर में भी रहा। यह विवादास्पद रहा है....

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। यह पाइंट आफ ऑर्डर नहीं हुआ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): तो कम से कम गृह मंत्री जी इस पर वक्तव्य तो दें कि क्यों पीटा गया।

श्री अध्यक्ष: अनुमति का नाजायज लाभ मत उठाओ। पाइंट आफ आर्डर पर आप खड़े हुए, फिर बात दूसरी बोलने लग गये। जरा नियमों का भी ध्यान रखो। आप बैठिये।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नो एक मिनट। कोई एक मिनट नहीं। बैठिये।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लें आप।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं सुनूंगा। यह क्या बात है? वो बोल रहे हैं, मैंने उनका नाम पुकार लिया है।

श्री रमेश (सपोटरा): उनके बाद सुन लेना।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। मैंने उनका नाम पुकार लिया है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय डोटासराजी, आज वकीलों की बहुत वकालत कर रहे हो, आपके राज में वकीलों पर कितनी लाठियां चलायीं आपने? आपके राज में कितनी लाठियां चलायीं वकीलों पर आपने?

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बाड़मेर, जैसलमेर जिलों के लिए अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भर्ती

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम, 1986 के नियम 295 के तहत ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मैं राजस्थान के पिछड़े जिले बाड़मेर के सिवाना विधान सभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व

(श्री हमीरसिंह भायल)

कर रहा हूं। बाड़मेर जिला राजस्थान की अन्तरराष्ट्रीय सीमा एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में बसा हुआ है जहां पर लोगों को पीने के पानी के लिए मीलों चलना पड़ता था मगर अब माननीय मुख्य मंत्री महोदया के प्रयासों से सुधार आ रहा है।

जिले में गांवों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाये जाने हेतु ग्राम स्तर पर उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाकर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एडिश्नल एएनएम) का पदस्थापन किया गया। बाड़मेर जिले के गांव छितरी ढाणियों में फैले हुए हैं, उप स्वास्थ्य केन्द्र के नार्म्स एवं गांवों के छितरी ढाणियों में बसे होने के कारण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एडिश्नल एएनएम) के साथ ही एक अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति स्थाई सीधी भर्ती CMHO के द्वारा किया जाकर पदस्थापन किये जाने के निर्देश राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजेजी के द्वारा 2005 में दिये जाने से बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले की छितरी ढाणियों में बसे लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल पायी। नियमित सीधी भर्ती से बाड़मेर में 443 एवं जैसलमेर में 127 अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एडिश्नल एएनएम) का पदस्थापन हुआ। सीधी भर्ती में बाड़मेर जिले से बाहर स्थानान्तरण नहीं होने की शर्त होने से ग्राम स्तर पर चिकित्सा सुविधा मिल रही है। इन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एडिश्नल एएनएम) की भर्ती होने से संस्थागत प्रसव में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई और जन्म एवं मातृ मृत्यु दर में गिरावट आयी। ग्रामीण क्षेत्र की जनता विशेषकर महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी और बेटी बचाओ अभियान को भी सफलता मिली। आज वो अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कर्मी (एडिश्नल एएनएम) ग्रामीण क्षेत्र में निरन्तर अपनी सेवाएं दे रही हैं। आज बाड़मेर-जैसलमेर जिला जो सीमावर्ती जिला है, 2011 की आबादी एवं नये स्वीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एडिश्नल एएनएम) की आवश्यकता महसूस कर रहा है। उप स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्तमान स्थिति निम्न है:-

जिला	वर्ष 2005	वर्ष 2015	अन्तर
बाड़मेर	443	763	320
जैसलमेर	127	169	42
योग	**570**	**932**	**362**

(श्री हमीरसिंह भायल)

बाड़मेर में 320 एवं जैसलमेर में 42 कुल 362 स्थानों पर 2005 की तरह सीएमएचओ के मार्फत की गयी नियमित भर्ती की स्वीकृति दी जाती है तो स्थानीय शिक्षित महिलाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे और ग्राम/ढाणी में रहने वाले आम जन को चिकित्सा सुविधा मिल जाएगी। इससे आम जन के मन में सरकार के प्रति एक नया विश्वास जागेगा।

मैं सदन के मार्फत पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर-जैसलमेर जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 362 स्थानों के लिये अतिरिक्त महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एडिश्नल एएनएम) की नियमित सीधी भर्ती सीएमएचओ के द्वारा किये जाने की स्वीकृति जारी करावें ताकि ग्रामीणों को ग्राम स्तर पर चिकित्सा सुविधा मिल सके, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कृष्णा कड़वा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत डिग्गी के निर्माण पर देय सब्सिडी में बढ़ोतरी

श्री कृष्णा कड़वा (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत डिग्गी अनुदान पर विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान आर के वी वाई (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के अन्तर्गत हमारे जिले हनुमानगढ़ में होने वाले कृषि प्रदर्शन व डिग्गी निर्माण के आंकड़ों पर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 2012-13 में डिग्गी निर्माण पर 28 करोड़ 54 लाख खर्च किये गये और कृषि प्रदर्शनों पर 5 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च किये गये। वर्ष 2012-13 में डिग्गी पर 24 करोड़ 67 लाख रुपये और प्रदर्शन पर 7 करोड़ 98 लाख खर्च किये गये। हमारी सरकार ने वर्ष 2014-15 के फरवरी माह तक डिग्गी निर्माण पर 10 करोड़ 1 लाख रुपये और प्रदर्शनों पर 29 करोड़ 2 लाख रुपये खर्च किये हैं जिससे कि प्रति वर्ष हनुमानगढ़ जिले में 800 से 1200 डिग्गी निर्माण घटकर मात्र 400 के करीब रह गया है। माननीय प्रधान मंत्री महोदय की जल बचत योजना Per Drop More Crop को लागू करने में इतनी कम डिग्गियों के बनने से सीधी-सीधी ठेस पहुंची है क्योंकि किसान के पास जल बचत के लिये डिग्गी के अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है। ड्रिप इर्रिगेशन, फव्वारा इत्यादि सभी चीजें डिग्गी निर्माण के बिना अधूरी हैं। अत: अनुरोध है कि डिग्गी निर्माण में सब्सिडी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 से 50 प्रतिशत करने का श्रम करें। प्रदर्शनों पर किये गये

(श्री कृष्णा कड़ावा)

अनावश्यक खर्चों से किसानों में रोष है। किसानों का कहना है कि प्रदर्शनों पर किये गये खर्चों से करीबन 1 हजार डिग्गियों का निर्माण हो सकता था।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकर लाल शर्मा।

दौसा के जीर्ण-शीर्ण जल स्रोतों की मरम्मत

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): अध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि नीलकण्ठ महादेवजी का मंदिर दौसा शहर के पूर्व में पहाड़ी पर स्थित है। नीलकण्ठ महादेव की पहाड़ी (देवगिरी) की तलहटी में फुटबाल मैदान के पास स्थित एनिकट में वर्षाकाल के दौरान वर्षा का पानी आता है परन्तु ओवरफ्लो होने के कारण एवं एनिकट के दोनों तरफ मिट्टी की पाल से बना होने के कारण पानी का बहुत ज्यादा रिसाव होता है जिससे एनिकट में एकत्रित पानी रिस कर खतम हो जाता है। इस एनिकट की हालत जीर्ण-शीर्ण है। यदि इस एनिकट का जीर्णोद्धार कर इसे नया स्वरूप दे दिया जाए तो इस पहाड़ी क्षेत्र में आने वाले वर्षा के पानी को रोका जा सकेगा और क्षेत्र के आसपास कुओं के जल स्तर में भी बढ़ोतरी हो सकेगी। इस एनिकट का निर्माण पूर्व किसी अन्य कार्यकारी एजेंसी द्वारा कराया गया है एवं यह वन क्षेत्र में स्थित है। इस एनिकट के जीर्णोद्धार हेतु करीब 15 लाख रुपये की आवश्यकता रहेगी एवं साथ ही वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक रहेगा। इस एनिकट को विकसित किये जाने से पेयजल हेतु एक नया स्रोत मिल पाएगा।

जल संसाधन विभाग के अधीन गेटोलाव बांध दौसा शहर के पश्चिम-दक्षिण में स्थित है। यह बांध दौसा जिला मुख्यालय से नांगल-गोविन्द रोड पर स्थित है एवं गेटोलाव धाम तथा दौसा के पुष्कर के रूप में प्रसिद्ध है जो कि हिन्दुओं के एक प्रमुख तीर्थ के रूप में जाना जाता है। विगत वर्षों में वर्षा की कमी के कारण यह बांध अपने मूल कैचमेंट एरिया से प्राप्त पानी से पूर्ण भराव क्षमता के अनुरूप नहीं भर पा रहा है। विगत 10 वर्षों की स्थिति का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता का 40 प्रतिशत ही भर पाता है। यह गेटोलाव बांध वर्तमान में दौसा शहर की पेयजल आपूर्ति के मुख्य स्रोत के रूप में है। इसमें पानी सूख जाने पर दौसा शहर की जलापूर्ति हेतु कार्यरत ट्यूबवैल भी पानी देना बंद कर देते हैं। रामगढ बांध की मुख्य नहर की टेल गेटोलाव बांध की कैचमेंट तक स्थित थी। रामगढ बांध को

(श्री शंकर लाल शर्मा)

पेयजल हेतु आरक्षित करने के कारण इसे डीकमांड घोषित कर दिया गया था जिससे रामगढ़ बांध की मुख्य नहर जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गयी। इस मुख्य नहर एवं दौसा माइनर व हरिपुरा माइनर के जीर्णोद्धार से दौसा क्षेत्र के गेटोलाव बांध, भांकरी बांध, हरिपुरा बांध में पानी की आवक में काफी बढ़ोतरी सम्भव होगी। इस मुख्य नहर का रामगढ़ बांध के डाउनस्ट्रीम से ही जीर्णोद्धार कार्य किया जाना आवश्यक है। इसके लिये अनुमानित राशि 6 करोड़ आवश्यक होगी।

इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र दौसा में प्राचीन बावड़ियां स्थित हैं जिनमें बरसात का पानी इकट्ठा कर सिंचाई व पेयजल के रूप में काम में लिया जाता था किन्तु अब ये बावड़ियां जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। यदि इन बावड़ियों की भी मरम्मत करा दी जाए तो ये बावड़ियां सिंचाई व पेयजल का अच्छा स्रोत साबित हो सकती हैं। साथ ही इन बावड़ियों में बरसात का पानी इकट्ठा होने से भू जल स्तर में भी वृद्धि होगी। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमसा।

भोपालगढ़ की ग्राम पंचायत जाजीवाल कलां की अधूरी पड़ी टंकी का निर्माण

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में ग्राम पंचायत जाजीवाल कलां में गत पांच वर्षो से अधूरी पड़ी टंकी का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए अथवा इसकी जगह नई टंकी स्वीकृत की जाए। उक्त टंकी से 15 गांवों में पानी की सप्लाई होनी प्रस्तावित है जो नहीं हो पा रही है। पानी की सप्लाई नहीं होने से ग्रामीणों को पेयजल की असुविधा हो रही है। इस क्षेत्र में मिलिटरी एरिया आ जाने से टंकी का कार्य पूर्ण हो रहा है जिसे शीघ्र पूर्ण किया जाए। आर्मी से परमिशन न मिलने पर उसकी जगह दूसरी एसआर स्वीकृत कराएं। सलवा कलां ग्राम पंचायत का राजस्व गांव रामनगर व जाजीवाल गोदानों की ढाणी में भयंकर पानी की समस्या है, इन राजस्व गांवों में नई पाइप लाइन जोडी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

दांतारामगढ़ (सीकर) बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा की गयी अनियमितता

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि बाल विकास परियोजना दांतारामगढ़-सीकर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व सहयोगिनी के सामाजिक कल्याण कोष (एल.आई.सी.) के जमा होने वाले पैसों की नियमित कटौती वर्ष 2007 से की जा रही है परन्तु बाल विकास परियोजना, दांतारामगढ़ द्वारा उन्हें जमा न करवाकर चैकों के माध्यम से कार्यालय में ही जमा किया जाता रहा। इसके परिणामस्वरूप आंगनबाड़ी कार्यालय सहायिका, सहयोगिनी की प्रीमियम की कटौती होती रही, परन्तु सामाजिक कल्याण कोष में यह राशि जमा नहीं करवायी गयी। यह प्रीमियम वर्ष में 2 बार मई एवं नवम्बर माह में कटता है जो कार्यकर्ता का 300 रुपये व सहायिका एवं सहयोगिनी का 150 रुपये प्रति किश्त है। इतने वर्षों तक यह प्रीमियम उनके हित में जमा नहीं हो पाया।

वर्तमान बाल विकास परियोजना अधिकारी, दांतारामगढ़ द्वारा अपने दो वर्ष के कार्यकाल में इस गैरजिम्मेदाराना लापरवाही व वित्तीय अनियमितता को सुधारने के स्थान पर और अधिक पेचीदा बना दिया गया। वर्तमान सी.डी.पी.ओ. के समय में प्रीमियम की राशि मानदेय कर्मियों के खातों से काट ली एवं चैक (प्रीमियम वाला) को डिमाण्ड ड्राफ्ट में परिवर्तित कर समाज कल्याण कोष की पैनल्टी राशि भर दी। इससे पूर्व में की गयी वित्तीय अनियमितता तो समाप्त हो गयी, परन्तु नयी प्रीमियम की किश्तों एवं उन पर ब्याज की अनियमितता प्रारम्भ हो गयी है।

उप निदेशक कार्यालय, सीकर में उप निदेशक एवं सहायक लेखाधिकारी द्वारा मामले की जांच की गयी, पूर्व एवं वर्तमान सी.डी.पी.ओ. को वित्तीय अनियमितता, धारा 409 में क्रिमिनल ब्रीच आफ ट्रस्ट का दोषी पाया गया और सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट देने एवं एफ.आई.आर. करवाये जाने की बात की गयी। परन्तु आज दिनांक तक उप निदेशक कार्यालय द्वारा भी इस सम्बन्ध में दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, अपितु वर्तमान सी.डी.पी.ओ. को अन्य दो परियोजनाओं का अतिरिक्त कार्यभार देकर पुरस्कृत किया गया।

(श्रीमती द्रोपती)

चूंकि उक्त विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी अर्थात् दांतारामगढ़ के 840 मानदेयकर्मियों के आर्थिक हितों से जुड़ा है, अत: इसकी जांच करवायी जाए। बाल विकास परियोजना, दांतारामगढ़ के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर विभागीय नियमानुसार एवं विधिसम्मत सख्त कार्यवाही की जाए जिन्होंने महिलाओं के आर्थिक हितों की अनदेखी करके अधिकारियों व कर्मचारियों का पक्ष लिया। साथ ही उप निदेशक, सीकर एवं सहायक वित्त अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग की संदिग्ध भूमिका एवं पक्षपात की जांच की जाए तथा जांच में लिप्त दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रतन लाल जलधारी। (अनुपस्थित) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

सूरसागर में नये पुलिस थाने एवं पुलिस चौकी की स्थापना

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से पुलिस व्यवस्था में सुधार हेतु नया पुलिस थाना, देवनगर एवं पुलिस चौकी, गोयलों की ढाणी में खोलने की आवश्यकता के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड और पुलिस थाना प्रताप नगर के विशाल क्षेत्राधिकार और आश्रित भारी जनसंख्या के दबाव के मद्देनजर नया पुलिस थाना देवनगर खोलने की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। कुछ वर्ष पूर्व पूर्ववर्ती सरकार ने जोधपुर में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की थी परन्तु उक्त व्यवस्था के लिए प्रस्तावित संसाधन उपलब्ध नहीं करवाये गये जिस कारण उक्त नवीन व्यवस्था का पूरा लाभ जोधपुर को नहीं मिल पाया। इस क्रम में निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र सूरसागर में जोधपुर का सर्वाधिक नगरीय विस्तार और आबादी बसावट चौपासनी और पाल रोड पर हो रहा है। उक्त क्षेत्र के लिए वर्तमान में पुलिस थाना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड और पुलिस थाना प्रताप नगर कार्यरत हैं, परन्तु इन दो पुलिस थानों पर बहुत भारी दबाव है। सम्पूर्ण चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 25 सैक्टर, ईस्ट-वैस्ट पाल योजना के समस्त क्षेत्र, मसूरिया का सुविस्तृत

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पूरा क्षेत्र, प्रताप नगर, कमला नेहरू नगर, पाल लिंक रोड के समस्त क्षेत्र के लगभग 13 वार्डों के क्षेत्र इन पुलिस थानों पर आश्रित हैं। ये क्षेत्र चोरियों, नकबजनी, घातक मादक पदार्थों के साथ ही अवैध देह व्यापार के अपराधों के विशेष केन्द्र हैं। इसी कारण पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू करते समय यहां एक नवीन पुलिस थाना देवनगर खोलना प्रस्तावित किया गया था परन्तु यह नवीन पुलिस थाना अब तक नहीं खुल पाया है। अत: मेरी मांग है कि देवनगर में नया पुलिस थाना खोला जाए। इसी प्रकार विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर उत्खनन क्षेत्र सूरसागर में बढ़ रहे अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस थाना सूरसागर अन्तर्गत एक नवीन पुलिस चौकी गोयलों की ढाणी खोली जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा।

कोटा शहर में फ्लाईओवर या अण्डर ब्रिज का निर्माण

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान कोटा शहर के एक अत्यन्त संवेदनशील एवं जनहित के विषय की ओर आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि शैक्षणिक एवं औद्योगिक नगरी कोटा में विगत कुछ वर्षों से सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।

कोटा के अण्टाघर चौराहे से राष्ट्रीय राज मार्ग सं. 76 एवं 12 होकर गुजर रहे हैं। इसके साथ ही यहां दो राजकीय महाविद्यालय, राजकीय चिकित्सालय एवं अन्य महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय स्थित हैं। रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड जाने वाले यात्री भी इसी मार्ग से आते-जाते हैं लेकिन इन स्थानों पर यातायात प्रबंधन के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात नहीं किया गया है फलस्वरूप यहां आये दिन सड़क दुर्घटना घटित होती रहती है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट स्थित हैं जिनमें अध्ययन करने हेतु देश-भर से विद्यार्थी आते हैं। कोटा शहर के प्रमुख कोचिंग इंस्टीट्यूट एवं व्यस्ततम बाजार मोदी कालेज, केशवपुरा के आस-पास ही स्थित हैं। पिछले कुछ वर्षों में कोटा शहर का काफी विस्तार हुआ है, साथ ही जनसंख्या में भी इजाफा हुआ है लेकिन उस अनुपात में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किये गये। कोटा शहर में

(श्री संदीप शर्मा)

देश के कोने-कोने से लाखों की संख्या में विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते हैं। कोटावासियों के साथ-साथ इन बच्चों को सुगम यातायात उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी है।

कोटा शहर में वर्तमान में किसी भी स्थान पर अण्डर ब्रिज नहीं है। यदि कोटा शहर के सर्वाधिक व्यस्ततम मार्ग मोदी कालेज-केशवपुरा रोड पर यातायात को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से अण्डर ब्रिज या फ्लाईओवर का निर्माण किया जाता है तो सड़क दुर्घटना में काफी हद तक कमी आ सकेगी।

कोटा राजस्थान के अग्रणी जिलों में अपना विशेष स्थान रखता है। साथ ही अपने औद्योगिक एवं शैक्षणिक महत्व के लिए पूरे देश में जाना जाता है लेकिन कोटा शहर में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए अभी तक एक भी अण्डर ब्रिज का निर्माण नहीं किया गया है।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कोटा में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये तथा आवश्यकताओं की प्राथमिकता को दरकिनार कर गैर जरूरी जगहों पर तो फ्लाईओवर बनवा दिये गये लेकिन सर्वाधिक आवश्यकता वाले इन स्थानों पर न तो फ्लाईओवर और न ही किसी प्रकार के ओवरब्रिज का निर्माण किया गया। यहां तक कि कोटा में घण्टाघर चौराहे पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रयास भी नहीं किया गया।

यदि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा समय रहते इन स्थानों पर फ्लाईओवर या अण्डर ब्रिज का निर्माण करवाया गया होता तो सैकड़ों जिन्दगियों को बचाया जा सकता था।

मैं आपके माध्यम से सरकार एवं नगरीय विकास मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर की इस ज्वलंत समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए कोटा शहर के व्यस्ततम मार्ग केशवपुरा-मोदी कालेज रोड पर यातायात को व्यवस्थित एवं सुगम करने के उद्देश्य से अण्डर ब्रिज या फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली। (अनुपस्थित) श्री विजय बंसल।

भरतपुर की मोरोली ग्राम पंचायत में रास्ते का निर्माण

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, भरतपुर विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोरोली में नगला माना स्थित है।

(श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा)

यह ग्राम काफी वर्षों पहले से ही राजस्व ग्राम घोषित हो चुका है लेकिन आज तक इस ग्राम में जाने का कोई आम रास्ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 से 2013 के बीच अनेक बार इस बात को सदन में चर्चा कर तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रमोद जैन (भाया) एवं भरत सिंह को अवगत करा चुका हूं लेकिन उन्होंने मात्र आश्वासन ही दिये और आज तक उक्त ग्राम का रास्ता नहीं बन पाया है। मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त ग्राम के रास्ते के लिए जमीन अधिग्रहण करना बहुत नितांत आवश्यक है।

अत: जमीन अधिग्रहण कर इसी वित्तीय वर्ष में रास्ता सहनावली से नगला माना एवं मोरोली से नगला माना तक बनाया जाए जिससे नगला माना के निवासियों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीधर । श्रीमती चंन्द्रकांता मेघवाल। नहीं हैं, वह भी नहीं है। अनुपस्थित। पर्ची के माध्यम से, श्री हरिसिंह रावत।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): अध्यक्ष महोदय, मेरा 295...

श्री अध्यक्ष: आप थे नहीं, मैंने नाम पुकारा था। अब पधार गये, अब बोल लीजिए।

सीकर के दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय भवन का निर्माण

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 2012 में शेखावाटी क्षेत्र के लिए सीकर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय खोलने का गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। विश्वविद्यालय के भवन निर्माण हेतु सीकर-झुंझुनूं मार्ग पर कटराथल के पास भूमि आबंटित की गयी। इसके लिए वर्ष 2012-13 में 35 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी। परन्तु उस राशि में से एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया। इसके लिए वर्ष 2013-14 में 12 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया। भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु कार्यकारी एजेंसी राजस्थान आवास विकास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को बनाया गया परन्तु कार्यकारी एजेंसी राविल ने केवल परिसर की चारदीवारी एवं कुलपति कार्यालय का निर्माण कार्य शुरू किया। 12 करोड़ की राशि के विरुद्ध केवल 1 करोड़ 50 लाख रुपये ही खर्च किये गये जिसमें से 50 लाख रुपये का

(श्री रतन लाल जलधारी)

भुगतान राविल को किया गया और शेष एक करोड़ की राशि वेतन भत्ते एवं अन्य कार्यालय खर्चों के रूप में प्रयोग की गयी। वर्ष 2014-15 में 4 करोड़ 18 लाख रुपये स्वीकृत किये गये जिसमें से 1 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च किये गये। उसमें से 50 लाख रुपये का भुगतान राविल को किया गया और शेष राशि वेतन, भत्ते एवं अन्य कार्यालय खर्चों पर व्यय की गयी। कार्यकारी एजेंसी राविल द्वारा चारदीवारी का निर्माण कार्य 9 माह में पूर्ण करना था परन्तु 18 माह से अधिक समय बीत जाने पर भी अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उक्त विश्वविद्यालय वर्तमान में एस.के. कालेज के गर्ल्स हास्टल में संचालित है जिससे विश्वविद्यालय के सभी तरह के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। विश्वविद्यालय में नियुक्त कुलपति, पंजीयक एवं अन्य लोगों की उदासीनता के कारण प्राप्त राशि का समय पर उपयोग नहीं हो पा रहा है।

अत: आपसे निवेदन है कि कृपया पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर में योग्य व सक्षम कुलपति रजिस्ट्रार एवं विशेषाधिकारी की नियुक्ति करने तथा विश्वविद्यालय भवन का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत ।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

भीम की कतिपय ग्राम पंचायतों का स्थानान्तरण

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेवेन्यू मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005-06 में रेवेन्यू विभाग द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम की ग्राम पंचायत जयगढ़ को काकरोल से रलायता बटेरी जिला भीलवाड़ा में और ग्राम पंचायत काथल के जरसा गुनिया को अन्यत्र स्थानान्तरित करने से हमारी एक बहुत ही विकट समस्या हो गयी। ग्राम पंचायत जयगढ़ भैरूखेड़ा को उपखण्ड आसींद जिला भीलवाड़ा और रलायता बटेरी उपखण्ड मांडल जिला भीलवाड़ा जरसा गुनिया को उप खण्ड आमेट जिला राजसमंद में स्थानान्तरित करने से इन गांवों की हालत वह हो गयी कि खुदा से टपका और खजूर में अटका। न धरती का रहा न आसमान का रहा। स्थिति यह हो गयी, मान लीजिए, इनका अगर कोई कार्य हो, जैसे ग्राम पंचायत भैरूखेड़ा का कोई काम होता है, तहसील का काम हो तो उनको आसींद जाना पड़ता है। डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी का

(श्री हरिसिंह रावत)

काम हो तो उसे विजयनगर जाना पड़ता है। पुलिस का काम हो तो मगनोर जाना पड़ता है। इसी प्रकार रलायता बटेरी इसका काम हो तो इनको मांडल जाना पड़ता है। आमेट की पंचायत है जरसा और गुनिया इसका कोई काम हो तो इनको आमेट जाना पड़ता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन्हें पुन: मेरे क्षेत्र में स्थानान्तरित करें तो एक ही छत के अन्दर सब काम हो सकता है। आज इनकी हालत यह हो गयी, आज वोटों की स्थिति अगर देखें, तो वोट तो ये विधान सभा भीम और सांसद राजसमंद को देते हैं और कार्य के लिए इनको भीलवाड़ा जाना पड़ता है। भीलवाड़ा साइड के हमारे विधायक महोदय बैठे हैं, इधर आसींद वाले, ये कभी इनकी सुनवाई नहीं करते हैं। ये बोलते हैं कि वोट तो आप उनसे लेते हो, वोट उनको देते हो तो हम आपका काम क्यों करें। आज मैं कोई काम के लिए एमएलए हैड से दूं, एक की अगर विज्ञप्ति निकालूं तो भीलवाड़ा जाएगी और भीलवाड़ा से वापस आएगी। वित्तीय स्वीकृति निकलने में ही एक साल निकल जाता है। स्थिति यह होती है कि न हम इनका विकास करा पाते हैं और न ये करते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि रेवेन्यू विभाग से पुन: इनको मेरे क्षेत्र में कराएं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। श्री संजीव कुमार। आप रेस्पोंड करेंगे क्या? आप बैठिए। माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है, दोनों कलक्टर भीलवाड़ा और राजसमंद से प्रस्ताव मंगाकर जो भी उचित, कानूनी कार्यवाही होगी, नियमानुसार कराएंगे।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा। संजीव कुमार।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): धन्यवाद, साहब।

भादरा की क्षतिग्रस्त रावतसर-बारसमंद सड़क का निर्माण

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे भादरा विधान सभा क्षेत्र में इस क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण सड़क है, यह रावतसर से नोहर भादरा होते हुए बारसमंद हरियाणा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है जो मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा को जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ से जोड़ती है। मेरे क्षेत्र भादरा को हरियाणा, दिल्ली तक जोड़ती है। यानी गंगानगर

(श्री संजीव कुमार)

से दिल्ली जाने वाली मुख्य सड़क के रूप में इस सड़क का इस्तेमाल वर्षों से होता आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ी तकलीफ है कि पिछले तीन-चार साल से इस सड़क की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है, यह सड़क इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इतनी जीर्णशीर्ण हो चुकी है कि इस सड़क पर वाहनों का चलना तो क्या पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले काफी समय से कई निजी बस संचालक जिनकी इस इलाके में बसें चलती हैं, उन्होंने तो इस सड़क से तंग आकर अपनी निजी बसें भी रूट पर चलाना एक तरह से बंद कर दिया है। हरियाणा रोडवेज की बसें चलती हैं उन्होंने भी अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र की जनता को इसकी वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोगाजी का पवित्र धाम, गोगाजी की पावन स्थली, गोगामेड़ी भी इसी रूट पर पड़ती है। भादवे के महीने में, जैसा कि, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हो, आप भी कई बार वहां पधारे हो, गोगाजी की इस पावन धरती पर पूरे देश से, पूरे उत्तरी भारत से, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं। श्रद्धा के केन्द्र पर आकर गोगाजी को नमन करते है। पूरे एक महीने भारी ट्रैफिक इस रोड पर चलता है, निश्चित तौर पर उनको असुविधा होती है। इसकी वजह से हमारे प्रदेश की उन क्षेत्रों में बदनामी होती हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 118 किलोमीटर लम्बाई की यह सड़क है, इसके नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2012-13 में बीओटी के अन्तर्गत इसका निर्माण कार्य रिडकोर को दिया गया। रिडकोर ने 2013 के अन्दर केवल एक पार्ट भादरा से नोहर के बीच का, यानि 118 किलोमीटर में से भादरा और नोहर के बीच का केवल 47 किलोमीटर का निर्माण कार्य करके इस कार्य को पूर्णतया 2013 में बंद कर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय पीडब्ल्यूडी महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी तरफ ध्यान दें।

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम हुआ, हमारे बीच में विराजमान हमारे मंत्री महोदय हैं, माननीय नंदलालजी मीणा साहब, आप भी उस कार्यक्रम के अन्तर्गत उस इलाके में पधारे थे। उसी रोड से आप काफी गांवों में गये। पिछले दिनों मुझ से पूछ रहे थे कि क्या आपकी वह रोड बनी? तो मैंने कहा

(श्री संजीव कुमार)

कि, साहब, अभी तक तो नहीं बनी। तो इन्होंने भी बड़ी पीडा इसके प्रति जाहिर की कि यह रोड बननी चाहिए थी। मैं आपके माध्यम से माननीय पीडब्ल्यू मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस रोड के लिए अपना रिडकोर है इसको आप आदेशित करें कि इस सड़क का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए ताकि इस इलाके की जनता को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): अधिकतर मेरे गांव उसी क्षेत्र में पड़ते हैं, उसी रोड पर पड़ते हैं, तो हम कुछ कहने की स्थिति में आ सकें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय मंत्री महोदय, कृपा करके आप जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। आपकी पीड़ा हल कर रहे हैं वे। बोलिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पर्ची के माध्यम से जिस नोहर-भादरा सड़क की चर्चा की है, यह बात सही है कि अगस्त, 2013 से इसका काम शुरू हुआ और आज तक वह कमप्लीट नहीं हुआ। इस सड़क पर जब 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम हुआ, मैं भी वहां गया। वास्तव में उस सड़क की दयनीय स्थिति है और वहां वाहनों का संचालन आसानी से नहीं हो सकता। इसी चिंता को लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी के हस्तक्षेप और निर्देश के बाद हमने रिडकोर के साथ बैठक की, माननीय अध्यक्ष महोदय। उन्होंने अपनी जो वित्तीय स्थिति है, उसके बारे में चर्चा की। उच्च स्तर पर यह फैसला हुआ कि राजस्थान सरकार और आई.एल. एण्ड एफ.एस., जो इस रिडकोर में 50-50 प्रतिशत के पार्टनर हैं, इन दोनों की थोड़ी इक्विटी बढ़ाई जाए। उस निर्णय के तहत फरवरी, 2015 में 25 करोड़ रुपये राज्य सरकार ने दिये हैं और 25 करोड़ रुपये आई.एल. एण्ड एफ.एस. ने दिये हैं। 50 करोड़ रुपये की इक्विटी बढ़वाकर इस काम को शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

यह बात भी सही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि हरियाणा बार्डर के बालसमन्द से भादरा बाइपास तक लगभग 28 किलोमीटर का जो स्ट्रैच है, उसमें काम बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे

(श्री युनुस खान)

भादरा से आने वाले माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि अब इसका वर्क अवार्ड हो गया है। हमारे वहां एक श्रीराम कृपा कंस्ट्रक्शन कम्पनी है, उसको उसका आर्डर दे दिया है। उन्होंने इस बात के लिये उनको पाबन्द किया है कि दिसम्बर, 2015 तक इस सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण कर दें। (व्यवधान) अभी वर्क आर्डर हुआ है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं यह कह सकता हूं कि अप्रैल माह से इस काम को शुरू कर देंगे और दिसम्बर तक पूरा करने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसका दूसरा पार्ट, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक दूसरा पार्ट भी है क्योंकि एक दूसरे विधायक भी आते हैं नोहर से, उनकी भी यही समस्या है। रावतसर से नोहर तक हालत खराब है। उसमें भी काम शुरू करवा दिया गया है और उस काम को भी हम जुलाई, 2015 तक कमप्लीट कर देंगे, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये। श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

सूरतगढ़ हेतु नयी पेयजल योजना

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय पेयजल मंत्री महोदया का ध्यान सूरतगढ़ शहर की पेयजल समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरतगढ़ शहर के अन्दर 1967 में पहली दफा पेयजल योजना की शुरूआत हुई, तब वहां मात्र 15-20 हजार की जनसंख्या थी। धीरे-धीरे शहर बढ़ता गया। उस वक्त जो जनसंख्या थी उसके हिसाब से वहां सिर्फ 35 एल.पी.सी.डी. पानी की आवश्यकता थी और उस हिसाब से पानी दिया गया था। शहर बढ़ता गया, पानी की आवश्यकता बढ़ती गयी। शहर के विकास के साथ-साथ वहां कालोनियां बढ़ीं और शहर के चारों तरफ जो टिब्बा क्षेत्र है, उसके अन्दर नयी आबादी बसी। गरीब लोगों ने अपने-अपने मकान बनाये। इस तरह से कुल मिलाकर पूरे शहर की ऐसी स्थिति हो गयी कि उसके अन्दर अब पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारी महिलाएं, गर्मी तो अलग बात है, सर्दियों के दिनों में भी दो-दो दिन तक पानी का इंतजार करती हैं। हमारी महिलाएं पूरे दिन इस बात के लिये चिंतित रहती हैं कि हमारे पानी कब आएगा। हमारे

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

कुछ ऐसे वार्ड हैं, तीन-चार-पांच वार्ड ऐसे हैं जो बहुत ऊंचाई पर हैं। इसके साथ-साथ हमारे 11 वार्ड ऐसे हैं जो शहर के दूसरे हिस्से में बसे हुए हैं, बीच में से रेलवे लाइन की क्रासिंग है। वहां ज्यादातर लोग मजदूर तबके के या अनुसूचित जाति के रहते हैं। उनको पानी के लिये विशेष रूप से जरूरत रहती है क्योंकि दिन में महिलाएं और हमारे भाई-बन्धु सारे मजदूरी पर चले जाते हैं। लेकिन पानी उपलब्ध नहीं होता, 48 घण्टे से लेकर 72 घण्टे के बीच में। वहां पानी की सप्लाई बहुत बड़ा गम्भीर विषय है। पूरा शहर आंख लगाये बैठा है माननीय मंत्री महोदय की तरफ कि कब इस क्षेत्र के अन्दर नयी पाइप लाइन डले और विकसित हो। सूरतगढ़ के पास में जो इन्दिरा गांधी नहर से सीधी पाइप लाइन है, उसकी वजह से रॉ-वाटर तो हमारे वहां आ जाता है। हमारी जमीन का फ्लोराइड पानी है, वह पानी पीने लायक नहीं है। वर्ष 1967 में पाइप लाइन डली, आज 2015 में 45-50 साल पुरानी पाइप लाइन से काम चल रहा है। सारी पाइप लाइनें या तो टूट-फूट गयी हैं या छोटी पड़ गयीं। या इतनी नीचे चली गयी हैं कि मोहल्लों के अन्दर पानी नहीं मिलता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अब सूरतगढ़ की जनसंख्या हालांकि 80 हजार के लगभग है, लेकिन वहां आने-जाने वाले लोग बहुत हैं। इतनी ज्यादा संख्या में वहां लोग रहते हैं। वहां मिलिटरी का बड़ा केन्टोन्मेंट है, एयरफोर्स है, थर्मल पावर स्टेशन है, रोज वहां पर पांच-सात हजार की आबादी का फ्लक्चुएशन होता रहता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करुंगा कि इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए सूरतगढ़ शहर की पेयजल योजना का जल्द से जल्द नवनिर्माण करवाकर इस समस्या का हल किया जाए। जब सरकार आपके द्वार आयी थी, उस वक्त माननीय मुख्य मंत्रीजी से जब हम मिले थे तो आपने भी आश्वासन दिया था कि आप पेयजल के लिये एक योजना प्रस्तावित करके भेजें। वह योजना प्रस्तावित होकर आपके पास आ गयी है, माननीय मंत्री महोदय हमारे पर मेहरबानी करके इसको स्वीकृत कराने के आदेशें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय रेस्पांड करेंगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बात यहां पर कही। सूरतगढ़ के पेयजल के लिये जो योजना बनायी गयी है रिआर्गनाइज करने के लिये, वह लगभग 21 करोड़ की योजना है जिसमें उच्च जलाशय भी है और

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जिसमें पाइप लाइंस को चेंज करने का भी है। पौने दो किलोमीटर की मेन राइजिंग पाइप लाइन है जिसमें पहले ए.सी. पाइप था, ए.सी. पाइप की वजह से जगह-जगह से टूट गयी थी तो उसको लेकर यह 21 करोड़ की पूरी योजना बनी है। माननीय सदस्य ने यहां पर जो बात कही है, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूं कि जो मेन राइजिंग पाइप है, जो ए.सी. पाइप है अभी उसको चेंज करना है। ऐसे तो पूरी लगभग 18 किलोमीटर है, हम लोगों ने काफी कुछ तो कर दी है, पौने दो किलोमीटर जो शेष रह रही है, वह पौने दो किलोमीटर भी हम लोग पूरी कर देंगे जिसमें लागत लगभग दो करोड़ रुपये की आएगी। वह काम तो हम लोग पहले फेज में करेंगे। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन आफ पाइप लाइन को जो चेंज करना है और साथ में उच्च जलाशय वगैरह, तो उसको हम लोग बजट की जो हमारी उपलब्धता होगी, वित्तीय संसाधनों को देखते हुए उसके बाद में हम उस पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

बायतू की चवा-रामदेवरा तथा भावुका-जोधपुर सड़कों का टू-लेन निर्माण

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदयजी, आपके माध्यम से मैं पी.डबल्यू.डी. मंत्रीजी का मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़क चवा-बायतू-फलसूंड-रामदेवरा और भावुका-भीवड़ा-कानोट-पाटोदी-जोधपुर सड़क की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र में पहले तो बिलकुल सड़कें हुआ ही नहीं करती थीं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयीजी की प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें बनायी गयीं उसके बाद में जरूर सड़कें बनी हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर टू-लेन सड़क आज के दिन एक भी नहीं है। चवा-बायतू-फलसूंड-रामदेवरा जो सड़क है, इसके ऊपर गुजरात, महाराष्ट्र, जालौर तथा सांचोर इस क्षेत्र से कई श्रद्धालु आते हैं और इस पर ट्रैफिक भी बड़ी भारी मात्रा में रहता है। एक समय ऐसा था जिस समय श्रद्धालु सिर्फ भाद्र महीने के अन्दर ही आया करते थे, जिस समय मेला हुआ करता था। लेकिन अब ऐसा कोई दिन नहीं, जिस दिन श्रद्धालु रामदेवरा की ओर नहीं जाते। बड़ी भारी मात्रा में हर समय चलते हैं। लगभग 500-700 किलोमीटर चलकर पैदल यात्री आता है, जब वह चलता है तो रोड से नीचे उतरने की हिम्मत भी नहीं होती। इतना पैदल आने के बाद में वे नीचे

(श्री कैलाश चौधरी)

नहीं उतरते। सिंगल रोड है, उस सिंगल रोड पर जो भी गाड़ियां आती हैं, यात्री नीचे नहीं उतरते हैं इस वजह से गाड़ियों को नीचे ही चलना पड़ता है। जगह-जगह गड्ढे होने की वजह से कई बार गाड़ियों के एक्सीडेंट भी होते हैं। एक्सीडेंट के साथ में कई बार श्रद्धालुओं की भी वहां मृत्यु हुई है। एक्सीडेंट की वजह से कई लोगों की जानें गयी हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, आप भी दिन में पांच बार नमाज पढ़ते हैं। हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी भी धर्म के प्रति बहुत आस्था रखती हैं। रामदेवरा मन्दिर है वहां पर जाने के लिये अगर टू-लेन सड़क बन जाएगी तो निश्चित रूप से वहां के लोगों को भी फायदा होगा और श्रद्धालुओं को भी फायदा होगा।

जब कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग भी यही कहते हैं कि अगर यह रोड डबल लाइन बन जाती है तो इसका सबको फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): दूसरी जो सड़क है भावुका-भीवड़ा-कानोड़-पाटोदी-जोधपुर, उस सड़क के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा। बाड़मेर से जो आते हैं, शिव वगैरह जो क्षेत्र हैं, वहां से जोधपुर जाने के लिए एकदम शार्ट सड़क है। अगर यह सीधी डबल लाइन सड़क बन जाती है तो यहां के लोगों को जोधपुर जाने के लिए कम से कम 60-70 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। उससे तेल और डीजल है उसकी भी बचत होगी और समय भी बचेगा। मैं मेरे बायतू विधान सभा क्षेत्र की यह समस्या आपके सामने रखना चाहता हूं।

हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी पर हमें पूरा भरोसा है, मैं मंत्री महोदयजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सड़क की आप स्वीकृति यह जो बजट है, इसी में स्वीकृति करवाएंगे तो हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा होगा। यही निवेदन है मेरा मंत्री महोदयजी को आपके माध्यम से।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। आप रेस्पोंड करेंगे, माननीय मंत्री महोदय?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करना ही पड़ेगा, साहब।

श्री अध्यक्ष: करना चाहिए। आपकी प्रशंसा की है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के यह बहुत जरूरी है। मैं भी जाता रहता हूं वास्तव में माननीय

(श्री शंकर सिंह)

सदस्य ने जो उठाया है, वाजिब पीड़ा है। हजारों-लाखों लोग जाते हैं, उस सड़क के ऊपर, यह जरूर होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): शंकर सिंहजी, आपका स्वागत करने के लिए हम वहां तैयार रहते हैं ओसियां में। (व्यवधान)

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बायतू से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस सड़क की चर्चा की है, चवा से रामदेवरा, बायतू, कानोड़, फलसूंड, बनियाना, पोकरण और उसके बाद में रामदेवरा तक यह सड़क जाती है। यह बात सही है कि यह सिंगल रोड है और माननीय सदस्य जब से इस विधान सभा के सदस्य बने हैं, तब से बार-बार अनेक माध्यमों से इस बात को उठाते भी हैं। इसी सत्र के दौरान इनका प्रश्न भी लगा हुआ है और उसका जवाब भी हमने आपको भेज दिया है। 2782 नम्बर का अतारांकित प्रश्न था। उसी कड़ी में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह बात सही है कि रामदेवरा हम सबका, रामदेवरा में हम सबकी आस्था है और हमारे लोक देवता वहां पर विराजते हैं तो सड़क भी डबल होनी चाहिए। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां इस सड़क पर कुछ समय के अलावा ट्रैफिक बहुत कम है। आई.आर.सी. के जो मानदंड हैं उनके अनुसार यहां पी.सी.यू. 2092 के करीब आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी समय यह सूनसान रहती है। डबल लेन बनाने के लिए हमारे को आज की तारीख में जो पी.सी.यू. चाहिए, वह चाहिए 15 हजार प्रति दिन।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने स्टेट हाइवे, एम.डी.आर. और ओ.डी.आर. को 20 हजार किलोमीटर में अपग्रेड करने की, मेगा हाइवे के रूप में परिवर्तित करने की बात कही थी, उस योजना में हमने ले रखा है। हमारा प्रयास रहेगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे और जब भी सरकार के पास संसाधन होंगे, जिस मोड में भी होंगे, इसको करने का प्रयास करेंगे। यह बात सही है कि उसकी चौड़ाई बहुत कम है, इसको मैं भी मानता हूं। इसकी इनसे अलग से चर्चा करके किस माडल में यह सड़क बन सकती है, वह बात आगे तय करेंगे।

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त जवाब आ गया।

(श्री अध्यक्ष)

सदन की अवमानना

आसन के पांवों पर होने की स्थिति में शासकीय दीर्घा में अधिकारियों का आवागमन

कल यहां पर एक बहुत गम्भीर विषय पर चर्चा हुई थी। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने भी की थी, क्योंकि अधिकारियों का व्यवहार सदन के प्रति, सभा के प्रति सबसे अधिक प्रतिबद्धता का होना चाहिए, उसमें कमी आती जा रही है। मैं भी दिखवा रहा हूं। आपने इसमें क्या कार्यवाही की है, मैं यह आपसे पूछना चाहता हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): प्रश्न काल तो समाप्त हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कल 20 मार्च को मध्याह्न 12 बज कर 6 मिनट पर जब आसन पैरों पर था और आप अध्यक्षीय व्यवस्था दे रहे थे तब, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्षीय, अधिकारी दीर्घा से कुछ माननीय अधिकारी अपनी सीट से उठकर जा रहे थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 280 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि-

'अध्यक्ष के खड़े होने पर प्रक्रिया'

अध्यक्ष के खड़े होने पर- '(1) जब कभी अध्यक्ष खड़ा हो तो, उसे शांतिपूर्वक सुना जाएगा और जब कोई सदस्य जो उस समय बोल रहा हो या बोलने वाला हो तो तुरन्त बैठ जाएगा।

(2) जब अध्यक्ष सदन को सम्बोधित कर रहा हो तो कोई सदस्य अपने स्थान को नहीं छोड़ेगा।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बार हमने शासकीय दीर्घा प्रवेश-पत्र जब जारी किये तो पिछली बार के अनुभव को देखते हुए हमने इसमें जो शर्तें लिखीं, निर्देश दिये उनमें निर्देश नम्बर-7 पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 7 नम्बर है, 'सदन में आसन के पांव पर होने की स्थिति में कृपया अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, खड़े नहीं होंगे।'

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी सवाल उठा कि आप संसदीय कार्य मंत्री हो, आपने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संसदीय कार्य विभाग के पत्र क्रमांक प.1 (3) संसद/95 दिनांक 10.02.2015 की तरफ दिलाना चाहूंगा। उसके क्रम संख्या-3 में हमने निर्देश जारी किये थे अतिरिक्त मुख्य सचिव, समस्त सचिवों को और सारे विभागाध्यक्षों को, कि- 'सदन में प्रश्न काल के पश्चात् अथवा किन्हीं महत्वपूर्ण बिन्दुओं और विषयों से सम्बन्धित प्रकरण पर जब अध्यक्ष महोदय सदन में खड़े होकर सम्बोधित कर रहे हों या व्यवस्था दी जा रही हो तो ऐसे अवसर पर जब तक सम्बोधन समाप्त न हो जाए या व्यवस्था पूरी नहीं हो जाए, तब तक राजकीय दीर्घा से उठ कर नहीं जाएं।

विधान सभा की यह परम्परा रही है कि जब आसन पैरों पर होता है अर्थात्, अध्यक्ष महोदय खड़े होकर व्यवस्था दे रहे होते हैं तो अधिकारी को जहां अपनी दीर्घा से उठकर नहीं जाना चाहिए, वहीं सदन में प्रवेश करने से पहले यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अध्यक्ष महोदय सदन में खड़े होकर सम्बोधित तो नहीं कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर सदन में प्रवेश वर्जित है।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार, यह प्रकरण पहली बार नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान अध्यक्षीय कुछ व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहूंगा। 30 जुलाई, 1980 पृष्ठ संख्या 370, अध्यक्षीय व्यवस्था है- 'मैं अधिकारियों और माननीय सदस्यों, सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे सदन के नियमों की पालना करें। एक साधारण-सी बात है कि कोई भी माननीय सदस्य बोल रहे हों तो उनके सामने से नहीं निकला जाना चाहिए और इसी प्रकार आसन पैरों पर हो तो माननीय सदस्य खड़े नहीं होते। उसी प्रकार सदन की गरिमा का प्रश्न है, अधिकारियों को भी खास तौर पर निवेदन है कि सदन के नियमों का स्ट्रिक्ट ढंग से पालना करें।'

22 जुलाई, 2009 को माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ही एक बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। उस समय अध्यक्ष क्या बोलते हैं, उनकी व्यवस्था क्या है? यह अध्यक्षीय व्यवस्था पृष्ठ संख्या 36 पर है। अध्यक्ष बोल रहे हैं, 'आसन जब पांव पर होता है तब अधिकारी गैलरी से भी इस प्रकार की हलचल अनुचित है। मैं उपयुक्त नहीं मानता हूं और भविष्य के लिए चेतावनी देता हूं कि अगर इसी प्रकार की कार्यवाही यदि देखी गयी तो उसका परिणाम अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा।'

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसी प्रकार की व्यवस्था, माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 जुलाई, 2009 की हुई जिसमें कहा, अध्यक्ष बोलते हैं, 'यह चेतावनी देने के बाद, दूसरी बार ऐसी घटना है। मार्शल, जरा मालूम कर लें, कौन-कौन उठ कर खड़े हुए, खड़े होकर उनको बुला कर लाओ, उन्हें सदन से माफी मांगनी पड़ेगी।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार 2011 में भी हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले भी जब इस प्रकार की व्यवस्था हुई तो पांच अधिकारियों के विरुद्ध में कार्यवाही, माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन ने की थी और, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके बाद उनको माफी मांगने पर आसन के माध्यम से सदन ने माफ किया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब इन नियमों और प्रक्रियाओं से बंधे हुए हैं। मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन की गरिमा और सदन की परम्पराओं के अनुसार जहां हम लोगों को भी कई बार संदेश के माध्यम से या कई बार इस आसन के माध्यम से निर्देश दिये हैं, कई बार प्रतिपक्ष को भी दिया और पूरे सदन ने आपकी आज्ञा को शिरोधार्य किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपसे यही निवेदन है, कल यह सवाल उठा था कि संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मैंने क्या किया। मैंने पहले परिपत्र जारी किये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा के बाद मैंने मुख्य सचिवजी को लिखा है। अब यह आसन पर है कि जिन लोगों ने अवहेलना की है नियमों की, परम्पराओं की, उनके विरुद्ध आसन कितना सख्त हो, कितना दरियादिल हो या आसन क्या कार्यवाही करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: विश्वास दिलाना चाहूंगा, मैं एक बार लिख चुका हूं, दुबारा और लिखेंगे और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में पूरा प्रयास रहेगा क्योंकि यह पूरे सदन का हिस्सा है। सदन की परिभाषा में, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां दर्शक दीर्घा भी है, वहां अधिकारी दीर्घा भी है, हमारी लाबी भी है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की परिभाषा में हम सब शामिल हैं और इसमें सारी परम्पराओं का उल्लेख भी किया गया है। कौल और शकधर ने भी कई बार कहा है। इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि मैंने जो कार्यवाही की, वह मैंने संक्षेप में आपने निवेदन की।

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य। हां-हां, आपको भी मैं मौका दूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): देंगे आप? मैं बोलूं?

श्री अध्यक्ष: हां, आपको दे दिया है। आपको तो दे दिया है मौका और आपके सचेतक को कह रहा हूं कि आपको भी मौका दूंगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने विभिन्न समयों पर, अलग-अलग समयों पर अलग-अलग अध्यक्षों द्वारा जो व्यवस्था दी गयी है, वह पढ़ कर सुनायी। मैं उससे पहले से भी देख रहा हूं। आपने तो 1980 से सुनायी है, उसके पहले भी हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। कल आपने, आज अखबारों में भी पढ़ने को मिला कि अपने जी.ए.डी. के जो सैक्रेटरी महोदय हैं, उन्होंने कल क्वेश्चन डे जिन विभागों का था, उनके सचिवों से पूछा कि कौन-कौन अधिकारी यहां गये थे। जिन अधिकारियों ने नियमों का उल्लंघन किया, परम्पराओं का उल्लंघन किया, आइडेंटिफाई हो गये क्या? आइडेंटिफाई तो हुए नहीं अभी तक। एक मिनट। आप जवाब दे दीजिएगा। आइडेंटिफाई हो गये?

(12.00 बजे)

मैं चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। मेरा सुझाव है, चाहना क्या। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि सरकार आपको नाम बताए और आप उनको निश्चित रूप से रेप्रिमांड करें बुलाकर अपने पास। जब तक आप रेप्रिमांड नहीं करेंगे, यह व्यवस्था सुधरने वाली है नहीं, आप कुछ भी कहिये। मेरा तो आपसे अनुरोध है कि जैसे ही आपके पास सूचना प्राप्त हो जाए, कृपया आप अध्यक्ष महोदय को सूचित करें। और मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है, कोई कड़ी कार्यवाही न करें, रेप्रिमांड करें। समझदार के लिये इशारा ही बहुत होता है। आप रेप्रिमांड कर देंगे अपने चैम्बर में बुलाकर, उससे ही भविष्य के लिये ये आगाह हो जाएंगे। इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन और सदन की और आसन की अवमानना नहीं होगी। यही मेरा सुझाव है आपसे।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के सचेतक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ-साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि हमारी तेरहवीं विधान सभा ने एक रत्ना गुप्ता नाम की सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ निर्णय लिया था, सर्वसम्मति से निर्णय लिया था। अब कहीं किसी कोर्ट में भी वह मामला नहीं है, फिर भी आज तक हम प्रस्ताव लेते रहे। अधिकारियों के विरूद्ध लें और लें,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)
लेकिन उसका अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो मैं समझता हूं, किसी के कोई भय नहीं होगा। इसलिये उस मामले में भी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई व्यवस्था देकर अनुग्रहीत करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजाखेड़ा से आने वाले विधायक से निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने नाम आइडेंटिफाई कर लिये। मेरे पास संसदीय कार्य मंत्री ने रिपोर्ट भी भेज दी और प्रमाणिकता से फुटेज देखकर हमारे मार्शल ने भी उनको आइडेंटिफाई कर लिया। उसी के आधार पर जब आपने रिपोर्ट भेजी तो उसके बाद मैंने जितनी भी रूलिंगें इन्होंने दीं, मैंने भी अपने सचिवालय को यह निर्देशित किया है कि विधान सभा में इस तरह की कब-कब चेतावनी दी गयी, कब-कब उनको कहा गया, कब-कब क्या कार्यवाही हुई। वह नोट तैयार हो जाए, उसके बाद मैं अपनी तरफ से भी लिखूंगा।

ऐसा मत सोचिये। यह जो किताब है न, इस किताब में इस सदन को इतने पावर हैं कि चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, नौकरी से भी निकाला जा सकता है, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। जैसा आपने कहा, अब मैं नहीं चाहता कि यह कड़ी बात मैं कहूं, लेकिन मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि 12 बजे यह दरवाजा बंद कर दिया जाए, और ये यहीं बैठे रहें। इस सीमा तक मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा।

ऐसा नहीं है। यह सदन बहुत शक्तिशाली है। यह जो ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में सदन के प्रति अपमान की स्थिति पैदा की जाती है बार-बार, यह अपमान है इस सदन का।

इनके कार्ड पर लिख रखा है। इनको गेट में जब हम प्रवेश देते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप अध्यक्षीय आसन की पालना करेंगे। जब वह दे रखा है, समझ में नहीं आता? इनका यह कार्ड छीनना पड़ेगा। सरकार फिर कार्यवाही करेगी। जब कार्ड में यहां प्रवेश की पहली शर्त यह लिखी है, इस शर्त को भी इनको पढ़ना नहीं आता, तो फिर हम चुप नहीं बैठ सकेंगे।

मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नोट आने के बाद मैं सख्त कार्यवाही करूंगा और आगे के लिये कभी ऐसा कोई प्रकरण हमारे सामने नहीं आए और अधिकारी अपने अनुशासन में रहें, अपनी मर्यादा में रहें, यह भी बिलकुल सख्ती से कार्यवाही करूंगा। यह मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

विधायी कार्य। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(17)वित्त कर/2015-240 दिनांक 18.03.2015 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा 45 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्द्धन कर अधिनियम, 2003 की धारा 51(ए) के अन्तर्गत प्रवेश कर के लिये स्वैच्छिक प्रशमन योजना, 2015 लागू की गयी है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती द्रोपती।

याचिका

पीलीबंगा के रावसर रोड रेलवे फाटक पर पुल का निर्माण

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पीलीबंगा रेलवे स्टेशन से हनुमानगढ़ जंक्शन रेल लाइन के बीच रावसर रोड रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज या अंडरब्रिज के निर्माण बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती चन्द्रकाता मेघवाल। (अनुपस्थित) श्रीमती कमसा।

भोपालगढ़ बावड़ी पंचायत समिति में महाविद्यालय की स्थापना

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की पंचायत समिति बावड़ी में महाविद्यालय खोलने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना (द्वितीय चरण) के 200 गांवों को पेयजल की उपलब्धि हेतु टेण्डर

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पेयजल परियोजना के द्वितीय चरण (पार्ट-स) में प्रस्तावित 200 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति एवं टेण्डर जारी करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह।

शेरगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति अनाज, जोधपुर द्वारा सड़कों की स्वीकृति

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से तहसील शेरगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति अनाज, जोधपुर द्वारा शेष रही सड़कों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करवाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृत लाल।

टाण्डा ग्राम ब्लाक सराड़ा में माडल विद्यालय

श्री अमृत लाल (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ग्राम टांडा (बडावली) ब्लाक सराड़ा में माडल स्कूल प्रारम्भ करने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश चौधरी।

बायतू उपखण्ड मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस का निर्माण

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उपखण्ड मुख्यालय बायतू पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस का निर्माण कराने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल।

निवाई में सीवरेज लाइन

श्री हीरालाल (निवाई): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवाई कस्बे में सीवरेज लाइन डालने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य।

श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल। संक्षेप में रखिये विचार। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि आप बड़ी तैयारी करके आये हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश की पूर्ण पालना होगी। आज आपका रुख थोड़ा दूसरा है।

एक माननीय सदस्य: रूप?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं, रूप तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज सावधानी रखनी सबको बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे राजस्थान में लाये जा रहे इस अति-महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। दूसरा आभार व्यक्त करूंगा मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री परम आदरणीय वसुन्धरा राजेजी का और माननीय मंत्रीजी का, कि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में यह कानून बहुत आवश्यक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम जिन भौगोलिक परिस्थितियों में रह रहे हैं और जिस प्रदेश को सूखा प्रदेश कहा जा रहा था, जिस प्रदेश में पेयजल की भयंकर अव्यवस्था थी, जिस प्रदेश में पशुधन को पीने के पानी के लिये कई मीलों तक जाना पड़ता था, उस प्रदेश में आज झीलों के संरक्षण के लिये कानून लाया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान में चाहे उदयपुर सम्भाग हो, चाहे कोटा सम्भाग हो, चाहे सिरोही जिला हो, चाहे जोधपुर का कुछ क्षेत्र हो, ऐसी अनेक झीलों या क्षेत्र हैं जिनके संरक्षण की आवश्यकता है। यदि इनको अगर प्रोटैक्ट किया जाएगा, यदि इन स्थानों को प्रोटैक्ट करके ओरिजिनल शेप में लाया जाएगा, तो इनका न केवल महत्व बढ़ेगा, न केवल पेयजल व्यवस्था उपलब्ध होगी, बल्कि पर्यावरण को भी सुरक्षा मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अनेक प्रकरणों में निर्णय पारित किये हैं कि चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे झील हो, चाहे तालाब हो, इनको ओरिजिनल शेप में प्रोटैक्ट किया जाए। जब इनको ओरिजिनल शेप में प्रोटैक्ट किया जाएगा तो हमारा पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आदेश पारित किया है कि चाहे ओरण हो, आगोर हो, गोचर हो, पायतन हो, इनको भी

(श्री जोगाराम पटेल)

प्रोटैक्ट किया जाए। चाहे नदी है, चाहे नाला है, चाहे झील है या तालाब है, इनका कैचमेंट एरिया ओरण, आगोर, पायतन यही हैं, इनको भी प्रोटैक्ट किया जाए। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय की पालना के लिये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार को आदेश दिया था, राजस्थान सरकार को कहा था कि अपनी एक कमेटी गठित करे और पिछले 50 वर्षों में तालाब, ओरण, आगोर, नदी पर कितने एन्क्रोचमेंट हुए हैं, कितने अलाटमेंट हुए हैं, इसकी रिपोर्ट पेश करे। इस परिप्रेक्ष्य में यह जो कानून लाया गया है, यह कानून अति महत्वपूर्ण है। इस कानून को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वर्तमान में इसकी आवश्यकता भी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके मेन आब्जेक्ट का अगर ध्यान दिया जाए तो इसकी जो वस्तुस्थिति है उसकी भी जानकारी पूरी हो जाएगी। मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि इस एक्ट के माध्यम से राजस्थान सरकार ने अपनी यह मंशा जता दी है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित करना चाहते हैं, हम अपनी झीलों, नदियों और तालाबों को सुरक्षित करना चाहते हैं। पर्यटक जिनको देखने के लिए आना चाहते हैं, उनको उसी शेप में रखना चाहते हैं। वर्तमान युग में जिस तरह ईको बैलेंस बिगड़ रहा है, पर्यावरण इम्बैलेंस हो रहा है उसका संरक्षण करने के लिए सरकार की मंशा के तहत यह कानून लाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट के लाने के पीछे अनेक उद्देश्यों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है कि विरासत हमको प्रकृति ने दी है, प्रकृति की विरासत को प्रोटैक्ट करने का सबसे पहला दायित्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का होता है। इस विरासत को प्रोटैक्ट करने के लिए सरकार ने जो पहल ही है, उसके लिए मैं पुन: आभार व्यक्त करूंगा, पर साथ ही साथ दो-तीन निवेदन भी करूंगा और सुझाव भी दूंगा।

माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आप यह कानून जैसा मैंने अभी कहा, उस परिप्रेक्ष्य में लाये हैं। लेकिन दो-तीन सुझाव कंसीडर करने पड़ेंगे और इसको देखना भी पड़ेगा। अगर आप धारा 3 की ओर लेंगे तो इसकी धारा 3 में आपने राइट दिये हैं अथोरिटी को। अथोरिटी को आपने डिफाइन किया है धारा 3 (1) में और इस अथोरिटी को राइट दिया है कि "Notwithstanding anything contained in any law, instrument or order, protection and development of all lakes within the State, except private properties situated in such lakes, shall, with effect from the

(श्री जोगाराम पटेल)

commencement of this Act, vest in the State Government…" यहां तक तो बिलकुल ठीक है कि आपके द्वारा यह सब करने के लिए जितनी भी लेक्स हैं, वो राजस्थान सरकार के नियंत्रण में आ जाएंगी, उसमें वेस्ट हो जाएंगी। लेकिन जो अगली तीन लाइनें हैं, " … and no person shall undertake any activity, whatsoever, …" एक तो यह; " …. within the boundaries of a lake or use or draw any produce or water from a lake otherwise than in accordance with the permission granted by the Authority in the prescribed manner." यहां आप ध्यान देवें।

सदियों से हमारी परम्पराएं हैं, युगों-युगों से परम्पराएं हैं कि हम नदी पूजन को जाते हैं, हमारे कई दिन होते हैं। जैसे पीपल पूजन को जाते हैं, उस पीपल के पत्ते भी तोड़ते हैं, पूजन के दौरान। मेलों के दौरान झील में तैरते भी हैं, झील में और कई तरह की एक्टिविटी भी होती हैं। तो अगर आपने इसका रैस्ट्रिक्शन कर दिया वाटसोएवर लगा कर, "… undertake any activity, whatso-ever, …" तो ऐसी सारी एक्टिविटी जो हैं वो प्रोहिबिट हो जाएंगी। किन्तु जो नैचुरल राइट है, जो फंडामेंटल राइट है, उसको कभी बैन नहीं किया जा सकता। मेरा नैचुरल राइट है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मेरा ईजमेंटरी राइट है। ये राइट नैचुरल, भगवान के दिये हुए राइट हैं जो ईजमेंटरी राइट में प्रोटैक्ट हुए हैं और कांस्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के तौर पर प्रोटैक्ट हुए हैं।

दूसरा इसका पहलू देखें। हमारे जानवर हैं, पशु हैं वो उस एरिया में चरने के लिए जाते हैं और ये हमारी सदियों से परम्पराएं हैं। वहां हमेशा चरने के लिए जाएंगे तो घास भी चरेंगे, तो आपका जो " … undertake any activity, whatsoever, …", " ….or draw any produce or water …" अगर मैं गांव में जाकर एक बाल्टी पानी लेता हूं, एक टंकी पानी ले लेता हूं, हजार, दो हजार, पांच हजार लीटर पानी ले लेता हूं तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति के लिए, उस सोसाइटी के लिए, उस रिलीजन मानने वाले व्यक्तियों के लिए या समूह के लिए एक विवाद की स्थिति हो सकती है।

इसलिए मेरा आपसे सबसे पहले निवेदन है कि आप इस सम्बन्ध में थोड़ा-सा इसमें सुधार करें। पशु चर सकते हैं, पशु पानी पीने के लिए उस झील में जा सकते हैं, पशु घास चर सकते हैं, सामान्यत: उसमें घास काटी भी जा सकती है। हमारी परम्पराओं के अनुसार चाहे मेलों में हो, चाहे अन्य रूप से हो, हम झील में से लाकर घर में स्नान कराने के लिए जब हमारी पूजा-पाठ करते

(श्री जोगाराम पटेल)

हैं, तो हम जाकर पानी भी लाते हैं। हमारी एक आस्था है, हमारी धार्मिक परम्पराएं हैं, उन परम्पराओं के अनुसार अगर मैं वहां से पानी लाता हूं, पेड़ की पत्तियां लाता हूं या घास लाता हूं शीतला पूजन के दिन घास लायी जाती है, पत्ते लाये जाते हैं, पानी लाया जाता है, ये हमारी परम्पराएं हैं और कई हमारे क्षेत्रों में तो ये युगों से चली आ रही परम्पराएं हैं, इसलिए इस सम्बन्ध में ध्यान देने की आवश्यकता है।

हालांकि आपने इस सम्बन्ध में सैक्शन 36 बनाया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 36 में है। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सैक्शन 36 बनाया है, I know very well. पर उसका और इसका अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो इसमें कान्फ्लिक्ट आ जाएगा। आप सैक्शन 36 को देखें, "Nothing in this Act shall restrict or be construed as restricting any religious rights.." What is the religious right, it is not defined. It is a very ambiguous word. Until and unless it is otherwise defined in a particular manner that this is a religious right which is not banned by it. " … religious rights of any section of the society in respect of a lake having religious importance." आइदर तो डिफाइन किया जावे और या फिर इसमें प्रोविजो डाला जावे। जब तक आप सैक्शन 3 में प्रोविजो नहीं डालेंगे तब तक सैक्शन 36 लॉ फ्रेम की डेफिनिशन में रोंग हो जाएगा। यह जो सैक्शन 36 है, इसको प्रोविजो के रूप में यहां डालें, provided that, तो फिर यह हो जाएगा कि ये-ये राइट हैं, इसको सेव कर दिया गया है। अदरवाइज अथोरिटी कहेगी कि हमारे पास नहीं है। यह जो रिलीजियस राइट है इसकी परमिशन देने या नहीं देने के कोई प्रोविजन नहीं बनाये गये। मैं कहता हूं मेरा रिलीजियस राइट है, अथोरिटी समझती है कि नहीं, आपका यह रिलीजियस राइट नहीं है। There must not be a conflict. एक चीज तो यह है।

दूसरी इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि सब-सैक्शन 3 में गवर्नमेंट को राइट है और सब-सैक्शन 2 में अथोरिटी को राइट है। अथोरिटी को आपने सैक्शन 2(1) में डिफाइन कर दिया, " 'Authority' means the Rajasthan Lakes Development Authority constituted under section 8; .." इसको आपने बाडी कारपोरेट बना दिया। सैक्शन 8 में आपने इसको बाडी कारपोरेट बना दिया जैसे पंचायत है, नगरपालिका है। ये बाडी कारपोरेट हैं। अगर बाडी कारपोरेट बना दिया है तो इसमें यह पावर या तो इसी को दिया जावे, नहीं तो जो " (3) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of

(श्री जोगाराम पटेल)

this section, the State Government may, by order in writing, allow withdrawal and use of the water of a lake for the purposes for which it was withdrawn and used immediately before the commencement of this Act to the extent such withdrawal does not affect adversely the protection and development of the lake." आप सब-सैक्शन 2 लेवें, "(2) The Authority shall not grant any permission under sub-section (1) unless it is satisfied that such permission will not have adverse impact on protection and development of the lake." सपोज स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, अथोरिटी ने कह दिया, नहीं, हम नहीं देते। या अथोरिटी ने परमिशन दे दी, स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया, हम नहीं देते। तो इस सैक्शन 3 में सुधार की आवश्यकता है, यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसके बाद सैक्शन 4 का सब-क्लाज 4 में एक शब्द, सैक्शन गलत बना है और शब्द भी गलत है। "(4) The notification issued under this section shall prevail notwithstanding any other Rajasthan law for the time being in force." The proper word is 'State law'. Either Central law or State law. There is no Rajasthan law. और इसकी लैंग्वेज भी, "The notification issued under this section shall prevail over.." वर्ड रह गया प्रिवेल ओवर, "any other State law ..." और इसकी लैंग्वेज री-फ्रेम होगी। उसके बाद सैक्शन 5 का सब-सैक्शन 3 भी वापस रीकंसीडर करने के योग्य है। सैक्शन 5 के सब-सैक्शन 4 में जो वर्ड 'इज' यूज किया गया है, यह गलत यूज किया गया है। "The Authority shall not grant any permission under sub-sections (2) or (3) if it is satisfied that such permission is likely to ..." '' ... Permission may likely to ..." आएगा, क्योंकि परमिशन फार फ्यूचर है, permission not for past or present है। Permission is always for future. आज ग्राण्ट करेंगे तो अभी एक सैकण्ड बाद के लिए करेंगे। तो it is not to be used as 'is', it is to be used as 'may'. ".... have adverse impact on protection and development of the lake."

उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सैक्शन 6 में आपने सब राइट दिये हैं लेकिन प्राइवेट प्रापर्टी को भी आपने इसमें इन्क्लूड कर दिया है। प्राइवेट प्रोपर्टी फंडामेंटल राइट है और वो सैक्शन 19 में प्रोटैक्ट करता है। उस प्रापर्टी को लेने के लिए अलग-अलग लॉ हैं। अगर प्राइवेट प्रापर्टी आप एक्वायर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं तो लैण्ड एक्विजिशन एक्ट है या अदर किसी एक्ट में जाएंगे। लेकिन यहां आपने सैक्शन 6 का प्रोविजो जो बनाया है, सबसे नीचे जो प्रोविजो बनाया है- "Provided that no building, structure or any other object of obstruction which is a private property shall be removed." आप अगर

(श्री जोगाराम पटेल)

किसी प्राइवेट प्रापर्टी को रिमूव करेंगे तो उसके लिए तो वही प्रोविजन एप्लाई करने पड़ेंगे जो प्रोविजन prevailing in the State या prevailing in the Centre हैं। या आपने सब सैक्शन टू और थ्री में डैमेज डिटरमाइन करने और डैमेज डिटरमाइन से डिससैटिस्फाई होने से उसकी अपील के जो प्रोविजन दिये हैं, they conflict with the Central Act and the State Act. क्योंकि मेरी कोई प्राइवेट प्रापर्टी आप एक्वायर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, मेरी प्राइवेट प्रापर्टी को डिमोलिश करना चाहते हैं तो तत्सम्बन्धी जो लॉ है, उसके तहत जाना पड़ेगा। इस एक्ट में आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी प्राइवेट प्रापर्टी को रिमूव कर दें या प्राइवेट प्रापर्टी को एक्वायर कर लें। आपको कोई राइट भी नहीं है, क्योंकि एस्टेट आफिसर के कोई प्रोविजन तो बनाये नहीं हैं। Authority can't determine. Own can't become a Judge. एस्टेट आफिसर के कोई प्रोविजन नहीं बनाये, एस्टेट वह ऑफिसर ही डिटरमाइन कर सकता है। ये कुछ बातें हैं जिनकी ओर मेरा ध्यान दिलाने का दायित्व था, मैंने आपको निवेदन किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लास्ट में सैक्शन 27 में "Whoever contravenes any provision of this Act or rules or regulations made thereunder shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine…" By whom? Who punish him? Either by a private complaint or by any mode of procedure. इसमें भी या तो प्राइवेट कमप्लेंट को डिफाइन करके प्राइवेट कमप्लेंट का प्रोविजन डालना पड़ेगा या सीआरपीसी के तहत जो प्रोविजंस हैं उनके तहत कार्यवाही के प्रोविजन बनाने पड़ेंगे। क्योंकि दो कमप्लेंट होती हैं- एक प्राइवेट कमप्लेंट होती है और एक कमप्लेंट होती है। इसमें प्राइवेट कम्पलेंट होगी तो कौन से मजिस्ट्रेट के पास जाएगी, यह भी प्रोविजन बनाना पड़ेगा।

ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि आपने यह एक्ट बनाया है, वाकई धन्यवाद देने योग्य प्रोविजन आपने बनाये हैं। प्रोविजन जिस उद्देश्य से बनाये, वह उसका उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी भी है। लेकिन जो थोड़े-से इसमें मैंने सुझाव दिये हैं उनको कंसीडर करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी निवेदन है कि इसके फार इफैक्ट होंगे फ्यूचर में, इसलिए मेरे जो सुझाव हैं इनको कंसीडर किया जावे। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इसी स्टेज पर, तीन में नहीं जाकर। मेरा जनमत जानने का जो प्रस्ताव है, उसको मैं विदड्रा करने की अनुमति भी मांगता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री प्रहलाद गुंजल। सारी, सारी। श्री प्रताप सिंह। नाम चूक गया एक।

श्री प्रताप सिंह। (अनुपस्थित)

श्री प्रहलाद गुंजल। अब आप बोलिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान झील प्राधिकरण विधेयक, 2015 विचार के लिये सदन में रखा है, मैं आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया। अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी विस्तार से इसके कानूनी पहलुओं को उजागर किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान झील संरक्षण प्राधिकरण विधेयक समय की आवश्यकता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक अध्यादेश के रूप में पारित किया और अब उसको विधेयक के रूप में इस सदन में पारित करवा रही है। पिछले दिनों उदयपुर में जो राजस्थान में झीलों की नगरी कहलाता है, 5 हजार साल पुरानी आयड़ नदी शहर के गंदे नालों का शिकार हो गयी। हिन्दुस्तान में जिसके नाम से उदयपुर बसा और पहचान थी, उदय सागर, उसके पानी को गंदा कर दिया। झील का अस्तित्व खतम होने लगा। हमारा ट्यूरिज्म घटने लगा। एडवोकेट राजेन्द्र राजदान और प्रोफेसर अनिल मेहता जैसे प्रबुद्ध लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उस लाइट में यह विषय ध्यान में आया कि झीलों के संरक्षण के लिए राजस्थान में महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने चाहिये। उसी के सार्थक प्रयास के रूप में यह विधेयक आज सदन में चर्चा में आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में झीलों की अनदेखी के कारण ट्यूरिज्म घटा है। आपने पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्रीजी का एक बयान पढ़ा होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में 3 ट्रिलियन डालर का ट्यूरिज्म मार्केट है। अगर उसमें हम भारत का हिस्सा देखते हैं तो नगण्य-सा होता है। इसलिए उन्होंने चिंता व्यक्त की कि दुनिया के इतने बड़े ट्यूरिज्म मार्केट में भारत का बड़ा हिस्सा बनना चाहिए, बहुत स्कोप हमारे यहां पर है। उसी दिशा में यह राजस्थान सरकार का एक बढ़ता हुआ सार्थक कदम है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट में प्राधिकरण का गठन होगा। प्राधिकरण की शक्तियां होंगी। उसका क्या स्टाफ होगा? किस प्रकार का उसका कार्यक्रम होगा? लेकिन जो चिंता अभी लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने

(श्री प्रहलाद गुंजल)

कही थी कि झीलों पर स्थानीय लोगों का प्राकृतिक अधिकार है, चाहे वह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ हो या किसी भी दूसरे प्रकार से हो, हम इस एक्ट के माध्यम से किसी भी प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकते।

इस एक्ट में अध्याय 2 के सैक्शन 6 के 'घ' में एक प्रोविजन किया गया है, मैं उसकी तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। अध्याय 2 का खण्ड 3- ''किसी भी विधि लिखित आदेश में अंतर्निर्दिष्ट किसी भी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्भ से राज्य के भीतर की सभी झीलों का संरक्षण और विकास, ऐसी झीलों में स्थित प्राइवेट सम्पत्तियों के सिवाय....'' यह प्रिविलेज हम किसको दे रहे हैं? एक तरफ तो हम इसमें क्लाज डाल रहे हैं कि झीलों के संरक्षण के लिए अगर कोई अवरोध, कोई मंजिल होगी तो हम उसको एक्वायर करेंगे। रास्ते में कोई दुकान बाधक है तो उसको एक्वायर करेंगे। किसी भी प्रकार की बाधा अगर आती है तो कानून सम्मत तरीके से हम उनको अधिग्रहित करेंगे। और अधिग्रहित करने की प्रक्रिया भी तय कर दी। वह अगर कहीं राहत के लिए जाता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वह जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। लेकिन इसी में बीच में जो यह क्लाज डाला है, ''ऐसी झीलों में स्थित प्राइवेट सम्पत्तियों के सिवाय... राज्य सरकारों में निहित होगा...'' ऐसी कौनसी सम्पत्तियां हैं जिनको हम यह प्रिविलेज दे रहे हैं, इस एक्ट के बाहर फ्री कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, इस एक्ट को प्रभाव में लाकर झीलों की परिधि में, आसपास किस-किस प्रकार हम लोगों को, मकानों को, भवनों को, दुकानों को, रास्तों को अधिग्रहित करेंगे, यह एक संशय पैदा करता है। आखिर किन लोगों को हम इसमें प्रिविलेज दे रहे हैं, इस एक्ट से मुक्ति दे रहे हैं? यह संशय इसलिए और पक्का हो जाता है कि धारा 6 का जो 'घ' है, इसमें लोक और प्राइवेट स्रोत के वित्तीय संसाधन जुटाना' यानि पीपीपी माडल। जब हम पीपीपी मॉडल की बात कर रहे हैं, यह बात सच है कि आज देश की तमाम सरकारें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप पर जा रही हैं। वित्तीय स्थिति सरकारों की खराब है।

पिछले दिनों जो जयपुर में जलमहल का प्रकरण आया, उस प्रकरण के लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं, कौन नहीं हैं, लेकिन पूरे देश में सरकारों को कटघरे में खड़ा करने वाला प्रकरण बन गया। यह एक्ट इस प्राधिकरण को इस प्रकार की शक्तियां देता है कि जो प्रदेश की बेशकीमती प्रापर्टीज हैं, जो स्टेट के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

लिए ट्यूरिज्म के माध्यम से आय का स्रोत बन सकती हैं, इस एक्ट को प्रभावी बनाकर हम ट्यूरिज्म को खींचें और ट्यूरिज्म को खींचने के साथ-साथ राजस्थान की जीडीपी बढ़ाएं। आम आदमी के रोजगार के साधन, संसाधन बढ़ाएं। स्टेट ग्रो करें। लेकिन उसके साथ-साथ हम बड़े निजी हाथों में इस प्रकार की प्रापर्टियों को धकेलकर कहीं इस एक्ट का दुरुपयोग करने के रास्ते पर नहीं चले जाएं। इसलिए जब इसके नियम बनें, इस एक्ट की लाइट में जो बाइलाज बनें, वे बाइलाज बारीकी से बनने चाहिए, उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए। जिस प्रकार एक जलमहल प्रकरण को लेकर सारे राजस्थान में राजनीतिक छिछालेदारी हुई, कांग्रेस राज में उसको प्राइवेट पार्टी को सौंपने के आरोप लगे, कभी यह कहा गया कि एग्रीमेंट आपके राज में हुए थे, किसी भी राज में एग्रीमेंट और किसी भी राज में इम्प्लीमेंटेशन हुआ हो लेकिन इस एक्ट के प्रभावी होने के बाद इन निजी सम्पत्तियों और इस प्रकार के लोगों को प्रोटैक्ट करने के खिलाफ बारीकी से नियम और रैगुलेशंस बनने चाहिए जिनका व्यापक असर निश्चित रूप से पड़े। इसमें अभी जो सजा का प्रावधान किया है, प्रतिबन्धों में तो कोई उपयोग नहीं कर पाएगा, कोई जा नहीं पाएगा। इसको भी व्यापक अर्थों में डिफाइन किया जाना चाहिए कि किस-किस प्रकार के अपराधों पर। आपने कह दिया कि झीलें संरक्षित हैं, कोई व्यक्ति स्नान करने नहीं जाएगा, कोई गंगा घाट की पूजा करने नहीं जाएगा। केशोरायपाटन को आपने संरक्षित झील घोषित कर दिया तो तीर्थ स्थान के लिए भी कोई व्यक्ति वहां नहीं जाएगा या कोई सामान्य पूजा प्रतिष्ठा करने भी नहीं जाएगा। किस प्रकार के अपराध को आप इस सैक्शन 27 में डिफाइन करना चाहते हैं? जब तक हम इसको उल्लिखित नहीं करेंगे, इसका दुरुपयोग होगा। झील प्राधिकरण के नाम पर बनी हुई अथोरिटी अपने प्रिविलेज से इसका कितना दुरुपयोग करेगी, इस बात की कोई गारण्टी इस एक्ट में नहीं है। सज़ा आपने दो साल की कर दी, आखिर झील में जाने वाला व्यक्ति किस प्रकार का अपराध कर सकता है, यह तय करें आप।

उदयपुर की उदयसागर झील गंदगी के कारण खतम हो गयी, मर गयी। जब हाई कोर्ट में रिट लगी, प्रोटेक्शन की ओर ध्यान आया तो सरकार ने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया। संदीप जोशी दम्पत्ती जिनका सम्बन्ध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भैयाजी जोशी से है, वे आये और एक बायोमेट्रिक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया। बायोमेट्रिक ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाद उदयसागर झील का

(श्री प्रहलाद गुंजल)

अस्तित्व पुनर्जीवित हुआ और जो मछलियां झील के लिए वरदान होती हैं, वे फिर वहां घूमती हुई नजर आने लगीं। वर्ना वहां मछलियां मर गयी थीं, झील सड़ने लग गयी थी, झीलों की नगरी की पहचान पर कालिख-सी पुतने लग गयी थी। ये सारी चीजें बारीकी से, जब कानून और नियमावली बने तो बहुत निश्चित रूप से बनाये जाने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कुछ सुझाव इसमें देना चाहता हूं। सरकार का, माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि झील की परिभाषा, आपने डिफाइन किया कि सरकार जिसको उचित समझेगी झील घोषित कर देगी। झील का मतलब यह नहीं कि एक तलाई है जिसमें नैचुरल सोर्सेज से पानी आकर बह रहा है, और भर रहा है, उसको हम झील मानकर संरक्षित करें। इसके थोड़े वाइड स्कोप में जाना पड़ेगा। जब वाइड स्कोप में जाएंगे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं अभी चीन के राष्ट्रपति आये और अहमदाबाद में एक दीवार पर उन्होंने वाकिंग की। अहमदाबाद की दीवार पर वाकिंग विश्व का समाचार बना। वह जो अहमदाबाद की दीवार ट्यूरिज्म बनी, नर्मदा से पानी लाकर अप्राकृतिक तरीके से, कृत्रिम तरीके से, एक रिवर फ्रंट बनाकर वहां पर प्राकृतिक झील बनायी गयी। यह कंसैप्ट प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी मुख्य मंत्री रहते हुए लेकर आये। अगर हम इस कंसैप्ट पर आगे बढ़ेंगे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इस सदन की नेता हाड़ौती से आती हैं, इससे बड़ा वाइड स्कोप इस राजस्थान की धरती पर कोई दूसरा हो नहीं सकता। आप चम्बल बैराज से लेकर जवाहर सागर डैम तक चले जाएं, जवाहर सागर डैम से लेकर राणा प्रताप सागर डैम तक चले जाएं और राणा प्रताप सागर डैम से लेकर आप ठेठ गांधी सागर में राजस्थान राज्य की सीमा तक चले जाएं, सैकड़ों किलोमीटर में झील की तरह पानी भरा रहता है, इतना बड़ा ट्यूरिज्म। जब नदी में बोटिंग होती है तो नदी के दोनों किनारे की जो प्राकृतिक मनोरम छटाएं हैं, वह अपने आप में आकर्षित करने वाला दृश्य है। हम इसको भी उस परिभाषा में कवर करने का प्रयास करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो किस कंसैप्ट की ओर जा रहे हैं? अभी हाल ही में भारत के भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरीजी ने कहा है कि हम वाटर वे डवलप कर रहे हैं, ट्यूरिज्म के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, यात्रा के लिए। भारत सरकार इस कंसैप्ट की ओर जा रही है तो मैं आज आपको

(श्री प्रहलाद गुंजल)

बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर राजस्थान सरकार और माननीय मंत्रीजी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे तो केवल चम्बल की अपस्ट्रीम नहीं, चम्बल की डाउनस्ट्रीम में आप आ जाइए, केशोरायपाटन में अपने आप में कितना बड़ा झील कुण्ड है, करौली से लेकर धौलपुर से लेकर। और अब तो राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी महत्वाकांक्षी योजनाओं की ओर आगे बढ रही हैं। पार्वती का पानी चम्बल में डालकर सवाई माधोपुर, आमेट, करौली और धौलपुर तक ले जा रही हैं। काली सिन्ध का पानी गांधी सागर के नीचे राणा प्रताप सागर में डालकर 46 किलोमीटर की टनल बनाकर बनास नदी तक लाने का प्रयास कर रही हैं। हमें भी वाटर वे राजस्थान में डवलप करने चाहिए। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़े, राजस्थान के धौलपुर की सीमा पर एक वृहत् एनीकट बनाकर चम्बल पर हाई लेवल ब्रिज बनाकर अगर हम ड्रिप लेन बनाकर वाटर वे डवलप करते हैं तो आगरा का ट्यूरिस्ट सीधा चम्बल की नदी के किनारे होता हुआ बैराज, मैं समझता हूं, मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंचता है। वाइड स्कोप और वाइड सोर्स जितने भी हम कर सकते हैं, अन्तरराष्ट्रीय पैरामीटर्स के अनुसार। प्रधान मंत्रीजी का यह सोच बन जाना कि तीन ट्रिलियन डालर विश्व का बाजार है ट्यूरिज्म का, भारत में उसको खींच कर कितना अधिक अपनी तरफ लाया जा सकता है। केवल चन्द झीलों का संरक्षण। गंदी हो गयीं, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का डाइरेक्शन आ गया, इनका नैचुरल शेप बचा रहना चाहिए, इनमें गंदगी और नाले जा रहे हैं, इनसे इनको बचाया जाना चाहिए। प्राकृतिक सम्पदा बची रहे, केवल इतना लक्ष्य नहीं, इस प्राकृतिक सम्पदा को हम अपनी आय का आधार बनाएं। एक ठेले पर व्यापार करने वाले से लेकर, टैक्सी वाले से लेकर होटल तक का व्यापार समृद्ध बने, आमदनी बढ़े, रोजगार के अवसर बढ़ें, इस दिशा में व्यापक और गहन अध्ययन करना पड़ेगा और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो कई बार पाटन पधारे, तीर्थ स्थान है हाड़ौती का। केशोरायजी का मन्दिर, कार्तिक पूर्णिमा को लाखों लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। उदयसागर की गंदगी, यह विधेयक लाने के लिए हमें प्रोत्साहित कर सकती है। केशोरायपाटन के कुण्ड में कोई अंजुरी भर पानी भी नहीं पी सकता, जहां पर लोग पवित्रता की भावना से स्नान करने के लिए जाते हैं। मैंने राजस्थान सरकार को प्रपोजल दिया है, 200 करोड़ रुपए का फोरकास्ट एस्टीमेट देकर मैंने राजस्थान सरकार की माननीय मुख्य मंत्रीजी के

(श्री प्रहलाद गुंजल)

पास सब्मिट किया हुआ है कि केशोरायपाटन तक इस प्रकार के गंदे नालों को प्रोटेक्शन वाल से बाहर निकालकर चम्बल के अस्तित्व को बचाया जाए। अहमदाबाद की दीवार पर चाइना के राष्ट्रपति घूमे, अगर हमने केशोरायपाटन के कुण्ड से कोटा शहर की गंदगी को बाहर निकालकर प्रोटेक्शन वाल बना कर इसको झील संरक्षण के अन्तर्गत कवर करके डवलप करने का प्रयास किया, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि चम्बल के बैराज की अपस्ट्रीम से लेकर डाउनस्ट्रीम को हम आगरा के ताजमहल तक डवलप कर सकते हैं जहां पर यमुनाजी में आकर गंगाजी मिलती है, एक ड्रिप लेन बनाकर, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह देश का सबसे बड़ा ट्यूरिज्म स्थल बनेगा और राजस्थान की विधान सभा में झील संरक्षण अधिनियम लाने का सार्थक शब्दों में हम उपयोग कर पाएंगे। मेरा राज्य सरकार को निवेदन है कि कोटा की प्रोटेक्शन वाल बनायी जाए, गंदे नालों से कोटा शहर की चम्बल नदी और केशोरायपाटन के पवित्र तीर्थ को बचाया जाए। अपस्ट्रीम में ट्यूरिज्म डवलप करने के साथ-साथ डाउनस्ट्रीम में भी हम आगरा तक, धौलपुर की सीमा तक इसको डवलप कर सकते हैं। एक लम्बी टनल बनाएं, पानी में चलने वाला इतना बड़ा वाटर वे हम डवलप कर सकते हैं। जो भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रीजी लेकर आ रहे हैं, हम इस कंसैप्ट की ओर राजस्थान में आगे बढ़ें। इसके लिए यह विधेयक बिलकुल कारगर और मददगार साबित हो और राजस्थान के विकास में चार चांद लग जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे द्वारा जो जनमत जानने का प्रस्ताव दिया गया था, मैं उसको वापस लेने की अनुमति चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान झील प्राधिकरण अधिनियम सरकार ला रही है, कोई भी कानून लाने से पहले सरकार को उसे लाने के उद्देश्य स्पष्ट करने पड़ेंगे कि क्या मंशा है, सरकार इसके लाने के पीछे क्या मंशा रखती है, प्रदेश की जनता को इससे क्या लाभ होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून लाने के पीछे किन्ही चन्द माफियाओं को फायदा देने का हो। जब से सरकार आयी है, पता नहीं क्या-क्या मंशा से किस प्रकार के एक्ट ला रही है। कभी हवेलियों का संरक्षण करने की बात कर रही है, कभी किसान की जमीन को लेने की बात कर रही है। झील संरक्षण के लिए जो कानून बनाया जा रहा है इसमें सरकार को यह

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बताना पड़ेगा कि आम आदमी के लिए क्या फायदे का सौदा है। कहीं इसके पीछे सरकार की मंशा चन्द लोगों को नुकसान पहुंचाना या चन्द लोगों को फायदा देना तो नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जल महल का प्रकरण कहीं उनकी द्वेषता का परिणाम तो नहीं, यह एक्ट लाने से पहले इनको देखना पड़ेगा। एक व्यक्ति को सुखाधिकार होता है, ईजमेंटरी राइट होता है, उसके पूरे अधिकार छीनने की तैयारी आप कर रहे हो। उसको जो मौलिक अधिकार है उसको छीनने की बात आप कर रहे हो। आप 50 साल पुराने मामले खोलोगे। कौनसी जगह झील होगी, किसको आप नोटिफाई करोगे, वहां से अतिक्रमण मानकर किसको आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हो, किसको आप लीज पर देने की बात कर रहे हो, किन लोगों को आप फायदा देने की बात कर रहे हो। बिना सोचे-समझे, आनन-फानन में यह सरकार इसी प्रकार से भूमि अधिग्रहण बिल लायी थी जो किसान को बर्बाद करने वाला था। विरोध हुआ और सरकार को मुंह की खानी पड़ी। आज जो झील संरक्षण का कानून ला रहे हैं, यह इतने असीमित अधिकार ले लेगा कि आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा, वह भयभीत हो जाएगा।

सड़क का कानून लाये थे, राष्ट्रीय राजमार्ग का, उसमें इस तरह का माहौल बना दिया कि कोई भी आदमी चल नहीं सकता। 5 से ज्यादा चलेंगे तो इस तरह से पुलिस पकड़ सकती है, उस पर मुकदमा हो सकता है, वह मवेशी नहीं छोड़ सकता है। एक्ट लाने से पहले इनको यह स्पष्ट करना पड़ेगा। इस एक्ट को जनमत जानने के लिए परिचालित करना चाहिए कि इसके ये फायदे हैं, इससे हमारी यह मंशा झलकती है। केवल मात्र राजा-महाराजाओं की तरह, उनके शौक के लिए किसी प्रकार का एक्ट लाकर एक आम आदमी को जो प्रदेश में आराम से जी रहा है, कहीं नुकसान करने का काम तो यह सरकार नहीं करने जा रही है, यह बात हमें सोचनी पड़ेगी। जो भी मुखिया होता है, उसकी जिस तरह की जीवन शैली होती है, जिस तरह का उसका रहन-सहन होता है, वह उसी तरह के कानून लाता है। अगर कोई गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनता तो वह गरीबों के हित के कानून लाता। आज जो हमारी सदन की नेता हैं, जिस तरह के वातावरण में पढ़ी हैं, पली हैं, बड़ी हुई हैं, इस तरह के कानून लाकर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह कानून की परिधि में आता है, अध्यक्ष महोदय?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये सदन की नेता की व्याख्या करना प्रारम्भ कर दें?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं पढ़ी हैं क्या? राजा-महाराजा नहीं हैं क्या? आप ही कहते हो यशस्वी महारानी, आप खुद ही तो कहते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हैं तो राजा-महाराजा आपके कारण हैं क्या? ईश्वर ने उस समय तय किया था राजघराने में पैदा होने का। बात करते हो बिना मतलब की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हम कह दें तो कोई गुनाह हो गया क्या? माननीय मंत्री महोदय, यदि यशस्वी महारानी हम कह दें तो कोई गुनाह हो गया क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अनावश्यक रूप से विवादास्पद वक्तव्य मत दीजिए। इसके बारे में बोलिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, मैं यशस्वी महारानी तो कह रहा हूं, कोई गुनाह कर रहा हूं क्या?

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो व्यक्ति तालाब के पानी का प्रयोग करता था, जो उस जगह में खड़े होकर फल, पेड़, पौधों का उपयोग करता था, जो अपने मवेशी को ले जाने के लिए उस जमीन को काम में लेता था, सारे उसके अधिकार छिन्न-भिन्न करने का यह काला कानून लाया जा रहा है। इसको सोचना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि आम व्यक्ति को इससे क्या लाभ है। आमजन को क्या लाभ है, इस बात को सोचना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, सरकार जो कानून लाये, पहले सोचे, समझे, लोगों से राय ले और उसके बाद लाये, तो मैं समझता हूं, विधान सभा का समय जाया नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा। यह कानून आम लोगों के जनजीवन को प्रभावित करने वाला है, उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला है। इसलिए जनमत जानने के लिए इसको परिचालित किया जाना आवश्यक है। इससे ज्यादा हमारे आदरणीय प्रद्युम्न सिंहजी इसके ऊपर बोलेंगे तो पूरी राय रख देंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आपकी राय से बोलेंगे? बिना राय के नहीं बोलेंगे क्या? श्री हनुमान बेनीवाल।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आज इस पर दे दिया। सरकार राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 आज सदन के अन्दर विचार और पारित करवाने के लिए लेकर आयी है। राजस्थान के अन्दर खूब प्रसिद्ध झीलें हैं। उदयपुर, जयपुर, पुष्कर, अजमेर की आनासागर झील पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण झीलें हैं। झीलों का पहले मुख्य उद्देश्य पेयजल और सिंचाई का हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ पर्यटन के उद्देश्य से ही झीलों के अन्दर पर्यटक आते हैं। बहुत कम झीलें ऐसी राजस्थान में हैं जिनकी सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोगिता होगी।

अध्यक्ष महोदय, यह जो एक्ट लेकर आ रहे हैं इसमें एक तो यह प्रावधान कहीं नहीं किया गया कि जो झीलों का बहाव क्षेत्र है, जहां से पानी की आवक है अगर उस आवक के बीच में किसी ने एनिकट बना लिया, कोई ग्राम पंचायत का इलाका आता है, कोई नगरपालिका का इलाका आता है, एनिकट बना लिया या कहीं निर्माण हो गये, झीलों के अन्दर जो अतिक्रमण हैं, किस तरह के अतिक्रमणों को हटाने का काम इस अधिनियम के तहत सरकार करेगी।

दूसरा प्राधिकरण गठन की जो बात इसमें कही है, अध्यक्ष महोदय, सरकार से मैं यह भी मंशा जानना चाहता हूं कि जब विधान सभा का बजट सत्र चलने वाला था तो 25 जनवरी को आर्डिनेंस लेकर आ गये, आर्डिनेंस की क्या आवश्यकता पड़ गयी? लक्ष्मणगढ़ से आने वाले विधायक बता रहे थे कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य क्या है, इससे राजस्थान की जनता को कौनसा फायदा होने वाला है या इस विधेयक के पीछे आपका कोई दूसरा उद्देश्य तो नहीं है। मानसागर झील के अन्दर शुरूआत तो दोनों तरफ से ही हुई थी। आप भी शामिल थे, ये भी थे और बहुत बड़ा मामला पूरे देश के अन्दर सुर्खियों के अन्दर आया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मानसागर के खिलाफ आप यहां सदन में बोले थे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वही तो बोल रहा हूं मैं, और क्या कह रहा हूं? मैं यहां कोई पक्ष में थोड़े ही बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं आप हटाइये मानसागर झील के अन्दर जो भी अतिक्रमी है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति है उसको जितना जल्दी हो आप वहां से हटाकर झील को पुन: मूल संरचना में लेकर आइये।

(श्री हनुमान बेनीवाल)

अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर प्राधिकरण गठन के बाद भी अगर प्राधिकरण के लोग सोचेंगे कि यह अतिक्रमण है, उसमें नोटिस देने के बाद राज्य सरकार की अनुमति चाहिए, तो मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार यह पावर वहीं प्राधिकरण के सदस्यों को डैलिगेट करे ताकि वे अपने स्तर पर कार्यवाही कर सकें।

दूसरा, राजस्थान लोक देवता, वीरों व झीलों की धरती है इसलिए इतिहासकार भी प्राधिकरण का सदस्य होना चाहिए, मेरी तरफ से यह राय है। झीलों के अन्दर हम देखते हैं, धोबीघाट लगे हुए हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, जगह-जगह झीलों के दुरुपयोग हो रहे हैं। इनको कैसे आप व्यवस्थित करोगे? इनको अगर हटाओगे तो दूसरी इनकी क्या व्यवस्था करोगे? अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इसको आनन-फानन में लाने के बजाय कम से कम 6 माह के लिए इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। झीलें सदा से आमजन को पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बनायी जाती रही हैं, किन्तु आज के आधुनिक युग में पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने के लिए जोर देने का समय आया है। राज्य सरकार का इस बिल को लाने का मुख्य उद्देश्य यही प्रतीत होता है। जबकि सरकार का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि झील का डवलपमेंट हो, झील के सहारे जो जीवन-यापन करने वाले लोग हैं उनके जीवन स्तर में सुधार हो। राज्य सरकार ने झीलों के संरक्षण की बात कही है उसमें झीलों के विकास और उनके संरक्षण को विषय बनाया गया है। किन्तु इन झीलों के सहारे जीवन-यापन करने वालों के लिए वैकल्पिक उपायों पर जोर नहीं दिया गया है। जो परिवार सालों से जीवन-यापन कर रहे हैं उनका क्या होगा, इसके बारे में भी राज्य सरकार कुछ उपाय करे।

इसके साथ ही झीलों में जो पानी आता है और उसके सहारे कहीं एनक्रोचमेंट हो गया है, होटल, रिसोर्ट काफी चीजें ऐसी बन गयी हैं, तो पानी का जो रास्ता है उसको भी अधिकार क्षेत्र में लेना चाहिए। यदि पानी नहीं रहेगा,

(श्री रमेश)

पानी नहीं आएगा तो जो झील संरक्षण की बात चल रही है, वह सब बेकार होगी। आज राज्य में राजसमन्द, जयसमन्द और अन्य कई झीलें ऐसी हैं जहां पर पानी की क्षमता कभी किसी जमाने में 100 प्रतिशत थी, आज 20 से 25 प्रतिशत ही पानी आ रहा है और इनका क्षेत्र सिकुड़ गया है। उनके क्षेत्रों में अतिक्रमण हो गये हैं, उनको भी हटाने की आवश्यकता है।

आप इस परपज से बिल लाना चाहते हैं कि यहां पर्यटकों को बढ़ावा मिले, होटल्स, रिसोर्टस, पार्क विकसित हों तो मैं कहना चाहूंगा कि बिल तो ला रहे हो, लेकिन हमारे माननीय विधायकों ने धारा नम्बर (3) का जो विवरण दिया कि नैचुरल एक्टिविटीज जो भगवान ने हमें दी हैं उन पर रोक नहीं लगे कि आदमी नहाने-धोने जाएगा, किसी प्रकार की एक्टीविटी करेगा। उस पर आपने सज़ा का प्रावधान रख दिया है। आप किसी स्पेशल व्यक्ति को उसमें परमिट करने जा रहे हो, किसी को नहीं करोगे तो यह भी ठीक बात नहीं है। लेकिन जो कहना चाहता हूं कि झीलों के आसपास रहने वाले निवासियों को प्राधिकरण से कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि कोई भी बनता है तो वह भ्रष्टाचार की जड़ बन जाता है और वहां केवल पैसों का लेनदेन होता है, जनता के काम अटकाये जाते हैं। तो इस प्राधिकरण में क्या ऐसा होने वाला है?

इसी के साथ राज्य सरकार द्वारा कराये गये कार्य और झील संरक्षण के विकास की बात कर रहे हैं, उसका प्रति वर्ष थर्ड पार्टी से इंस्पैक्शन कराएं। उसके वास्तविक कार्यों की जांच हो कि काम हुआ है कि नहीं हुआ। कहीं ऐसी स्थिति नहीं बन जाए, जैसा जोधपुर प्राधिकरण में, जयपुर प्राधिकरण में हुआ है, जो आज कर्ज में डूबे हुए हैं। ऐसी स्थिति नहीं आ जाए इस प्राधिकरण की। प्राधिकरण की लोन लेने की जो सीमा है, उसको भी निर्धारित किया जाए जिससे कि वह इतनी बुरी स्थिति में नहीं आ जाए, जैसी आज के प्राधिकरणों की स्थिति है।

आपने निजी भूमि, भवन, अन्य परिसर में प्रवेश हेतु 24 घंटे के नोटिस का प्रावधान रखा है, उसे बढ़ाया जाए क्योंकि इसमें आमजन को परेशान कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। एक दिन पूर्व कभी भी नोटिस थमाकर परेशान करने के प्रकरण पहले भी सामने आते रहे हैं। राज्य सरकार ने प्राधिकरण द्वारा निर्माण के अनुमोदन का बिन्दु रखा है किन्तु उसमें राज्य

(श्री रमेश)

सरकार को नियम बनाते समय यह मेरा सुझाव है कि जो निर्माण 30 से 40 वर्ष पुराने हैं, उनका फिजिकल वैरीफिकेशन कराने के बाद ही वास्तविक अतिक्रमियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बेवजह आम जनता को परेशान नहीं किया जाए। कई झीलें ग्रामीण, कस्बाई क्षेत्रों के आसपास हैं जहां रहने वाले निवासी अपने कब्जे का नियमन नहीं करा पाये। आप अचानक इस बिल को लाये, उनको मौका नहीं मिलेगा। मौका आपको देना चाहिये क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। उनको राहत मिलनी चाहिये। जिस प्रकार आप पर्टीकुलर किसी आदमी के लिए बिल लाये हैं कि इसको हटाना है और किसी को बसाना है, किसी को लाभ देना है तो यह सरकार की मंशा ठीक नहीं है। यह बिल आप क्यों लाये, जनहित में लोगों को जानना जरूरी है। जनता भी जाने। सबसे पहले पारदर्शिता होनी चाहिये सिस्टम में। तो मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सरकार को कि राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 को छह माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोतम कुमार।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने जलस्रोतों के संरक्षण के सम्बन्ध में बिल प्रस्तुत किया है, वह अभूतपूर्व है, प्रेरणादायक है, और इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

विश्व की कई प्रसिद्ध झीलें हमारे यहां स्थित हैं- जयसमन्द, राजसमन्द, पीछोला, फतेहसागर, आनासागर, पुष्कर सरोवर एवं हमारे विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में झालामण्ड द्वारा निर्मित श्रीसागर झील। ऐसी कई झीलें राजस्थान में स्थित हैं जिनके निर्माण का उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकेगा जब इन झीलों का संरक्षण और विकास होगा।

उदयपुर शहर तो झीलों की नगरी के नाम से पूरे विश्व भर में जाना जाता है। विश्व भर की बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज यहां आती हैं। यहां कई तरह के कार्यक्रम करती हैं, करोड़ों-करोड़ों रुपये यहां खर्च करती हैं। अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे, झीलों के संरक्षण की जरूरत क्यों नहीं है? उदयपुर में आकर अगर आप देखेंगे तो इन झीलों की वजह से यहां

(श्री गोतम कुमार)

करोड़ों रुपये खर्च करती हैं विदेशों से आने वाली सेलिब्रिटीज। वर्ष भर इन झीलों की पालों पर कई बालीवुड और हालीवुड में बनने वाली फिल्मों की शूटिंग्स की जाती हैं। ये झीलें हमारे राजस्थान के पर्यटन के व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। इस विधेयक में धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व के आधार पर तीन हैक्टेयर की झीलों को लिया है, अन्य में 10 हैक्टेयर की झीलों को शामिल किया है। राजस्थान में कई झीलें इनके दायरे में आएंगी और उनका संरक्षण होकर उनका रखरखाव किया जा सकेगा प्राधिकरण के द्वारा। यह सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आज अतिक्रमी हावी हो रहे हैं। उदयपुर में अगर अपन देखेंगे, आप स्वयं उदयपुर विराजते हैं, आपका तो झील के पास ही मकान है, तो निश्चित रूप से किस तरह से वहां अतिक्रमण हो रहा है, आपको ध्यान में है, अध्यक्ष महोदय। इसमें सजा का दो वर्ष का प्रावधान किया गया है और 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है, इससे निश्चित रूप से झीलें सुरक्षित और संरक्षित रहेंगी।

उदयपुर शहर में झीलों के आसपास बड़े-बड़े माल्स हैं, जैसे ओबेराय ग्रुप की उदय विलास, रेडिसन, होटल लीला आदि ने तो बड़े-बड़े निर्माण करवा लिये हैं। लेकिन इन झीलों के आसपास में वर्षों से रहने वाले, सैकड़ों वर्ष पुराने रहने वाले लोग अगर उन मकानों में छोटी-सी कोई मरम्मत कराना चाहें तो उनको स्वीकृति नहीं मिलती है झील संरक्षण के हिसाब से। अब यह प्राधिकरण जब बनेगा तो निश्चित रूप से सभी के साथ समान रूप से न्याय हो सकेगा।

सरकार ने परियोजना की क्रियान्विति के लिए इसमें सीएसआर को जोड़ा है, इसके लिए सरकार को जितना धन्यवाद दिया जाए, उतना कम है। बड़ी-बड़ी प्राइवेट संस्थाएं, बड़े-बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होंगे, और सीएसआर की सामूहिक उत्तरदायित्व निधि होती है, उसका उपयोग करके इनको संरक्षित कर सकेंगे।

आज इन झीलों में अतिक्रमण की समस्या है, गंदे पानी की समस्या है। इनके कैचमेंट एरिया में जिस प्रकार से अतिक्रमण हो रहा है, निश्चित रूप से यदि ऐसा प्राधिकरण होगा तो इन चीजों पर रोक लगेगी।

कुछ नगर परिषद और कुछ नगरपालिकाएं तो समृद्ध होती हैं, वे तो अपने संसाधनों से, आर्थिक रूप से मजबूत होने से उनका संरक्षण कर लेती हैं,

(श्री गोतम कुमार)

उनका विकास भी कर लेती हैं। लेकिन जिन नगरपालिकाओं और पंचायतों के पास झीलों के संरक्षण के लिए कोई पैसा नहीं होता है, यह प्राधिकरण अगर बनेगा तो निश्चित रूप से उनका भी संरक्षण और विकास होगा। यह विधेयक कई वर्षों पूर्व आ जाना चाहिये था लेकिन हमारी माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी जो यह विधेयक लायी हैं, हम चूंकि उदयपुर के पास रहते हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। जनमत जानने हेतु जो मैंने अपने प्रस्ताव दिये, मैं उन्हें विथड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के बारे में बोलेंगे।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015. प्रथम तो अध्यादेश लाया गया, उसके बाद यह विधेयक आज सदन के सामने आया है। इसमें पांच अध्याय हैं और 36 खण्ड हैं, काफी विस्तृत विधेयक है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने इसमें कई विसंगतियां बतायी हैं। लूणी से आने वाले माननीय सदस्य ने आपस में कोंट्राडिक्टरी प्रोविजन कर रखे हैं, उनके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

इसमें प्राधिकरण को सारी शक्तियां हम देने जा रहे हैं- वह बाउण्ड्री भी डिफाइन करेगा, वह उसका कैचमेंट एरिया भी डिफाइन करेगा, वह उसकी यह प्रवृत्ति भी डिसाइड करेगा कि संरक्षित झील का कितना एरिया होगा। दो हैक्टेयर से 10 हैक्टेयर तक निजी झीलों को भी इसके अन्दर ले सकते हैं। सरकारी झीलें जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की हैं, सिंचाई विभाग की हैं, वे तो हैं ही। बहुत सारी झीलें हमारे यहां हैं जिनका धार्मिक महत्व है, अध्यक्ष महोदय, जैसे पुष्कर झील है। कुछ लोग तो हरिद्वार में अस्थियां विसर्जित करते हैं, कुछ गंगा में, कुछ गढ़गंगा में करते हैं और कुछ लोग पुष्कर में भी अस्थियां

(13.00 बजे)

विसर्जित करते हैं। उसका अपना धार्मिक महत्व है। वहां पूजा भी करते हैं, पूजा से उसमें और सामग्री भी अन्दर जाती है, वो भी पर्यावरण को गंदा करने की परिभाषा में आ सकती है। इस तरह की एक्टिविटीज को आपने उसमें बाहर नहीं निकाला या डिफाइन नहीं किया। आपने धारा-36 में यह तो दे दिया कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए जो लोग करते हैं, वह करते रहेंगे, पर आप उसमें

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

इसको डिफाइन भी कर देते कि ये ये गतिविधियां ये करते रहेंगे। कई झील हैं जैसे उदयपुर की झीलों की चर्चा आयी, एक बहुत बड़ा होटल है जिसके अवशिष्ट उसमें जाते हैं। उसको भी आप इसमें डिफाइन कर देते। यह बड़ा विधेयक है, अध्यक्ष महोदय। इतने दिन हम इस विधेयक के बिना रह गये तो कोई आफत नहीं जा जाएगी कि हम इसको तीन महीने के लिए प्रवर समिति को सौंप दें। फिर आपने प्राधिकरण को शक्तियां दी हैं कि वो प्राइवेट कम्पनी या निजी व्यक्तियों से समझौता कर सकते हैं। जो पहले समझौता किए हैं उनकी इस सदन में कई बार चर्चा आयी है, दोनों तरफ आरोप लगे हैं। इससे कैसे बचा जाएगा, इसका भी इसमें कोई वो नहीं है। प्राधिकरण के गठन में आपने लोकल बाडीज के मैम्बर भी ले लिये, आपने पर्यावरण के भी ले लिये, आपने भू- वैज्ञानिक भी ले लिया, आपने हाइड्रोलाजिस्ट भी ले लिये, पर जैसा कि जयपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरणों में आपने इस सदन के सदस्यों को भी सदस्य के रूप में शामिल करने का प्रोविजन डाला है, वो इसमें आपने नहीं डाला है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से प्रस्ताव है सदन में कि इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए जिससे इसमें कई जो कानूनी छोटे -छोटे बिन्दु रह गये हैं, उनको दूर किया जा सके। प्रवर समिति इस सदन का छोटा रूप होगा जिसमें काफी विस्तृत रूप में चर्चा हो सकती है, एक-एक खण्ड पर, एक-एक उपखण्ड पर, एक-एक धारा पर। इसलिए आप इसको प्रवर समिति को दे दें, वह तीन महीने में अपनी रिपोर्ट दे दे, यही मेरा प्रस्ताव है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंहजी। श्री भी लगाया है और जी भी लगाया है, देखिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): बड़ी कृपा है आपकी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल को पारित कर रहे हैं बड़े काबिल मंत्री श्री राजपाल सिंहजी शेखावत। 25 जनवरी को आर्डिनेंस लाये और पांच-सात दिन पहले ही शायद हाउस में इण्ट्रोड्यूज हुआ है यह बिल। आपके पास काफी समय था कि आप इस बिल के प्रोविजंस को, लैंग्वेज को अच्छी तरह से देखते। आप पढ़े-लिखे हैं, मेरी समझ में तो बहुत होशियार हैं आप, कोई माने या नहीं माने। I am not flattering. न मुझे कोई काम है आपसे, न कोई फ्लेटरी कर रहा हूं। लॉ डिपार्टमेंट का तो भट्टा ही बैठा हुआ है, श्रीमान। सोचिए, बैडली ड्राफ्टेड बिल और सरकार संख्या बल के आधार पर, 160 के बल के आधार पर रोड रोलर चलाकर इसको पास करा लेगी। यह मैं कहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, It is not a good Law. एपेरेंटली बड़ा अच्छा लगता है, झीलों का संरक्षण होगा। जरूर

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

होना चाहिए झीलों का संरक्षण, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। क्यों आ रहा है, किसलिए आ रहा है, सबको मालूम है। मैं इसके उस विस्तार में भी नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आप ऐसा कानून बनाकर, कोई कानून बनता है तो जब तक उसमें अमैण्डमेंट नहीं आए, उसको रिपील नहीं किया जाए, यह वर्षों चलेगा, सौ वर्ष चले, डेढ़ सौ वर्ष चले, आप कुछ लोगों के हाथ के अन्दर ऐसा हथियार देकर जाएंगे कि वह बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली बात हो जाएगी। हर इश्यू के ऊपर हाई कोर्ट के अन्दर इस एक्ट को लोग लेकर जाएंगे और सरकार को और जनता को परेशानी में डालेंगे। पर्सनल स्कोर सैटल होंगे इस कानून के जरिए, यह मैं आपको निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, कह सकता हूं।

जो कुछ मैंने देखा है इसके अन्दर, डेफिनिशन पर आ जाइए आप। सबसे पहले झील की परिभाषा ही देख लीजिए, बाद की बात तो और है। “lake’ means an inland water body, whether it is natural or manmade, whether it contains water or not…” पानी है, नहीं भी है, तब भी झील है। तब कह देंगे, साहब, अवरोध था इसलिए सूख गयी थी यह। “…whether it has been recorded..” अब रिकार्डेड तो आपके रेवेन्यू रिकार्ड ही है या किसी म्यूनिसिपल उसके अन्दर है”…recorded as such in any revenue or other official record or not….” है और नहीं भी है, यह तय हम करेंगे। कोई झील रिकार्डेड नहीं है और सरकार कहेगी, नहीं, यह झील है, यह कैसा कानून बनाने जा रहे हैं आप? अपना लैण्ड रेवेन्यू एक्ट है, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत खातेदारी है, टिनेन्सी एक्ट है, सब कुछ चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कितने ही डिसीजंस में कहा है, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट अलग-अलग प्रांतों में है, उसमें Recorded entries are final. यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। आप अपने ला डिपार्टमेंट वालों से पूछ लीजिए। माननीय सुराणाजी भी यहां पर मौजूद हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं। बदकिस्मती है मेरी कि उन्होंने इसके ऊपर अमैण्डमेंट या प्रवर समिति को जानने का नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर और आगे देखते जाइए आप “…or other official record or not which has had, at any time during fifty year preceding the commencement of this Act.” Retrospective Law is always bad law. “….preceding the commencement of this Act, a total submerged area of not less than three hectares in case of water body having socio-cultural, heritage or religious importance and not less than ten hectares in other cases.” यह तो आपने लेक की परिभाषा कर दी। कहीं है या नहीं है, यह तो हमारे विहम्स के ऊपर है। तानाशाही है, हिटलरशाही है। हमने कह दिया, यह लेक है सो लेक है। You can not challenge it. आप रिकार्ड मांग ही नहीं रहे हैं कोई

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

भी। आपने कह दिया फ्लो एरिया, अब आप फ्लो एरिया को देख लीजिए। “Flow area’ means the area through which streams or feeders flow to the lake for its recharge.” अच्छा है। अब आपकी विहम्स के ऊपर है, आप कितने एरिया को- पांच सौ एकड़, हजार एकड़ को कह देंगे कि यह फ्लो एरिया के अन्दर आता है। आप इसकी इम्प्लीकेशंस समझें। फिर फ्लो एरिया के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, वह आगे की बात है, फ्लो एरिया के अन्दर पचास साल पुराने मामले खुलेंगे। पापुलेशन के प्रेशर के अन्दर फ्लो एरिया के अन्दर कच्ची बस्तियां और पक्के मकान बन गये। कई जगह आपने लीगलाइज कर दी कालोनीज। विभिन्न सरकारों ने विभिन्न समयों पर लीगलाइज की हैं कालोनीज। पंचायत ने पट्टे काटे हैं जो पंचायत क्षेत्र में आ गयी हैं। आपने पट्टे दिये हैं लोगों को। नगरपालिका में कई अभियान चले जहां लोगों को पट्टे दिये गये हैं। आप सारे के सारे रीओपन कर देंगे इसके अन्दर।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जितने आपके लॉ हैं, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की बात तो मैंने कह दी है, पंचायती राज कानून है, नगरपालिका कानून है और बहुत-से शहरों के तो मास्टर प्लान एप्रूव हो चुके हैं, आप बिना मास्टर प्लान एप्रूव कराये, अपने आप जो भी आएगा करेगा, क्योंकि इसमें आगे बड़ी अजीब-अजीब बातें हैं। यह कानून सुप्रीम है, कोई कानून लागू ही नहीं होगा, मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ऐसे आर्बिट्रेरी पावर आप ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है, आप मिसयूज नहीं करेंगे। आप जैसा मंत्री मिसयूज नहीं करेगा। लेकिन क्या गारंटी है कि आप जिंदगी भर बैठे रहेंगे यहां पर? कोई शैतान आ गया तब? जनता के संग, इस बढ़ती हुई आबादी से आप करने क्या जा रहे हैं?

अब आपके Lakes boundaries and protected area, Chapter II Section 3. Lakes to vest in the State Govt. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ‘‘State Govt. and no person shall undertake any activity, whatsoever, within the boundaries of a lake or use or draw any produce or water from a lake otherwise than in accordance with the permission granted by the Authority in the prescribed manner.” ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेक्स स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएंगी। प्रोटेक्शन अच्छी तरह से हो जाएगा। Declaration of lake boundaries and protected area, बड़ा इंटरेस्टिंग है, माननीय अध्यक्ष महोदय। ‘‘...The State Govt. may, by notification in the Official Gazette, either suo motu, on the basis of information available.” किसी चुगलखोर ने इन्फार्मेशन दे दी क्योंकि रिकार्ड तो मानोगे ही नहीं आप। आपने कह दिया कि रिकार्ड में दर्ज है या नहीं है,

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

'suo-motu' व्हिम्स के ऊपर चलेगा मामला। ''or any information available" किसी चुगलखोर ने चुगली कर दी, लिख कर भेज दिया। तो हमारे पास तो इन्फोर्मेशन है पक्की। What is this arbitrary manner? आप कर क्या रहे हो? ''information available with the Govt. on the recommending by notification in the Official Gazette either suo motu or on the basis of information available with it or on the recommendation of the Authority." आपकी जो यह अथोरिटी बनेगी, उसके आधार पर हमारे पास सूचना आ जाएगी या suo motu or any other information, खुफिया रिपोर्ट आ जाएगी उससे काम हो जाएगा। Its very dangerous law you are going to enact. मैं आपसे मजाक में नहीं कह रहा हूं। कोई आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूं। लेक्स का प्रोटेक्शन आप कीजिये और निश्चित रूप से करना चाहिए लैक्स का प्रोटेक्शन। एक स्वीपिंग पावर किसी को देना और खुद आप स्वीपिंग पावर्स लेने जा रहे हो, यह अच्छा नहीं है। बहुत-से शहर आएंगे। मैं प्रोवोक नहीं कर रहा हूं, कटारियाजी विराजमान हैं, उदयपुर शहर इनकी कांस्टीट्युएंसी है, He will face the music. मैं गारंटी से कहता हूं, he will face the music.

श्री अध्यक्ष: You are provoking.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप और चलिये। आप एक चीज और देखिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, चैप्टर-सी के सैक्शन-4 का सब सैक्शन 4, ''The notification issued under this Section shall prevail notwithstanding any other Rajasthan law for the time being in force." I failed to understand इतना बैडली ड्राफ्ट किया है। किसी ने कंसीव किया होगा बड़े चतुर आदमी ने, कि इस सरकार को अन्दर से बैठ कर तहस-नहस करना है। अन्दर से बैठ कर तहस-नहस करना है इसलिए उसने यह कानून ड्राफ्ट किया है बैठ कर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने सोचा, अगर प्रवर समिति में चला जाए। आर्डिनेंस आप ले आये, आर्डिनेंस के बाद बदकिस्मती यह है कि प्रापर ड्राप्ट्समैन ला डिपार्टमेंट में हैं ही नहीं। यह आज ही नहीं, हमारी सरकार में भी नहीं थे ला डिपार्टमेंट में ड्राफ्ट्समैन। अवेलेबल नहीं हैं इनके पास। ड्राफ्टिंग इतनी पुअर है। माननीय गृह मंत्रीजी विराजमान हैं, जब पुलिस एक्ट अपन लोगों ने बनाया था बैठ करके, आप चेयरमैन थे, मेरा भी सौभाग्य था कि मैं उस कमेटी का मैम्बर था। आपने कई दिन लगाये थे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दिया गया कि राजस्थान की विधान सभा में राजस्थान सरकार इतने

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

घंटे बैठी और यह पुलिस एक्ट हमने यहां ड्राफ्ट किया। एक तरह से तारीफ हुई थी। एक-एक शब्द के ऊपर 6-6 दफे, एक-एक सैक्शन के ऊपर, यहां पर चर्चा हुई थी, तब जाकर ड्राफ्ट हुआ था। मैं उस वक्त के अधिकारियों के बारे में कहना नहीं चाहता हूं। उचित भी नहीं है मेरे लिए कहना। ''Protection and development of lakes. To carry out survey and study of lakes and prepare, maintain and publish, in the prescribed manner, the record of lakes including their boundaries, flow area and such other matters as are deemed necessary for protection and development of the lakes.'' पेज 30 पर आप खोल कर देख लें, माननीय मंत्री महोदय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। इसके अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुछ चीजें मेरी निगाह में आयी थीं, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस मैं समझ रहा हूं और जो हमारे डिफरेंट हाई कोटर्स की आजकल हालत है सुओ मोटो काग्नीजेंस लेने की। कहीं अख़बार में खबर निकल गई, Its going to create the problems. हाई कोट्र्स की जो आजकल स्थिति है, सारे देश में यह हाल है, तो आपके लिए भी आएगी।

कुछ चीजें और आपकी निगाह में डालना चाहूंगा। ''The authority may, if it considers expedient in the interest of protection or development of a lake so to do remove any building, structure or any other object of obstruction within the protected area or the flow area of the lake.'' इसमें फ्लो एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया और झील, यह सारा डिस्क्रिशनरी पावर आप ले रहे हैं अपने आप, क्योंकि रिकार्ड को तो आप मानोगे नहीं। लैंड रेवेन्यू एक्ट को आप मानोगे नहीं, म्यूनिसिपल रिकार्ड को आप मानोगे नहीं, मास्टर प्लान को आप मानोगे नहीं। जो डिफरेंट डवलपमेंट अथोरिटीज हैं- चाहे जयपुर की हो, अजमेर की हो, उदयपुर की हो, यूआईटी हो, किसी को नहीं मानोगे आप। जो अब तक मेहनत हुई है, सब गयी आपकी। जो डिफरेंट लोकल बॉडीज ने की है, सब चूल्हे-भाड़ में गयी। अब हम सुप्रीम हैं, हम करेंगे इसके अन्दर। अंततोगत्वा एक चीज और आपने ली है अपने हाथ में, Application of other laws. वो जो मेरा एप्रीहैंशन था, वो खुद लिख भी दिया इन्होंने। There is 35. 35 में क्या लिखते हैं, ''The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything consistent there with in any other Rajasthan law for the time being in force or any judgment or decision of a court or authority to the contrary.'' न आप हाई कोर्ट की मानेंगे, न सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे आप। नये सिरे से मनमाने तरीके से आप काम करेंगे। कोई कानून नहीं, कोई हाई कोर्ट का

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

जजमेंट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं। जो हमने कह दिया, वो कानून है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, इसको नाक का सवाल न बनाएं आप। कृपया इसको नाक का सवाल न बनाए कि इसको आज ही पारित करना है। इसको आप प्रवर समिति में सौंपें, इस पर विस्तृत चर्चा होगी। अनुभवी सदस्यों को डालें। भले ही आप एक महीने में रिपोर्ट ले लें, कभी रिपोर्ट ले लें आप, दो महीने में रिपोर्ट ले लें, लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा हो जाए। आपके अधिकारी बैठें, अच्छे वकीलों को बुलाएं आप। सदस्य बैठें, लीगल ओपीनियन लें, तब इस कानून को पास करें। यही मेरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है, अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: अब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जनमत जानने के लिए और प्रवर समिति में भेजने के लिए तथ्य सदन में आपके माध्यम से रखे हैं। और यह भी कहा गया कि यह कानून क्यों लाया गया, यह सबको पता है। इस कानून के आब्जेक्टिव्स को, अगर इस कानून के जेनेसिस को ढूंढना चाहते हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, झीलों के संरक्षण के लिए काफी सालों से चर्चा हो रही है। मीडिया में कई रिपोटर्स आ रही हैं, दुनिया भर में कई प्रकार की स्टडीज हुई हैं। यूनेस्को की एक लेटेस्ट स्टडी यह कह रही है कि राजस्थान के अन्दर आजादी के समय जितनी इनलैंड वाटर बाडीज थीं, उन इनलैंड वाटर बाडीज में से पचास प्रतिशत से ज्यादा या तो समाप्त हो गयीं; उनमें पानी नहीं है या पानी का उनका एरिया सिंक कर गया है और यह ईको सिस्टम के लिए सीरियस चैलेंज है। राजस्थान के रेफरेंस में अगर बात करना चाहें, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो 1999 में एक रिट 6.2.2007 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पारित की। वहां एक केस चल रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थी उदयपुर की झीलों के लिए। उदयपुर की झीलों की हालत पर बड़ी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गयी थी, इस कारण हाई कोर्ट ने 2007 में एक निर्णय दिया उसमें कहा कि हमें उदयपुर की लेक के लिये कुछ अथोरिटी बनानी चाहिये। उनके कन्जर्वेशन के लिये, उनके प्रिजर्वेशन के लिये

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एक अथोरिटी बननी चाहिये। जब उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया तो तत्कालीन सरकार ने उस आदेश के अनुसार दिल्ली की सरकार के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के भाग 3 के तहत अधिसूचना जारी करने के लिये भारत की सरकार को प्रस्ताव भेजा और यह कहा कि हम इस अधिनियम के तहत उदयपुर की झीलों के संरक्षण के लिये एक प्राधिकरण बनाना चाहते हैं। उसके जवाब में भारत सरकार ने मार्च, 2010 में यह कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को झील विकास प्राधिकरण के विधान के अन्तर्गत गठन हेतु बाई ला क्यों नहीं प्राधिकरण बनाते। जब दिल्ली ने यह कहा तो इसके लिये राजस्थान सरकार में एक स्टैंडिंग कमेटी बनी for Policy Formulation and Regulation of Lakes River Development Programme in the State. इस कमेटी के चेयर मैन हैं चीफ सैक्रेटरी। उन्होंने 29.07.2010 को...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सरकार इनकी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सरकार दोनों टाइम इनकी, सारे टाइम इन्हीं की।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं एक्ट बनाने के खिलाफ नहीं हूं, एक्ट बनना चाहिये। आप मेरी सरकार, तेरी सरकार मत कहिए, झीलों का संरक्षण होना चाहिये। आपकी सरकार ने यह किया।

श्री अध्यक्ष: तेरी-मेरी से ऊपर उठ जाइए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ऊपर उठ कर, इस कानून में आपकी जो मंशा है, मैं तो उसको चैलेंज कर रहा हूं। यह नहीं कहा कि इसको स्क्रैप कर दीजिए, कहा कि इसको प्रवर समिति में भेज दीजिए। श्रीमान, आप जो यह कह रहे हैं कि आपकी सरकार ने किया, हां, किया और करना चाहिये, जरूर होना चाहिये। लेकिन इसमें जो छिपा हुआ एजेंडा है, आपके महकमे ने जिसके कि आप मंत्री हैं, इतना पुअरली ड्राफ्टेड लॉ यहां सदन में पेश किया। अध्यक्ष महोदय, मैं क्या कहूं आपसे।

श्री अध्यक्ष: जितना कहा वो ही काफी है समझदारों के लिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी ने 19.07.2010 को लोकल सैल्फ डिपार्टमेंट को यह इंस्ट्रक्ट किया कि वह इसके लिये कानून बनाए, प्राधिकरण की स्थापना करे। इसीलिए, जैसा आप कह रहे थे कि हम जनवरी में आर्डिनेंस

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

लेकर आये, विधान सभा होने वाली थी तो जल्दी क्या थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला 1999 से चल रहा है। आपको भी जल्दी थी इसीलिए आप 25 सितम्बर, 2013 को एक आर्डिनेंस लेकर आये राजस्थान झील विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2013 जिसको आप एक्ट में तब्दील नहीं करा पाये। आप एक्ट में तब्दील क्यों नहीं करा पाये, इसके कारणों में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान अध्यादेश जो हमने 25 जनवरी को जारी किया है, वह इसका इम्प्रोवाइजेशन है, इसका आग्मेंटेशन है। यह आग्मेंटेशन क्यों करना पड़ा हमें? इसलिए करना पड़ा कि दो प्रकार की योजनाएं राजस्थान सरकार को दिल्ली की सरकार दे रही है। राजस्थान की पांच झीलों के लिये नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के तहत हमें 200 करोड़ रुपये मिले और नेशनल वैट लैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो 1985 से चल रहा था, इन दोनों को अब एक साथ मिला दिया गया है। 2014 में हमने एक नेशनल प्लान फोर कंजर्वेशन, एक्वाटिक ईको सिस्टम, 2014 बनाया जो केवल लेक के कंजर्वेशन तक सीमित नहीं करेगा अपने आप को। केवल लेक के प्रोटेक्शन तक सीमित नहीं करेगा। फिर लेक के प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है, लेक के कंजर्वेशन की जरूरत क्या है? क्या यह केवल ट्यूरिस्ट का सेंटर है, क्या यह पशुओं और आदमियों को पानी पिलाने का सेंटर है? क्या ये घास-फूस के मैदान हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब लेक की बात करते हैं, पूरे ईको सिस्टम की बात करना चाहते हैं तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यह जो झीलों का प्रोटेक्शन है यह केवल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन तक सीमित नहीं है, हम इनको ओरिजिनल स्थिति में रीस्टोर करना चाहते हैं। इसीलिए आपने बार-बार कहा, 50 साल पहले। 50 साल पहले जैसा कि अभी मैं निवेदन कर रहा था, यूनेस्को की रिपोर्ट कह रही है, 50 प्रतिशत से ज्यादा इनलैण्ड वाटर बाडीज समाप्त हो गयी हैं। जहां इनलैण्ड वाटर बाडीज 50 प्रतिशत से ज्यादा समाप्त हो जाएं, अध्यक्ष महोदय, आप किसको प्रिजर्व करना चाहते हैं? बची हुई को? जो जीर्ण शीर्ण हालत में लेक है, जो लेक के नाम पर धब्बा है, जो पोल्यूशन के सेंटर में तब्दील हो गई है, क्या उस लेक का प्रोटेक्शन करने के लिये, कंजर्वेशन करने के लिये कानून बनाने की जरूरत है? अगर कानून बनाने की जरूरत है, अगर लेक को प्रिजर्व करने की जरूरत है तो पहले लेक को रीजनरेट करना पड़ेगा, उसका रीस्टोर करना पड़ेगा। रीजनरेट किसको करेंगे? जो समाप्त हो गया है। रीजनरेशन। रीस्टोर करेंगे उस स्थिति को। हमें

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रेस्टोरेशन करना है लेक की उस पोजीशन को जो आज के 50 साल पहले थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो यह मानना है कि हिन्दुस्तान की आजादी के समय तक आना चाहिये था। 1947 के समय में हिन्दुस्तान को विरासत में जो लेक मिली थीं, इनलैण्ड लेक्स मिली थीं, उनको उस रूप में किस प्रकार कंजर्व कर सकें, प्रिजर्व कर सकें। इसीलिए इसमें कहा कि हम इसको रीजनरेट करना चाहते हैं, रीस्टोर करना चाहते हैं। इसका ब्यूटिफिकिशन भी करना चाहते है। इन सब चीजों का इंटीग्रेटेड डवलपमेंट प्लान कौन बनाए? वेरियस अथोरिटीज हैं- यूएलबी है, यूआईटी हैं, फोरेस्ट आ गया, पानी वाले आ गये, कई आ गये। यह मल्टीप्लीसिटी आफ डिपार्टमेंट है और मल्टीप्लीसिटी आफ डिपार्टमेंट के कारण झीलों को ओरिजिनल स्थिति में रीस्टोर करना, इनको रीजनरेट करना, इनको कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना यह सम्भव नहीं था। यूनिफाइड बाडी किस प्रकार से बनायी जाए जो इंटीग्रेटली डवलपमेंट कर पाए। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे, रोजाना कितनी बायलोजिकल और जूलोजिकल स्पेसीज खतम हो रही हैं, हर दिन कुछ जीव हैं जो हमेशा के लिये समाप्त हो रहे हैं। कुछ वनस्पतियां हैं जो हमेशा के लिये समाप्त हो रही हैं। राजस्थान भी इसका उदाहरण है। राजस्थान में भी कई वनस्पतियां हमेशा के लिये समाप्त हो रही हैं, कई जीव हमेशा के लिये समाप्त हो रहे हैं। यह फ्लोरा एण्ड फाउंटेन खतम हो जाए? इस फ्लोरा एण्ड फाउंटेन को बचाने की जिम्मेदारी ह्यूमन रेस की है, मानव सभ्यता की जिम्मेदारी है, मानव समाज की जिम्मेदारी है। पूरी एक्वा लाइफ, चाहे बोटेनिकल एक्वा लाइफ हो चाहे जूलोजिकल एक्वा लाइफ हो। इस एक्वा लाइफ का प्रिजर्वेशन लेक के कंजर्वेशन के बिना हो नहीं सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सारा का सारा कानून जो हम लेकर आये है, यह केवल लेक को कंजर्व करना, केवल ट्यूरिस्टों को घुमाना, अच्छा होगा तो ट्यूरिस्ट अपने आप ही आएंगे लेकिन किस प्रकार से हाइड्रोलोजिकली, हाइड्रो जियोलोजिकली और लिमिनोलोजिकली पूरा ईको सिस्टम है उसका इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं। इस पूरे ईको सिस्टम का इंटीग्रेटेड मैनजमेंट ह्यूमन रेस के लिये, समाज के लिये। आपने कहा लेक, लेक की प्रोपर्टी, प्रोपर्टी ले कौन रहा है आपकी? आपने सैक्शन 3 की चर्चा की, आपने कहा कि सैक्शन 3 के तहत प्रोपर्टी ले रहे हैं। लेक को नोटिफाई कर देंगे, ले लेंगे। इसमें साफ-साफ लिखा है, "Notwithstanding any-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

thing contained in any law, instrument or order, protection and development of all lakes within the State, except private properties situated in such lakes, shall, with effect from the commencement of this Act, vest in the State Govt.'' माननीय अध्यक्ष महोदय, लेक की प्रोपर्टी का मालिकाना हक नहीं है। लेक का मालिकाना हक उसी के पास रहेगा। हमारे पास राइट कौन से रहेंगे? "instrument or order, protection and development of all lakes". यह राइट अगर राजस्थान सरकार के पास आता है या अथोरिटी के पास आता है तो इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत क्या है? इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिये?

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की चिंताएं कई चीजों को लेकर उठायी गयी हैं, आपने कहा कि यहां पर पानी का यूज नहीं कर सकते, वाटर प्रोड्यूस का यूज नहीं कर सकते, हम तो एक चुल्लू पानी भी नहीं पी पाएंगे, हमारी गाय पानी नहीं पी पाएगी, हम घास नहीं काट पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बडे साफ तौर पर कहा गया है, "within the boundaries of a lake or use or draw any produce or water from a lake otherwise than in accordance with the permission granted by the Authority in the prescribed manner." अथोरिटी से परमिशन मांगने में क्या आपत्ति है, जो आप लगातार काम करते रहे हैं? उसमें यह कहा गया है, "use of the water of a lake for the purposes for which it was withdrawn and use immediately before the commencement of this Act to the extent such withdrawal does not affect adversely the protection and development of the lake." इस एक्ट के कमैंसमेंट से पहले जो चीजें काम में आ रही थीं, चाहे पानी आ रहा था, चाहे घास आ रही थी, उस उपयोग को हम कोई इफैक्ट नहीं कर रहे, "provided it does not adversely affect the protection and development of the lake.'' इसमें आपत्ति क्या है? आपके अधिकारों का सम्मान करते हुए, आपके पानी पर अधिकार का सम्मान करते हुए, आपकी घास पर अधिकार का सम्मान करते हुए। मैं कहता हूं कि आपके ये अधिकार तभी तक रहेंगे जब तक यह लेक बची रहेगी। इस लेक को बचाने का अधिकार मुझको है, और बाकी जो अधिकार आपको चल रहे थे, वे पूर्ववर्ती अधिकार आपको जारी रहेंगे।

आपने कहा था रिलीजन सेंटर्स हैं उनका क्या होगा। बड़ा क्रिटिकली यह कहता है, सैक्शन 36, "Saving of religious rights. Nothing in this Act shall restrict or be construed as restricting any religious rights of any section of the society in respect of a lake having religious importance."

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रिलीजन को डिफाइन कर लें, रिलीजन बाउण्ड्री है? माननीय अध्यक्ष महोदय, रिलीजन को डिलिमिट नहीं किया जा सकता। डेफिनिशन के माध्यम से रिलीजन को डिलिमिट करना चाहते हैं, तो आप अपराध कर रहे हो। रिलीजन मल्टीडाइमेंशनल है। रिलीजन को डिफाइन करने का कोई कारण नहीं समझा। रिलीजन पर हमारे कस्टम्स लगातार चल रहे हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई एडवर्स इफैक्ट यह कानून नहीं डालता। इसमें स्पष्ट प्रोविजन है फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, चिंता किस बात की है? मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इन झीलों के संरक्षण के माध्यम से हम, हमारी पुरानी जनरेशन ने जितनी भी गलतियां कीं, हिन्दुस्तान की लेक ने जितना मल्टी डाइमेंशनल मिसयूज 50-60 सालों में भोगा है, अगर उसको रिजनरेट करना चाहते हैं और प्रकृति की इस विरासत को आगे वाली पीढ़ियों को यूं का यूं सौंपना चाहते हैं तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए।

इसीलिए हमने कहा, इनका फ्लो एरिया... फ्लो एरिया के लिए कोर्ट ही कह रहा है लगातार। फ्लो एरिया का प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, लेक का प्रोटेक्शन कैसे होगा? आपने जो अध्यादेश जारी किया, उसमें आपने बफर जोन और स्ट्रीम्स की चर्चा पहले ही इस अध्यादेश में की है। जब-जब किसी वाटर बाडी की बात करेंगे या रिवर की बात करेंगे तो उसकी स्ट्रीम्स की बात करेंगे, उसके कैचमेंट इलाके की बात करेंगे। कैचमेंट इलाके के बिना किसी नदी की, किसी नाले की, किसी झील की कल्पना नहीं की जा सकती। झील की कल्पना करते हैं, झील की सुरक्षा की कल्पना करते हैं, झील को रखने की कल्पना करते हैं तो जब तक उसके बफर एरिया को हम कैचमेंट से प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक लेक किसी भी हालत में प्रोटेक्ट नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा, लेक की बाउण्ड्री तय करें। लेक बाउण्ड्री, उसका जो एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है जो वैट लैंड है, उस वैट लैंड का प्रोटेक्शन अगर वैट लैंड का प्रोटेक्शन नहीं किया तो लगातार ये झीलें या तो समाप्त हो जाएंगी या झीलें नरक का केन्द्र बन जाएंगी। झीलें नरक का केन्द्र नहीं बनें। ईको सिस्टम को बिलकुल भलीभांति रखने वाला, ईको सिस्टम को बैलेंस करने वाला एक वाइटल एलीमेंट की तरह झूल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दिनों से पूरी दुनिया में इस बात की डिबेट चल रही है कि कुछ चीजें प्राइवेट प्रापर्टी नहीं हुआ करतीं। हवा प्राइवेट प्रापर्टी नहीं हो सकती, उसमें इनडिविजुअल का एब्सोल्यूट राइट नहीं हो सकता। पानी, यह इनडिविजुअल असेट्स नहीं है, यह राष्ट्रीय एसेट्स है। राष्ट्रीय

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एसेट्स का जिस प्रकार से प्रिजर्वेशन और इस्तेमाल होना चाहिए, वह इस्तेमाल करने के लिए मैं समझता हूं, हम सबके अन्दर एक कॉमन ओपीनयन होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने कोई अमैंडमेंट मूव नहीं किया। इनमें कोई अमैंडेबल नहीं है। इसमें अमैंडमेंट की सीरियस थाट उनके मन में नहीं थी, जनमत जानने के लिए। जनमत ही जान रहे हैं वे लोग। 99 में केस दायर हुआ, 99 पर हाई कोर्ट का जजमेंट आया। जजमेंट के बाद हमने दिल्ली की सरकार को लिखा। दिल्ली की सरकार ने हमको लिखा। हमने चीफ सैक्रेटरी की मीटिंग बुलायी। 2013 में आर्डिनेंस जारी कर दिया। जनमत का ऐसा कौनसा हिस्सा रह गया जो कहता कि लेक का प्रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? एप्रिहैंशन जैसा नहीं होना चाहिए।

लोगों ने कहा कि लेक के बीच में जो स्ट्रक्चर है, उसको कैसे छोड़ दिया। हम तो लेक को ही छोड़ रहे हैं। लेक को खा कौन रहा है? हम तो उसका डवलपमेंट करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन करना चाहते हैं। और लेक के स्ट्रक्चर की भी बात की। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेक के हैरिटेज की बात करें, हमने कहा रिलीजियस सैक्टरों के लिए। मैंने कहा, सोशियल कल्चरल इम्पोर्टेंस रिलीजियस इम्पोर्टेंस। जितने स्ट्रक्चर लेक के बीच में हैं, पुराने स्ट्रक्चर हैं, हैरिटेज वर्क्स हैं, उनके भी कल्चरल वर्क्स हैं, उनके अपने सोशियल कल्चरल वर्क्स हैं, अगर सोशियल कल्चरल वर्क्स को हम बचाकर रखना चाहते हैं, हिन्दुस्तान की हिस्ट्री को बचाकर रखना चाहते हैं, हिन्दुस्तान के कल्चर को बचाकर रखना चाहते हैं, हिन्दुस्तान की विरासत को बचाकर रखना चाहते हैं और विपक्ष के सचेतक महोदय को आपत्ति होती है तो मैं सोचता हूं कि उस आपत्ति का कोई कारण नहीं होना चाहिए। विरासत को बचाने के लिए, विरासत पर गर्व करने के लिए, जिस पर हम कालर ऊंची करके दुनिया के सामने खड़े हो सकते हैं उस विरासत को बचाने के मामले में चिंता मन में आए। मैं कहता हूं, यह केवल विरासत और टयूरिज्म सेंटर नहीं है, ईको सिस्टम है। अध्यक्ष महोदय, आजकल नया वर्ड पूरी दुनिया में चल रहा है लिमनोलोजी। यह वर्ड बड़ा पापुलर हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है । दुनिया के हरेक इलाके के अन्दर लिमनोलोजी के बारे में बहुत-बहुत बड़े काम हो रहे हैं। लिमनोलोजी के पूरे आस्पैक्ट्स को कवर करके, उसकी चिंता करके, उसकी स्टडी करके, उसकी एनालिसिस करके अगर हम काम करना चाहते हैं तो उसमें किसी भी आदमी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जहां तक आपने कहा डिस्ट्रक्शन, कई डिस्ट्रक्शन तो मेरे खयाल से हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन में लगा दिये। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से उस डिसीजन की कापी दूंगा। आपने हो सकता है, पढ़ा भी हो। मैं समझता हूं कि उसमे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता की बात केवल एक है, राजस्थान के अन्दर वाटर बाडीज जो डिस्ट्राय हो रही हैं, जो लगातार डिप्लीट हो रही है, श्रिंक कर रही हैं, जिनका वैट लैंड का मिसयूज हो रहा है, एन्क्रोचमेंट हो रहा है। आने वाले समय में तो खतम। आज कहां गया, जयपुर में हम जाते थे, जब हमारे राठौड़ साहब अध्यक्ष हुआ करते थे तब हम छापरवाड़ा जाया करते थे पिकनिक के लिए, कहां है छापरवाड़ा, कहां गया? लोग नाम ही नहीं जानते। नये लड़के जानते ही नहीं कि छापरवाड़ा कहां है। मैन मेड स्ट्रक्चर रहा हो चाहे गाड मेड स्ट्रक्चर रहा हो, इन दोनों स्ट्रक्चर के साथ में हम लोगों ने जिस प्रकार का खिलवाड़ किया है, अगर हम आज नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। आप कह रहे हैं ऐसा हथियार दे रहे हैं। ऐसा हथियार नहीं दे रहे। आने वाली विरासत को एक ऐसी गिफ्ट दे रहे हैं जिसके लिए आने वाले लोग गर्व करेंगे कि सही समय पर विधान सभा के सदस्यों ने सही निर्णय लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह कानून परफैक्ट कानून। यह कानून राजस्थान के लार्ज इन्टरेस्ट में, राजस्थान की जनता के लार्ज इन्टरेस्ट में। और राजस्थान की जनता के लार्ज इन्टरेस्ट में ही नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के लार्ज इन्टरेस्ट में है। हिन्दुस्तान और राजस्थान के एनवायर्नमेंट के लार्ज इन्टरेस्ट में है। हिन्दुस्तान और राजस्थान के ईको सिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए एक माइलस्टोन के रूप में इसे जाना जाएगा इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं, इसको प्रवर समिति में भेजने या जनमत के लिए परिचालित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

अभी मैं गलती कर बैठता, आपकी तरफ देख रहा था इसलिए।

प्रश्न यह है कि राजस्थान झील (सरंक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Can I claim division on this? May I press for the division, Sir.

श्री अध्यक्ष: No. No.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): This is my right. You can reject this. There should be something different.

श्री अध्यक्ष: You should cooperate.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह मेरा अधिकार है। रिकार्ड पर जाना चाहिए कि इस काले कानून को प्रवर समिति में सौंपने की विपक्ष की मांग सत्ता पक्ष ने मंजूर नहीं की।

श्री अध्यक्ष: Please cooperate with the Chair.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो इसलिए प्रैस कर रहा हूं। आप रूल आउट कर दें, आपकी मर्जी है।

श्री अध्यक्ष: हो गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं तो डिवीजन के लिए प्रैस कर रहा हूं, श्रीमान। आगे आपकी मर्जी है।

(अस्वीकृत)

श्री अध्यक्ष : विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किए जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान झील (सरंक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 37 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 37 स्वीकार किए जाएं?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 37 स्वीकार किये गये।

अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि- कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड एक-अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री राजपाल सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पारित किया जाए। आप प्रस्ताव कीजिए।

विधेयक का पारण

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य अपने विचार रखना चाहते हैं?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, मैं रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: इसके बाद आप।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक लाया गया है, इसके कोई मैं विपक्ष में नहीं हूं। लेकिन कुछ शंकाएं हैं। और ऐसा हुआ भी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन नदियां निकलती हैं और तीनों पर बांध बने हुए हैं। इसमें झील की जो परिभाषा दी गयी है, उसमें तीन हैक्टेयर तक की बात है। दौसा जिले का तो हर-एक तालाब तीन हैक्टेयर से ज्यादा का है। मेरे यहां बाणगंगा निकलती है और जमवारामगढ झील जहां पर एशियाड हुआ था, उस झील के कैचमेंट एरिया में, बहाव क्षेत्र शब्द इसमें आया है, वहां हजारों लोग बसे हुए हैं, ढाणियां बसी हुई हैं, गांव बसे हुए हैं, इस प्रावधान का चाहे जब मिसयूज हो सकता है, हो भी रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 442 किसान ऐसे हैं जिनके एरिये को खाडा कहते हैं। और रिकार्ड में खाडा है, इस कारण से तहसीलदार ने नोटिस देकर उनको खेती से वंचित कर दिया, जो 'अब्दुल रहमान' में आया है। मनमाने तरीके से इसमें क्षेत्र की बात

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

कही गयी है। उसका कैचमेंट एरिया कौनसा होगा? मैं उदाहरण दूं, जे.डी.ए. के एरिये की बात है। 45 किलोमीटर, गोविन्दगढ़ तो जे.डी.ए. में आता है लेकिन जमवारामगढ का 13 किलोमीटर का एरिया नहीं आता। ऐसी भी स्थिति बनेगी फ्यूचर में जाकर कि मनमाने तरीके से क्षेत्र को घोषित किया जाएगा। जिसका मकान तोड़ना होगा, लेना होगा, उस किनारे को तो बढ़ा दिया जाएगा। जिस किनारे पर नहीं होगा, उस किनारे को छोड़ दिया जाएगा। ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है। ऐसे ही 50 साल पहले की जो बात है, 50 साल में कितने लोग किनारे पर बस गये? नदियां सूखी पड़ी हैं, कितने खेत डवलप हो गये, बोरिंग हो गये, पक्के मकान हो गये, उन लोगों की क्या स्थिति बनेगी? अगर इसको घोषित किया गया तो उसके बाद उनके पास तो कोई चारा है नहीं।

इसी प्रकार से कानून को सुपरसीड करने की बात भी उसमें कही गयी है। राजाखेड़ा के माननीय सदस्य ने जो बात उठायी, वही मैं रिपीट कर रहा हूं कि अन्य कानून इस पर प्रभावी नहीं होंगे। यह तो अधिकार है, किसान का अधिकार है, जमीन वाले का अधिकार है। वर्षों पहले सरकार ने जमीन आबंटित कर दी, वहां बस गये, उन्होंने पट्टे बनवा लिये। इसमें लीज और पट्टे को भी निष्प्रभावी करने की बात कही गयी है। जिसके पास पट्टा है, वह किस आधार पर? उसके पास और क्या अधिकार है जिसने पट्टा लेकर मकान बनाया है? उसका मकान ले लिया जाएगा, वह कहां जाएगा? अभी पिछले सदन में भी हमने बहस की थी कि 'अब्दुल रहमान' में पूरे राजस्थान का सर्वे करवाकर उनका दुबारा सैटलमेंट किया जाए। उस बात को भी नहीं स्वीकार किया गया। इसका भी पहले सैटलमेंट किया जाए, उसके बाद उसके एरिये को तय किया जाए, बहाव क्षेत्र को तय किया जाए या झील का जो एरिया है उसको तय किया जाए। ऐसा अगर इसमें कोई प्रावधान किया जाए तो निश्चित तौर पर सक्षम महसूस करेंगे। वरना मेरी तो तीन नदियां उधर से बहती हैं- साहवी भी बहती है, बाणगंगा भी बहती है बेनी भादो नदी भी बहती है। उनमें सब जगह इस प्रकार की स्थिति है, किनारे पर मन्दिर बने हुए हैं, आस्था केन्द्र बने हुए हैं, घाट बने हुए हैं। इसमें लिखा है, प्रवाह क्षेत्र के कारण से, तो प्रवाह क्षेत्र के किसी को भी क्योंकि नदियां जब ज्यादा आती हैं तो कोहरा मारती हैं। जिधर से कोहरा मारती हैं उधर से ज्यादा कटाव हो जाता है, चाहे खातेदारी की जमीन हो। और जिधर कोहरा नहीं मारतीं, उस साइड में मिट्टी डल जाती है, उस पर बस गये लोग। इस प्रकार की स्थितियां भी हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी आशंकाएं आ गयीं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इस कारण से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसमें जितना सुधार किया जा सकता है, नियम बनाते समय जो प्रोटेक्शन हो सकता है। यह 50 साल वाला जो प्रावधान है, यह तो पीछे से 50 साल तक की बात हम करके उसमें कह रहे हैं, पानी है तो, और नाव है तो, नहीं है तो, इस प्रकार का जो प्रावधान है, मैं ऐसा मानता हूं कि असीमित अधिकार है। इस पर नियम बनाते समय माननीय मंत्रीजी गौर करें। गरीब जनता है, बहाव क्षेत्र में कोई धनवान नहीं बसे हुए हैं वहां जाकर। कोठियां नहीं बनीं वहां। वहां तो गरीब लोग बसे हुए हैं जिन्होंने पानी का चुग्गा देखकर या बरसात में नदी आ गयी उसके बाद बिना पानी के फसल हो जाती थी, इस कारण से वे नदी के किनारे बसे हुए हैं, बहाव क्षेत्र में। इसलिये बस गये लोग कि पहले बिना सिंचाई के फसल हो जाती थी। इस कारण से बसे हुए हैं। इस कारण से मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रोटेक्शन जनता को दिया जाए, गांवों के गरीब लोगों को दिया जाए, ऐसा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्री नरपतसिंह। (व्यवधान) नहीं, आप बोल चुके, नहीं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): छोटा सुझाव।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बोल चुके आप।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): सुझाव है छोटा। सजेशन है केवल।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बोल चुके आप। दे दिये आपने बहुत सुझाव।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इससे अलग सजेशन है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षों से लॉ तो देखते आ रहे हैं, लेकिन लॉ में अनब्रिडल्ड पावर रहेगा और ऐसे मंत्री उसको तुरन्त सहमत हो जाएंगे, मेरे खयाल से आज तक के इतिहास में विधान सभा में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्लासिफिकेशन ही नहीं किया लेक्स का। राजस्थान में सरफेस वाटर ज्यादा नहीं है लेकिन रिलीजियस लेक्स हैं- पुष्कर, कोलायत और रामदेवरा। प्राइवेट लेक्स भी हैं। स्टेट-ओन्ड अधिकांश जितने तालाब हैं जो दस हैक्टेयर से बड़े हैं इर्रिगेशन डिपार्टमेंट या पंचायत डिपार्टमेंट के हैं। कमर्शियल लेक्स भी हैं- सांभर, डीडवाना, नावां, आज से नहीं, कम से कम दो सौ साल से उसका एक्स्प्लायटेशन उस आधार पर हो रहा है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

सांभर लेक में सोलर पावर प्लाण्ट तो नहीं लगे, यह बात तो सही है। क्या संरक्षण कर लेंगे? वहां पर कोई स्ट्रक्चर रुकता ही नहीं है। अब अंग्रेजी में तो बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोलने वाले जो गोरी चमड़ी वाले थे, वे भी उसको नहीं कर पाये। कैचमेंट एरिया की बात कह रहे हैं....

श्री अध्यक्ष: ये काली चमड़ी वाले हैं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ''whether recorded or not recorded", सिवाय जैसलमेर सेठ के और कोई ऐसी पुरानी रियासत नहीं थी जहां पर रेवेन्यू रिकार्ड में गैर मुमकिन तालाब लिखा हुआ न हो। गैर मुमकिन तालाब आज का नहीं, आज से सौ साल पुराना रिकार्ड भी आप देख लें, उसके अन्दर मिल जाएगा। उसके बाद में किसी ने लेक बनायी हो, इर्रिगेशन डिपार्टमेंट ने बनायी है वह भी मैन-मेड है बीसलपुर डैम। उससे भी पानी अगर ड्रा करना है तो परमीशन लेनी पड़ेगी पी.एच.ई.डी. से। माउण्ट आबू में नया निर्माण नहीं हो, लॉ बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है अभी तक। अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में है, आप तो केबिनेट में थे उस समय, यह पारित हुआ था। सर्वाधिक निर्माण अगर हुआ है तो उसी के बाद हुआ है। उसके बाद में हुआ है अधिकारियों का सबसे ज्यादा, और राजनेताओं का सबसे ज्यादा। तोड़ो तो पहले उनको तोड़ लो, उसके बाद में इनको तोड़ने के लिये आना। Unbridled powers can never be given by any law. कौन करेगा? यह अथोरिटी करेगी। एक अथोरिटी बना देंगे। अरबन हाउसिंग, यू.डी.एच. डिपार्टमेंट इसको फुट करता है तो उनके अरबन एरिया में आने वाले जो तालाब हैं, उनको संरक्षित कर लें, बहुत बड़ी बात है। वह इनके हाथ में नहीं थी, वह इर्रिगेशन में थी। कह देंगे, इर्रिगेशन वालों ने उसको सम्भाला नहीं। वह जो फ्लो एरिया है, सौ साल पहले से परिभाषित है, वह तो काम में नहीं आएगा। अब आपकी अथोरिटी जो परिभाषित करेगी- Any authority published in Gazette, गजट में पब्लिश होने के बाद। एक आदमी होगा या ग्रुप आफ पर्सन्स होंगे? अब यहां पर जे.डी.सी. को अगर पूछते हैं कि कोलायत में कौनसा पाल्यूशन आ रहा है, Will he know that if he is the part of the body? He will not know it. वहां पर दुनिया भर की माइनिंग एक्टिविटिज हो रही हैं जहां पर लिखित में पचासों बार कम्पलेंट्स गयी हैं। आपका एन्वायर्नमेंट डिपार्टमेंट काहे के लिये? वहां पर उसके बहाव क्षेत्र में जो कचरा डाल रहे हैं, जो ओवरबर्डन डाल रहे हैं, उसको क्यों नहीं रोका? अकाउंटेबिलिटी तो इसके अन्दर होनी चाहिए। जो नहीं मान

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रहा है, अथोरिटी के कहने के बाद में भी नहीं मान रहा है तो कम से कम वह भी पनिशेबल हो। एब्सोल्यूट राइट कभी नहीं होता है। एब्सोल्यूट राइट एण्ड एब्सोल्यूट ड्यूटी हो सकती हैं। आप ईश्वर को रोज पूजेंगे, आज भी नवरात्रा में पूजा करके आये हैं, आप तो पूजा कम करते हैं, ये भी कम करते हैं, लेकिन पूजा करके तो आये होंगे। करके आएंगे तो कुछ न कुछ, आज मेरा यह बिल ढंग से पास हो जाए, मैं आपके कल फिर सुबह पूजा करूंगा, यही करके आये हैं।

श्री अध्यक्ष: मेरी भी आप ही कर लेना।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इतिहास में लिखा जाएगा, राजपालसिंहजी जब जाएंगे वापस। अध्यक्ष महोदय, ''recorded or not" इन वर्डस को कम से कम चेंज करना चाहिये। तालाब वही है जो रिकार्ड में है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह मैंने भी कहा था।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मानेंगे नहीं। क्योंकि रिकार्ड में लिख दिया और पहले पटवारी ने लिख दिया। अथोरिटी कैसे माने? तो अथोरिटी अगर नहीं मानेगी तो वह रिकार्ड में नहीं है। रिकार्ड में है, तब भी नहीं मानेगी। There is no one to challenge that. आप डाल दें एनेबिलिंग क्लाजेज में। अगर अथोरिटी नहीं मानती उस चीज को, जो पहले रिकार्ड में था तो विधान सभा के अन्दर आकर उस चीज को क्वेश्चन करेंगे। सामने कौन खड़ा होता है, फिर देखते हैं। अनब्रिडल्ड पावर्स अगर देना चाहते हैं, मैजोरिटी से हो जाएगा, लेकिन इतिहास में बहुत अच्छे शब्दों में उसकी तारीफ नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, माइनर इर्रिगेशन स्कीम्स और लिफ्ट इर्रिगेशन, टी.ए.डी. एरिया में, आपने स्वयं जहां बचपन गुजारा है, हजारों स्कीम्स टी.ए.डी. एरिया में हैं छोटे-छोटे तालाबों में जो तीन हैक्टेयर्स से बड़ी हैं, वहां पर लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम्स चल रही हैं। आपका अथोरिटी कह देगा कि नहीं, इसको आज बंद करना है, इसको मजा चखाना है। उस तालाब में लिफ्ट इर्रिगेशन बंद हो जाएगा। How can that be possible? जो पास्ट प्रैक्टिसेज हैं, कस्टम्स की बात कह रहे हैं, 'कस्टम' शब्द तो डालो इसके अन्दर-रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स। सोशल कस्टम्स नहीं डालेंगे। गणेश विसर्जन में अगर किसी तालाब में डालना जाना चाह रहे हैं, जहां पर नार्मली नहीं डालते हैं तो

(श्री नरपत सिंह राजवी)

अथोरिटी की परमिशन चाहिए, क्योंकि यहां पर गणपति पूजा में गणेश चतुर्थी को गणपति विसर्जन पुराने हिसाब से नहीं होता था तो Can Authority stop it? राजपाल सिंहजी पूजा इसीलिए तो नहीं करते हैं। गणपति विसर्जन को रोकना है तो रोक लेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप राजपाल सिंहजी ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्योंकि यहां पर अपोज करने वाले नहीं हैं।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सुबह चार बजे उठकर पूजा करते हैं।

श्री अध्यक्ष: राजपाल सिंहजी के बारे में आज बहुत कटाक्ष कर रहे हैं आप।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मेरे परिवार के सदस्य हैं वह।

श्री अध्यक्ष: हां, इसलिए ठीक है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उन्होंने ही तो मारा है इनका हक, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अच्छा। अब आपके एक कहावत है, वह कहावत यह है कि मेंढकी जब एक तालाब में होती है तो वहीं के बारे में जानकारी रखती है लेकिन वह तालाब से अगर ओवरफ्लो होकर पानी बाहर चला जाए, अथोरिटी के एरिया के अन्दर आ जाएगा, फ्लो एरिया में उसका क्या होगा, भगवान जानता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नैचुरल और मैन मेड, इसमें भी डिफरेंशिएट करना होगा। तीन हैक्टेयर और दस हैक्टेयर तो ठीक है। मैन मेड, आज मैंने तालाब बनाया और मेरे खुद के सोर्स से मैं करता हूं, मेरे खेत में ही बनाया है। I will be out of the purview of the Authority. लेकिन जहां पर सरकार ने खुद उसको रोककर बनाया, फाई सागर देख लीजिए अजमेर में। बीकानेर में पुराना सूरसागर, सारा सीवरेज का पानी उसमें डाला। अकाउंटेबिलिटी ऐसे ही अथोरिटी की भी होनी चाहिए। यूनेस्को की जरूरत कहां है? आपके खुद के गांव का तालाब कितना सहन कर गया, आपको खुद को ही देखने की जरूरत है। आपके गांव में ही देखने की आवश्यकता है।

(श्री नरपत सिंह राजवी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो आपने भी एक ऐसी जगह पर मकान बनाया है जहां पर रियासत के समय में बांध था, आज पानी कितना आता है उसमें? तो उसमें कैचमेंट में एनक्रोचमेंट थोड़े ही हुआ है? बरसात भी कम हुई है। और बरसात इसलिए कम हुई है कि आज तक जितनी भी सरकारें थीं, उन्होंने डीफोरेस्टेशन आराम से होने दिया। नेचर के साथ में खिलवाड़ किया। यह नया खिलावाड़ मत करें, शब्दों में थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट करें। अनब्रिडल्ड-पावर्स नहीं दिये जाने चाहिए, यह मैं आपको कहकर मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: राजपाल सिंहजी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, इंफरेंस ओरिएंटेड चिंताओं से कानून नहीं बनता। अनुमानों के आधार पर और संदेहों के आधार पर कानून न बनने चाहिए और न बनते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और अब तक मैंने पहले भी निवेदन किया है कि कानून का आब्जेक्टिव बड़ा साफ है। हमारा ताल्लुक़ क्लासिफिकेशन करने से कम है और उसका प्रिजर्वेशन करने से ज्यादा है। अगर वह रिलीजियस इम्पोर्टेंस का है तो भी प्रिजर्व किया जाना चाहिए। अगर वह सरकार का बनाया हुआ मैन मेड है तो भी प्रिजर्व किया जाना चाहिए। किसी और का बनाया हुआ है तो भी प्रिजर्व किया जाना चाहिए, यह हमारी मान्यता है। विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि इकोलोजी के पाइंट आप व्यू से जो एक्वाटिक बाडीज हैं, चाहे किसने बनायीं, राम ने बनायी हों या रहीम ने बनायी हों, इन एक्वाटिक बाडीज का राजस्थान और हिन्दुस्तान के ईको सिस्टम पर असर है। आज माइग्रेटरी बर्डस यहां पर आना क्यों कम हो गये? रेनफाल गिर गया क्या? रेनफाल के अन्दर, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई मोटा अंतर नहीं आया है। इतना मोटा अंतर नहीं आया है कि लेक की लेक साफ हो जाए और राजस्थान में एक भी लेक ऐसी नहीं बचे जिसका श्रिकिंग जोन (Shrinking Zone) नहीं बना हुआ है, जिसका जोन श्रिक (Shrink) नहीं कर गया हो। सबसे बड़ा कारण यही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि लेक के अधिकारों पर, लेक के नैचुरल राइट पर कुठाराघात हम सब ने मिलकर किया और कोई कानून नहीं बचा पाया। जिन सारे कानूनों की चर्चा हम कर रहे हैं, उन सारे कानूनों के

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

अधिकार के तहत हम उन सब लेक्स को बचा नहीं पाये इसीलिए इस अथोरिटी का गठन करना पड़ा। जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर रहा था, एक लेक पर वेरियस अथोरिटीज एप्लीकेबल थीं। जयपुर में लेक है तो जयपुर डवलपमैंट अथोरिटी का इंटरफियरेंस हो सकता है। जयपुर में लेक है तो जयपुर नगर निगम का भी इंटरफियरेंस भी हो सकता है, इर्रिगेशन डिपार्टमैंट का भी इंटरफियरेंस हो सकता है और कोई पी.डब्ल्यू.डी. का स्ट्रक्चर बीच में आ गया तो पी.डब्ल्यू.डी. का भी वहां पर इंटरफियरेंस हो सकता है। मल्टीफेरियस इंटरफियरेंस होते हैं तो उसका प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। सारे प्रकार के इंटरफियरेंस से बचा कर उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना इसका इंटेंशन है।

इसलिए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे सांभर की हो और चाहे रामदेवरा की हो और चाहे लोहार्गल की हो, जो भी झील राजस्थान के ईको सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रही है या करती रही है, उन सबको प्रिजर्व करना और उन सबको प्रोटेक्ट करना और उसके ईको सिस्टम को दुबारा आप्टिमम लेवल पर ले जाना, यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अनब्रिडल्ड-पावर? यह अनब्रिडल्ड पावर को मैं समझ ही नहीं पाया। पावर इम्प्लीमेंट, पावर जिसके तहत आब्जेक्टिविटी को हम इम्प्लीमेंट कर सकें, यह शक्ति तो, अधिकार तो उसको होना ही चाहिए। अगर यह अधिकार, आपकी आब्जेक्टिविटी कानून की आब्जेक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करवाने की ताकत अगर उस कानून में नहीं है तो वह कानून ही नहीं है। इसलिए जिस आब्जेक्ट के साथ में कानून बना है उस आब्जेक्ट की पूर्ति के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर हम उसको पावरफुल कानून के रूप में नहीं बनाएंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फिर कागजों में उसी प्रकार से खो जाएगा और उसी प्रकार से हम कोई भी चीज को रोक नहीं पाएंगे, जैसे 50-60 सालों के अन्दर नदियों के साथ हमने किया, लेक के साथ में हमने किया। इसी संदर्भ में तो आप बात कर रहे हैं कि वह गैर-मुमकिन लेक कितनी बच गयी, एनक्रोचमेंट्स। कहां पर एनक्रोचमेंट्स नहीं हैं? आप तो कह रहे हैं कि बफर जोन में एनक्रोचमेंट है, कैचमेंट एरिया में एनक्रोचमेंट है और जाकर लेक के अन्दर भी एनक्रोचमेंट है। लेक में कोई सीवरेज डाल रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उसको रोकना नहीं चाहिए? लेक में जाकर जिसने एनक्रोचमेंट कर लिया, उसको क्या रोकना नहीं चाहिए?

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

जो वैटलैंड के जोन में बैठा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए? जो डाउनस्ट्रीम को, पूरे इस कैचमेंट एरिया को आब्स्ट्रक्ट कर रहा है, क्या उसको रोकना नहीं चाहिए? इनको रोकने का कानून हम बनाते हैं, उसे रोकने के लिए अधिकार देते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं करते। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहता हूं कि चिंताओं के आधार पर, मन की चिंताओं के आधार पर, मन के संदेहों के आधार पर, अनुमान के आधार पर किसी कानून का विरोध नहीं किया जा सकता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सदन से भी निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस कानून को जनता के हित में और हिन्दुस्तान के और पूरी दुनिया के इकोलोजी सिस्टम में अपना कंट्रीब्यूशन देने के हिसाब से पारित किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 को पारित किया गया।

श्री प्रभुलाल सैनी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37-कृषि की प्रस्तुति

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37- कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,51,17,38,000/- (इक्कीस अरब इक्यावन करोड़ सत्रह लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 37 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

(13.59 बजे)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

श्री सभापति: श्री अजय सिंहजी, सहकारिता मंत्रीजी। क्या? एक मिनट, आप विराजें। दूसरी मांग रखें कृपया।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,95,71,29,000/. (पांच अरब पिचानवे करोड़ इकहत्तर लाख उनतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या-39 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री सभापति: सहकारिता मंत्रीजी।

मांग संख्या 36-सहकारिता की प्रस्तुति

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,92,65,29,000/- (चार अरब बानवे करोड़ पैंसठ लाख उनतीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 36 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्दजी पारख।

(14.00 बजे)

मांग संख्या 37, 39 व 36 पर विचार

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 36, 37 और 39 पर चर्चा है। प्रदेश में सहकारिता की जो स्थिति बनी हुई है, उससे कहीं ऐसा एहसास नहीं होता कि कोई व्यक्तियों का एक समूह अपने या अपने समूह के हित में किसी प्रकार का कोई भी काम कर रहा हो। आज भी सहकारिता कुछ व्यक्तियों की मुट्ठी या जेब में है। विशेष तौर से जो गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, उनका जितना दुरुपयोग राजस्थान में हुआ है, शायद और किसी प्रदेश में इतना दुरूपयोग नहीं हुआ होगा। इस कानून की आड़ में कुछ भूमाफिया ने मात्र अपने हित के लिये ऐसी गृह निर्माण सहकारी समितियां बना दीं जिससे बाकी सदस्यों का कोई लेना-देना नहीं। अपना लाभ, अपना फायदा, औरों का कितना ही नुकसान हो जाए, यह खेल आज तक हुआ। माननीय सभापति महोदय, इस सदन में भी कई बार चर्चा हुई है गृह निर्माण सहकारी समितियों की अनियमितताओं की, उनके घोटालों की, उनके द्वारा की गयी धोखाधड़ी की। माननीय सभापति महोदय, पूर्व के शासन में एक क्वेश्चन

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

था मेरा इसी विधान सभा में, माननीय मंत्री महोदय को यह मानना पड़ा था कि वाकई में बहुत ज्यादा अनियमितता हुई है। उन्होंने सहकारी विभाग के अधिकारियों को उसका जिम्मेवार मानते हुए....(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मुख्य सचेतक महोदय, कृपया शांत रहें। कृपया, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सीट पर जाओ प्लीज।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): तत्कालीन मंत्री महोदय ने यह मानते हुए कि वाकई में अधिकारियों की अनदेखी से इतनी सारी अनियमितता हुई है, इतनी बड़ी-बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं तो अपने जवाब में ही पांच अधिकारियों को निलम्बित किया था और मुकदमा दर्ज कराने के आदेश भी दिये थे। पर क्या हुआ उससे? मुकदमा दर्ज हो गया, अफसर निलम्बित हो गये। पर जिस व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसको भूखण्ड नहीं मिला, वह आज भी चक्कर लगा रहा है सरकारी दफ्तरों में, कि जब जांच हो गयी, अधिकारी दोषी हो गये, समिति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया और जांच में यह माना गया है कि यह भूखण्ड मेरा है तो उसका कब्जा अभी तक मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा। उसका मालिकाना हक मुझे अब तक क्यों नहीं दिया जा रहा? माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं कि कुछ चंद लोग इसके शिकार हैं। एक-एक शहर में चले जाओ, हजारों व्यक्ति इन सहकारी समितियों की धोखाधड़ी के शिकार होकर अपनी लम्बी-चौड़ी राशि गंवा बैठे हैं।

पाली की एक महावीर गृह निर्माण सहकारी समिति जिसका मैंने जिक्र किया था, तत्कालीन मंत्री महोदय ने माना था कि वाकई में अनियमितता हुई है, गड़बड़ी हुई है। धोखाधड़ी हुई है, जालसाली हुई है, यह माना था। विभाग ने मुकदमा भी दर्ज कराया, एक भू-माफिया जेल भी गया। पर बाकी का क्या हुआ? पूरी टीम होती है गड़बड़ करने वाली तो। अध्यक्ष भी होता है, सचिव भी होता है, और उसके और भी पदाधिकारी होते हैं। चूंकि विधान सभा से आदेश है, इसलिये मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन अधिकारियों ने कैसी पैरवी की? जानबूझकर ऐसी एफ आई आर दर्ज करवायी जिससे आने वाले कल में वह स्पष्ट तौर पर बरी हो जाए। जबकि उनके पास पर्याप्त सबूत थे, जिन सबूतों के आधार पर ही माननीय मंत्री महोदय को यहां पांच अधिकारियों को निलम्बित करना पड़ा था। पर आज भी वे भू-माफिया खुलेआम घूम रहे हैं।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सोसायटी में भूखण्ड हैं 400 और आबंटन पत्र जारी कर दिये एक हजार से भी ज्यादा। जिसकी ताकत है, जिसके पास बल है, उसने तो कब्जा कर लिया और जो कमजोर था, आज भी भूखण्ड का मालिकाना हक का पट्टा या आबंटन पत्र लेकर घूम रहा है, लेकिन कोई उसकी सुनवाई करने वाला नहीं है। और उसमें ज्यादा शिकार कौन हुए? जो हमारे प्रवासी राजस्थानी हैं, वे हुए। योजना यहां बनाते हैं और मानचित्र लेकर जाते हैं दक्षिण के प्रदेशों में, कि हमने ऐसी आवासीय कालोनी बनायी है, जो शहर के इतने करीब है, इतनी सुविधाएं इसमें हैं और हम आपको इतना सस्ता भूखण्ड दे देंगे। जो मद्रास, बोम्बे, बैंगलोर रहता है, उसको ज्यादा पता नहीं होता और विश्वास करके वह भूखण्ड ले लेता है। जब कभी उसका राजस्थान आने का काम पड़ता है तो मन की इच्छा होती है कि जिस कालोनी में मैंने भूखण्ड लिया, एक बार उसको देखकर आ जाऊं। जब वह वहां देखने जाता है तो उसका नहीं, किसी और का कब्जा उस भूखण्ड पर उसको मिलता है। जब वह उससे बात करता है कि इसका पट्टा या इसका आबंटन पत्र तो मेरे पास है, तो जो व्यक्ति वर्तमान में वहां पर काबिज है वह भी अपना आबंटन पत्र निकालकर उसको बता देता है कि मेरे पास भी इसका आबंटन पत्र है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों प्रकरण हैं। चूंकि वह व्यक्ति बाहर रहता है, इसलिये कानूनी लफड़े में भी वह पड़ना नहीं चाहता, कि कौन यहां रोज-रोज पेशियों में घूमे। फिर समझौते का खेल होता है, कि इस भूखण्ड की कीमत इतनी है या तो इतनी राशि में तू मुझे दे दे, या इतनी राशि में तू मुझसे ले ले। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों खेल पाली शहर में महावीर गृह निर्माण समिति में हुए हैं, और आज भी लगातार हो रहे हैं।

विभाग के अधिकारी समिति से पत्रावलियां मांगते हैं, दस्तावेज मांगते हैं तो समिति वाले न तो उनको पत्रावलियां दिखाते हैं, न दस्तावेज देते हैं। अधिकार है कानून के तहत उनको उस समिति के विरुद्ध कार्यवाही करने का। जब जानकारी में होता है कि वाकई में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है घपला हुआ है, जालसाली हुई है तो जानकारी होने के बाद में कितनी बार विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है, नाममात्र। कभी विधान सभा में मैटर उठाया गया या कभी कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने कोई प्रयास कर लिया तो छोटी-मोटी खानापूर्ति करके उस मामले को वहीं रफा-दफा कर दिया जाता है।

इतना ही नहीं, माननीय सभापति महोदय, मानचित्र मंजूर होता है तो मानचित्र में सार्वजनिक सुविधा की जमीन दर्शायी जाती है। पर इन गृह

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

निर्माण सहकारी समितियों का दुस्साहस देखो आप। चाहे बगीचे की जमीन है, चाहे स्कूल की जमीन है, चाहे और किसी सार्वजनिक काम के लिये वह जमीन छोड़ी गयी है, वहां का भी पट्टा वे जारी कर देते हैं, वहां का भी आबंटन पत्र वे जारी कर देते हैं। ऐसे कई प्रकरण जानकारी में आ गये तो अब तक भी उन आबंटन पत्रों को जो सार्वजनिक भूमि पर बने हैं, निरस्त करने की कोई कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की जा रही है। मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि जो बातें आपकी जानकारी में आ गयीं, आपके विभाग की जानकारी में आ गयीं, तो किस अफसर ने किन-किन कारणों से क्यों-क्यों कार्यवाही नहीं की, उसकी जिम्मेदारी भी आप ठहराओ। पिछले सदन की भांति ही, पिछली सरकार के मंत्रीजी ने पांच अधिकारियों को निलम्बित किया, यदि आपको लगे कि अधिकारियों ने वाकई में अनदेखी की है या मिलीभगत की है। जब तक हम कोई कठोर कार्यवाही नहीं करेंगे, आपके जितने भी अधिकारी हैं, ये आपके नहीं भू-माफिया के एजेंट बनकर अपना काम करते रहेंगे और उसका खामियाजा उस भूखण्डधारी को भुगतना पड़ेगा जिसने लम्बी-चौड़ी राशि देकर भूखण्ड खरीदा है।

माननीय सभापति महोदय, आश्चर्य यह होता है कि एक भू-खण्ड के दो-दो सरकारी पट्टे भी बन जाते हैं। भू-माफियाओं की कितनी ताकत है, आप देखो। किसी गृह निर्माण सहकारी समिति के बाजू में यदि कोई सरकारी जमीन खाली पड़ी है तो उसको भी अपनी योजना में सम्मिलित करके वो उसका मानचित्र भी मंजूर करवा लेते हैं और अधिकारियों से मिलकर उसका पट्टा भी बना देते हैं। यह खेल पाली में हुआ जिसको पिछली सरकार के माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किया और बाद में वो जमीन अपने कब्जे में ली। पर पट्टा बनने के बाद में जिस व्यक्ति ने पट्टा लेकर भूखण्ड क्रय कर लिया, उसका क्या हुआ? उसको तो दोबारा राशि देनी पड़ी। पर जिसने मानचित्र अनुमोदन किया, स्वीकृत किया, जिसने पट्टे जारी किये, उस अधिकारी का आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। सब की जानकारी में है। माननीय मंत्री महोदय, जब तक आप अपने अधिकारियों को पाबंद नहीं करोगे इस गड़बड़ी को रोकने के लिए, भू-माफिया इस प्रकार का घिनौना खेल खेलते रहेंगे और लोगों को ठगते रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आसन के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी से पाली की कल्पवृक्ष गृह निर्माण सहकारी समिति की बात

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

भी रखना चाहूंगा। मेरा इसी सत्र में एक प्रश्न भी था, काल क्वेश्चन में नहीं था पर मेरे पास उसका उत्तर आया था और वो उत्तर इस बात को साबित करता है कि वाकई में बहुत ज्यादा अनियमितता हुई है। आपने जांच भी बैठा दी पर कितनी अवधि में जांच करके आप उन लोगों को न्याय दिला देंगे जो भूखण्ड के असली हकदार हैं, यह भी मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा। क्योंकि जनता सरकार से न्याय की उम्मीद करती है कि मेरे साथ किसी ने धोखाधड़ी की है, मेरे साथ किसी ने बदमाशी की है तो कम से कम सरकार उसको न्याय दिलवाए। कानून बना हुआ है, इसके प्रावधान हैं। कल्पवृक्ष सोसाइटी में तो खाली पट्टे बांट दिये, नीचे दस्तखत किये हुए खाली पट्टे। चाहे जिसका नाम भर दो। खाली पट्टे मेरे पास हैं, चाहे जिस का नाम भर कर ले लो। और मौके पर भूखण्ड ही नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा ही खेल भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति, पाली में, वहां भी कुछ भूखण्डों में एक भूखण्ड के दो-दो मालिक। हालत यह हुई कि जब ये सारे प्रकरण सामने आये तो जिस भूखण्ड का एक ही मालिक है, उसके पास पट्टा भी है, सही भी है लेकिन आज उस भूखण्ड को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं क्योंकि सारी जगह इस बात की पब्लिसिटी हो गयी कि यहां भी गड़बड़ है। कोई बेचना चाहे तो कोई खरीददार नहीं मिलता। माननीय मंत्री महोदय, यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी गृह निर्माण सहकारी समिति पाली में काम कर रही हैं, उनके भू-खण्डों का असली हकदार या मालिक कौन है, एक बार यह सारा जांच के बाद पब्लिश हो जाए। सही हकदार है, सही मालिक है उस हकदार को, उस मालिक को स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा पट्टा बनवाकर आप जब तक नहीं दोगे, तब तक भू-माफियाओं के पास आबंटन बुक पड़ी है, ये नये-ये आबंटन पत्र रोज जारी करते रहेंगे और रोज नये-नये विवाद आपस में होते रहेंगे। मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि एक बार सारी स्थिति सामने आ जाए कि कौन से भू-खण्ड का कौन-सा मालिक है और उसके बाद स्वायत्त शासन विभाग से टाइअप करके असली मालिक को मालिकाना हक का जो दस्तावेज होता है वो दे दिया जाए, तब जाकर कहीं यह रोक होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं माननीय पशुपालन मंत्री जी से भी कुछ आग्रह करना चाहूंगा। माननीय पशुपालन मंत्रीजी, गौशालाओं की स्थिति क्या है, यह आपको पता है और गौशाला वाले किस प्रकार गायों की

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

रक्षा कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी सरकार को है। अगर प्रदेश में सामाजिक संस्थाएं गौशालाओं का संचालन नहीं करें तो प्रदेश में गौवंश को बचाना बहुत मुश्किल काम हो जाता। मैं विशेष तौर से उन सभी गौशाला वालों को धन्यवाद दूंगा जो कहीं से भी हाथ जोड़ कर, चंदा लाकर पैसा खर्च करके गायों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन जैसी कि प्रवृत्ति हो गयी, जो भी गौवंश के मालिक हैं, महंगाई या गरीबी के कारण अपनी गायों को धीरे-धीरे करके छोड़ रहे हैं और गौशालाओं में प्रति वर्ष गायों की वृद्धि हो रही है। इसके बाद चारे की कीमत में भी भारी बढ़ोतरी। एक तरफ गायों की वृद्धि और दूसरी तरफ चारे की कीमत में बढ़ोतरी, ऐसे में गौशाला चलाना वाकई में बहुत तकलीफ का काम हो गया, बहुत मुश्किल काम हो गया तो इन गौशालाओं को कुछ मदद सरकार की ओर से मिल जाए। ऐसा प्रावधान नियमों में है। इस बार सरकार ने राहत कोष से कहीं दो, ढाई या तीन महीने का अनुदान दिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हम को गौशालाओं का अनुदान बढ़ाना पड़ेगा, प्रत्येक गौशाला को लगभग छह महीने का अनुदान प्रति वर्ष सरकार की ओर से मिल जाए। जब तक यह व्यवस्था नहीं करेंगे, गौवंश को बचाना इन गौशाला वालों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।

मेरा पशुपालन मंत्रीजी से यह भी आग्रह रहेगा कि अभी ओलावृष्टि हुई, उसकी वजह से फसल को बहुत नुकसान हुआ, उसका बहुत अच्छा मुआवजा हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने दिया है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कब दिया?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): देने की घोषणा कर दी बहुत अच्छे पैकेज की, मिल जाएगा उनको।

साथ में ओलावृष्टि से कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है या कोई पशुधन की मृत्यु हुई है तो उसको भी बहुत अच्छी सहायता राशि देने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। पर मैं सदन की जानकारी में लाना चाहूंगा कि जब से ओलावृष्टि हुई है, उसके बाद चारे की कीमतें लगभग दोगुनी हो गयीं क्योंकि फसल के साथ-साथ चारा भी नष्ट हो गया। जब हमने सब को बहुत अच्छी राहत दी है और वाकई में चारे की कीमतें दोगुनी हो गयी हैं तो हमको गौशाला वालों को भी चारे के लिए इसी पैकेज में विशेष अनुदान देना चाहिए, यह मेरा आग्रह रहेगा।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मैं माननीय पशुपालन मंत्रीजी की जानकारी में यह भी लाना चाहूंगा कि आज से लगभग 2-3 महीने पहले स्वायत्त शासन विभाग की ओर से निविदा आ गयी थी अख़बार में, राजस्थान में आठ अति आधुनिक पशु-वधशालाओं की। एक तरफ तो हम अहिंसा की बात करते हैं, दूसरी तरफ राजस्थान में हम अति आधुनिक पशु-वधशालाओं के लिए टेंडर निकालते हैं। यह प्रदेश की अधिकांश जनता की भावनाओं के विपरीत है। जब यह बात माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास पहुंची, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि जैसे ही बात पहुंची, उन्होंने तत्काल इस निविदा पर रोक लगा दी। लेकिन भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, हम रोकें किसी प्रकार पशु-वध को राजस्थान में। पशु सम्पदा बहुत ही हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है। मेरा आग्रह रहेगा कि हम उसके वध को रोकने में यदि सरकार की ओर से कोई कानून ला सकें, कोई नियम ला सकें तो वह लाना चाहिए और पशु वध नहीं हो, इसका प्रयास हमें करना चाहिए।

सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट और।

श्री सभापति: हां, हां। प्लीज, कैरी आन।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय पशुपालन मंत्रीजी से यह भी आग्रह रहेगा, करीबन 17-18 साल पहले आपने कई स्थानों पर पशु चिकित्सालयों के भवन का निर्माण तो करवा दिया लेकिन आज भी वहां पशु चिकित्सालय खोलने की स्वीकृति जारी नहीं हुई जिसके कारण से वहां न कोई डाक्टर है, न कम्पाउंडर है और वे भवन भी जर्जर हो गये। राजस्थान में जहां-जहां पशु चिकित्सालय का भवन बना हुआ है वहां प्राथमिकता से पशु चिकित्सालय खुल जाए, उसमें एक डाक्टर और कम्पाउंडर की व्यवस्था आप करवा दें ताकि आसपास के जो भी पशु हैं, उनका इलाज वहां हो सके।

माननीय सभापति महोदय, किसानों की हालत तो आपको पता ही है, सरकार प्रयास भी करती है लेकिन उनकी दशा में सुधार होना चाहिए उसकी बजाय उनकी दुर्दशा होती जा रही है। उसमें सबसे बड़ा कारण एक है कि उनके खेत की सुरक्षा का बहुत बड़ा अभाव है। हम हमारे घोषणा पत्र में भी यह स्पष्ट कह चुके हैं कि खेत की तारबंदी के लिए हम अनुदान देंगे। खेत की सुरक्षा के लिए तारबंदी निहायत जरूरी है क्योंकि चाहे रोजड़े हैं, चाहे जंगली

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

सुअर हैं, बड़ी संख्या में अब हमारे क्षेत्र में आ गये हैं। तारबंदी के लिए आप कुछ न कुछ व्यवस्था कर दो ताकि वह किसान कुछ पैसा अपनी ओर से दे दे और कुछ पैसा सरकार की ओर से मिल जाए और वह अपने खेत की इन आवारा पशुओं से रक्षा कर सके, यही मेरा आग्रह है।

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 36, 37 और 39 पर बोलने का जो मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: समय का ध्यान रखिएगा, चौधरी साहब।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): जी। आज कृषि, पशुपालन और सहकारिता पर मांग है। भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भूभाग कृषि पर आधारित है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। एक किसान ही है जो समाज के सभी वर्गों, सभी लोगों के पेट भरने का काम करता है। किसान हमेशा भारत में समस्याओं से जूझता रहा है। चाहे देश के अन्दर हो या दुनिया के अन्दर हो, जब किसान के ऊपर कोई आपदा आती है तो वह असहाय सिर्फ देखता रह जाता है। किसान खेत में काम करता है, फसल बोता है और उसके बाद जब ओलावृष्टि हो जाती है या ज्यादा बारिश आ जाती है तो उसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। वह किसान सिर्फ देखता रह जाता है, कर कुछ नहीं पाता है। वह अपनी बर्बादी का मंजर फटी आंखों से सिर्फ देखता रहता है।

आज हम सब जो यहां विधायक हैं उनमें से 80 प्रतिशत किसान वर्ग से हैं। किसानों की समस्या पर अपने को ध्यान देने की जरूरत है। किसानों के लिए जो नियम बनाये जाते हैं, वे ए.सी. रूम में बैठकर ऐसे अधिकारियों के द्वारा बनाये जाते हैं जिनका किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे लोग जब नियम बनाते हैं तो वे निश्चित रूप से किसानों के हित में कम होते हैं। लेकिन मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस बार जब बेमौसम ओलावृष्टि और बरसात हुई जिसमें किसानों को नुकसान

(श्री कैलाश चौधरी)

हुआ, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के लिये तुरन्त प्रभाव से सहायता की। सभी विधायकों को भी उन्होंने निर्देशित किया कि आप तुरन्त जाएं और किसानों का नुकसान हुआ है उसको देखकर आएं, उनके दु:ख दर्द में शामिल हों। वहां जाने के बाद में हमने वह मंजर देखा। हम सभी जो विधायक हैं उनके खेतों के अन्दर भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने सहायता की घोषणा की। जिनके परिवारों में किसी की डैथ हो गयी, उनके भी डेढ़ लाख की जगह 3 लाख की घोषणा की। पशुओं की जो क्षति हुई, उसके लिए भी उन्होंने मुआवजे की घोषणा की। मैं इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, भारत आजाद हुए 67 साल हो गये, इन 67 सालों में सबसे ज्यादा अगर किसी सरकार ने शासन किया तो वह कांग्रेस की सरकार ने किया। इन किसानों के हित की बात करने वालों ने कभी किसानों के दर्द को नहीं समझा। किसान हमेशा पिसता रहा। किसान की दिशा और दशा को सुधारने के लिए अगर कुछ क्रांतिकारी कदम हम सब मिलकर उठाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान का भला होगा।

एक समय ऐसा था जिस समय किसान के बारे में कहा जाता था कि 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच नौकरी', लेकिन आज उसका उलटा हो गया है। अगर यही हालात रहे, किसान को सरकार से किसी तरह की सहायता नहीं मिली तो आने वाले समय में किसान को खेती छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि किसान को इसमें कोई फायदा नहीं होता है।

आज आप किसी भी दूसरे क्षेत्र में देख लें, व्यापारी है, व्यापारी जब किसी भी चीज को तैयार करता है तो उसकी कीमत क्या है, वह तय करता है। उसके अन्दर कितनी लागत आयी, उसके अन्दर कितना खर्चा हुआ, उसके बाद में कितनी मजदूरी हुई, वह सारा जोड़ने के बाद वह बाजार में बेचता है। उसमें कितना नफा आया, नफा 10, 20, 50 परसेंट जोड़ने के बाद में बाजार में बेचता है। मैंने कुछ आंकड़े तैयार किये हैं, मैं बताना चाहता हूं कि अगर किसी किसान के 30 बीघा जमीन है और उसके अन्दर वह सरसों की फसल तैयार करता है पूरे साल में, तो 80-81 क्विंटल के लगभग उसकी फसल होती है। बाजार के अन्दर कई बार 2500 रु. क्विंटल के भाव होते हैं, कभी 3500 होते हैं। लगभग औसत आंकड़ा 3000 रुपये क्विंटल का जोड़ें, 30 रुपये किलो के

(श्री कैलाश चौधरी)

भाव से जोड़ें तो उसकी कीमत लगभग 2 लाख 47 हजार रुपये आती है। उसके कुल वर्ष की आमदनी देंखें तो 2,47,000 या 2,50,000 रुपये के आसपास होती है। किसान लागत लगाकर खड़ाई करता है, उस पर ट्रैक्टर के द्वारा खर्चा होता है, 2400 के आसपास बुवाई का खर्च होता है। डीएपी या अन्य डालते हैं उसके कट्टे के 1200 रुपए मानें तो 30 बीघा जमीन में 12000 रुपए उसके भी आते हैं। उसके बाद 2 रुपए प्रति किलो प्रति बीघा के हिसाब से यदि 20 बीघा जमीन में बीज डालें तो उसके लगभग 9000 का खर्चा आता है। इस तरह से मैंने सारे खर्चे को मिलाया, बिजली के बिल को भी मिलाया तो बिजली का बिल भी पूरे साल का लगभग 37-38 हजार का आता है। इस तरह से सारा हिसाब करने के बाद जब किसान की आय होती है, वह पूरी आय मिलाकर 2,50,000 के आसपास आती है। उसकी आय तो 2,50,000 है और उसका खर्चा हो गया 1,95,000 के आसपास। अब उसकी कुल आय में अगर कोई बचत मानें तो वह 50,000 के आसपास हुई। छह महीनों में पांच सदस्य उसके परिवार के लगे तो उसकी पूरी बचत रही लगभग 50,000 रुपए । मासिक आय उसकी हुई टोटल 8,000 और उस पर प्रति व्यक्ति आय 1700 रुपए। उसके हिसाब से प्रति दिन एक मजदूर की या उसके परिवार की आय हुई 55 रुपए। एक मजदूर और उसके ऋण को भी मानकर देखें तो वास्तव में उसकी मात्र 6000 रुपए पूरे महीने की आय होती है। एक व्यक्ति की आय मात्र 1000 रुपए के आसपास आती है, 1000 रुपये का मतलब हुआ कि महीने की मासिक आय 167 रुपये। इससे यह लगता है कि बुवाई करने के बाद में उसके पास कोई नफा नहीं रहता है, वह सिर्फ खेती करता है। पर खेती इसलिए करता है कि उसका खेत है और दूसरी जगह जाना नहीं पड़े। सारा करने के बाद में जब किसान बेचने के लिए फसल लेकर जाता है मण्डी के अन्दर, उस समय मण्डी के अन्दर कीमत वह स्वयं तय नहीं करता। किसान कीमत स्वयं नहीं करता, दूसरे बोली लगाते हैं उसकी फसल की। वह व्यापारी के मुंह की तरफ देखता है कि पता नहीं मेरी क्या कीमत आएगी। इसलिए अपने को किसान के दर्द को समझना है। किसान के दर्द को समझने की हम सबको आवश्यकता है।

इसके अन्दर मैं आपको सुझाव भी देना चाहूंगा। कई बार कम्पनियां आती हैं, कम्पनियां निश्चित रूप से प्रदेश के विकास के अन्दर जरूरी भी हैं लेकिन किसान की उसके अन्दर किसान की जमीन जाती है, उसका भी उसके

(श्री कैलाश चौधरी)

अन्दर हक होना चाहिए। कई बार यह स्थिति हो जाती है कि जमीन भी छूट जाती है और उसके बाद मुआवजे के रूप में उसको जो कुछ पैसा मिलता है, मैं अपने बाड़मेर का ही उदारहण दे दूं, वहां तेल की कम्पनी आयी, दूसरी लिग्नाइट की आयी जिसने किसानों को मुआवजा तो दिया लेकिन मुआवजा देने के बाद में उन किसानों की आज वर्तमान में क्या स्थिति है? उन किसानों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि किसान का हक होना चाहिए कि जो कम्पनी वहां आए, किसान का अगर गया है खेत तो उस कम्पनी में यह अनिवार्य रूप से हो कि उस किसान के परिवार के एक सदस्य को नौकरी अनिवार्य रूप से मिलनी चाहिए। मगर वह नौकरी नहीं। बाड़मेर के अन्दर जो किसान हैं जिनकी जमीन गयी है, उन लोगों को आज मजदूरी के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आज के दिन भी किसानों पर वे कम्पनी वाले जुल्म करते हैं। बाड़मेर में आज नहीं हमेशा से होता आया है, कई बार कम्पनी वाले असत्य मुकदमे भी कर देते हैं उनके ऊपर क्योंकि रोजगार की उनको आवश्यकता होती है। कम्पनी के पास वे जाते हैं और कम्पनी के पास जाकर कहते हैं कि हमारी जमीन चली गयी, हमें कम से कम यहां मजदूर के रूप में रोजगार तो दिया जाए। पर वास्तव में उन किसानों को रोजगार भी नहीं दिया जाता है। आज भी बाड़मेर में किसान हड़ताल के ऊपर बैठे हैं, एक असत्य मुकदमा कम्पनी ने कर दिया। इसलिए किसान की पीड़ा को अपने को समझना होगा। किसान अगर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से राष्ट्र मजबूत होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं कृषि बीमा की बात करूं तो किसान का जो फसल बीमा है उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। अभी फसल का नुकसान हुआ, नुकसान के अन्दर बीमा कम्पनियां क्या करती हैं, इस तरह से देख लीजिए। बीमा कम्पनी के नियमों में किसान को कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बीमा की सरकारी कम्फ्नी हो, जिसमें लाभ के उद्देश्य से बीमा नहीं होना चाहिए। कई कम्पनियां सिर्फ लाभ के उद्देश्य से कर रही हैं। किसान के प्रीमियम के बारे में कहना चाहता हूं कि कृषि बीमा ऐच्छिक होना चाहिए न कि अनिवार्य और उसकी इकाई खेत हो। इच्छा अगर किसान की है तो ही वह बीमा कराए। लेकिन ऐच्छिक बीमा नहीं होता। गाड़ी होती है उसका बीमा करवाते हैं। कोई फैक्ट्री का बीमा करवाते हैं। तो वह व्यापारी की इच्छा पर है कि वह बीमा कराए। उसके बाद उसका जितना

(श्री कैलाश चौधरी)

नुकसान हुआ है, उतना उसको प्रीमियम के आधार पर मुआवजा दिया जाता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): उसका मुआवजा दिया जाता है। लेकिन किसान को उसका मुआवजा बीमा कम्पनी मात्र दो परसेंट, तीन परसेंट से ज्यादा नहीं देती है जिसकी वजह से किसान परेशान है। इसलिए मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान के दर्द को अपने को समझना है। कृषि के जो उपकरण हैं उनके अन्दर भी मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, उनके अन्दर किसानों को राहत कम से कम 80 प्रतिशत 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलेंगी तो किसान मजबूत होगा। जो बीज आते हैं, बीज के अन्दर भी कालाबाजारी होती है। नकली बीज बाजार में बिकता है जिसकी वजह से गुणवत्ता की उसकी जो फसल होनी चाहिए, वह भी नहीं होती है।

माननीय सभापति महोदय, एक मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसान फसल बेचने के लिए जब मण्डी के अन्दर जाता है तो कई बार एक दिन या दो दिन तक उसकी फसल नहीं बिकती है, उसको भटकना पड़ता है। किसान के लिए हर कृषि उपज मण्डी के अन्दर एक विश्राम स्थल होना चाहिए जहां पर वह आराम से बैठ सके या विश्राम कर सके।

माननीय सभापति महोदय, विषय तो बहुत हैं, बहुत कुछ बातें करने की हैं लेकिन मैं पशुपालन के बारे में निश्चित रूप से कहना चाहूंगा। गौ माता के लिए पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि गोचर भूमि को बचाने की आवश्यकता है, कई जगह अतिक्रमण हो रखे हैं। गोचर भूमियां हैं, उन पर लोग कब्जा करते जा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। सरदार गुरजण्ट सिंह।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): बस, दो मिनट। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, माननीय सभापति महोदय। गोचर भूमि को बचाने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूं कि उनकी बाड़बन्दी होनी चाहिए, गायों को बचाने की आवश्यकता है। जहां भी पशु चिकित्सालय नहीं हैं, कई जगह पद खाली हैं, उन पदों को भरने का निवेदन है। बाकी सहकारिता मंत्रीजी से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, मेरे पास बहुत लम्बी लिस्ट है। श्री गुरजण्ट सिंहजी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): धन्यवाद।

श्री गुरजण्ट सिंह (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 36, 37, 39 पर जो बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। मैं कोआपरेटिव मंत्रीजी का ध्यान गंगानगर की तरफ दिलाना चाहता हूं, गंगानगर भूमि विकास बैंक में ये बीकानेर का कार्य करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गंगानगर में बहुत पहले से भूमि विकास बैंक बने हैं और वहां बहुत सारा लोन है, अगर बीकानेर में करना चाहते हैं तो इनको नया करना चाहिए, क्योंकि वह एरिया भी बहुत अच्छा है, उसमें बहुत सारे किसान हैं जिनकी नहर की वजह से पहुंच भी है।

दूसरी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जैसे हमारी सोसायटियां क्रय-विक्रय की हैं, उनमें कुछ लोग व्यक्तिगत मैम्बर हैं, उनका मैम्बरशिप रेट 400 से 1000 रुपए किया है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मैम्बरशिप के एकदम 600 रुपए बढ़ाना ठीक नहीं है। उसको आप जितना भी कम कर सकते हैं, 500 कर दो जिससे ज्यादा लोग मैम्बर बन सकें और किसानों के साथ जुड़ सकें।

खरीद के बारे में हम चाहते हैं, माननीय सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा, आप कोआपरेटिव के बहुत जानकार हैं, मैं उस समय कृषि मण्डल क्रय-विक्रय का अध्यक्ष था, उन्होंने हमारे यहां कोआपरेटिव के माध्यम से यह लगा दिया। कपास मिलों का जो खर्चा हुआ, वह सोसाइटियां सहन नहीं कर सकीं। हम चाहते हैं कि जो आपकी खरीद नैफेड या राजफैड की खरीद होती है, आप उनसे खरीद कराएं।

दूसरा, जो बैंक से खाद लेते हैं, खाद परचेज करते हैं उस पर 12 परसेंट ब्याज लगता है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन है कि उसको 7 या 8 प्रतिशत करें। आफ सीजन में वे कर्ज लेकर रखते हैं, उसका असर छोटे किसान पर पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि जानकार मंत्री महोदय इसको मंजूर करेंगे।

दूसरा, मेरा कहना है कि कृषि मंत्रीजी गंगानगर के काफी जानकार हैं और किसान भी हैं। जब ये गंगानगर में गये हैं तो इन्होंने काफी कुछ किसानों के बारे में जानकारी की है। हमारे डिग्गियों में दो लाख किये हैं, मैं आपसे

(श्री गुरजण्ट सिंह)

उम्मीद रखता हूं, उसे चार लाख किया जाए। ऊर्जा पर पहले की तरह अनुदान दिया जाए। किसान को जितना डिग्गियों का फायदा हुआ है, पानी का फायदा हुआ है उतना और किसी चीज का फायदा नहीं हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 119 करोड़ खालों के लिए दिये हैं, वह भी छोटे किसानों को फायदा हुआ है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं और आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप इसको पूरा करेंगे।

दूसरा, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि फसलों का बीमा पंचायत का ही किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है वह 10 पंचायतों में हुआ है। उसमें तहसील का तय कर दिया जाता है तो उसका हमें फायदा होता नहीं। वह 50 परसेंट होता नहीं है और हमको बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है। हम यह चाहते हैं कि वह पंचायत का ही माना जाए जिससे सीधा छोटे किसानों को फायदा हो सके। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो बीज तैयार कराते हो, आपके पास 5-6 बहुत बड़े फार्म हैं, एक तो 85 मुरब्बे का फार्म है, बाकी 150-150 किले के फार्म हैं, उनमें अपना बीज तैयार कराया जाए। वे अपना दूसरा बीज तैयार करके ले आते हैं, कृषि विभाग से वह प्रमाणित हो जाता है और लोग उसे खरीद लेते हैं। उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। इसलिए मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि आप अपने स्तर पर देखें। जयसर का जो फार्म है उसको ठेके पर दिया है। गंगानगर के जो भी फार्म हैं वे खुद नहीं करते हैं। पहले खुद करते थे।

मेरा दूसरा निवेदन है कि हमारे यहां गाजर मण्डी के लिए जमीन उपलब्ध है, आप उस गांव के दौरे पर गये हैं वहां सरकारी जमीन पड़ी है, उसको भी मंजूर करें। गाजर सीजनल है, उसको नहर के किनारे पानी चाहिए। उसको साफ करके देते हैं। गंगानगर की जो गाजर है, साधुवाले की गाजर है वह दिल्ली तक बेचते हैं। उस गाजर की बड़ी मांग है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गंगानगर कृषि विज्ञान केन्द्र भी आप दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। वहां कृषि विभाग ने जो कार्य किया है वह सराहनीय है। हमारे वहां गंगानगर में केन्द्रीय कृषि वियालय खोला जाए। इसके लिए आपने पदमपुर में भूमि उपलब्ध करायी है। गंगानगर जिले में अधिक पैदावार हो सके, इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि वहां मिट्टी का टैस्ट आप कराएं तो अच्छा होगा। किसान खाद डालता है वह अंदाजे से डाल लेता है। दूसरा, हमारे यहां कुल 143 पद हैं उसमें से 46 पद कृषि विभाग के खाली हैं। मैं कृषि मंत्रीजी से उम्मीद करता

(श्री गुरजण्ट सिंह)

हूं कि आप वहां पद भरेंगे। गंगानगर का किसान कृषि को बहुत अच्छी तरह जानता है, मैं यही बात कहते हुए, सभापति महोदय, आपका बहुत आभारी हूं कि आपने समय दिया। मैं मंत्रीजी का भी आभारी हूं कि आपने ध्यान दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 36, 37 और 39 पर चर्चा में हम भाग ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी जो किसान परिवार से आते हैं, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। किसान के हित के लिए योजनाएं बनी हुई थीं, उन योजनाओं में आपकी राज्य की सरकार ने, आपकी केन्द्र की सरकार ने, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसान के हित की बात करते थे, लम्बे-चौड़े भाषण देते थे, आप भी जब विपक्ष में बैठते थे तो कृषि के ऊपर आपके भाषण हमें सुनने को मिलते थे, किसान के प्रति आपकी बड़ी हमदर्दी झलकती थी, मैं समझता हूं इस 15-16 महीने की सरकार के बाद में न आपने किसान के हित में कोई कदम उठाया और न आपके प्रधान मंत्रीजी जो लम्बे-चौड़े भाषण देते थे, उन्होंने किसान के हित में काम करने का काम किया।

आत्मा योजना थी, तीन-तीन, चार-चार महीने से सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, बंद के कगार पर है। हमने दो-दो आबादी के गांवों पर कृषक मित्र लगाये थे। हम उनको 1500-1500 देते थे, उनको भी आप वेतन नहीं दे रहे हो। किसान के यंत्र हेरो, प्लाऊ, बिजाई व बुवाई की मशीनें नेशनल फूड सिक्योरिटी योजना के अन्तर्गत आती थीं, आपने उनके अनुदान को भी बहुत कम कर दिया, कटौती कर दी। उसके बजट में केन्द्र सरकार ने भी कटौती कर दी और आपने भी 50 परसेंट से कम अनुदान देने का निर्णय कर लिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में केन्द्र ने भी इसका बजट कम कर दिया और आपके लिए यह कह दिया कि पहले केन्द्र शत प्रतिशत देता था, अब 50 परसेंट आपको देना पड़ेगा। आपने भी एक रुपये का बजट किसान के हित में देने का काम नहीं किया है। आप बड़ी-बड़ी बातें करते थे, आपकी स्पीच मैं देख रहा था 18 मार्च, 2013 की, आपने कहा था कि सरकार को जैविक खेती के लिए प्रयास करने चाहिए। हमने आर्गेनिक बोर्ड बनाने के आदेश जारी कर दिये थे, लेकिन आचार-संहिता लग गयी। आपने

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

अपने सुराज संकल्प घोषणा-पत्र में यह कहा था कि हम निदेशालय बनाएंगे। 15-16 महीने का समय बीत गया, न आपने आर्गेनिक बोर्ड के कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया, न आपने निदेशालय बनाने में एक भी कदम आगे बढ़ाया। फसल बीमा में बीमा कम्पनियां आबाद हो रही हैं, किसान बर्बाद हो रहा है। प्रीमियम व्यक्तिगत रूप से लिया जाता है और जब घाटा पूर्ति की बात आती है तो जो प्रीमियम लेते हैं उससे बहुत कम और वह भी सामूहिक रूप से देने की बात करते हैं। तो इसमें हमें सुधार करने की जरूरत है।

हमने कृषि पर्यवेक्षकों के पद बढ़ाने का काम किया था, सहायक कृषि अधिकारियों के पद बढ़ाने का काम भी किया था और यह किसान के हित की बात थी। लेकिन, सभापति महोदय, अफसोस के साथ आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना पड़ रहा है कि आपने उसमें भी किसी प्रकार का काम करने का काम नहीं किया है। केवल मात्र एक भर्ती जरूर आप कर रहे हैं कृषि उपज मण्डियों में फोर्थ क्लास की। कल उच्च शिक्षा मंत्रीजी इस सदन में बोल रहे थे कि हमने लैक्चरर्स में भी इंटरव्यू की प्रथा को साढ़े बारह परसेंट तक कर दिया। सरकार ने सैकिण्ड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और व्याख्याताओं का इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर दिया। 5वीं और 8वीं क्लास की जो योग्यता है, 8 हजार के लगभग आवेदन आये हुए हैं, 200-250 पता नहीं कितने लोगे, पर हमारे सीकर में तो 13 ले रहे हो और उनका इंटरव्यू लोगे। सभापति महोदय, बड़े अफसोस की बात है। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 8वीं क्लास का क्या इंटरव्यू लोगे आप? आप लैक्चरर्स का नहीं ले रहे हो, थर्ड ग्रेड, सैकिण्ड ग्रेड का नहीं ले रहे हो और उसका ले रहे हो। वह इंटरव्यू केवल यह है कि यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या इसने कहीं पर +++ इसकी नाम की +++ यह ठीक नहीं है। यह सुशासन देने की व्यवस्था में कदम नहीं है। (व्यवधान) आपका भर्ती हो रहा है क्या कोई? एक भी नहीं होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक भी नहीं होगा, लिस्ट जाएंगी मंत्रीजी के यहां से और वो ही होंगे। (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आपकी सरकार जैसे नहीं हो रहा है। आपकी सरकार में क्या-क्या हो रहा था, वैसा तो नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, इनको तकलीफ कहां हो रही है, इनकी कोई लिस्ट दी हुई है क्या मंत्रीजी को? आप मुझे बता दो, 8वीं क्लास के बच्चे का क्या इंटरव्यू लोगे?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए माननीय सदस्य को। (व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): आपने कल भी मंत्रीजी को कमीशन के बारे में कहा था और आज फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये दोनों बातें सदन की कार्यवाही से निकाली जाएं। यह बहुत गलत बात है। कल भी जब शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे तब भी इन्होंने कहा था कि कमीशन लेते हो और आज फिर ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ये दोनों बातें गलत हैं, मंत्रियों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाना, आप इसको कार्यवाही से निकालिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): यह सच बोलने का पवित्र मंदिर है, इसमें सच्ची बात कहें, असत्य आरोप नहीं लगाएं। (व्यवधान) अगर हैं तो तथ्य के साथ में पेश करने चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं बड़ी गम्भीरता के साथ यह कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, ये बातें कार्यवाही से निकाली जाएं।

श्री सभापति: अगर कोई असंसदीय शब्द आएगा तो मैं एक्सपंज करूंगा, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): कल भी इन्होंने कहा था, कल भी ये शब्द इन्होंने प्रयोग में लिये थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) कृपया विराजें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, इन्होंने माननीय मंत्री महोदय के ऊपर आरोप लगाये हैं। बिलकुल असत्य आरोप लगाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): जब शिक्षा मंत्री बोल रहे थे तब भी आरोप लगाये थे और आज फिर ये मंत्री के लिए कह रहे हैं। यह गलत बात है और इनको पाबंद किया जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: अगर कोई असंसदीय शब्द है तो उसका एक्सपंज कर दिया जाएगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कृषि मंत्रीजी हमारे भी उतने ही मंत्री हैं जितने आपके हैं। आपकी लिस्ट को नहीं करेंगे।

श्री सभापति: संसदीय कार्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं, बैठें आप। आप बैठिये, संसदीय कार्य मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके पास तथ्य हैं तो पेश करो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, मेरा अनुरोध सिर्फ इतना ही है कि कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और इसमें कुछ कहें तो बिलकुल ठीक है। आप आरोप भी लगाएं, पर नियम और प्रक्रिया के नियम के तहत पहले नोटिस दे देते तो माननीय मंत्री महोदय जवाब भी दे देते। या तो कोई तथ्यात्मक बात आप कहें और उसके प्रमाण यहां रखें, वर्ना यहां इस तरह से बात कहकर चले जाएं और अनर्गल आरोप लगा दें, मैं समझता हूं कि इसको सदन की कार्यवाही से निकालें और इनको प्रताड़ित करें कि इस प्रकार की बात नहीं करें।

श्री सभापति: यदि कोई आरोप है तो उसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने कल गहलोत साहब के ऊपर आरोप लगाये थे, हमारे मुख्य मंत्री के ऊपर, तब आपने कौन से नियमों में लगाये थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने नोटिस देकर लगाये थे, हमने 273 का नोटिस दिया था। जिगर इतना लम्बा है, अगर कलेजा इतना लम्बा है तो दो नोटिस। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): दिया था नोटिस, सब देखे हुए हैं। यह हरी किताब हम भी रखते हैं, केवल आप ही नहीं रखते। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आपका मुख्य मंत्री हैं कहां अब? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, या तो 273 में नोटिस दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया बैठें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाये हैं, मैं मेरी बात कहना चाह रहा हूं कि 5वीं क्लास के व्यक्ति का न तो इंटरव्यू होता है। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा +++ या वो कहीं +++ तभी उसका सलेक्शन होगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बहुत हो गया, प्लीज सिट डाउन। अब आप बैठिये। अब आप बैठिये। कह दी अपनी बात माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सभापति महोदय, ये जो आरोप लगाये हैं जब तक इसकी भर्त्सना नहीं होगी तब तक हम माननीय सदस्य को बोलने नहीं देंगे। कल भी इन्होंने आरोप लगाये थे और आज भी आरोप लगा दिये। तो हम इनको नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो बोल लोगे क्या? आप तो बोल लोगे क्या? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): नहीं लगा सकते आप आरोप। (व्यवधान) अब बोलकर बताओ कि कैसे बोल लेते हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप बैठिये, स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक भी नहीं बोल सकता। मैंने किसका नाम लिया है? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ऐसे कैसे बोल सकते हैं? (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, कार्यवाही से निकलवाएं। (व्यवधान)

श्री सभापति: बड़े सौहार्दपूर्ण रूप से चल रहा था। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार (भादरा): आप भर्ती की व्यवस्था पर बोल सकते हो, आप भर्ती के साथ में अपने सुझाव दे सकते हो, पर इस तरह से क्या बोल रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बैठें। देखिये, कृपया कोई व्यक्तिगत आरोप न लगाएं, आपसे निवेदन है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैंने व्यक्तिगत नहीं लगाया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): यदि कोई आरोप लग गया तो उसको एक्सपंज कर दीजिये। अगर लगा हो तो उसको एक्सपंज कर दीजिये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। इसका कोई अंत ही नहीं होगा। (व्यवधान) कृपया बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो हमारी सरकार अनाज में समर्थन मूल्य देने का काम करती थी, वो समर्थन मूल्य इन्होंने नहीं दिया। हमारी सरकार जो किसानों को जीरो परसेंट इंटरेस्ट पर डेढ़ लाख रुपये का ऋण देती थी, इस 31 मार्च, 2014 तक, इस वित्तीय वर्ष में 4 परसेंट उनसे इंटरेस्ट वसूला जा रहा है। जीरो परसेंट की घोषणा तो अब की है आपने, आगे लागू होगी। पिछले वाला पुनर्भरण करें तब तो हम मानते हैं कि आप किसानों के हितैषी हैं।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): पुराना पैसा सारा वापस रिएम्बर्स कर दिया गया है जितना ब्याज लिया गया है, यह मैं आपसे निवेदन कर दूं। गलत बात आप न कहें। यह कृषि और किसान की चर्चा है इसलिए आप अनर्गल बातें नहीं करके हमें इस बात पर बोलने का मौका दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठ जाइये। आप बैठिये। मंत्रीजी इस बात का जवाब देंगे, आप बैठिये। मंत्रीजी सारा जवाब देंगे तो वो इनकी बातों का जवाब भी दे देंगे। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): पुनर्भरण हो चुका है, पैसे भी जमा हो गये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसान पर वैट की बात सरकार कर रही है, सभापति महोदय, हमारे जो पड़ौसी राज्य हैं- दिल्ली है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, उनमें किसान के जो काम में आने वाले औजार होते हैं- चाहे वो सबमर्सिबल मोटर हो या और कुछ हो, उन पर 4 परसेंट या जीरो परसेंट वैट लगता है। हमारे यहां इस सरकार ने 14 प्रतिशत वैट लगा रखा है। आपने खुद कहा था कि यह ज्यादा है। अब जब आपकी सरकार आ गयी, आप मंत्री बन गये तो क्या आप उस वैट को कम करने का इरादा रखते हैं? अभी तक तो आपने किया नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न बोनस है, न

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

बीमा कम्पनियों पर कोई कंट्रोल है, न किसान को कोई लाभ देने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, इन्होंने एक काम जरूर किया है। केन्द्र की हमारी यू.पी.ए. सरकार ने बीकानेर में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय देने का काम किया था, चुनाव की आचार संहिता लग गयी, चुनाव आ गये, इन्होंने एक काम उसमें जोरदार किया कि केन्द्र का स्थान चिन्हित करके झालावाड़ संसदीय क्षेत्र के बारां को भिजवा दिया। केन्द्र ने इनको कहा कि यह बीकानेर के जिस जोन के लिए स्पेसिफिक है, वहां पर लगाया जाए, आप बारां-झालावाड़ क्यों भेज रहे हो, हम वहां नहीं देने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि आपने गलत जवाब इस सदन में दिया कि केन्द्र हमें अभी तक वो केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय नहीं दे रहा है। वो इसलिए नहीं दे रहा है कि आपको बीकानेर में लगाना था लेकिन आप झालावाड़ में लगाना चाहते हैं, बारां में लगाना चाहते हैं। आपको वहां के लिए मना किया है, राजस्थान में देने के लिए मना नहीं किया है।

श्री रामचन्द्र (डग): पिछली सरकार में माननीय गहलोत जी पूरे झालावाड़ के जितने भी थे, वो सब जोधपुर ले गये थे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्री महोदय, बहुत काम्पीटेंट हैं, वो अपने आप जवाब देंगे, आप स्थान ग्रहण करें। आप मंत्री महोदय की तरफ से क्या जवाब दे रहे हैं, आप विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो सोलर पम्प पर अनुदान हमारी सरकार 86 प्रतिशत देती थी, इन्होंने उसको पहले 68 परसेंट किया और फिर थोड़ा बढ़ाकर 75 परसेंट पर लाकर छोड़ दिया है। जो मिट्टी-पानी परीक्षण प्रयोगशालाएं हमने बनायी थीं वो केवल एन.जी.ओ. के भरोसे चल रही हैं। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा कि उनमें कम से कम एक अधिकारी सरकार का लगाया जाए जिससे उनकी मानिटरिंग हो सके।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से इतना आग्रह करूंगा कि थोड़ा सद्‌भावना से करें और शर्मनाक बातें तो नहीं करें। सदन में ऐसी बातें बोलें जो तथ्यात्मक बातें हों। मैं समझता हूं कि सदन में आने का मकसद यह तो नहीं है कि वो मजाक में सारी चीज को उठाएं। विपक्ष और सशक्त विपक्ष है तो मैं समझता हूं,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

सैद्धान्तिक बात होनी चाहिए। आज किसानों की बात चल रही है, किसानों के विकास की बात चल रही है, किसान के लिए क्या होना चाहिए, वह होना चाहिए। किसने कह दिया इनको यूनिवर्सिटी के बारे में? बीकानेर का सेण्टर से कोई आया है तो यहां सदन में पेश करें। सदन में इस प्रकार के गलत तथ्य पेश करके अपने आपको शर्मिंदा महसूस नहीं करें, अख़बार में छपाने के लिए नहीं करें।

(15.00 बजे)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जरूर करूंगा। मैं इस पर जो प्रमाण हैं वो देने को तैयार हूं जिसमें बीकानेर जोन के लिए दिया था और आपके यहां से सरकार ने झालावाड़-बारां के लिए लिखकर दे दिया इसकी वजह से आपको आगे इसमें नहीं मिला है।

दूसरा, किसानों के प्रति इनकी कितनी हमदर्दी है, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। किसान पशुपालन के माध्यम से अपनी रोजी-रोटी चलाता है और किसान के पशुओं के लिए बीमा योजनाएं हमारी केन्द्र सरकार ने, यूपीए सरकार ने और राज्य सरकार ने चालू कर रखी थीं। सभापति महादेय, कामधेनु बीमा योजना आपने बंद कर दी। गौ-रक्षक बीमा योजना आपने बंद कर दी। गौ-पालक बीमा योजना आपने बंद कर दी। आविका कवच जो भेड़ों के लिए होती है, आपने बंद करने का काम किया, बजट नहीं दिया। आविका रक्षक आपने बंद कर दी। ऊंट पालक बीमा योजना आपने बंद कर दी। ऊंट बीमा योजना आपने बंद कर दी। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के माध्यम से जो छात्रवृत्ति और दुग्ध आरक्षित बीमा योजना चलती थी, उसको भी आपने बंद करने का काम कर दिया। किसान के बेटे के कृषि मंत्री बनने का हमें यह लाभ मिला है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

तीसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान के साथ में... (व्यवधान) शर्म आप करो। बढ़ा दो न, कर दो न। कोई दिक्कत नहीं है। सब सुनेंगे, सब सुनेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पैकेज की बात कर रहे हैं, आज किसान बर्बाद हो चुका है। उसका सब कुछ लुट चुका है। उसके पास में खाने को दो जून का अनाज तक नहीं बचा है। बड़ी वाहवाही लूटी जा रही है सदन में कि सदन की नेता आयीं, सुबह से शाम तक बैठी रहीं, फिर एक बड़े पैकेज

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

की घोषणा की और उसके बाद में दो दिन की हमारी सबकी छुट्‌टी कर दी। कोई अख़बार में छप रहा है, कोई टेलीविजन में आ रहा है। इससे किसान का जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति हो गयी क्या? अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रही हैं तो आपके पेट में तकलीफ क्यों हो रही है, मरोड़े क्यों चल रहे हैं? वह तो हर बार आती रही हैं। जब-जब प्राकृतिक आपदा आयी है इस राजस्थान की जनता पर, तब-तब हमारी सोनिया गांधीजी इस प्रदेश को संभालने के लिए आती रहीं हैं और दुबारा आती रहेंगी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): बाड़मेर के किसानों को संभालने के लिए आयीं क्या? बाड़मेर के किसानों को संभालने आयीं क्या?

श्री संजीव कुमार (भादरा): हम अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ आ रही है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। प्लीज, नो डिस्टर्बेंस।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, जो सर्कुलर इन्होंने दिये हैं, वे आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के हैं। सीआरएफ के नार्म्स हैं उससे बढ़कर एक प्रतिशत भी रिलीफ आपने कोई किसान को देने का काम नहीं किया है। जो आपदा राहत में पैसा सेन्टर से मिलेगा, वह तो आपको देना ही पड़ेगा। आप भी चाहते हो कि हम ज्यादा से ज्यादा केन्द्र से लाएं लेकिन केन्द्र ने तो कृषि जैसे महत्वपूर्ण, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण और जनता से जुड़े हुए स्वास्थ्य, सारे के सारे विभागों के बजट में कटौती करने का काम किया है।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक घोषणा की थी माननीय सदन की नेता ने कि पांच लाख रुपये किसान की अगर खेत में काम करते हुए मृत्यु हो गई तो उसको मिलेगा। क्या हुआ, मैं पूछना चाहता हूं? कृषि मंत्रीजी अपने जवाब में दें कि आपने नवम्बर, 2014 को घोषणा की थी और फरवरी-मार्च में केवल दो लाख रुपये के आदेश दिये हैं, तीन लाख रुपये तो पूरे के पूरे किसान के डकार गये। इस सदन में घोषणा करने के बाद में भी आप नहीं दे पाये किसान को। बोलो?

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मिले हैं पांच लाख रुपये। मेरे पास जानकारी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कहां मिले, मंत्रीजी? दो लाख रुपयों के आदेश हैं, तीन लाख तो खा गये बीच में।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पांच लाख रुपये मिले हैं मेरे गांव में। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो आदेश बता देना, मंत्रीजी बता देंगे। अगर पांच लाख रुपये का आदेश बता देंगे तो मैं सदन से मेरे असत्य वाक्य के लिए माफी मांग लूंगा।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा जो चैक मिला है। नहीं, मैं चैक दिखाऊंगा पांच लाख रुपयों का।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपको कोई अलग से दे दिये होंगे, मंत्री हैं इसलिए।

श्री हेमसिंह भड़ाना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मेरे अलग से कोई पैकेज नहीं दिया जाता।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कृषि उपज मण्डी, कृषि विपणन बोर्ड का जो आदेश है, वह दो लाख रुपये तक का ही किया है, पांच लाख रुपये का कोई आदेश नहीं हुआ है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आप सदन में बोल रहे हो, तीन लाख रुपये कौन खा गया, बताओ न। मंत्रीजी, बता दो आप। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, बैठिये आप। आप बात-बात में इंटरवीन नहीं करें। प्लीज सिट डाउन। वह मंत्री महोदय जवाब देंगे। आप बैठिये। माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय जवाब देंगे। आप छोड़िये न, विराजिये आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं निवेदन करूं कि किसान आज बर्बाद हुआ है, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत है। इस सदन में इसीलिए आये हैं। किसान की ताकत के बल पर हम आये हैं, किसान के लिए जो हम कर सकते हैं, वह हमें करना चाहिये। जिस किसान का जितना नुकसान हुआ है, सभापति महोदय, चाहे उसका पांच प्रतिशत हुआ, चाहे 50 प्रतिशत हुआ, चाहे 40 प्रतिशत हुआ। किसान को उसका पुनर्भरण होना चाहिये, उसको उसका पूरा हक मिलना चाहिये।

इन्हीं मंत्री महोदय ने पिछले 18 मार्च, 2013 के बजट में जब मांग पर चर्चा चल रही थी तो कहा था कि मध्य प्रदेश ने नार्म्स 50 प्रतिशत से घटाकर खराबे के 25 प्रतिशत पर मुआवजे देने के कर दिये। आपको भी कर देने चाहिये तो आप अब क्या कर रहे हैं? आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

प्राकृतिक आपदा किसान के ऊपर नहीं आयी। उसका मकान ध्वस्त हो गया, उसकी फसल बर्बाद हो गयी। मैं कल कोटा गया था, वहां बारां में 10 में से पांच किसान ऐसे हैं जिनका फसल देखकर वहीं हार्ट-अटैक हो गया और पांच ऐसे हैं जो खेत में अतिवृष्टि और ओलों की मार से वहीं पर ढेर हो गये। उनको...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नाम बताइये। आप उन दो के नाम बताइये। कम से कम भगवान के लिए तो ऐसी बात मत करो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं बिलकुल नाम भी बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री रामपाल (बारां-अटरू): किसी का नाम बताओ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने पढ़ा नहीं क्या, सब अखबारों में आया है।

श्री रामपाल (बारां-अटरू): कौन से अख़बार में आया है यह? कौन से अख़बार में आया है बारां का?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, डेढ़ लाख से तीन लाख रुपये देने की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामपाल (बारां-अटरू): आपने कौन से अख़बार में पढ़ा है कि किसान हताहत हुआ है? मैं वहां हर जगह गया हूं। आप झूठी भाषा क्यों बोलते हो? आप थोथी भाषा क्यों बोलते हो?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरे लिए अलग आता है। अलग आता है मेरे लिये।

श्री सभापति: आप कृपया आपस में बात नहीं करें। बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक जिले में 10 किसान खत्म हो गये। 25 तो खुद मुख्य मंत्रीजी ने माना है कि पूरे प्रदेश में 25 किसानों की मौत हो गयी। हजारों की संख्या में भेड़-बकरी और पशु खत्म हो गये। और उनके लिए वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने पैकेज दे दिया। कौनसा पैकेज दे दिया? जनता आपके कपड़े फाड़ेगी जब आप गांवों में जाओगे।

श्री सभापति: अब आप आगे चलो, नो। आप इस बात को कह चुके

(श्री सभापति)

हैं। अब आगे चलिये, माननीय डोटासरा। आप कर चुके हैं इस बात को। समाप्त करें अब आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, अब मैं मेरे इस भाषण को कनक्लूड करते हुए निवेदन करूं लास्ट में कि जो किसान प्रभावित हुए हैं, उनके छह माह का बिजली का बिल माफ किया जाना चाहिये। गिरदावरी निष्पक्ष होनी चाहिये। 50 प्रतिशत खराबे का राइडर हटाना चाहिये। जो फसली ऋण है उसको स्थगित करें। सहकारिता में पुराने किसान तो ले लेते हैं जो पहले से हैं लेकिन व्यवस्थापकों की मोनोपोली से नये किसानों को नहीं मिलता है, उनको भी ऋण देना चाहिये। भू-राजस्व वसूली को माफ करके जो सहायता राशि तीन लाख रुपये की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उत्तराखण्ड में जैसे प्राकृतिक आपदा में मारे गये लोगों को पांच लाख रुपये दिया था, वह पांच लाख रुपये इनको करना चाहिये। गम्भीर चोटों के कारण से क्षतिग्रस्त होने व विकलांगता की सीमा जो इन्होंने बढ़ायी है, वह पर्याप्त नहीं है। दुधारू पशुओं के लिए भी इन्होंने सवा लाख रुपये मैक्सीमम तो कर दी, लेकिन एक पशु पर कितना मिलेगा, वह नहीं हुआ। अगर उसके 10 पशु खत्म हो गये और 25,000 या 50,000 रुपये का एक पशु आता है तो मैं समझता हूं, उसको बहुत कम मिलेगा, इसलिए इसमें भी बढ़ाने की जरूरत है। यूरिया में किसान के साथ में अन्याय हुआ, पुलिस थानों में यूरिया बंटी है, सभापति महोदय। डंडे पड़े हैं किसानों के। हमारे मंत्री महोदय किसान के बेटे होते हुए भी यह वक्तव्य देते हैं कि यूरिया की किल्लत के लिए किसान जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती है, सभापति महोदय। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जहरीली सब्जी के खाने की बात थी, इन्हीं मंत्री महोदय ने एक कमेटी बैठायी थी। जांच रिपोर्ट भी आ गयी। इन्होंने कहा था कि मैं इस जहरीली खेती पर रोक लगाने का काम करूंगा। जयपुर की जनता अमानीशाह नाले में जहरीले पानी से जो खेती होती है, दूषित पानी से होती है, उसी की सब्जी खाने पर मजबूर हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कर्मचारियों का भत्ता 17 प्रतिशत बढ़ा देगी आपकी

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सरकार, लेकिन किसान का न अनुदान बढ़ाया जाएगा, न उसको समर्थन मूल्य दिया जाएगा और न इतनी बड़ी त्रासदी में किसी प्रकार का कोई राज्य सरकार की ओर से बड़ा पैकेज देकर उसका भरण-पोषण किया जाएगा।

सभापति महोदय, मैं अंत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह सरकार कृषि, पशुपालन, सहकारिता के विषय पर पूरी तरह से फेल रही है। केन्द्र से बजट लाने में नाकाम रही है। किसान को लाभ देने में नाकाम रही है। किसान के आंसू पोंछने में नाकाम रही है। गरीब की झोंपड़ी को वापस बसाने में यह सरकार नाकाम रही है इसलिए इनको सोचना चाहिए। यह जो मौका मिला है उसका लाभ उठा लीजिए, जनता को कुछ दे दीजिए, आपको जनता याद करेगी।

श्री सभापति: स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं तो आने वाले साढ़े तीन साल बाद में आपका कहीं नम्बर नहीं आने वाला है।

श्री सभापति: स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। श्री बंशीधर।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मूंगफली का पैसा आज तक नहीं दिया। सभापति महोदय, कितना बड़ा घोटाला हुआ, आज तक पैसा नहीं। कभी केन्द्र पर गेंद फेंक रहे हैं, कभी केन्द्र इनके पाले में फेंक रहा है। इन सब चीजों को देखने की जरूरत है। किसान की बहबूदी के लिए, किसान को वापस खड़ा करने के लिए, किसान की मजबूती के लिए इस सरकार को काम करना चाहिए। वर्ना यह जो 163 का जनादेश लेकर आप घमंड में चूर हो रहे हो, वो वापस हम से भी कम 18-19 पर लाकर छोड़ेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: अब आप विराजें। श्री बंशीधर।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 36, मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, सहकारिता के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि सहकारिता आंदोलन केवल हिन्दुस्तान का नहीं है, पूरे विश्व का सहकारिता आंदोलन है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो जिस देश की आर्थिक स्थिति का पहिया लड़खड़ाया है उस देश को आगे बढ़ाने में केवल सहकारी आंदोलन ही काम आया है। हमारे देश में भी 1901 से सहकारी

(श्री बंशीधर)

आंदोलन चला और आजादी के बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री आदरणीय पंडित जवाहर लाल नेहरूजी ने इस आंदोलन को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया। उसके कारण आज हमारे देश की आर्थिक परिस्थितियों में बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है।

(15.11 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

अभी तक हम देखें सहकारी आंदोलन के बारे में तो हमारे देश में ही नहीं अपितु राजस्थान में भी कोई अच्छी प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं, माननीय सभापति महोदय, यह बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सहकारिता आंदोलन बहुत पिछड़ा हुआ है। सहकारिता आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मैं दावा कर सकता हूं कि देश के अन्दर ऐसा कोई अभियान नहीं, ऐसी कोई मल्टी नेशनल कंपनी नहीं है या ऐसी कोई सरकार नहीं जो रोजगार के हिसाब से ज्यादा रोजगार दे सके। लेकिन सहकारी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने में सक्षम रहता है। सभापति महोदय, सहकारिता आंदोलन के आधार से हम गांवों में, शहरों में कुटीर उद्योग, हस्तकला, शिल्प उद्योग लागू करें तो मेरा विश्वास है, हम दावा करते हैं कि एक या दो लाख नहीं, कई लाख आदमियों को रोजगार मिल सकता है। सहकारिता आंदोलन को सही ढंग से चलाने से बेरोजगारी अपने आप खतम हो जाएगी। लेकिन आज गांव के किसान का बेटा कहीं शहर में जाकर दो या तीन हजार में नौकरी करता है। यदि वह सहकारी आंदोलन से जुड़ जाए और सरकार उसकी सहायता करे तो गांवों से शहरों की तरफ पलायन रुक जाएगा और उसकी माली हालत सुधर जाएगी।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आजादी के पहले या आजादी के बाद में जो किसान सेठ, साहूकार और बिचौलियों से लोन लेता था, उसके लोन की दर इतनी ज्यादा होती थी कि वह किसान पीढ़ी दर पीढ़ी चुका नहीं पा रहा था। लेकिन जब से हमारे देश और प्रदेश में सहकारिता आंदोलन चालू हुआ, किसान उस साहूकार का मुंह देखना पसंद नहीं करता है। सहकारिता आंदोलन के कारण उसको अपनी आर्थिक हालत सुधारने में बहुत योगदान मिल गया है। हमारे राजस्थान में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर रखी है कि हर पंचायत स्तर पर सहकारी जी.एस.एस. की स्थापना होगी। हमारे

(श्री बंशीधर)

प्रदेश में अब तक 6347 सहकारी समितियां बन चुकी हैं, जो नई पंचायतें बनी हैं और जो बची हुई पंचायतें हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि वहां पर भी सहकारी समितियां जल्दी से जल्दी बनायी जाएं।

ग्राम सेवा सहकारी समिति के उदय के लिए एक नया केन्द्र बनना चाहिए, केवल पुराना ढांचा नहीं होकर नया ढांचा स्थापित करना चाहिए। आज कम्प्यूटराइज युग हो गया है, प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति के साथ-साथ प्रत्येक बैंक, कोआपरेटिव बैंक हो चाहे भूमि विकास बैंक हो, कम्प्यूटराइज होने चाहिए जिससे कि गांव और ढाणी तक हर आदमी को लाभ मिल सके, घर बैठे उसको ऋण मिल सके। मैं आगे यह और कहना चाहूंगा कि सहकारी समिति से किसान सुदृढ़ और मजबूत होगा। किसान की उपज की अपन बात करते हैं, किसान की उपज का मूल्य सही ढंग से मिलना चाहिए।

सभापति महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समिति पर गोदाम बनाने के लिए सरकार अनुदान दे रही है या बनाने के लिए दस-दस लाख रुपये दे रही है, यह बहुत अच्छी पहल है। हर ग्राम सेवा सहकारी समिति पर यह गोदाम होना चाहिए और उस गोदाम में व्यवस्था होनी चाहिए। किसान अपनी मजबूरी के कारण फसल आते ही बाजार में बेच देता है उससे किसान को पूरा मूल्य नहीं मिलता है। जो गोदाम बनाए जा रहे हैं, सहकारी समितियों के अन्दर काश्तकार अपना माल वहां गिरवी रखे और जब फसल का भाव अच्छा आए तब किसान अपना माल बेचे तो किसान की आर्थिक हालत और सुधर जाएगी। यह अच्छा काम हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने गोदाम बनाकर चालू किया है, आशा है, ग्राम सेवा सहकारी समिति में किसानों का माल गिरवी रखा जाएगा। हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो सचिव हैं वो पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं, आज कम्प्यूटर युग आ गया है, उनको कम्प्यूटर का ज्ञान होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, सहकारिता में हमारे यहां एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि व्यवस्थापक का स्थानान्तरण नहीं हो सकता। वहां पर उसका एकाधिपत्य है। अध्यक्ष के पास भी यह अधिकार नहीं है कि वह उसको चेंज कर दे। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो व्यवस्थापक हैं उन्हें बैंक का कर्मचारी बनाएं जिससे कि उनका

(श्री बंशीधर)

स्थानान्तरण हो सके और जो आधिपत्य है वह आधिपत्य खतम हो। इससे सरकार को भी सहकारी समितियों में आगे काम करने का अच्छा मौका मिलेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, मैं सहकारिता मंत्री से कहना चाहूंगा कि 1992-93 से पहले काश्तकारों को गांवों में ऋण देने के लिए 65 प्रतिशत आधिपत्य सहकारी बैंकों का था, आज वह आधिपत्य घटकर केवल 25 प्रतिशत आ गया है। कारण यही है कि आज गांव-गांव और छोटे-छोटे कस्बों के अन्दर छोटे-छोटे नेशनलाइज बैंक खुल गये हैं। वो सुविधाएं ज्यादा दे रहे हैं जबकि हमारे जी.एस.एस. के पास कोई सुविधा नहीं है। उसको सुधारने के लिए और किसान को बचाने के लिए हर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को अच्छा लोन देने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो ये नेशनलाइज बैंक हमारी सारी कोआपरेटिव को खतम कर देंगे। आज कोआपरेटिव खतम होने के कगार पर है, जी.एस.एस. को सुधारने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर वैद्यनाथन की रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए और प्रोफेसर वैद्यनाथन की रिपोर्ट के हिसाब से मूलभूत जो सुविधाएं हैं वे राज्य सरकार को देनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो रुग्ण हो गयी हैं, जो खतम होने के कगार पर हैं, उनको ऋण देकर किसान की सहायता करने के लिए वापस चालू करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं बीमा की बात करना चाहूंगा। आज जो किसान जी.एस.एस. से लोन लेना चाहता है, उसको बीमा लेना बहुत अनिवार्य हो जाता है। अनिवार्य हो गया है, यह ऐच्छिकता होनी चाहिए। लोन के लिए तहसील का क्राइटेरिया न होकर ग्राम या पंचायत का क्षेत्रफल होना चाहिए जिससे कि वह लोन ले सके। इस लोन के लिए भी पूरे राजस्थान में एक-से नार्म्स नहीं हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने हिसाब से अलग-अलग कंपनियों से लोन के लिए कहती है, अपने अलग से सेवा शर्तें करती है। अलग-अलग नियम नहीं होकर पूरे राजस्थान में इसके लिए नार्म्स एक ही होने चाहिए। जिन बीमा कंपनियों से हमने समझौता कर रखा है, पूरे राजस्थान में नियमों में एकरूपता होनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बीमा के अन्दर जो काश्तकार प्रीमियम देता है वह दो या तीन परसेंट है, मैं सरकार से और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी

(श्री बंशीधर)

से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीमा का प्रीमियम काश्तकार केवल एक परसेंट दे, बाकी काश्तकार को ध्यान में रखते हुए सरकार वहन करे जिससे काश्तकार अपना जीवनयापन ढंग से कर सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि अपन कोआपरेटिव में बहुत बड़े काम कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों पहले गुजरात गया था, महाराष्ट्र भी जाना पडा, मैं गांवों में भी जाकर आया हूं, गुजरात में कोआपरेटिव सैक्टर बहुत मजबूत है। यही हाल महाराष्ट्र में है। गुजरात में तो इतना बढ़िया है कि एक-एक गांव में एक-एक दुग्ध सहकारी समिति है और कम्प्यूटराइज्ड हैं सारी। किसी काश्तकार ने दो किलो दिया और दूध का पैसा चाहिए तो दूध का पैसा वो सहकारी समिति इतनी सुदृढ़ है कि उस काश्तकार को उसी दिन देती है। और उसमें कोई भेदभाव नहीं होता क्योंकि जो दूध का फैट है उसके हिसाब से भाव तय होता है और उस फैट के हिसाब से उसको उसी दिन उसका भुगतान हो जाता है। काश्तकार के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है। यही हालत महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में तो कोआपरेटिव सैक्टर में बहुत बड़ी मिलें चलती हैं, गन्ने की मिल है। कई ऐसे साधन हैं महाराष्ट्र में जिससे कि कोआपरेटिव सैक्टर में महाराष्ट्र हमसे बहुत आगे है, गुजरात हमसे बहुत आगे है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उसको और आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा सहकारिता को दिया जाए। मैं कोआपरेटिव उपभोक्ताओं की बात करना चाहता हूं कि कोआपरेटिव उपभोक्ता सेन्टर है वो हमारे गांवों में ढाणियों में या हर उपभोक्ता को अच्छी गुणवत्ता से और सस्ती दर से माल बेचने का काम करते हैं, लेकिन काम उलटा हो रहा है। आज देश में दुनिया में कहीं पर भी कोई माल डंप होता है, नहीं बिकता है, वह भ्रष्टाचार के कारण हमारे उपभोक्ताओं के पास, उपभोक्ता भण्डार में चला जाता है और गलत प्रचलन के कारण या आउटडेटेड होने के कारण वो माल भण्डारों में सुरक्षित वहीं का वहीं पड़ा रहता है, कोई लेने वाला नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूं कि उपभोक्ता भण्डारों के लिए भी एक ऐसा काम होना चाहिए कि जिससे कि अच्छा माल आए और वो अच्छा प्रोफिट कमा सकें। उपभोक्ता भण्डार एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि सस्ती दर पर काश्तकार को ए से लेकर जैड तक की सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे सीकर जिले में पलसाना सहकारी समिति है, उसके बैंक में आप जाकर

(श्री बंशीधर)

देखेंगे तो सारी चीजें वहां मिलती हैं। ऐसे ही ग्राम सेवा सहकारी समिति का उपभोक्ता भण्डार भी हो सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आगे की बात करना चाहता हूं। गांवों से पलायन रोकना चाहते हैं उसके लिए मैं दुबारा बोलना चाहूंगा। जो गांव का बच्चा शहर में जा रहा है, वो दो-तीन हजार की नौकरी करता है, जबकि वो दो-चार भेड़-बकरियां या पशुपालन के हिसाब से दुधारू पशु रखता है तो दस-पन्द्रह हजार रुपये वहीं घर बैठ कर अपने आराम से वो कमा सकता है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे-छोटे गांवों में दुग्ध सहकारी समितियां बनाएं और उसके हिसाब से उसको काम कराएं।

मैं, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि दूध के फैट के अन्दर गड़बड़ी होती है, काश्तकार के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है। दूध के लिए जिला स्तर पर केन्द्र बना हुआ है वहां फैट मशीन कम्प्यूटराइज्ड नहीं है। आज की सरकार की नहीं, सारी बात कहना चाहूंगा, शुरू से लेकर आज तक की, कि उस फैट के कारण आज काश्तकार को बहुत बड़ा नुकसान होता है, उसके दूध का पूरा मूल्य उसको नहीं मिलता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसको भी कम्प्यूटराइज करके सारा काम करें।

उपभोक्ता आंदोलन की बात करते हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति में जो चुनाव होते हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। जो आधिपत्य बना हुआ है पहले से, उस आधिपत्य को रोकने के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि सहकारी समिति में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक होता है ऋणी और दूसरा अऋणी। ऋणी के लिए अलग वोट होता है, अऋणी के अलग डाइरेक्टर होता है। ऋणी और अऋणी दोनों को मिला कर हर सहकारी समिति के सदस्य को चुनाव लड़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उससे ऋणी-अऋणी खतम हो जाएंगे तो उसका जो अध्यक्ष है या जो सेक्रेटरी है उसका आधिपत्य खतम हो जाएगा। ऐसा करने से बहुत बढ़िया हो जाएगा और हर आदमी को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हर आदमी के चुनाव लड़ने से सहकारी समितियों में आधिपत्य तोड़ने का काम होगा।

मैं चर्चा करना चाहूंगा कि राजफैड द्वारा स्पिनिंग मिल बनायी गयी थी, तिलम संघ था। 1992 से अब तक 23 साल के अन्दर केवल तीन बार उन्होंने माल की खरीद-फरोख्त की और लगातार घाटे में चल रहा है। उस घाटे

(श्री बंशीधर)

को बंद करने के लिए कोई सोच नहीं रहा है। यह एक कैंसर के रूप में पनप रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि या तो इसको बंद कीजिये या इसको अच्छी तरह से चलाने के लिए व्यवस्था कीजिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आदरणीय सभापति महोदय, अभी तो पांच मिनट ही नहीं हुए, बहुत सारा बाकी पड़ा है। कोआपरेटिव ही पूरा नहीं हुआ। अभी तो दो मांगें और पड़ी हैं।

श्री सभापति: घड़ी देखो आप।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, प्लीज, पांच मिनट और दीजिये। सभापति महोदय, अपन कोआपरेटिव में रोजगार के लिए बात करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसा रोजगार है राजस्थान है, ट्यूरिज्म। ट्यूरिज्म में कोआपरेटिव सैक्टर के माध्यम से बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता है। कोआपरेटिव के माध्यम से हमें टैक्सी चलानी चाहिए। टैक्सी वाले हर आदमी को वहां लेकर जाते हैं जहां परचेजिंग करनी होती है। हर जगह अपनी कोआपरेटिव की हस्तकला शिल्प की दुकानें होती हैं, वहां पर वे उनको लेकर जाएं तो एक अच्छा साधन है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे दो-तीन सुझाव हैं। हमारे प्रदेश की आदरणीय मुख्य मंत्री महिला हैं, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को और आदरणीय मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि महिला कोआपरेटिव सोसायटी को ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उनको लोन भी अच्छा दिया जाना चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे तो महिला मितव्ययी होती हैं, अच्छा काम और मेहनत करती हैं। तो महिला कोआपरेटिव जीएस ज्यादा बनाने चाहिए। वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, कुटीर उद्योग लगा सकती हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि किसान का जो माल समर्थन मूल्य पर कोआपरेटिव द्वारा खरीदा जाता है, उसका भुगतान नहीं होता है। भुगतान केन्द्र सरकार से आता है और काश्तकार को बहुत लेट मिलता है। इसके लिए राज्य सरकार एक अलग से फंड बनाए। उस फंड का पैसा काश्तकार को तुरन्त दे दिया जाए जिससे काश्तकार अपनी सुविधा अनुसार काम ले सके। फंड आए उस समय उसका समायोजन कर ले, ऐसा मेरा एक सुझाव है।

(श्री बंशीधर)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, राजस्थान के एक-दो बैंक के लिए मैं नहीं कह सकता बाकी राजस्थान के भूमि विकास बैंक आज इस कगार पर हैं कि कभी भी बंद हो जाएं। अरबों रुपयों की उनमें देनदारियां लगी हुई हैं तो भूमि विकास बैंक को सुधारने के लिए अपन को अच्छे कदम उठाने चाहिए जिससे भूमि विकास बैंक सुधर सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके सत्रह मिनट हो गये हैं पूरे।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और। एक कृषि पर और दो और बोलूंगा। मुझे पांच मिनट और चाहिए, साहब।

श्री सभापति: नहीं, आप अपनी बात समेट लें। एक मिनट में जितनी बातें आपको कहनी है वो सारी बात आप सदन में रख दें।

श्री बंशीधर (खण्डेला): माननीय सभापति महोदय, हमारे श्रीमाधोपुर में कृषि उपज मण्डी है, मैं कृषि पर बोलना चाहूंगा, उस कृषि उपज मण्डी के अन्दर 11 मूंगफली की इकाइयां लगी हुई हैं लेकिन उनमें से टैक्स कोई भी नहीं देती है, टैक्स चोरी होता है। उसका बिजली का बिल, कितने घंटे में कितनी मूंगफली छिलती है, उसका रेशो बनाएं और उस पर पैनल्टी लगाकर उससे वसूल करना चाहिए जिससे कि मण्डी को उसका भुगतान मिल सके, अच्छी आय आ सके। मैं, माननीय सभापति महोदय, यह जरूर कहना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य हमारी सरकार तय करती है काश्तकार की फसल का, लेकिन बिजली और पानी का जो पैसा बढ़ा है उससे समर्थन मूल्य में और किसान की लागत में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं आपके द्वारा कृषि मंत्री जी और आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को कहना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य के साथ-साथ उनका बोनस भी प्रत्येक किसान को अलग से जरूर देना चाहिए जिससे समर्थन मूल्य में किसान को आराम मिल सके। आपने मेरे को समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी तो मेरी दो मांगें बाकी रह गयीं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री श्रीराम भींचर।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग संख्या 36-सहकारिता, मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं, हमारे नागौर में कृषि महाविद्यालय की जो स्वीकृति दी है इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को बहुत-

(श्री श्रीराम भींचर)

बहुत धन्यवाद। पूर्व सदस्यों ने भी इस बात को रखा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर सत्तर प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। किसान का मुख्य धंधा कृषि और पशुपालन है। माह जून और जुलाई में जब किसान आकाश की तरफ देखता है कि बादल आकाश के अन्दर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं तो वो टकटकी लगाये देखता है और रात-दिन बड़ी चिन्ता में रहता है। जब बारिश जून-जुलाई के महीनों में होती है तो किसान का पूरा परिवार खेत की तरफ दौड़ता है। खेत के अन्दर जो भी सोड-अनसोड या इस तरह का जो भी काम होता है, वो करता है और उसके बाद में अपने ट्रैक्टर से, जानवरों से खेती करता है और फसल की बुआई करता है। फसल की बुआई करने के बाद में जब वह खेत से घर की ओर निकलता है तो उसके तुरन्त बाद फिर बारिश आती है और किसान की फसल दब जाती है। किसान फिर हिम्मत करके उठता है और दुबारा उस फसल की बुआई करता है। लेकिन फिर कुदरत का ऐसा करिश्मा होता है कि किसान की फसल फिर दब जाती है। उसके बाद अगर किसान की थोड़ी बहुत फसल बचती है तो उस फसल की किसान रात-दिन रखवाली करता है, आंधी-तूफान में वहां रहता है। नील गाय किसान को रात-दिन परेशान करती है। इतना करने के बाद भी अगर थोड़ी बहुत फसल बचती है और उस फसल को किसान मंडी में बेचने के लिये ले जाता है। किसान मंडी में अपनी फसल का ढेर लगाता है। सब्जी भी सब्जी मंडी में ले जाता है तो सब्जी मंडी में भी किसान की फसल का ढेर लगता है। पर ढेर लगने के बाद में उस फसल को बेचता कौन है? फसल की कीमत किसान तय नहीं करता है, उस किसान की फसल की कीमत वहां का दलाल तय करता है। दलाल उस बात को एक-दो-तीन करके छोड़ देता है और उसके बाद किसान टकटकी नजर से उस ढेर की ओर देखता रह जाता है।

(15.32 बजे)

(श्री कैलाश मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस तरह से किसान की फसल नष्ट होती है और दलाल के माध्यम से फसल का सही मूल्य नहीं मिलता है तो किसान का सपना टूट जाता है। किसान की फसल जब अच्छी होती है तो किसान सोचता है कि इस फसल से मैं कच्ची झोंपड़ी की जगह पक्का मकान बनाऊंगा, अपनी बेटी के हाथ पीले करूंगा, लेकिन किसान का सारा सपना चूर-

(श्री श्रीराम भींचर)

चूर हो जाता है। किसान जब रबी की फसल की बुआई करता है तो यह की यह हालत किसान के साथ होती है। जब किसान फसल को बोता है, महंगा बीज और खाद लेकर वह बुआई करता है। लेकिन कई बार नकली बीज आ जाता है कि किसान की फसल उगती नहीं है। बीज भी इतना महंगा मिलता है जिससे किसान को बड़ा भारी नुकसान होता है। फसल को तैयार करने के लिये किसान चार महीने भारी ठंड में खेत में रात को फव्वारा बदलता है, नील गाय की रखवाली रखता है लेकिन उसके बावजूद भी किसान को बड़ा नुकसान होता है। जब फसल पकने पर आती है तो इतनी जबरदस्त वर्षा होती है या ओलावृष्टि जैसे इस बार अभी हुई, इतनी वर्षा या ओलावृष्टि होती है कि किसान की फसल एकदम नष्ट हो जाती है। अगर किसान की थोड़ी बहुत फसल बचती है तो उसको किसान मंडी में ले जाता है तो उसकी भी वह की वह हालत होती है जैसी खरीफ की फसल की होती है। किसान दलाल के हाथों इस तरह से मारा जाता है। दलाल का लगता भी क्या है? मारवाडी में कहावत है, हींग लागे न फिटकरी रंग आवे चोखो। दलाल का कुछ नहीं लगता। वह तो साफ-सुथरे कपड़े पहन कर आता है, किसान की फसल के मनचाहे भाव तय करता है और किसान वापस अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने घर लौटता है। देखा जाए तो, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि किसान की फसल का भाव जब 2-3 रुपये किलो था उस समय डीजल का भाव भी 2-3 रुपये था। लेकिन आज डीजल का भाव 20-30 गुणा बढ़ गया लेकिन किसान की फसल का भाव मात्र 4-5 गुणा बढा है। महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो आज किसान को उसकी कुछ भी कीमत नहीं मिल रही है। इस तरह से किसान की दशा दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है।

पशुपालन पर भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। नागौर का जो नागौरी गाय और बछड़ा है वह राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। नागौरी गाय का बछड़ा जब पैदा होता है, वह बछड़ा 10 हजार रुपये से लेकर 4-5 लाख रुपये तक बिकता है। लेकिन आज 2-3 साल के बछड़े को राजस्थान से बाहर यूपी, हरियाणा और पंजाब का व्यापारी ले जाना चाहे तो वह बाहर नहीं ले जा सकता क्योंकि सरकार मानती है कि यह बछड़ा कटने के काम में आएगा। अगर व्यापारी 5 लाख रुपये में एक बछडा लेकर जाता है तो उसको काटने के बाद मेरे खयाल से उस व्यापारी को पांच लाख का मांस नहीं मिलता है। मेरा सरकार से और विशेष तौर से कृषि मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है

(श्री श्रीराम भींचर)

कि 2-3 साल का जो नागौरी बछड़ा है उसको राजस्थान से बाहर विक्रय के लिये आप इजाजत दें ताकि किसान गाय को भी पालने लग जाए, बछड़े को भी पालने लग जाए। आज गाय की दशा जो बिगड़ी हुई है, गाय की दशा भी सुधरे और किसान का बछड़ा अगर अच्छी कीमत में बिके तो किसान की हालत भी सुधरे, यह मेरा निवेदन है।

मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी 5-6 मिनट ही हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: 9 मिनट हो गये, मेरे यहां नोट है। आप जल्दी सूत्रों में बोल दो।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): खरीफ की फसल का बीज विभाग द्वारा दिया जाता है वह बुआई के बाद दिया जाता है। किसान की फसल खेतों में लहलाने लगती है उसके बाद किसान को यह बीज मिलता है। बुआई से पहले उसको बीज दिया जाए। रबी की फसल का बीज व खाद किसान को सस्ता सुलभ कराया जाये। किसान को सरकार द्वारा फसल की उचित रेट मिले। किसान को समय पर भुगतान करें। विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 2014 में फसली बीमा क्लेम मात्र चार ग्राम पंचायतों-बाजोली, खेड़ीशीला, अलतुआ व बहियाकलां को मिला जबकि फसल सभी ग्राम पंचायतों में नष्ट हुई है। कृषि मंत्रीजी, इसका दुबारा सर्वे करवाकर सभी ग्राम पंचायतों में कृषि क्लेम दिया जाए। वर्ष 2012 से पूर्व सहकारी बैंक द्वारा किसान को खाद-बीज पर लोन मिलता था तो सरकार द्वारा 75 प्रतिशत हिस्सा मिलता था तथा किसान को मात्र 25 प्रतिशत ही देना पड़ता था। लेकिन वर्ष 2012 के बाद तत्कालीन सरकार ने अपनी हिस्सा राशि को 60 प्रतिशत व किसान की हिस्सा राशि को 40 प्रतिशत कर दिया। सरकार इसमें अपनी हिस्सा राशि पूर्व की भांति दे। अभी हाल ही में मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना में रबी की फसल का ईसबगोल और जीरा सम्पूर्ण नष्ट हो गया है तथा चना, मेथी व गेहूं में 25 से 30 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। किसान को इसका उचित मुआवजा मिले। लघु कृषक का चार माह का बिजली बिल माफ करने की जो घोषणा की है, मेरा निवेदन है कि उसमें सीमांत कृषक को भी छूट देनी चाहिये। विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 2014-15 में खरीफ की फसल का जो बीमा मिला है, वह अन्य तहसीलों से कम मिला है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में बात खतम करता हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना): मकराना तहसील में बाजरे का जो क्लेम मिला है वह 96 रुपये प्रति हैक्टेयर से मिला है और अन्य तहसीलों में मिला है 484 रुपये। मकराना में ग्वार का मिला है 86 रुपये और दूसरी तहसील को मिला है 510 रुपये। मकराना की तहसील में किसान को मूंग का मिला है 210 और अन्य तहसीलों में मिला है 1055 रुपये। मकराना में मोठ का मिला है 97 रुपये और अन्य तहसीलों में मिला है 610 रुपये। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि तहसीलों में आपस में जो इतनी भिन्नता है, इस भिन्नता का आप दुबारा सर्वे कराएं और किसान को उचित मुआवजा दिलाएं। शिवजीराम बेड़ा निवासी जूसरी की दस भेड़ें मर गयीं लेकिन आज तक उसको उसका मुआवजा नहीं मिला है। अंत में मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कहता हूं मर जाऊं मांगूं नहीं अपने हित के काज। परमारथ के कारणे मोहे न आवे लाज। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सुश्री कीर्ति कुमारी।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने मुझे मांग संख्या 37, 39, 36-कृषि, पशुपालन और सहकारिता के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश की उन्नति उस प्रदेश के किसानों की माली हालत से देखी जाती है। प्रदेश विकासशील तभी होगा जब उस प्रदेश का किसान सम्पन्न होगा। आधुनिक तरह की कृषि का ज्ञान कृषक को हो। मृदा संरक्षण का सूरतगढ में जो आदरणीय मोदी जी ने प्रोग्राम लांच किया, वह किसानों के जीवन में एक वरदान साबित होगा। माटी के लाल भोलेभाले किसान को यह जानकारी तक नहीं रहती थी कि वह जिस खेत को बो रहा है, उस खेत की माटी की गुणवत्ता क्या है, खेत की माटी को कितना खाद चाहिए, कौनसा बीज बोने से उसको फसल का ज्यादा लाभ होगा, कितनी मात्रा में बुवाई करे, सिंचाई किस तरह की हो। इसलिए यह प्रोग्राम किसानों के जीवन में एक वरदान साबित होगा।

राजस्थान में माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बिजोलिया उपखण्ड में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। क्षेत्र में बांधों की संख्या भी है। मैं निवेदन करना

(सुश्री कीर्तिकुमारी)

चाहूंगी कि जो नहरें हैं उनके रखरखाव का उचित प्रबन्ध किया जाए तो किसानों को पिलाई के लिए बहुत सुविधा मिलेगी।

माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र का माण्डलगढ़ उपखण्ड क्षेत्र इन दिनों अगर मैं कहूं कि छोटा नागपुर कहलाया जा रहा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारे क्षेत्र के किसानों ने संतरा बुवाई कर हजारों हैक्टेयर में बागवानी विकसित की है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि माण्ड्लगढ़ की कृषि मण्डी फलों की खरीद नहीं करती है। मैं चाहती हूं कि माण्ड्लगढ़ कृषि मण्डी फलों की खरीद चालू करे जिससे किसानों को, बागवानों को सीधा फायदा मिले। संतरा जैसा पौष्टिक फल माण्डलगढ़ क्षेत्र में उपजाया जा रहा है इसके लिए माण्डलगढ़ कृषि मण्डी में एक कोल्ड स्टोरेज की भी व्यवस्था हो। नींबू को एनएचएम राष्ट्रीय बागवानी मिशन में दर्ज नहीं किया गया है, आदरणीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहती हूं कि आधा हैक्टेयर से कम में जो बागवानी होती है उसमें बूंद-बूंद सिंचाई हो तो उनको सब्सिडी मिलती है, अदरवाइज हमारी सरकार की इसमें कोई योजना नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि इसमें भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। हमारे प्रदेश की आदरणीय यशस्वी मुख्य मंत्री जी का मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि अभी जो भारी प्राकृतिक आपदा आयी, ऐसी आपदा में किसानों के हित के लिए सरकार ने तत्काल कार्यवाही की। मुख्य मंत्रीजी की पूरे प्रदेश में भूरि-भूरि प्रशंसा है कि हर तरीके से वह किसानों के हितों के साथ मौजूद रहे।

पशुपालन के लिए मैं एक छोटा-सा निवेदन करना चाहती हूं कि पशुओं को तत्काल इलाज मिले, इसके लिए सम्भव हो सके तो पशु चिकित्सालय के साथ ही मोबाइल यूनिट की व्यवस्था हो, उसको ज्यादा आगे बढ़ाएं तो पशुओं का जल्दी ही उपचार होगा।

सहकारिता जीएसएस के सभी जीएसएस सेंटर पर गोदाम बनें, ऐसा हम लोग प्रयास करें। हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है, राजस्थान के किसानों का हित सोचने वाली सरकार है। बजट में सारा ध्यान रखा गया, इससे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। हमारे मुख्य मंत्रीजी किसानों का हित सोचने वाले हैं। इसी के साथ में धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश। दस मिनट से ज्यादा नहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूं।

श्री रमेश (सपोटरा): सुबह-सुबह 5 मिनट तो आपने स्थगन पर उड़ा दिये। 5 मिनट इधर जोड़ दें।

श्री अध्यक्ष: सवाल यह नहीं है, मेरी मुसीबत यह है कि सात दिन तक बैठना है और यहां कर्मचारी भी हैं, यहां सुरक्षा कर्मचारी भी हैं, ज्यादा समय लेंगे तो कल वापस 11 बजे आना है। तो सबकी सुविधा देखनी है।

श्री रमेश (सपोटरा): दो-तीन मिनट एक्स्ट्रा दे देना।

श्री अध्यक्ष: नहीं, 10 मिनट प्लीज। 8 मिनट पर घण्टी बज जाएगी।

श्री रमेश (सपोटरा): ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कृषि, पशुपालन और सहकारिता की मांग पर चर्चा हो रही है। चूंकि समय का अभाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है...

श्री अध्यक्ष: सूत्रों में।

श्री रमेश (सपोटरा): हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, यहां 70 परसेंट आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। आज हमारे राज्य का बजट है उसका 5.57 परसेंट कृषि को मिला है जो पिछले वर्ष से भी कम है। सरकार ने बजट में जो प्रावधान किये हैं, सरकार दावा कर रही है कि इस तरह हम काम करेंगे। लेकिन जब तक सरकार की मंशा और दृढ़ इच्छाशक्ति से काम नहीं होगा तब तक किसान का कुछ भला होने वाला नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री को कहना चाहता हूं, कृषि से सम्बन्धित विषयों का इन्हें ज्ञान है, अनुभव भी है और किसान हित की बात भी करते हैं लेकिन जब इनका मंत्री बनने का नंबर आता है तो किसान हित की बात भूल जाते हैं। सरकार के हिसाब से या अपने सिस्टम से क्या प्राब्लम आ जाती है, यह हमें पता नहीं लग रहा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि ऐसी समस्या क्यों आती है? किसान हित की बात करते-करते जब मंत्री बन जाते हो तब यह सब किसान हित क्यों भूल जाते हो? किसान को मात्र 4-5 चीजों की जरूरत है। मंत्री भी कहा करते थे कि पानी चाहिए, बिजली चाहिए, अच्छी किस्म की खाद चाहिए और अच्छा मार्केट हो, इन सारी चीजों की आवश्यकता है। लेकिन जब आप सरकार में आये तो समय पर खाद नहीं दे पाये और लोगों को डंडे खाने पड़े। यहां तक कि महिलाएं लाइन में लगीं तो उनको भी पिटना पड़ा और खाद आपको थानों में बंटवाना पड़ा।

(श्री रमेश)

कभी आपने कुछ स्टेटमेंट दिये कि गाड़ियों में माल नहीं आ रहा है। आपने कभी कहा कि रासायनिक खाद का कम प्रयोग करें, जैविक खाद का यूज करें। इस तरह आप खाद की व्यवस्था समय पर नहीं कर पाये। समय पर आप पानी नहीं दे पाये, समय पर आप बिजली नहीं दे पाये। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि आपने बजट में और स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान जो घोषणाएं कीं, पूरी घोषणा स्वराज संकल्प के दौरान एक साल में नहीं कर पाये। मैक्सिमम घोषणाएं मैं बताऊं तो समय का अभाव है, आप एक-दो से ज्यादा घोषणाएं नहीं कर पाये। आपने कभी जैतून की खेती की बात कही, कभी कृषि उत्पादन और उत्पादकता की बात कही, इसमें भी आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाये। 40-45 सालों में कृषि उत्पादन का प्रतिशत 55.6 से हम 13.6 के समथिंग आ चुके हैं। किसान को क्या चाहिए? किसान को अच्छा बीज मिल जाए, अच्छी गुणवत्ता वाला बीज मिल जाए, समय पर मिल जाए, समय पर पानी मिल जाए। ये सारी चीजें आप नहीं दिला पा रहे हो। अभी हाल ही में सबको पता है कि अतिवृष्टि से किसानों की फसलें चौपट हो गयीं। किसान मुआवजे के लिए सरकार की तरफ देख रहा है, सरकार के मुखिया की तरफ देख रहा है, सरकार के कृषि मंत्री की तरफ देख रहा है। लेकिन हालात प्रैक्टिकली क्या हैं? मैं मेरे जिले की बात कर रहा हूं, पटवारी अभी गिरदावरी करने खेतों तक भी नहीं गये हैं और कलक्टर ने कह दिया कि 20 परसेंट, 30 परसेंट रिपोर्ट बनानी है। जो बड़ी कम्पनियां हैं, आप भी जानते हो उनका किससे कान्टैक्ट रहता है, कलक्टर से। बीमा कम्पनियों ने कह दिया कि यह रिपोर्ट देनी है। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि प्रशासन को सख्त हिदायत दें कि फसल का नुकसान हुआ है उसका सही मुआवजा मिले। जो बीमा पालिसी है, आप भारत सरकार से इसमें बदलाव करवाएं क्योंकि आपने भी इस विषय पर चर्चा की थी और आपने कहा था कि कृषि का अलग से बजट बनना चाहिए। कर्नाटक, मध्य प्रदेश की तरह हमारी कृषि व्यवस्था हो। वहां फसल खराबे पर 25 से 50 परसेंट दिया जाता है। कर्नाटक की प्रति किसान पर 1016 रुपये की बात की थी। इस तरह की बातें आपने बहुत की थीं। राजाओं के टाइम लगान की बात किसान के सामने होती थी और आज यह स्थिति है कि पटवारी गिरदावरी करने नहीं जा रहा। घर पर बैठकर गिरदावरी की रिपोर्ट बना रहा है, कलक्टर के हिसाब से वह सरकार को भेज देगा। नुकसान 50 परसेंट से ज्यादा हुआ है। बीमा पालिसी के

(श्री रमेश)

बारे में आपको पूर्ण पता है कि बीमा पालिसी के क्या नार्म्स हैं और कैसे मिलता है मौसम आधारित बीमा। बारिश ज्यादा हो जाए पर उनके उसमें नहीं आए, तो सब चीजें बेकार हैं। इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने जो कहा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकारें किसान के हित में जो काम करती हैं, वे आप भी करें और सरकार से करवाएं।

जब बात आती है किसान की फसल की, फसल जब पक जाती है, फसल बाजार में आती है तो उसको एक अच्छा मार्केट मिले। लेकिन होता क्या है कि साल भर का जो मूल्य होता है, न्यूनतम मूल्य उस समय पर होता है जब किसान फसल बेचने के लिये आता है। जबकि उसका मैक्सिमम सेल प्राइस, जो उसकी लागत है, उसको आंका जाए। उससे आप एक रिपोर्ट तैयार करवाएं। जो आप समर्थन मूल्य की घोषणा करते हैं कि यह फलां रेट रहेगी, जैसे 1400 की रेट रहेगी, उससे एक तरह से किसान को नुकसान रहता है। आपने देखा होगा, आप किसान परिवार से हैं, कभी आपकी सब्जी पांच रुपये किलो बिक जाती है, कभी सब्जी सौ रुपये किलो बिक जाती है। एक रेट तय कर दिया आपने कि 1400 रुपये में गेहूं बिकेगा तो रेट हो गयी, मैक्सिमम प्राइस हो गया, एम.आर.पी. हो गया, उससे वह कम ही बिकेगा। यह जो आपकी नीति है, इसमें भी आपको बदलाव करने की जरूरत है। इस पर पुन: अध्ययन करने की जरूरत है। किसान को मिलना चाहिए समर्थन मूल्य उस की लागत का। आज स्थिति यह है, आपने जो बढ़ाया पिछली बार 4.5 प्रतिशत उसकी स्थिति को अगर बराबर करें तो 17-18 प्रतिशत के बीच में आ रहा है। तो किसान को जो मिल रहा है, इसका आकलन करें कि आज मंहगाई कितनी हो गयी है, सारी व्यवस्थाएं किस तरह हैं। लागत से 25 परसेंट उसको जो रेट बाजार की मिलती है, वह कम मिलती है। क्योंकि किसान के पास न तो कोई भण्डारण की व्यवस्था है, न किसान के पास ऐसी व्यवस्था है कि वह उस फसल को रोक सके। और किसान फसल के ऊपर ही डिपेण्ड है। उसका सारा गृहस्थी का, जीवन यापन करने का, शादी-ब्याह का, घर-गृहस्थी का सारा खर्चा उस पर ही डिपेण्ड रहता है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि समर्थन मूल्य का पुन: अध्ययन करके एक नयी व्यवस्था करें जिससे किसान को फायदा हो।

मेरे कुछ सुझाव हैं उनको आपको बताना चाहता हूं कि किसान के हित में। टाइम कम है, साहब ने कह दिया, दो-तीन सुझाव हैं। आपको मैं

(श्री रमेश)

हमारी सरकार की और उनकी बात बताऊंगा तो आप कहोगे, हमने किया, वह किया।

श्री अध्यक्ष: आप अपनी बहस बड़े स्तर पर ला रहे हैं, इसलिये आपका धन्यवाद।

श्री रमेश (सपोटरा): किसान को बकरी की गोबर-मींगणी की खाद, वर्मीकल्चर की खाद सहित अनेक प्रकार की खाद पर सब्सिडी सीधे मिलनी चाहिए जिससे रासायनिक खाद उपयोग से किसान विमुख हो। यह हमारी जनता के स्वास्थ्य के लिये भी हितकारी है। उपखण्ड और पंचायत समिति स्तर पर कृषि उपज मण्डी होनी चाहिए जिससे किसानों को अपनी फसल का सही दाम वहीं पर मिल जाए और फसल को ले जाने के लिये लागत के डर से दलालों को औने-पौने दामों पर नहीं बेचनी पड़े। मध्य प्रदेश का जो ई-पैटर्न है उसके आधार पर व्यवस्था हो। किसान को कहीं जाना नहीं पड़े। आपके ई-मोबाइल वाला जो सिस्टम है, उस पर मैसेज आ जाएगा कि आपको किस समिति में, किस सहकारी समिति में आपका अनाज बेचना है। फिर उसका पैसा आपके आन-लाइन सिस्टम से उसके खाते में आ जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था आप करें तो किसान के हित में होगा। आप जिस प्रकार उद्योग लगाने के लिये उद्यमियों को छूट प्रदान करते हैं, स्पेशल पैकेज देते हैं, उसी प्रकार आप किसान को भी इस प्रकार की व्यवस्था करें, उसको भी बोनस दें। हमारे राज्य का किसान फसल सूख जाने पर भूखा सोने को मजबूर होता है। खराबे में लागत है, कर्जा चुका नहीं पाता। इन सब बातों को मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज स्थिति यह बन गयी है राजस्थान में और पूरे देश में कि कोई भी युवा खेती करने के लिये तैयार नहीं है। आपने एक बात कही थी कि कृषि विषय को हम शिक्षा में कम्पलसरी करेंगे। ऐसी व्यवस्था हो कि कृषि के सम्बन्ध में उसको जानकारी मिले।

पशुपालन विभाग में जो प्राब्लम्स हैं, मैं माननीय मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जो पशु चिकित्सक हैं, वे 85 प्रतिशत तो आपके यहां ए.पी.ओ. की व्यवस्था से या ट्रांसफर करवा करके बाबुओं का काम कर रहे हैं। उनको रूरल में भेजिये, गांवों में भेजिये जो पशुओं का इलाज कर सकें। उनको तनख्वाह एक पशु चिकित्सक की मिल रही है न कि बाबुओं की। बाबुओं का काम बाबुओं से करवाएं।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रमेश (सपोटरा): जो किसान को अभी हाल ही में फसल में नुकसान हुआ है, उसको जीरो परसेंट पर और अनुदान दें।

श्री अध्यक्ष: 12 मिनट हो गये आपके।

श्री रमेश (सपोटरा): ठीक है, साहब, नहीं है तो। आपने कह दिया तो मान लिया। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। आज बहुत बढ़िया विधायक की तरह आपने अपना रोल प्ले किया।

श्री केसाराम चौधरी, एब्सेंट। श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37 -कृषि, मांग संख्या 39-पशुपालन और मांग संख्या 36-सहकारिता पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

कृषि प्रधान देश होने के नाते पूर्व में भी माननीय सदस्यों ने जो कहा है, जब तक किसान खुशहाल नहीं होता, जब तक किसानों की माली हालत ठीक नहीं होती, तब तक इस प्रदेश की और देश की उन्नति नहीं हो सकती। जैविक खेती के लिये बजट में कई प्रावधान रखे गये हैं। धीरे-धीरे प्रदेश के किसानों की स्थिति देखी जा रही है कि किसान रासायनिक खाद डाल कर और आवश्यकता नहीं होने के बावजूद भी यह समझता है कि जितनी ज्यादा खाद मैं डालूंगा, हो सकता है, उतनी ज्यादा फसल निकलेगी। ज्यादा खाद डालने के बाद खाद का उपयोग नहीं होता है। मैं उदाहरण के रूप में आप से कहना चाहता हूं, धनिये की फसल में हर साल खाद देकर पानी पिलाया जाता था, लेकिन इस साल धनिये की फसल में खाद नहीं दिया, पानी नहीं दिया, उसके बाद भी वह फसल अच्छी निकली है। जिसमें खाद भी दिया और पानी भी दिया, वास्तव में उसमें या तो कूकड़िया रोग लग गया या वह फसल नष्ट होकर उसका उत्पादन नहीं निकला। यह तो रासायनिक खेती की बात कर रहा हूं। जैविक खेती पर धीरे-धीरे किसानों को आना चाहिये। जब रासायनिक खेती की शुरूआत हुई थी तो किसान घबराता था कि इससे मेरी जमीन खराब हो जाएगी, जमीन का जो उपजाऊपन है वह खत्म हो जाएगा। आज वास्तव में ऐसी स्थिति आ गयी है कि जमीन बंजर होने लग गयी है। आज जमीन पर उत्पादन नहीं हो रहा है। बीमारियां जो फैल रही हैं उत्पादन से, जिसको अपन निजी जीवन में काम लेते हैं। चाहे वह गेहूं हो, चाहे वह सब्जियां हो, चाहे वह मसाले हों, उससे जो नुकसान होता है, वास्तव में आज जितनी सारी बीमारियां

(श्री नरेन्द्र नागर)

हैं उनका एक कारण है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जितना हम समर्थन करें जैविक खेती का, उतना कम है। खुद किसान होने के नाते अपने लिये जो गेहूं काम में लिया जाता है या सब्जियां काम में ली जाती हैं, निश्चित रूप से मैं जैविक खेती से जो गेहूं निकलता है, वही काम में लेता हूं। सब्जियों का जो स्वाद होता है, कितना बड़ा अन्तर होता है, अध्यक्ष जी, आप अच्छी तरह से समझते हैं, आप भी किसान ही हैं। जैविक खेती के अलावा किसानों को समर्थन मूल्य जो मिलना चाहिए, वास्तव में कितनी लागत किसानों की खेती में आती है, परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं- जहां पर नहर से सिंचाई होती है, वहां कम लागत आती है। कहीं ट्यूबवैल्स से सिंचाई होती है तो उस पर ज्यादा लागत आती है। ट्यूबवैल्स के अलावा अगर उसका कनेक्शन नहीं होता है तो उस पर ज्यादा लागत आती है। लागत के आधार पर किसानों को फसल का मूल्य मिलना चाहिए। प्राकृतिक आपदा भी पिछले लगातार 3 साल से देखी जा रही है, हर साल फसल तैयार होने की स्थिति में आती है और कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदा होती है। सरकार के द्वारा जो सहायता दी जाती है, वह सहायता का रूप होता है। एक किसान को एक बीघा में पिछले साल सरकार ने जैसे नौ हजार रुपये सहायता दी, पर एक बीघा में भी अच्छी खेती होती है तो पन्द्रह से बीस हजार तक किसान को बचता है। नौ हजार से उसका क्या होगा? किस प्रकार से वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकता है? वह सम्भव नहीं है। अच्छी खेती हो और भगवान साथ दे, तभी किसान का भला हो सकता है। पर किसान के साथ सरकार भी है और सरकार ने जिस प्रकार से प्रयास किया है, माननीय मुख्य मंत्रीजी भी चिन्तित हैं, माननीय कृषि मंत्रीजी भी चिन्तित हैं और पूरी सरकार लगी हुई है। दो दिन तक सब विधायकों को क्षेत्र में जाने के लिये कहा गया। किसानों की जो स्थिति इसने देखी, वास्तव में कुछ जगह ज्यादा ही नुकसान हुआ है। उसके लिये भी भरपाई की जा रही है।

(16.00 बजे)

एक जिस प्रकार से मनुष्य का बीमा होता है, ऐसा बीमा, चाहे बीमा की कॉस्ट ज्यादा हो पर किसान की फसल और खेत का बीमा हो। ऐसी स्थिति मैंने देखी है कि कहीं पर प्राकृतिक आपदा आती है तो एक खेत छोड़कर दूसरा खेत उसमें सुरक्षित रह जाता है और वह तबाह हो जाता है। ऐसी स्थिति भी अपन ने देखी है। जब तक अपन खेत को इकाई नहीं मानेंगे, किसान का भला नहीं हो सकता।

(श्री नरेन्द्र नागर)

समर्थन मूल्य की मैं पूर्व में चर्चा कर रहा था, व्यापारी अपना मूल्य खुद तय करता है। कोई भी फैक्ट्री होती है, उत्पादन करता है, उसका समर्थन मूल्य वह खुद तय करता है। लेकिन किसान का समर्थन मूल्य व्यापारी तय करते हैं। जब बोली लगती है किसान की उपज की, तब एक, दो और तीन करके बेचना है या नहीं बेचना है, यह कहकर उसको तीन कर दिया जाता है। जबकि वास्तव में उसकी लागत भी नहीं होती है। उसको तो माल बेचना होता है। इस प्रकार की व्यवस्था हो कि उसका मिनिमम प्राइस तय हो कि इससे कम में वह नहीं बेच सकता, तो ज्यादा भला किसानों का हो सकता है, क्योंकि हम सब किसान भी हैं और किसानों की वजह से आज विधान सभा में हैं।

स्टोरेज और वेयर हाउस, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। माल तैयार करने के बाद किसान की मजबूरी होती है, वह माल नहीं रख सकता। उसके खुद के रहने के लिए भी जगह नहीं होती है तो माल तैयार करने के बाद किसान माल कहां पर रखे? हर उप खण्ड स्तर पर, हर तहसील स्तर पर, वेयर हाउस की व्यवस्था हो ताकि किसान अपना माल रख सके। माल रखने के बाद उसको उस पर ऋण दिया जाए ताकि उससे वह अपना काम चला सके और जब फसल का अच्छा भाव हो, किसान अपना माल बेच सके ताकि किसान का भला हो।

माननीय प्रधान मंत्रीजी द्वारा जो अभी जमीन का मिट्टी का परीक्षण करने की शुरूआत पूरे देश में हुई।

श्री अध्यक्ष: आपसी चर्चा नहीं।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): राजस्थान से की गयी। वास्तव में किसान इतना आलसी होता है कि वह मिट्टी का परीक्षण करवाने के लिए कहीं तहसील स्तर पर भी नहीं पहुंचता है। कम्पलसरी होना चाहिए कि आपको मिट्टी का परीक्षण करवाना ही पड़ेगा। मिट्टी के परीक्षण से वास्तव में किसान को लाभ मिलता है। अपने कोई बीमार होता है तो वह फिजिशियन के पास जाना पसंद करता है। एम.ओ. से कोई दवाई लिखाना पसंद नहीं करता है। क्योंकि वह सोचता है कि जांच होगी तो मेरी बीमारी का कारण पता चलेगा। इसी प्रकार से खेत में भी किस प्रकार की फसल बोने से क्या फायदा, क्या कमियां हैं, उसकी पूर्ति करके यदि वह फसल बोएगा तो उसका उत्पादन ज्यादा अच्छा होगा, किसान की माली हालत ठीक होगी।

(श्री नरेन्द्र नागर)

पिछली बार माननीय कृषि मंत्रीजी ने इजरायल में यहां के किसानों को भेजा था यह देखने कि इजरायल में कम पानी होने के बावजूद किस प्रकार से खेती की जाती है। राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति है। पूरे देश का एक परसेंट यहां पानी है, इतने कम पानी में किस प्रकार की खेती की जाए, इस प्रकार का भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। फिर इजरायल या ऐसी जगह जहां पर वास्तव में पानी का अभाव है, वहां पर भेजना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को कम लागत में अच्छी उपज मिल सके।

सहकारिता के क्षेत्र में मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन, मध्यकालीन ऋण मिलता है, हर पंचायत स्तर पर सहकारिता का निर्माण होना चाहिए ताकि किसानों को कहीं दूर नहीं जाना पड़े। बहुत सारी पंचायतों की स्थिति ऐसी है जिनकी 15-15, 20-20 किलोमीटर की दूरी है। हर केन्द्र पर वह सहकारी दुकान हो तो वहां पर उसको समय पर खाद मिल सके। यूरिया खाद ऐसा होता है जिसको अपन तीन महीने या चार महीने पहले नहीं रख सकते। पहले यदि अपन उसको रखते हैं तो उसके डेले बन जाते हैं, वह खराब हो जाता है। तो स्टोरेज की व्यवस्था हो ताकि किसानों को समय पर खाद मिल सके और समय पर किसानों को ऋण मिल सके।

साथ ही मैं पशुपालन के लिए भी कहना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): किसानों और पशुपालकों का दोनों का आपस में सामंजस्य है। जिसके खेती है वह पशुपालन भी कर सकता है। डेयरी को प्रोत्साहन देना चाहिए। किसानों पर प्राकृतिक आपदा आए और डेयरी से यदि किसान जुड़ता है तो उससे भी उसकी आजीविका को लाभ मिल सकेगा, किसानों की माली हालत अच्छी हो सकेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब आपने घंटी बजा दी, धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री शुभकरण चौधरी। दस मिनट, कृपया सूत्र में बोलिए। आप तो अध्यापक हैं। (व्यवधान)

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 37-कृषि, मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा एवं मांग संख्या 36-सहकारिता पर आपके आदेश से किसानों की वेदना को प्रकट करना चाहता

(श्री शुभकरण चौधरी)

हूं और आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री केसारामजी चौधरी की अनुपस्थिति में जो दस मिनट आपको बचे हैं, वे भी मुझे ही मिल जाएं।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, यह नहीं। पार्टी का होता है टाइम। दस मिनट बोलो आप तो, दस मिनट।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान तौलता नहीं, मौलता नहीं, किसान बोलता नहीं।

श्री अध्यक्ष: हां, यह है असली बात।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): चौधरी सर छोटू राम जी किसानों के महान नेता थे, मसीहा थे, एक बात उनके दिल में चुभी और उन्होंने बहुत बड़ी समस्याओं को उजागर करते हुए किसान से कहा कि अपनी बात को बोलना शुरू कर, अपनी वस्तु का मूल्य तय करना शुरू कर, अपनी चीजों, जिंसों का भाव शुरू करना तय कर। पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, बावले किसान की किस्मत में उसका तोलना और मोलना तो लिखा नहीं था। तोल और मोल तो 200 लोग यहां पर जो बैठते हैं, ये निर्धारित करवाते हैं कि किसान की जिंस का, कृषि का मूल्य क्या होगा? उसका तोल क्या होगा? उसका मोल क्या होगा? उसने सोचा कि दो चीजें मेरे बस में नहीं, पर बोलना तो शुरू करूं। उसने बोलना शुरू किया, पर तोलना-मोलना शुरू नहीं किया तो सर छोटू राम ने फिर एक बात कही कि मेरे किसान बावले, दो बातें जान ले। बोलना ले सीख और दुश्मन को पहचान ले। बोलना उन्होंने शुरू किया। बोलना शुरू किया इसीलिए तो बहुत-से लोग आज किसानों की बदौलत, और किसान के बेटे हैं, आपके सामने बैठे हैं, जिनमें आप भी शामिल हैं। पर वह एक गलती कर गया। उसने सोचा कि सीमाओं पर जो दूसरे देश आक्रमण करते हैं, वे ही मेरे दुश्मन हैं। वह सीमाओं पर जाकर लड़ने लग गया। अपनी औलाद को सैनिकों के रूप में वहां पर भेजने लग गया। उसकी किस्मत यह बन गयी पर वह दुश्मन को नहीं पहचान पाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दुश्मन उसका कौन था, वह उस बात को जान नहीं पाया। जो उसके हित-हक की बात नहीं करता, जो उसके हक-हकूक की बात नहीं करता, उसकी जिंस का कृषि मूल्य तय नहीं करता, दुश्मन तो वह था। पर वह पहचान नहीं पाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं और कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन

(श्री शुभकरण चौधरी)

करना चाहता हूं कि किसानों की हालात अगर यही रही, उनकी जिंसों का मूल्य अगर हम लोगों ने निर्धारित नहीं किया, समर्थन मूल्य अगर उनको देना शुरू नहीं किया और जिस तरह से धन्ना-सेठों की फैक्ट्रियों का आप बीमा करके पैसा देते हो, उसी प्रकार से किसान की फसल का मूल्य देना तय नहीं किया, किसान को अगर आपने सुरक्षित नहीं रखा तो वह दिन दूर नहीं कि सुरक्षित हम भी नहीं रह पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को स्वामीनाथन समिति की अभिशंसा के अनुसार फसलों का समर्थन मूल्य मिले। उसमें साग-सब्जी, फूल, हरी-सब्जियां और पशु-धन, हरेक चीज शामिल होनी चाहिए। चाहे वह बागवानी का क्षेत्र हो, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, सब चीजों का समर्थन मूल्य तय होना चाहिए, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके पशु-धन का, उसके घर परिवार का बीमा भी अनुदानित प्रीमियम दर पर लागू होना चाहिए। वर्ना तो जो सीमाओं पर दुश्मन का सीना चीर कर और धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करके इस पूरी पृथ्वी पर रहने वाली अवाम का पेट भरता है, उस किसान का पेट अगर खाली रह जाएगा। ऐसे किसान का, जो अपनी फसल को जब बोता है तो सबसे पहले कहता है, चींटी का देना, मकोड़े का देना, गरीब का देना, फकीर का देना, अमीर का देना और कुछ बच जाए तो मुझे भी देना। वह किसान कभी यह न कहने लग जाए कि पूरी दुनिया को छोड़कर पहले मुझे दो क्योंकि मेरा पेट भूखा है। वह यह कहने की स्थिति में न आ जाए इसलिए हमें किसान की चिन्ता करनी ही चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दु:ख के साथ किसान की चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। यह घर किसानों का है और वह कहता है कि भरे घर में यह रोना है हमारा, नहीं है इस घर में कोई कोना हमारा। नहीं है यह मसला दो-चार दिन का, यह अपने आपको ढोना हमारा। हमें तो यह भी नहीं मालूम कि हम हैं। अजब है यह होना, यहां होना हमारा। किसान की चिन्ता हम न करें तो हमारा यहां पर होना या न होना, मैं तो व्यक्तिशः अपना कह सकता हूं- किसान का बेटा हूं, खेती करते-करते आपके बीच में पहुंचा हूं किसान की चिन्ता न करेंगे तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्र सुरक्षित न रह पाएगा, यह जमीन सुरक्षित नहीं रह पाएगी, भारत माता की यह धरा सुरक्षित नहीं रह पाएगी। इस वसुन्धरा को अगर स्वर्ग बनाना है तो किसान के बारे में चिन्ता करनी ही होगी।

(श्री शुभकरण चौधरी)

मैं आपको सूत्रों की बात करना चाहता हूं। झुंझुनूं जिले में मिट्टी व पानी की जांच हेतु मात्र दो ही प्रयोगशालाएं हैं। झुंझुनूं की प्रयोगशाला में तकनीकी कर्मचारियों के छह पद स्वीकृत हैं जिनमें मात्र दो कर्मचारी हैं इसलिए किसानों की मिट्टी व पानी की जांच होना सम्भव नहीं है, यथा-शीघ्र ये पद भरे जाएं। चिड़ावा में प्रयोगशाला में कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है। बड़े दु:ख के साथ आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कह रहा हूं कि सरकार चिड़ावा प्रयोगशाला को पी पी पी मोड पर जो देना चाहती है, वह विचार निरस्त करे। इसमें एन जी ओ के माध्यम से अगर आप जांच करवाएं तो किसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वहां सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए।

अध्यक्ष महोदय, पाइप लाइन, फव्वारा सैट, आदि कृषि यंत्रों पर अनुदान देने का जो लक्ष्य है, उसको बढ़ाकर बजट में प्रावधान किया जाए। झुन्झुनूं जिले में खेतों के चारों तरफ आवारा पशु, बछड़े जिनको हम राठा कहते हैं, उन्होंने इस कदर भंयकर तूफान मचा रखा है कि किसान का परिवार अगर रात को चौकीदारी नहीं करे, दिन में बिजली से पानी पिलाए, रात को चौकीदारी नहीं करे तो उसकी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिये चारों तरफ तारबंदी करने का काम हो, किसान को उसमें मुआवजा दिया जाए और मैं तो कहता हूं कि नरेगा के माध्यम से उस काम को करवाया जाए।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ की तरह रबी पर प्रारम्भ की जाए। अभी तक झुन्झुनूं जिले में बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार के समय में ऐसा घटिया बाजरा दिया गया, अध्यक्ष महोदय, कि किसान पूरे साल त्राहि-त्राहि करता रहा और बाजरे का दाना भी खेत में उगा नहीं। इस प्रकार के बीजों की गुणवत्ता को मंत्री महोदय सुधारेंगे, इस प्रकार का इनसे निवेदन करना चाहता हूं। इसलिये झुन्झुनूं में बीज निगम की एक यूनिट खोलकर उसका कार्यालय खोला जाए। उद्यान का कार्य करने के लिये किसानों को सोलर पम्प पर अनुदान 86 प्रतिशत मिलता था, इस वर्ष इसको 70 प्रतिशत किया गया है। आम किसान के लिये सोलर पम्प लगाना बहुत मुश्किल है इसलिये, मंत्री महोदय, इस अनुदान को पूर्व की भांति 86 प्रतिशत ही रखा जाए और बजट में लक्ष्य बढ़ाया जाए। इस बार झुन्झुनूं में 446 पत्रावलियां इसके लिये जमा हुई थीं, जबकि लक्ष्य 197 रखा गया था, इसको

(श्री शुभकरण चौधरी)

शत-प्रतिशत रखते हुए उन पत्रावलियों को स्वीकृति हेतु बजट आबंटित किया जाए।

झुन्झुनूं जिले में उदयपुरवाटी नवलगढ़ में सब्जी की बहुत बड़ी मंडियां हैं, बहुत सब्जियां पैदा होती हैं। इसलिये वहां एक सहायक निदेशक का पद जिसका मुख्यालय उदयपुरवाटी में हो, खोला जाए। मौसम विभाग ने तहसील स्तर पर मौसम नाप यंत्र लगा रखा है उसको गिरदावर सर्किल पर लगाया जाए। उक्त यंत्र के आंकड़े सीधे हैदराबाद जाते हैं, किसानों को उसका कोई पता नहीं चलता। ये आंकड़े जिला स्तर पर संग्रहित किये जाएं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत है बास-बिसना जिसमें 1956 में 72 हैक्टेयर भूमि में सरकार द्वारा बीज उत्पादन और कृषि कार्य के लिये एक फार्म शुरू किया गया था। पता नहीं किन कारणों से उसे पहले तो कृषि कार्य के लिये बंद किया गया, बाद में उद्यान विभाग को देकर फल-पौधशाला प्रारम्भ की गयी थी, उसको बंद कर दिया गया। उसमें लगभग 20 हैक्टेयर भूमि पर राज्य सरकार व इजरायल सरकार ने मिलकर खेती का काम शुरू किया था, आज वह भी बंद कर दिया गया है। अब वह भूमि बंजर पड़ी है। या तो उक्त भूमि को बीज निगम को देकर उन्नत किस्म का बीज तैयार करवाया जाए या फिर उद्यान विभाग द्वारा कृषि विद्यालय की तर्ज पर फल-पौधशाला तैयार करवाकर समूचे राजस्थान में किसान को देकर फायदा पहुचाएं और बजट में इसका प्रावधान करें।

अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी कृषि मंडी का चेयरमैन रहा हूं, कृषि मंडी के बोर्डों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। गुजरात की तर्ज पर कृषि मंडी के बोर्ड को मजबूत किया जाए और उसको अधिकार सम्पन्न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, गुढा-गौड़जी में पिछले बजट में माननीय मंत्री महोदय ने एक कृषि मंडी स्वीकृत की थी। जिला कलक्टर महोदय से हमने भूमि का आबंटन करवा दिया है। उस पर भवन निर्माण के लिये तुरन्त बजट में प्रावधान किया जाए और मैं तो निवेदन करूंगा कि इसकी घोषणा आज ही की जाए।

सहायक कृषि अधिकारियों व कृषि पर्यवेक्षकों के अधिकांश पद रिक्त पड़े हैं। एक कृषि पर्यवेक्षक के पास 5 से 10 तक ग्राम पंचायतों का चार्ज है, जिससे उसका ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पर मिलना बहुत मुश्किल है। वह

(श्री शुभकरण चौधरी)

किसान के हित की कोई बात कर नहीं पाता। अत: प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक नियुक्त किये जाएं, ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

मैं हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सूत्रों में ही बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, आप देखते हो तो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, बोलिये-बोलिये। दो मिनट बाकी हैं आपके अभी।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): खरीफ की फसलों में हमारी सरकार का उत्पादन बढ़ा है। कांग्रेस की सरकार में अनाज 62.53 लाख पैदा हुआ था जबकि हमारी सरकार के समय में 2014-15 में 68.16 लाख हमने उत्पादन किया है। दलहन 60.73 लाख टन की एवज में हमने 89.02 लाख टन पैदा की है। खाद्यान्न में 70.26 की एवज में 77.18 लाख टन हमने पैदा किया है। तिलहन 22.11 की एवज में 24.01 लाख टन हमने पैदा किया है। कपास 12.87 की एवज में 14.44 लाख टन पैदा किया है। किसान इस बात के लिये धन्यवाद का पात्र है। साथ ही हमारी सरकार इस बात के लिये धन्यवाद की पात्र है कि उन्होंने किसान की मदद की, इसलिये ऐसा सम्भव हो पाया।

भारत सरकार ने राजस्थान के लिये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 2014-15 में 812.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, कांग्रेस की सरकार उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर पायी। 72 करोड़ रुपये तो जमा ही रह गये, जिनको खर्च ही नहीं कर पाये। हमारी सरकार ने उस पैसे को वापस लिया है, वह पैसा लैप्स नहीं किया और किसान के लिये उस पैसे को खर्च करने का हमने तय किया है।

राजीव गांधी कृषक साथी योजना में अभी चर्चा कर रहे थे माननीय सदस्य कि एक लाख से आपने मात्र दो लाख बढ़ाया। लगातार 55 साल तक आप 50 हजार रुपये किसान को दे रहे हो, मैं तो हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उस राशि को दो लाख रुपये तय किया है। सरकार वाकई धन्यवाद की पात्र है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इसी तर्ज पर, अध्यक्ष महोदय, दो-एक विभाग और हैं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं काम की बात बताऊंगा जो हमारे मंत्रीजी के और हमारी सरकार के काम आएगी।

श्री अध्यक्ष: सभी काम की बात कर रहे हैं। काफी बोलने वाले हैं।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि किसान का जो बीमा आपने तय कर रखा है खेती के समय मृत्यु होने पर, उसी प्रकार किसान के पशुओं की भी राशि तय होनी चाहिये कि पशु का भी कोई मुआवजा मिले। अध्यक्ष महोदय, अब मैं पशुपालन और चिकित्सा विभाग पर निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में। एक मिनट।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): पढ़ तो दूं, इनके काम की बातें लिखी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर दे दो।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): भाषण नहीं दूंगा, सिर्फ पढूंगा।

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर दे दो न।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): झुन्झुनूं जिले में पोली-क्लिनिक बहुद्देशीय चिकित्सा प्रारम्भ किये दो वर्ष हो गये, भवन बनाने का बजट दिया जाए। झुन्झुनूं जिले में पंचायत समिति स्तर पर मेडिकल विभाग की भांति पशुपालन विभाग में भी प्रशासनिक कार्य व आहरण वितरण का कार्य माडल जोन में किया जाना चाहिये। पशु चिकित्सा इकाई में आप अनुभवहीन डाक्टरों को रखते हैं। जो नये डाक्टर हैं, उनको आप गांवों में भेजें और उसमें पांच से सात साल तक के अनुभव वाले डाक्टरों को लगाया जाना चाहिये। मोबाइल यूनिट वहां जाती हैं जहां गम्भीर बीमारियां होती हैं, अनुभव वाले डाक्टर वहां अच्छा इलाज कर सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: आपका भाषण अब इनको लिखा हुआ दे दीजिये। श्री नवीन पिलानिया।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मेरी मात्र कोआपरेटिव शेष रह गयी, दो-तीन बातें बता दूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, अब आप लिखकर दे दीजिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, बस केवल पांच लाइनें बोलूंगा आपके सामने। दो मिनट और दीजिये।

श्री अध्यक्ष: अच्छा हां, पांच लाइन बोल लीजिये। दो मिनट नहीं, पांच लाइनें बोलिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): सरकार द्वारा दिसम्बर, 2014 तक 3454 सेवा केन्द्रों पर मनी-बैंक शुरू किये गये हैं, पर मैं चाहता हूं कि हरेक केन्द्र पर शुरू किये जाएं। दिसम्बर, 2014 तक 13 हजार 311.83 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त फसली वितरण ऋण वितरण कर पूरा वर्ष होने तक पिछले 65 साल की उपलब्धियों को हम पार कर लेंगे, जो महान उपलब्धि है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, कोआपरेटिव सैक्टर में चुनाव जो होने जा रहे हैं, उनमें भी पंचायत राज की तर्ज पर महिलाओं का 50 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: बस अब खत्म कीजिये।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): शिक्षा की अनिवार्यता लागू होनी चाहिये। फसली ऋण सीमा 5 लाख रुपये तक होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप ऐसे नहीं। आप लिखकर दे दीजिये। 10 मिनट के बजाय 13 मिनट ले लिये आपने।

श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): 9 मिनट हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। नवीन पिलानिया। आप भी 10 मिनट बोलेंगे।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कृषि और सहकारिता की मांगों पर कुछ चर्चा करना चाहूंगा। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि कृषि विभाग किसके पीछे है। कृषि कृषक के पीछे है, करषा के पीछे है, उस किसान के पीछे है? आज मुझे चिन्ता इस बात की है, अध्यक्ष महोदय, जब यह किसान ही नहीं रहेगा तो इस कृषि विभाग का हम क्या करेंगे? आज जो हालात हैं, मुझसे पहले बहुत चर्चा हो चुकी। किसान के जो हालात हैं, जिसे हम अन्नदाता कहते हैं, वह अन्नविहीन हो गया है। अध्यक्ष महोदय, उसके पास अन्न ही नहीं बचा है, वह देगा क्या? वह तो खुद कर्ज में डूब चुका है। आज भारतवर्ष में 42 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, धरती पुत्र किसान इस धरती को चीरकर अपने पसीने से सिंचाई करता है, चंद दाने उसको मिलते हैं, उन दानों को भी रामजी की नजर लग जाती है और राम रूठ जाता है। लेकिन यह तो राज है, राज जनता बनाती है। राज का कर्तव्य बनता है। अध्यक्ष महोदय, मिनिमम सपोर्ट प्राइस केवल 8 प्रतिशत किसानों को मिलता है। अचम्भे की

(श्री नवीन पिलानिया)

बात यह है, अध्यक्ष महोदय, कि आज खेती मौत की फसल बनती जा रही है। उसकी लागत इतनी है और जो उसे मूल्य मिलता है, उसमें इतना अन्तर है कि हर साल किसान घाटे की खेती करता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक ऐसा उदाहरण बताइये, यह सदन से पूछता हूं कि कोई उद्योगपति हो, कोई बिजनसमैन हो जो निरन्तर घाटा खाता हो। कोई ऐसा उत्पाद बनाता हो जिसमें साल दर साल उसे घाटा मिलता हो। कोई ऐसी चीज बेचता हो जिससे हर साल उसे घाटा लगता हो। वो तीन साल में बंद करके दिवालिया निकालकर चला जाता है। किसान पीढ़ी दर पीढ़ी घाटे की खेती कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, हालात ये बन गये हैं कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। 2013 का आंकड़ा बताता है कि 11744 किसानों ने आत्महत्या कर ली। शर्म की बात है, अध्यक्ष महोदय, अत्यन्त शर्म की बात है, सोचना होगा। मैं जानता हूं आप मुझे ज्यादा समय नहीं देंगे। मैं मुख्य चीज पर आता हूं।

इस वक्त हर तरफ यह चर्चा हो रही है क्योंकि किसान की फसल बर्बाद हो गयी है। मुआवजे की घोषणा हो गयी जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कृषि मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आप पहले भी कृषि मंत्री रहे हैं, 15 साल हो गये पूरे देश में और राजस्थान में किसान की फसल की बीमा योजना लागू हुए और 15 साल में 30 रबी और खरीफ के फसल के चक्र निकल गये, क्या कारण है कि आज दिन तक उसे उसके बीमा का लाभ नहीं मिलता है? मैं उदाहरण देना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, उससे पहले इतना और बताऊं कि राजस्थान की जो स्टेट जी.डी.पी. है स्थिर कीमतों पर, उसमें कृषि का योगदान 19.43 है। माननीय कृषि मंत्री महोदय, और ग्रोथ स्टेट जी.डी.पी. में जो प्रचलित कीमतें हैं, उसका प्रतिशत 27.52 है और स्टेट प्लान आउटले में कृषि को 6 प्रतिशत। 27.52 जिसका योगदान हो उसको 6 परसेंट प्लान आउटले में दिया जाता है, इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता। बिजली, ऊर्जा जिसमें घाटा ही घाटा है, मुख्य मंत्री खुद बता चुकीं, 75 हजार करोड़ का घाटा है, उसको 19.63 प्लान आउटले दिया जाता है। कमाल है, अध्यक्ष महोदय। मैं फसल बीमा की बात कर रहा था, उसका लाभ क्यों नहीं मिलता है?

मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, स्टेटवाइज जो स्टेटिस्टिक्स हैं, 99-2000 से चालू होकर खरीफ, 2012 तक के जो आंकड़े हैं स्टेट्स के, एक

(श्री नवीन पिलानिया)

उदाहरण देकर यह बताना चाहता हूं कि इसमें गड़बड़ कहां हो रही है। गुजरात में इस पूरे दरमियान रकबा इंश्योर किया गया, एरिया इंश्योर्ड था 30505 हजार हैक्टेयर, राजस्थान में उससे ज्यादा एरिया हुआ, 31380 हजार हैक्टेयर। और गुजरात में जो बीमित राशि थी इसी रकबे की वो थी 35369 करोड़ और, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रकबा ज्यादा था, उसकी आधी राशि, 16203 करोड़। कृषि मंत्री महोदय, आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं। गुजरात में दुगनी राशि इंश्योर की गयी, हम से उनका रकबा कम था। अध्यक्ष महोदय, जो गुजरात में क्लेम पास हुए वो 6492 करोड़ के हुए और राजस्थान का आंकड़ा बताऊं, 2621 करोड़ रुपये। गुजरात का रकबा कम, गुजरात की जो फसल इंश्योर हुई वो हम से दुगनी, 2.8 टाइम्स और जो गुजरात को क्लेम मिला वो हम से ढाई गुना ज्यादा क्लेम मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है क्योंकि इसी कारण से राजस्थान के किसान को लाभ नहीं मिलता है।

अब मैं वो आंकड़े नहीं बता रहा हूं, मैं दूसरे आंकड़ों पर आता हूं। खेल कहां होता है? खेल यहां होता है मोटा। खेल मोटा यह होता है कि जो नोटिफिकेशन निकलता है, मैंने पढ़ा सहकारिता विभाग के बारे में कि उनका क्या कहना है। वे तो चार लाइन लिखकर फसल बीमा से मुक्त हो गये। तो वहां झंझट खतम हो गया। ये लिखते हैं, इस हेतु राज्य सरकार के कृषि विभाग द्वारा अधिसूचना के जरिए बीमा कम्पनी का चयन, संसूचित फसलें, प्रीमियम दरें आदि बिन्दुओं का निर्धारण किया जाता है। सब चीज कृषि विभाग करता है। अब, अध्यक्ष महोदय, खेल कहां है? यह अभी की, 11.3.2015 की जिला स्तरीय तकनीकी कमेटी की बैठक का हवाला दे रहा हूं, कास्ट आफ कल्टीवेशन और स्कोप आफ फाइनेन्स जो फसली ऋण दिये जाते हैं, उसकी ताजा बैठक है, साहब, जरा उसकी राशि आपको बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़ा प्रति एकड़ है। माननीय कृषि मंत्री महोदय, प्रति एकड़ गेहूं के लिए 21 हजार रुपये, जौ के लिए 16700 रुपये प्रति एकड़, सरसों के लिए 13300 रुपये प्रति एकड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, एकड़ जो होता है उसका ढाई गुना एक हैक्टेयर होता है, एक एकड़ में चार हजार स्क्वायर मीटर होते हैं। क्यों, माननीय मंत्री महोदय, कहीं गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो ढाई गुना। अब जब गेहूं एक एकड़ में 21 हजार की कास्ट है तो प्रति हैक्टेयर 52500 रुपये बनती है, अध्यक्ष महोदय, और ये जो बीमा करते हैं ये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से तय

(श्री नवीन पिलानिया)

करते हैं। पिछले साल भी यही दर थी, 21 हजार ही थी। जो बैठक हुई थी 3.2.2014 को, तब भी 21 हजार थी। अध्यक्ष महोदय, पर हैक्टेयर 52500 रुपये गेहूं का बना और बीमा क्या किया, 17600 रुपये। 17600 रुपये, मजाक नहीं है क्या, अध्यक्ष महोदय। किसान को कहां से मिलेगा, मुझे आप यह समझा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, आप एक नयी कार निकालकर ले आएं। मान लीजिए, वो कार 9 लाख की है और बीमा कम्पनी जब बीमा करने आये, वो बोले कि मैं तो इसकी तीन लाख की लागत का बीमा कर देता हूं। अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, फिर उस बीमा से आपको क्या मिल जाएगा, यह जरा मुझे बता दीजिएगा। यह घोर अन्याय है, राजस्थान के किसान के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। मैं आपको जौ का मजा बताता हूं। जौ का 16700 रुपये एकड़ के हिसाब से बनता है 41750 रुपये प्रति हैक्टेयर, कृषि मंत्री महोदय, पर आप क्या देते हैं? आपने उसका बीमा करा दिया 11 हजार रुपये प्रति हैक्टेयर। क्या मिलेगा उसको? उसको कभी मिल ही नहीं सकता। इसीलिए मिलता नहीं है। इसी कारण से, अध्यक्ष महोदय, सालों साल से बीमा कम्पनियां किसानों के करोड़ों रुपये लूटती जा रही हैं। और लूट सरकारों से बंद नहीं होती। पिछली सरकार निकल गयी, उससे पहले माननीय कृषि मंत्री स्वयं थे, अब भी इनको आये हुए तीन फसल चक्र निकल चुके हैं। मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, इस चीज में सुधार होना चाहिए। मैं आपको जरा सरसों का आंकड़ा बताऊं? सरसों का आंकड़ा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दंग रह जाएंगे। (समय-समाप्ति सूचक घंटी) जी, हुकम, अभी दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: हां, दो मिनट और।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): 13300 रुपये एकड़ था, जो हैक्टेयर था...(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): साहब, पांच मिनट दे दो इनको, यह अच्छी बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बड़ी मेहरबानी, साहब।

प्रति हैक्टेयर बना 33250 रुपये और किसान का बीमा कराया 9350 रुपये। कैसे होगा? वो किसान क्या करेगा? अध्यक्ष महोदय, मैं अचम्भा करता

(श्री नवीन पिलानिया)

हूं। यह बहुत गम्भीर विषय है, मैं यह नहीं कहना चाहता, लेकिन आइन्दा अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो जरूर मैं कृषि मंत्री महोदय से इस्तीफे की मांग करूंगा। आगे के लिए सुधार लीजिएगा, अब खरीफ का पैसा कटने वाला है। अप्रैल से चालू हो जाएगा, शायद जुलाई या अगस्त तक उसका देना है। इस पूरी चीज को पारदर्शी क्यों नहीं बनाते?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप दोनों साफे वाले हो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): हुकुम, मैं तो साफा भी निकालने को तैयार हूं अगर आप किसान के लिए कुछ करने को तैयार हो तो।

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, इस्तीफा मांग लिया तब कहा है कि दोनों साफे वाले हो।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, अभी नहीं मांगा है। आइंदा नहीं हुआ तब की बात कह रहा हूं। मैं गैरवाजिब बात नहीं करता। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और अचम्भा है।

श्री अध्यक्ष: अब यह अचम्भा बता दीजिए बस।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): इसमें शुरू में एक ही इंश्योरेंस कम्पनी थी जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, आल इंडिया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी। अब दुनिया भर की प्राइवेट कम्पनियां आ गयी हैं। मेरे पास वह आंकड़ा नहीं है, दो-तीन जिलों को छोड़कर उस कम्पनी के अलावा बाकी सारी प्राइवेट कम्पनियों को जिले दे दिये गये हैं। कौन बांटता है? कौन करता है?

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी। अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, Let me just conclude, my dear sir.

श्री अध्यक्ष: कनक्लूड कर लिया आपने। साफा उतारकर कनक्लूड कर लिया आपने।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): नहीं, नहीं, मैंने वह तो किसानों के लिए रखा था। एक मिनट। एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, एक मिनट। संजनाजी, विराजिये, एक मिनट।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): दूसरा बिन्दु इसके अन्दर यह है कि माडिफाइड जो क्राप इंश्योरेंस है उसमें ओलावृष्टि ही कवर नहीं होती है। तो ऐसी चीज को लागू क्यों करते हैं आप जिससे ओले पड़ जाएं वह कवर नहीं

(श्री नवीन पिलानिया)

होगा? दूसरी चीज औसत उपज, जोखिम को 90 प्रतिशत भी आप लेते हो तो गारंटीड उपज की बात करते हैं, 10 परसेंट का नुकसान अगर किसान को हो जाए तो वह गारंटीड उपज में ही खत्म हो गया।

श्री अध्यक्ष: हो गयी बात।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): अब सिर्फ इतनी-सी बात, एक बात और मैं सहकारिता मंत्री साहब से नजर कर दूं क्या?

श्री अध्यक्ष: अब नहीं। संजना आगरीजी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): सिर्फ एक ही, एक ही। आधा सैकण्ड, आधा मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): एक बड़ी जरूरी बात है किसानों की। 30 सैकिण्ड में खतम कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: सब जरूरी हैं आपकी। एक से एक जरूरी हैं।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बस 30 सैकिण्ड में। माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, फसल ऋण के अलावा जो आप ऋण बांटते हो, आप 2 लाख का ऋण देते हो तो उसकी 50 लाख की जमीन गिरवी रख लेते हो। वह जब आपके रहन चढ़ गयी, जमाबंदी में उसका नोट डल गया, फिर 3 साल बाद में उसे क्यों रिन्यू कराते हो? क्या कारण है? वह जमीन आपके पास पड़ी हुई है, आपके पास रहन पड़ी हुई है, हाइपोथिकेशन हुआ है। वह पूरी फाइल दुबारा बनाता है, उसके पास कई चार्जेज लेते हो। वह दर-दर भटकता है।

श्री अध्यक्ष: बस।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): वकील हजार रुपये लेते हैं। किसलिए लेते हो, यह तो मुझे जवाब बताओ।

श्री अध्यक्ष: आपका बिन्दु आ गया। संजना आगरीजी।

श्री नवीन पिलानिया (आमेर): बहुत-बहुत मेहरबानी आपकी, अध्यक्ष महोदय। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपका समय है। संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र सोजत से आती हूं, वहां पर विश्वस्तरीय मेहंदी का उत्पादन

(श्रीमती संजना आगरी)

होता है, जो मेहंदी नारी के सोलह श्रृंगार और शगुन में सबसे पहले काम आती है। पूरे विश्व में मेहंदी के उत्पादन का कृषि कार्य पाली जिले के सोजत विधान सभा क्षेत्र की सोजत तहसील में 23 हजार हैक्टेयर में, रायपुर, जैतारण और मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में होता है जिसका कारण वहां की जमीन और जलवायु का आपस में मेल होना है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेहंदी एक ऐसी फसल है जिसको बार-बार उगाने की, बोने की जरूरत नहीं है। एक बार पौधा लगाने के बाद में कई बार उससे फसल ले सकते हैं। मेहंदी के कृषि कार्य के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है जिसका कारण है मेहंदी का प्राकृतिक रूप से उत्पादन होना। बारिश के पानी से ही इस पूरी फसल का उत्पादन हो जाता है। मेहंदी की फसल में खाद, बीज, फर्टिलाइजर व बिजली की आवश्यकता नहीं होती है। अब तक मेहंदी की खेती परम्परागत तरीकों एवं संसाधनों से ही होती आयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेहंदी एक हर्बल औषधि उत्पादन है जो शरीर के लिए भी उपयोगी है। इसके उत्पादन से मंडी को सालाना शुल्क की जो आय प्राप्त होती है, वह मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारे यहां पर 'ए' क्लास की जो मंडी है, उस मंडी में 2008-09 के अन्दर 2 करोड़ 1 लाख 55 हजार रुपए आय हुई जिसमें गौण मंडी भी शामिल है। लेकिन कृषि मंडी से जो शुल्क प्राप्त होता है उसकी राशि अधिकतर है। जैसे मैं 2010-11 का आंकड़ा आपके सामने पेश करूंगी तो 4 करोड़ 9 लाख 8 हजार रुपए सालाना और वर्ष 2014-15 का आंकड़ा मैं बताऊंगी तो 2 करोड़ 74 लाख 55 हजार रुपए सालाना आय प्राप्त होती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो आंकड़े बताये वह आय प्राप्त होती है। इकोनोमिकल दृष्टि से पूरे सोजत विधान सभा क्षेत्र का जो काम है, वह मेहंदी व्यवसाय का ही है, चाहे इंडस्ट्रियल हो, चाहे किसानों का काम हो। इसके बावजूद भी मेहंदी के पौधे को पकी जिंस में नहीं लेकर कंटीली झाड़ियां व सौंदर्य प्रसाधनों में माना गया है जो एक लग्जरी वस्तु की श्रेणी में आता है। मेहंदी की खेती व उद्योगों पर हजारों, लाखों परिवार जीविकोपार्जन के लिए आधारित हैं। यही नहीं, मेहंदी को पाउडर बनाकर विश्व के कई देशों में और राज्यों में निर्यात किया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आधुनिकता के इस युग में नौजवान पीढ़ी के खेती में रुचि नहीं रखने के कारण किसानों के सामने यह भारी समस्या

(श्रीमती संजना आगरी)

उत्पन्न हो रही है। मेहंदी के कृषि कार्य में आज तक किसी भी तरह की कृषि मशीनों का आविष्कार नहीं होने की वजह से सारा काम मजदूरों से ही होता है और मजदूरों की संख्या भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में आज भी कम है जिसकी वजह से किसानों को 4 गुणा मजदूरी लगभग 1500 से 2000 रुपये प्रति दिन देनी पड़ती है। जिसके कारण किसानों को फसल अच्छी होने के बावजूद भी अपनी लागत मूल्य से आधी कीमत पर फसल बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि जिंस में मेहंदी को नहीं लेने के कारण किसानों को फसल बीमा से वंचित होना पड़ रहा है और न ही इसके समर्थन मूल्य की आस रहती है। मेहंदी की फसल अति संवेदनशील होने की वजह से मेहंदी काटते समय हलकी बारिश भी अगर हो जाती है तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। मेहंदी पकने के बाद जब किसान काटने के लिए अपने खेत में जाता है, अगर दुर्भाग्य से पुरवाई हवा चल जाती है तो सारी की सारी फसल खेत में ही झड़ जाती है और किसान को मेहंदी का एक पत्ता भी हाथ नहीं लगता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज दिन तक कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा मेहंदी की अच्छी व उन्नत फसल के लिए किसी तरह का शोध व अनुसंधान नहीं हुआ है। प्राकृतिक आपदा में भी किसी तरह की सरकारी मदद या मुआवजा नहीं मिलता है। मैं हमारी माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी और हमारे माननीय कृषि मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं, पूर्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 2004-05 में तो हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने कृषि मंडी सोजत को 2 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए देने की घोषणा की थी। उसका विकास कार्य करवाया, इसका निश्चित रूप से किसानों को बहुत बड़ा फायदा मिला। इसके लिए धन्यवाद देती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगी कि किसान जब मेहंदी की फसल कृषि मंडी में बेचने हेतु लेकर आता है तो टिन शेड की कमी के कारण कई बार उसको खुले में रखना पड़ता है जिससे भीगने का डर रहता है। उसकी गुणवत्ता में कमी की वजह से किसान को कम मूल्य मिल पाता है। माल भण्डार के लिए बने गोदाम हैं वे उत्पादन की क्षमता के अनुरूप कम हैं। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि इसके लिए भी आप व्यवस्था कराएं।

(श्रीमती संजना आगरी)

पिछले 40 वर्षों में नये औद्योगिक क्षेत्र का चयन व घोषणा नहीं हो पायी। नये औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा नहीं होने के कारण बड़ी औद्योगिक इकाइयों का रुख पलायन की ओर बढ़ रहा है जिसके कारण यहां व्यापार और रोजगार के साधन धीरे-धीरे खत्म होने के कगार पर हैं।

मेहंदी एक प्राकृतिक कृषि उत्पाद होने के बावजूद मेहंदी व्यापारियों को मेहंदी निर्यात करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेहंदी व्यापारियों को सौंदर्य प्रसाधन के लिए विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। यह लाइसेंस लेते ही केन्द्रीय उत्पाद शुल्क द्वारा मेहंदी को कास्मेटिक उत्पाद के दायरे में लेकर उत्पाद शुल्क की मांग की जाती है जो कि मेहंदी व्यापारियों के साथ में अन्याय है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले कई वर्षो से कुछ मेहंदी के दलाल व अवांछित लोग किसानों के घरों से मेहंदी खरीदकर उसमें रेत, बजरी, कंकर, पत्थर आदि मिलावट करके मेहंदी वितरण का कार्य कर रहे हैं। छोटे काश्तकार मेहंदी का उत्पादन करते हैं उनको उसका नुकसान उठाना पड़ता है। इनको साफ करके बेचने की सुविधा उपलब्ध करवायी जाए।

कृषि मंडी सोजत में बैंक स्थापित नहीं होने की वजह से व्यापारियों और किसानों में लूटपाट का भय बना रहता है एवं समय की बर्बादी होती है। मैं माननीय मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि सोजत के अन्दर 18 महीनों से बैंक का भवन बना हुआ तैयार है, क्यों नहीं वहां पर एक बैंक की स्थापना हो जाए तो हमारे काश्तकारों को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मेहन्दी व्यापार को विश्व स्तर पर विकसित करने हेतु मेहंदी पाउडर को हैण्डलूम कास्मेटिक्स की श्रेणी में किया जाए तो प्राकृतिक मेहंदी के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेहन्दी की जांच हेतु लैब टैस्टिंग मशीन भी हमारे यहां पर नहीं है जबकि विश्वस्तरीय मेहंदी का उत्पादन सोजत विधान सभा क्षेत्र और आसपास में होता है। इसके लिए हमें दिल्ली, अहमदाबाद, मुम्बई और जयपुर आना पड़ता है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि सोजत क्षेत्र की मण्डी और मेहंदी को बढ़ावा देने के लिए लेबोरेटरी टैस्टिंग क्यों नहीं सोजत में ही स्थापित हो ताकि मेहंदी व्यापार को बढ़ावा मिले।

मेहंदी शुद्ध रूप से प्राकृतिक उत्पाद है जिसमें किसी भी तरह का रासायनिक तत्व नहीं होता है मगर कुछ लोग अधिक लाभ कमाने के लिए

(श्रीमती संजना आगरी)

मेहंदी के नाम पर रासायनिक उत्पादों को बेच रहे हैं जिस की वजह से वास्तविक मेहंदी उत्पादकों को उत्पादन बेचने में भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि छोटे काश्तकारों की ओर भी आप ध्यान रखेंगे। इस पर भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि मेहंदी उत्पादन करने वाले हमारे किसान विश्वस्तरीय मेहंदी की पहचान के रूप में जाने जाते हैं, सोजत विधान सभा क्षेत्र में मेहंदी उत्पादन को बढ़ावा मिले इसके लिए मेहंदी को एग्रीकल्चर नोटिफाइड जिंस की सूची में शामिल किया जाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सुविधा जो फसलों काश्तकारों को मिलती है, वह हमारे मेहंदी उत्पादन करने वाले काश्तकारों को भी मिले। इसकी एमएसपी जारी होते ही जो लाइबिलिटी होगी, वह सरकार की होगी। अन्य फसली काश्तकार हैं, उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेहंदी के लिए मैकेनिकल प्रोसेस तैयार किया जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि मेहंदी का जो पौधा होता है उसको आज भी कंटीली झाड़ियों के अन्दर माना गया है। मेहंदी का पौधा बहुत ही कठोर होता है लेकिन उसका पत्ता इतना साफ्ट होता है कि जरा-सी हवा भी चलती है तो वह पत्ता गिर जाता है। वहां के जो लेबर हैं, मेहंदी कटिंग का कार्य हाथ से करते हैं, बुआई से लेकर कटिंग तक का कार्य हाथ से करते हैं और उनकी मजदूरी पन्द्रह सौ से दो हजार रुपए प्रति व्यक्ति होती है। तो जो उत्पादन होता है उससे भी कई गुना ज्यादा लेबर कम्पोनेंट के रूप में उनका पैसा खर्च होता है। उससे मेहंदी की इनकम बराबर नहीं मिलती है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि विश्वस्तरीय मेहंदी की पहचान को कायम रखने के लिए रिसर्च एवं डवलपमेंट एवं कटाई की मशीन के लिए भी आप व्यवस्था करवाएंगे।

श्री अध्यक्ष: मेहंदी को आपने बहुत उछाल दे दिया, आपका टाइम पूरा हो चुका है।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेहंदी तो ऐसी है जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक रंग लाती है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र सोजत से आती हूं...

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिए, 11 मिनट हो गए, बहुत हो गया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या आज भी मेहंदी लगाकर नहीं आयी हैं।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, सोजत की इकोनोमी की दृष्टि से मेहन्दी पूरा एक व्यवसाय है। मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं, चूंकि यह इससे सम्बन्धित है, सोजत विधान सभा क्षेत्र का पूरा चाहे व्यवसाय हो, चाहे हजारों परिवार का रोजगार हो, इसी मेहंदी पर टिका हुआ है, वहां पर जो मास्टर प्लान अभी बना है...

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। राजेन्द्र सिंह भादू।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): मास्टर प्लान बनने से किसानों की हजारों बीघा जमीन चौपट हो रही है, इस मास्टर प्लान को भी अनुमोदित करवाने की कृपा करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह भादू।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कृषि, पशुपालन और सहकारिता पर बोलने का मुझे समय दिया, इसके लिए आपका आभार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं गंगानगर से, सिंचाई की दृष्टि से और कृषि उत्पादन की दृष्टि से गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले काफी आगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज किसान की जो स्थिति है वह आप सबसे किसी से छिपी हुई नहीं है। उसको कृषि का पूरा उत्पादन मूल्य नहीं मिलता, किसान को पूरा सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता। यदि पूरा पानी मिल जाता है तो अतिवृष्टि हो जाने से किसान की हालत बहुत खराब है। इस बात को देखते हुए इस ओर गम्भीर रूप से ध्यान देने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान के साथ-साथ जो किसानी से सम्बन्धित मजदूर हैं, उनकी भी ऐसी ही हालत है। आज हमारे धान मण्डी के अन्दर...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घण्टे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: दो घण्टे?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मांग पारित होने तक या दो घण्टे।

श्री अध्यक्ष: मांग पारित होने तक का ही कर दीजिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): मांग पारित होने तक।

श्री अध्यक्ष: आज की अनुदान की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

आज की अनुदान की मांगें पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।

मांग संख्या 37, 39 व 36 पर विचार

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कृषि से सम्बन्धित जो मजदूर हैं, धान मण्डी के अन्दर तुलाई का काम करते हैं। हमारे तोले भाई हैं या जो धानक मजदूर हैं, सारा दिन झार का काम करते हैं। वहां इतनी ज्यादा गर्द उड़ती है कि दमे की बीमारी, टीबी की बीमारी, इस तरह की बीमारियां आम तौर पर उनके अन्दर रहती हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि उपज मण्डी में कल्याणकारी योजना तैयार की जाए जिससे उनको भविष्य में बीमारियों के अन्दर सहायता मिले। साथ ही आम मजदूर को जिस तरह से फैक्ट्री एक्ट के तहत मिलती हैं, उसी तरह से हमारे मजदूरों के लिए भी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाएं ताकि किसानी से सम्बन्धित जो मजदूर हैं उनको कुछ राहत मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब तक हम किसान के लिए बोनस, उनकी खरीद आदि की पूरी व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक यह हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गेहूं की, जौ की, चने की और सरसों की जो फसल आ रही है उसके लिए अभी से कृषि उपज मण्डी को दिशा-निर्देश और उसकी तैयारी की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक चीज की आज सबसे बड़ी जरूरत है, आने वाले पन्द्रह अप्रैल के बाद में जब बाजार के अन्दर जिंस

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

आएगी, अगर किसान को बारदाना नहीं मिला, अगर किसान के लिए ठीक ढंग से तुलाई की व्यवस्था नहीं हुई तो यह किसान के लिए बहुत पीड़ादायक होगा। मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बार जौ की बड़ी भारी फसल हमारे क्षेत्र के अन्दर होगी तो जौ की सरकारी खरीद भी सुनिश्चित की जाए।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक-दो मेरे क्षेत्र की समस्या की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ के सूरतगढ़ शहर के अन्दर आज से 25-30 साल पहले कृषि विस्तार अधिकारी का कार्यालय था, आज भी दस-पन्द्रह कमरों की वह पूरी इमारत बनी हुई है, दस-पन्द्रह वहां सरकारी आवास बने हुए हैं। वहां कृषि सहायक अधिकारी नहीं होने की वजह से एडी की एक पोस्ट की जरूरत है, बाकी सारा का सारा स्टाफ वहां पर है। सूरतगढ़ से गंगानगर हमारा किसान खेती की जानकारी के लिए जाना चाहे तो वहां से सौ किलोमीटर पड़ता है। रायसिंहनगर वहां से किसान खेती की जानकारी के लिए जाए तो अस्सी किलोमीटर पड़ता है। दूरदराज में ऐसी कृषि उपयोगी जगह होने के बावजूद भी वहां पर एडी का आफिस नहीं है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर एडी कार्यालय को खोलने के लिए आप जल्द से जल्द व्यवस्था कराएं ताकि किसानों को पूर्ण जानकारी मिले। बहुत-सी ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनको पूरी तरह से किसान सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है। कृषि विभाग यह सुनिश्चित करे, विभाग अधिकारी सुनिश्चित करें कि किसानों को हर बात की पूरी जानकारी मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं एक और निवेदन माननीय कृषि मंत्रीजी से करना चाहूंगा। सूरतगढ़ के अन्दर एक धान मण्डी है, एक अनाज मण्डी है, लेकिन उसके 50 किलोमीटर तक कोई भी अनाज मण्डी वहां पर नहीं है। हमारे एक वीरवाणा गांव बिलकुल सेंट्रली लोकेटेड है, वहां पर नयी अनाज मण्डी बना दी जाए तो किसानों का लाने ले जाने का जो फालतू में व्यय होता है उससे बचा जा सकता है और किसानों को कृषि उपज का पूरा मूल्य भी मिल सकेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सूरतगढ के पास में जो वीरवाणा गांव है, उस वीरवाना गांव में एक नये कृषि मण्डी यार्ड की आज ही घोषणा करें ताकि उस

(श्री राजेन्द्र सिंह भादू)

क्षेत्र के किसानों को राहत मिल सके। मण्डी यार्ड बनने के बाद उस क्षेत्र के आसपास के लोगों को भी सुविधा होगी।

मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। अभी पूर्व वक्ता बता रहे थे आवारा पशुओं की, रोजड़ों की बात। किसान का आप कितना ही उत्पादन करवा लीजिए, कितना ही अच्छा बीज दे दीजिए, कितनी ही अच्छी सुविधा सिंचाई की कर दीजिए, लेकिन जब तक हम हमारी फसल को बचा नहीं पाएंगे, आज जो स्थिति बनी हुई है आवारा पशु घूमते हैं, यहां तक कि आजकल तो मनुष्यों पर हमला भी कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए बाड़ की व्यवस्था के लिए कोई अनुदान जारी किया जाए ताकि किसान अपनी फसल बचा सके।

इसके अलावा प्रदेश के अन्दर डिग्गियों एवं सोलर पावर के लिए दी जाने वाली सुविधा पूर्व की भांति चालू रखी जाए। प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों के तहत आने वाली छोटी-मोटी सड़कें हैं उनका निर्माण भी कृषि उपज मण्डियों के माध्यम से कराया जाए। कृषि उपज मण्डी की जो कमेटी है उसको पूरे अधिकार दिये जाएं, उस बोर्ड को पूरे अधिकार दिये जाएं ताकि 3-3, 4-4 किलोमीटर की जो रोड है उसको ठीक ढंग से वे बनवा लें।

इसके अलावा कृषि उपज मण्डी के होने वाले चुनाव के अन्दर बड़ी विसंगतियां हैं। हमारे सूरतगढ़ तहसील का कुछ पार्ट पीलीबंगा में पड़ता है, कहीं हमारा पार्ट विजयनगर में पड़ता है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसका पुनर्सीमांकन किया जाए। कृषि उपज मण्डी समिति का जब तक पुनर्सीमांकन नहीं होगा, इसकी विसंगतियां दूर नहीं होंगी, तब तक इस चुनाव का कोई मायना नहीं क्योंकि दो डाइरेक्टर कभी पीलीबंगा के बन जाते हैं और कभी विजयनगर के बन जाते हैं। इस तरह की विसंगतियां दूर करके इनका पुनर्सीमांकन कराया जाए। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री भीमाभाई। (अनुपस्थित) श्री संजीव कुमार।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 37-कृषि, मांग संख्या 39-पशुपालन और मांग संख्या 36-सहकारिता पर चर्चा चल रही है। आज पूरे सदन में दोनों पक्षों की तरफ से सभी माननीय सदस्यों ने खुलकर इन विषयों पर चर्चा की। आज के जो तीनों विषय हैं ये किसानों से जुड़े हुए मामले हैं। मैं खुद भी किसान होने के नाते सदन का

(श्री संजीव कुमार)

ध्यान कुछ बातों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे से पहले काफी माननीय सदस्यों ने सारी बातें विस्तार से सदन में किसानों के बारे में कीं, उन बातों को ज्यादा नहीं दोहराते हुए मैं कुछ समस्याओं की तरफ माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: सब समस्याएं नोट कराइये शार्ट में।

श्री संजीव कुमार (भादरा): वैसे भी कम बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष: वह तो ठीक है, लेकिन सब समस्याएं नोट कराइये न शार्ट में।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे भी आपकी पूरी कृपा रहती है मुझ पर तो। वैसे भी कम ही बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं सबका आभारी हूं।

श्री संजीव कुमार (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में किसान के लिए सबसे बड़ी सिंचाई की सुविधा है, पहले 20 लाख लीटर तक की क्षमता की पक्की डिग्गी का निर्माण हम करते थे उसमें 3 लाख रुपये का अनुदान किसान को मिलता था। हमारे क्षेत्र में किसानों ने काफी डिग्गियों का निर्माण किया और किसानों का रुझान डिग्गी निर्माण की तरफ काफी बढ़ा। उससे पानी की काफी बचत होती है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष इस 20 लाख लीटर तक की क्षमता की डिग्गी पर तीन लाख का जो अनुदान हमको मिलता था, उसको घटाकर 2.09 लाख कर दिया गया है। निर्माण सामग्री काफी महंगी होती जा रही है और निर्माण कार्य महंगा होने की वजह से वैसे भी लघु किसान, सीमान्त किसान, एससी, एसटी के किसान इस डिग्गी निर्माण कार्य से वंचित होते जा रहे हैं। बड़े काश्तकारों का भी रुझान अनुदान कम होने की वजह से कम हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि डिग्गी निर्माण कार्य में मिलने वाले अनुदान को बढ़ाया जाए ताकि सिंचाई के जल का अधिकतम सदुपयोग किसान कर सके और किसान को निश्चित तौर से इसका फायदा मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन के अन्दर फसल बीमा योजना पर काफी चर्चा हुई। मैं ज्यादा न कहते हुए एक ही बात निवेदन करना चाहूंगा कि इससे बीमा कम्पनियों को ही निश्चित तौर से फायदा होता है, किसान को

(श्री संजीव कुमार)

इसमें पूरा फायदा नहीं मिलता। फसल बीमा में जो भी विसंगतियां हैं उन्हें दूर करते हुए ऐसी ठोस नीति बनायी जाए कि किसान को निश्चित तौर से इसका फायदा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, डीएपी व यूरिया खाद का मामला काफी माननीय सदस्यों ने रखा। इस बार यूरिया की काफी कमी प्रदेश के अन्दर आयी, किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री महोदय को कि उन्होंने इस बजट के अन्दर यूरिया खाद के अग्रिम भण्डारण के लिए बजट का प्रावधान किया है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि किसान को समय पर यूरिया खाद व डीएपी खाद मिले, अन्य खाद जिसकी समय पर जरूरत होती है, असली फायदा समय पर मिलने पर ही किसान को मिलता है, इसकी निश्चित तौर से व्यवस्था करने का आप काम करें।

जहां तक किसानों की मांग का सवाल है, अभी काफी माननीय सदस्य इस बात पर चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं कि किसान अन्नदाता है, अन्न उपजाने के लिए भारी मेहनत किसान को करनी पड़ती है। भावों के बारे में चाहे केन्द्र सरकार का मामला हो, चाहे प्रदेश सरकार को इसमें सोचना हो, किसान की जिंस जो भी पैदा होती है, चाहे वह नरमा हो, कपास हो, ग्वार हो, सरसों, गेहूं या चना हो, किसान को एक भाव मिलना चाहिए। हमारे इलाके में जो खेती होती है, विशेषकर सिंचित क्षेत्र में बहुत बड़ा खर्चा खेती के अन्दर लगता है। खर्चा लगने के बाद जो पैदावार किसान को मिलनी चाहिए, वह पैदावार इसलिए नहीं मिलती कि हमारे देश के अन्दर उचित भाव जो मिलना चाहिए वह भाव किसान को नहीं मिलता। मैं थोड़ा जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में काटन की क्राप जो नरमा व कपास की होती है, करीब चार हजार क्विंटल का भाव है। इसी तरह एक टाइम था कि ग्वार का भाव 30-35 हजार रुपये क्विंटल का भाव, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, किसान को मिला था और किसान काफी खुशहाल हुआ था। लेकिन आज हालत यह है कि 3000-3500 रुपये क्विंटल का भाव, सरसों का भी 3 हजार का और इसी तरह से गेहूं व चने का भाव भी 3 हजार व 1450 रुपये का क्विंटल का भाव है। इस तरह के भाव की हालत हमारे देश व प्रदेश के अन्दर है। जो पैसा किसान का खेती करने के अन्दर लगता है, जो खर्चा लगता है खाद का, बीज का, वह पैसा भी उस पैदावार में पूरा नहीं होता तो हम कितने दिन खेती कर पाएंगे, कितने दिन

(श्री संजीव कुमार)

किसान इस व्यवस्था को बरकरार रख पाएगा और कितने दिन अन्नदाता के रूप में इस देश को हमारा किसान अन्न पैदा करके दे पाएगा, यह चिन्ता का विषय है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषकों के लिए भाव की कोई ठोस नीति बनाने का प्रस्ताव यहां से जाना चाहिए। चाहे भारत सरकार का सवाल हो, हमारी सरकार का सवाल हो, भावों के बारे में एक ठोस नीति किसान के लिए बननी चाहिए ताकि किसान को पूरा भाव मिल सके, किसान खुशहाल हो सके, देश को अन्न पैदा करके दे सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात कई बार चली है। जिस क्षेत्र से हम आते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले खेती के मामले में अग्रिम जिले हैं। वह क्षेत्र सबसे ज्यादा पैदा करके इस प्रदेश को देता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब कभी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की बात पर आप विचार करो तो सारे संसाधन हमारे जिले में उपलब्ध हैं, सारी किसान की जो भी बातें हैं वे वहां उपलब्ध हैं, केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय निश्चित तौर से हनुमानगढ़ में खुलना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पशुपालन की कुछ बातें कहना चाहूंगा। ज्यादा लम्बा न कहते हुए मैं हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस साल के बजट में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुओं के 600 नये चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने का ऐलान किया और 200 पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का प्रावधान इस बजट में रखा। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं क्योंकि किसान का मुख्य कार्य खेती के साथ-साथ पशुपालन है। पशुपालन खेती से जुड़ा हुआ है। बीमार पशुओं को अन्यत्र नहीं ले जाना पड़े, इसके लिए बजट में प्रावधान किया है, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं। मंत्रीजी से यह निवेदन है कि हमारे इलाके में काफी गौशालाएं खुली हुई हैं, गौशालाओं में समय-समय पर नियमित चिकित्सा का प्रावधान हो, नियमित गायों का चैक अप हो। गौशालाओं में जाकर पशु चिकित्सक उनका उपचार करें, ऐसा प्रबंध प्रत्येक गौशाला के लिए होना चाहिए। पशु चिकित्सालयों का जो समय निर्धारित किया हुआ है 9 बजे से 4 बजे तक, मैं निवेदन करूंगा कि यह कर्मचारियों, अधिकारियों, डाक्टर के लिए उपयुक्त हो सकता है, लेकिन जब गर्मी

(श्री संजीव कुमार)

का मौसम आएगा, किसान 9 से 4 बजे तक दूर से चलकर चिकित्सालय तक जाता है (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट और। मैं कम बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष: हो गया, हो गया। आपका सब आ गया। एक मिनट। पूरे 12 मिनट ले लिये आपने। अच्छा, एक मिनट।

श्री संजीव कुमार (भादरा): आप थोड़ी-सी कृपा करो। दो मिनट। सहकारिता की दो बात बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री संजीव कुमार (भादरा): आप समय को संतुलित कराएं, सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक चिकित्सालय का समय रखें ताकि पशुपालक गर्मी के मौसम में पशुओं का सही तरीके से इलाज करा पाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता की दो बात कहते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप बार-बार मेरी तरफ देख रहे हो, घण्टी बजा रहे हो, आपकी बहुत कृपा रही है।

श्री अध्यक्ष: टाइम देखें। आप सबकी कृपा चाहिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा): मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाए। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 14 ग्राम पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां जीएसएस नहीं है, मैं निवेदन करूंगा कि प्रत्येक पंचायत पर खोलें ताकि किसान को सुविधा मिले।

जीएसएस के चुनाव के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जो ऋणी सदस्य हैं, उनको चुनाव में 10 वोट देने का, 10 मोहर लगाने का अधिकार है और जो अऋणी सदस्य हैं उनको केवल एक वोट डालने का अधिकार है। ऐसी हालत में जो अध्यक्ष और बोर्ड निर्वाचित होता है, उसमें एक ही तरह के लोगों का कब्जा बना रहता है। अध्यक्ष व बोर्ड के सदस्य, सदस्यों को ऋण देने में आनाकानी करते रहते हैं और उन्हीं लोगों को ऋणी सदस्य बनाकर चुनाव होता रहता है। उनका एक तरह से कब्जा उस मण्डल पर रहता है। मैं निवेदन करूंगा कि ऋणी व अऋणी सदस्यों को बराबर जीएसएस के चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराना। आप विराजिए, आ गया आपका।

श्री संजीव कुमार (भादरा): प्रदेश में जीएसएस पर काम करने वाले व्यवस्थापकों, सेल्समैनों, सहायक कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: आपका बिन्दु आ गया।

श्री संजीव कुमार (भादरा): उनको राज्य कर्मचारी के समान सुविधाएं दी जाएं क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। चाहे ऋण देने का सवाल हो, वसूली करने का सवाल हो, ये व्यवस्थापक और सेल्समैन बहुत बड़ा काम सहकारिता में करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आ गया, आ गया। माननीय विधायक, आपके पाइंट्स नोट हो गये, स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने मानिकजी को पुकार लिया है। विराजिए, विराजिए, तशरीफ रखिए।

(17.00 बजे)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-36, 37 और 39 पर सदन में चर्चा है, मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान कुछ मुद्दों की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे राजस्थान में जोतों की संख्या 62 लाख है, आगे कुछ हजार है। मैं फिगर नहीं बोल रहा हूं, मैं मोटा-मोटा फिगर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: जो दस मिनट में खतम हो जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष जी, मेरी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए आप पांच मिनट तो बढ़ा दें, और बाकी जैसा आप चाहें।

श्री अध्यक्ष: बोलिये, बोलिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): हमारी सारी नीतियां मैं समझता हूं कि लघु और सीमान्त कृषक को नजर अंदाज करने की रही हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सीमान्त का मतलब एक हैक्टेयर से कम, उनकी संख्या 20 लाख, वह हजार मैं नहीं बोल रहा हूं, माननीय मंत्रीजी, और लघु यानी एक हैक्टेयर से दो हैक्टेयर की संख्या, 13 लाख जोतों की है। ये दोनों जोतें मिलकर हो गयीं 33 लाख, इन 33 लाख काश्तकारों के पास मात्र 14 प्रतिशत भूमि है। दो हैक्टेयर से ऊपर आएं अपन तो सीमान्त मध्यम में दो से चार हैक्टेयर में 12 लाख हैक्टेयर भूमि है और वह 17 प्रतिशत कुल काश्त

(श्री मानिक चन्द सुराना)

की है। कुल 62 लाख में से जो भी जोत है, जोत का जो एरिया है, उसका सिर्फ 17 परसेंट है। मध्यम 4 से 10 हैक्टेयर में जितने लोग हैं, उनकी संख्या 17 प्रतिशत है जोतों की संख्या में और उनकी कुल प्रतिशत भूमि 32 परसेंट है और 10 हैक्टेयर से अधिक वालों की संख्या 42 हजार है, उनकी प्रतिशत भूमियां 36 परसेंट हैं।

हमारा सारा ध्यान, आपका भी और सहकारिता मंत्रीजी का, इन 68 परसेंट किसानों की ओर है। मेरा निवेदन है, आप अपनी सारी नीतियों में इस बात को भूलते हैं कि सीमान्त कृषक और लघु कृषक को लाभ कैसे होगा। जो एक हैक्टेयर से कम है, एक से दो हैक्टेयर से कम है, हमारी कृषि नीतियों में विशेष जोर देकर इनको कृषि योजनाओं का लाभ मिले, इस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में औसत जोत का आकार 1.23 हैक्टेयर है और राजस्थान में उसका आकार 3.38 हैक्टेयर है। औसत आकार राजस्थान में 3.38 है, इसके बावजूद 14 प्रतिशत लोग जिनकी संख्या 33 लाख है, उन 33 लाख लोगों के पास सिर्फ 14 परसेंट भूमि है और हमारी योजनाओं का लाभ उन तक अधिकतर नहीं पहुंचता है। और तो और, माननीय सहकारिता मंत्रीजी के द्वारा जो अल्पकालीन ऋण दिये जाते हैं, मैं ध्यान आकर्षित करता हूं आपका, दो सवाल मैंने पूछे हैं, उनका उत्तर मेरे पास है आपके विभाग का, कि राजस्थान में 2012-13 में 8 हजार करोड़ के ऋण की घोषणा की गयी जिसको बाद में 2012-13 में ही 10,500 करोड़ किया गया और 2012-13 में 26 लाख 53 हजार 300 कुछ, और फिगर मैं नहीं बोलता हूं, 26 लाख 53 हजार लोगों को ऋण दिया गया। यह ऋण वह है जो पूर्व मुख्य मंत्री ने घोषित किया था कि एक लाख का ऋण हम उपलब्ध करांएगे। 2013-14 में बजट में घोषणा की गयी कि 15 हजार करोड़ का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, हजार करोड़ की उसमें वृद्धि हुई और 16 हजार करोड़ के लक्ष्य रहे। अध्यक्ष महोदय, 2012-13 में जहां 26 लाख लोगों को ऋण मिला, वहीं 2013-14 में 31 लाख लोगों को खरीफ और रबी का मिलाकर ऋण मिला। मैं सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा, आपने जो तीन सवालों के जवाब भेजे हैं उनके साथ जो एनेक्स्चर्स है, आप गौर करेंगे कि जितने भी केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं जिनके पास साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये बांटने को थे और साढ़े तीन सौ करोड़ के ऋण वितरण की जिन्होंने योजना बनायी, उसमें 50 प्रतिशत कैपिटल पूंजी के रूप

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में नाबार्ड से मिलता है। हो सकता है, उनकी पूंजी तो 40 प्रतिशत ही हो, लेकिन उन्होंने नाबार्ड से सहयोग लेकर जो कि उनकी पालिसी है और एक संस्थागत रीफाइनेंस का मुद्दा है, उन केन्द्रीय सहकारी बैंकों ने जिनकी पूंजी 450 करोड़ रुपये से ऊपर है, 70,000 लोगों को ऋण दिया, 80,000 लोगों को ऋण दिया। हनुमानगढ़ जैसे जिले में जहां 1,250 करोड़ रुपये की व्यवस्था उनकी थी, वहां उन्होंने 92,000 लोगों को ऋण दिया, कुछ जगह एक लाख लोगों को ऋण मिला। लेकिन बीकानेर जैसे में जहां 340 करोड़ रुपयों की व्यवस्था हुई, वहां पर मात्र 42,000 लोगों को ऋण मिला। मेरे सवाल में मैंने आपसे पूछा था कि क्या पूंजीगत रुपया इस बात को देखने के लिए था कि वह एक लाख का ऋण दे रहा है या डेढ़ लाख रुपये का ऋण दे रहा है? तो आपके जवाब में आया है कि हमने कोई पूंजीगत मदद उनको नहीं दी और हमने तो कुल घोषणा यह की कि वे अपने साधनों से करेंगे। तो वे यदि अपने सहकारी ऋण दे रहे हैं तो आप सरकार की तरफ से घोषणा क्या कर रहे हैं कि 16,000 रुपये का ऋण मिलेगा? साधन उनके हैं, उनकी खुद की पूंजी है और उसके बाद नाबार्ड की मदद, तो आपकी घोषणा का मतलब क्या है? मेरा निवेदन बहुत साफ-साफ है कि आपकी जोत 62 लाख है और आपका 2013-14 में आंकड़ा सिर्फ 31 लाख तक पहुंच रहा है, स्पष्ट है कि 62 लाख में से 31 लाख को कोई ऋण सुविधा अल्पकालीन ऋण में भी नहीं है। यदि उन बैंकों की आर्थिक स्थितियां सबको ऋण देने की नहीं हैं तो जितने लोग वंचित रह गये, माननीय मंत्री महोदय, आप उन सबका रिकार्ड मंगाएं कि कितने प्रार्थीगण वंचित रह गये। जब सीमा है तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, जहां हमारा स्टेट 29,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत खाते में ऋण ले रहा है, पूंजीगत प्राप्तियां कर रहा है, तो क्या कारण है कि आप 500 करोड़ रुपये भी इन काश्तकारों को अल्पकालीन ऋण देने के लिए उपलब्ध नहीं करा सकते? आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि 62 लाख जोतों में से सिर्फ 31 लाख को ऋण मिल रहा है। मैं विशेष तौर से अर्ज करना चाहूंगा कि आप पूंजीगत ऋण उनको भी उपलब्ध कराएं। माननीय कृषि मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, ये इस बात को देखें कि जितनी भी हमारी कृषि नीतियां हैं, चाहे वह भारत सरकार चला रही है, चाहे अपन चला रहे हैं, उसमें सीमांत और लघु कृषक का पूरा ध्यान रखा जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: कृषि मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि राजस्थान में कृषि में जो भी हमारे दावे हैं, कृषि की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ग्रोथ रेट राजस्थान में बहुत कम है। हम हमारे अनाज और दलहनों में 200 लाख टन के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। यह 2014-15 की आपकी रिपोर्ट है, पेज नम्बर 43 पर आप देखेंगे कि अनाज और दलहन 2012-13 में 200 लाख टन और 2013-14 में 206 लाख टन और फिर 2014-15 में 201 दशमलव कुछ लाख टन, हमारा यह सारा आंकड़ा 200 लाख टन के इर्द-गिर्द घूम रहा है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप राजस्थान के बजट को देखें। राजस्थान के बजट में जब हमारी ही सरकार थी सन् 2003-04 में तो कुल बजट का 4.80 प्रतिशत कृषि के लिए आबंटित किया गया था। 2004-05 में वह बढ़ाकर 5.50 प्रतिशत किया गया, कुल बजट की राशि में से 5.50 प्रतिशत कृषि के खाते में दिया गया था। 2005-06 में यह राशि बढ़कर 7.05 प्रतिशत हो गयी, सात प्रतिशत। आज हमारे बजट का आकार बढ़ा है, पर, माननीय कृषि मंत्रीजी, कृषि को टोटल बजट में अब भी 3.80 प्रतिशत का ही भाग है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में, 60 प्रतिशत लोगों से सम्बन्धित है कृषि विभाग, उसका बजट निश्चित रूप से 7 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिये। यह बजट में बढ़ोतरी की मैं इसलिए भी मांग कर रहा हूं, माननीय अध्यक्षजी, हमारी ग्रोथ रेट पर भी मैं कुछ अर्ज करूंगा, पर उससे पहले मेरा निवेदन है कि आपके डिपार्टमेंट में 9,975 पद जो स्वीकृत हैं, उनमें से 3,529 पद रिक्त हैं। सहायक निदेशक (कृषि), कृषि अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि अन्वेषक, ये सारे महत्वपूर्ण पद हैं जो कृषि के विकास में योगदान देने वाले हैं, ये सारे पद खाली पड़े हैं। जिस तरह दूसरे विभागीय मंत्री प्रयत्न में हैं कि वे अपनी रिक्तियों को, रिक्त पदों को भरें, निश्चित रूप से आप भी बहुत उसमें सक्रियता से कर रहे होंगे। लेकिन मेरा निवेदन है कि आने वाले 3-4-5 महीनों में जो भी कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आप उन पदों को भरने का काम करें ताकि कृषि का हमारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उस इन्फ्रास्ट्रक्चर में जो मानव संसाधन हमको चाहिये, उस मानव संसाधन का योगदान पूर्ण रूप से रहे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, सकल घरेलू उत्पाद में हमारा हिस्सा आप 2011-12 देखो तो 21 प्रतिशत, 2012-13 देखें तो 19.93 प्रतिशत, 2013-14 में 20 प्रतिशत और 2014-15 में 19.43 प्रतिशत है स्थिर कीमतों पर। मैं 2004-05 की स्थिर कीमतों की बात कर रहा हूं। मुझे ध्यान है कि प्रचलित कीमतों पर यह हिस्सा 30 प्रतिशत है। पर यदि 7 प्रतिशत, 8

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्रतिशत, 8.5 प्रतिशत की ग्रोथ रेट यदि गुजरात का कृषि विभाग अचीव कर सकता है तो, माननीय सैनी साहब, आप पहले भी कृषि मंत्री रहे हैं, अभी भी हैं, हो सकता है आगे भी रहें और हमारी शुभकामना है कि आप रहें, तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस ग्रोथ रेट में वास्तविक वृद्धि करने के काम को आपको विशेष ध्यान देकर करना होगा। जो भी योजनाएं चल रही हैं, वे सब योजनाएं कितनी कारगर हैं, कितनी कारगर नहीं हैं, मैं एक-एक योजना की चर्चा नहीं करूंगा। अध्यक्षजी ने तो सीमित समय दिया है...

श्री अध्यक्ष: तो टाइम कितना बाकी रहा, आप देख लो। तीन मिनट बाकी हैं। 15 मिनट के लिए आपने कहा, 15 मिनट मैं दे दूंगा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, 15 मिनट अभी कहां हुए, आप घड़ी देख लीजिये।

श्री अध्यक्ष: तीन मिनट बाकी हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): कोई बात नहीं, मैं कनक्लूड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, कनक्लूड कीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैंने स्थिर कीमतों पर ग्रोथ रेट की बात, सकल घरेलू उत्पाद में हमारे योगदान की बात की। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्षजी, 2005 से हर वर्ष कितनी वृद्धि हुई, इसका मैंने जो भी प्रकाशित ग्रंथ हैं, उनसे आंकड़ा लिया है- 2005-06 में 0.31 प्रतिशत, फिर 2007-08 में 1.62 प्रतिशत, 2008-09 में 4.19 प्रतिशत और 2009-10 में माइनस 2.69 प्रतिशत। यह 2009-10 में ही नहीं, फिर आगे चलकर 2010-11 में भी 1.07 प्रतिशत और अभी हमारी ग्रोथ रेट जो आपके आंकड़ों से है, वह 2.75 प्रतिशत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विकास दर में छलांग लगे और राजस्थान भी क्लेम कर सके कि हम कृषि के क्षेत्र में पांच प्रतिशत वृद्धि दर पर पहुंच गये हैं तो निश्चित रूप से यह राजस्थान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैंने आपका ध्यान इस ग्रोथ रेट की तरफ, सकल घरेलू उत्पाद में हमारे योगदान की तरफ आकर्षित इसी दृष्टि से किया है ताकि आप अपने विभाग के विस्तृत ढांचे में इन सब बातों पर सक्रिय और सक्षम कार्रवाई कर सकें।

कृषि मंत्रीजी, आप हमारे समर्थन मूल्य का क्या कर रहे हैं। आपने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गत वर्ष कोई खरीद मूंगफली की नहीं की। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपके जो घोषित समर्थन मूल्य हैं, चाहे मूंगफली में हैं, चाहे बाजरा में हैं, चाहे मक्का में हैं, वे समर्थन मूल्य साधारण हैं। मूंगफली में 4,000 रुपये, बाजरा में 1,250 रुपये, मक्का में 1,310 रुपये है। आप समर्थन मूल्य पर खरीद करने में गत 2014-15 के सैशन में पूर्णतया असफल रहे हैं। बहुत मामूली खरीद कहीं-कहीं हुई है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मूंगफली का उत्पादन 69,73,000 क्विंटल है, उसमें किसान को समर्थन मूल्य के अभाव में 1450 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। बाजार में 3000 और 2800 में बिकी है मूंगफली। बाजरा कहां तो 1250 में आपने कहा था, वो 900-1000 में बिक रहा है। समर्थन मूल्य पर जो हमने सुराज संकल्प में घोषणाएं की हैं, वो घोषणाएं तो आपने पढ़ी होंगी कि किसानों की उपज को लाभकारी बनाने हेतु समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा खरीद की जाएगी। यह, माननीय, सुराज संकल्प यात्रा का घोषणा पत्र है। बोनस की राशि उपज अनुसार किसानों को सीधे ही उनके खातों में नकद दी जाएगी, है कहां बोनस? बोनस तो आपके आने के बाद खतम हो गया। न्यूनतम समर्थन मूल्यों की परिधि में मोठ, मूंग, मेहंदी, ग्वार, चौला, धनिया, लहसुन, ईसबग़ोल, ग्वारपाठा, अरण्डी सहित सभी प्रकार की कृषि उपजों को, वन उपजों को भी सम्मिलित किया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए स्थाई तंत्र विकसित किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं माननीय कृषि मंत्रीजी का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों पर आकर्षित करते हुए और अध्यक्ष महोदय, आपका आभार मानते हुए मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह, केवल दस मिनट।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो आप समय देंगे, मैं उस समय के हिसाब से चलूंगा। मांग संख्या 37, 39 और 36 के बारे में मैं मेरा व्याख्यान देना चाहता हूं। काफी सदस्यों ने इसके बारे में अपनी-अपनी चर्चाएं की हैं। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं उस एरिया में वन फोर्थ लोग पशु पालक हैं और सबसे ज्यादा लोग वहां गाय और ऊंट पालन करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दो साल से इन्द्र देव की कुदृष्टि के कारण अकाल पड़ रहा है। गो-धन भी ऐसा गो-धन है, थारपा और राठी गाय गांव वाले रखते

(श्री छोटू सिंह)

हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया को कि 90 दिन तक पशु शिविर चले। वर्तमान स्थिति में अपेक्षा रखते हैं कि आगे भी चलेंगे। लेकिन आज हालात बड़े खराब हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गोपालकों के साथ जैसलमेर में विशेष समस्याएं आ रही हैं, बड़ा लम्बा चौड़ा क्षेत्र है। विशेषकर वहां मेडिकल की बहुत बड़ी समस्या है। डाक्टर लम्बी दूरी में पहुंच नहीं पाते हैं। विभाग के पास मैंने देखा है, एक ही गाड़ी है, चाहे उसको मोबाइल के लिए भेज दो, चाहे डाक्टर चला जाए। आदमी बीमार हो जाता है तो बस में आ-जा सकता है लेकिन गाय और पशुओं को लाना बड़ा मुश्किल होता है। तीन-चार साल से एक ऐसी बीमारी चल रही है जिसमें कई गायें मर रही हैं, कोई इलाज नहीं हो रहा है। न डाक्टर उनका पता लगा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय विराजे हैं, एक स्पेशल टीम राजस्थान लेवल पर भेजी जाए कि उन गायों की एक्चुअल में बीमारी क्या है। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर की हर ग्राम पंचायत पर वेटेरिनरी हास्पिटल होना जरूरी है क्योंकि दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह गांवों का एरिया एक ग्राम पंचायत में आता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी ऊंट को विशेष पशु में दर्जा मिला हुआ है। ऊंट के अन्दर एक खसरा बीमारी ऐसी आयी है, दवाई तो आ रही है, लेकिन फिर भी उनका पूरा इलाज नहीं हो पाता है। वह उस खसरे की बीमारी में सड़ता-सड़ता मर जाता है। मैं चाहता हूं कि खसरे के लिए भी मेडिकल टीम भेजी जाए जिससे ऊंट न मरे।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर एक ऐसा क्षेत्र है जहां जमीन की कमी नहीं है, चरागाह की कमी नहीं है, ओरण की कमी नहीं है, कमी है तो केवल मालिक की। और थोड़ी बहुत यदि मेहरबानी हो तो सरकार की। गाय के लिए आधा बीघा जमीन अलाट कर रखी है गो चरण के लिए। दूसरे पशुओं के लिए किसी भी प्रकार की कोई लैण्ड नहीं है। आधा बीघा के अन्दर कोई बंदिश नहीं है कि गाय चरेगी, दूसरा पशु नहीं चरेगा। हर पशु वहां जाता है और चरता है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस आधा बीघा को कम से कम एक बीघा तो गाय के नाम से अलाट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जिले में यह चीज विद्यमान है। दूसरे ज़िलों में तो हो सकता है यह नहीं होगी, पर हमारा जिला पशु बहुल क्षेत्र है। जमीन वहां है, चरागाह वहां है। दूसरा जो पशु ऊंट है, ऊंट के लिए भी कम

(श्री छोटू सिंह)

से कम पांच बीघा जमीन मिलनी चाहिए ताकि ओरण और विचरण कर सके। नहीं तो अपन कितने भी कानून लगा दें, अगर ऊंट को चरने की जगह नहीं होगी तो उसको कौन पालेगा?

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, राजस्व मंत्रीजी भी विराजें हैं, पूर्व राजस्व की कई भूलें रह गयीं। हमारे क्षेत्र में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां चरागाह की कोई भूमि अलोटेड नहीं है। पूर्व देवताओं के समय में जो ज़मीनें अलाट की गयी थीं देवताओं के नाम से, उनमें न तो किसी प्रकार का पौधा काटा जाता था, न किसी प्रकार का हल लगाया जाता था। ऐसी कई जमीनें हैं, पूर्ववर्ती सैटलमेंट की भूलें समझो, मैं चाहे हमारी खुद की कमियां समझो, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें एक बार री-सैटलमेंट सर्वे हो ताकि आम गांव के अन्दर गो विचरण के लिए चरागाह घोषित हो। ओरण की ज़मीनें जो देवताओं के नाम हैं, खाली पड़ी हैं, उनमें एक फैंसिंग की और जगह अलाट होनी चाहिए। दूसरा कोई वन खोलने की जरूरत नहीं है, हमारे इधर आलरेडी इस प्रकार की व्यवस्था है और उसमें कई प्रकार के पौधे हैं।

इसके साथ ही दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग को भी खूब सारी जमीन दे दी, डिफेंस को भी दे दी। मैं कहता हूं कि वन विभाग में फैंसिंग कर देते हैं और फिर कहते हैं कि पक्षी उड़ जाएंगे, पशु नहीं आने चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, घास है उससे पशु और पक्षी का जोड़ा कभी नहीं उड़ता है। हमेशा देखते हैं, फैंसिंग लगाई हुई है, चारा उगता है और दूसरी बरसात हो जाती है तो पूरा चारा जितना भी है, पानी की वजह से सड़ जाता है। सबसे पौष्टिक सेवण घास हमारे जैसलमेर में विद्यमान है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग भी यही है, कृषि विभाग भी यही है, पशु विभाग भी यही है, उस क्षेत्र को जब भी कमी आए तो खुला करना चाहिए, पक्षी कोई उनसे नहीं उड़ता है। डीएनपी क्षेत्र हो, चाहे दूसरा कोई क्षेत्र हो, अभी वर्तमान स्थिति यह है कि उसके चारों तरफ से फैंसिंग या वाल बना दी जा रही है कि कोई पशु अन्दर नहीं जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह विशेष निवेदन है कि उसके लिए गेट बनाया जाए ताकि विपत्ति के अन्दर उस घास को पशु चर सकें।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मोबाइल टीमों के लिए मैं निवेदन कर ही चुका हूं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि आपकी घंटी लग सकती है।

(श्री छोटू सिंह)

कृषि और सहकारिता के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कृषि के बारे में जैसलमेर का किसान हमेशा ठगा जा रहा है। एक सीमा क्षेत्र होने के कारण और नहरी क्षेत्र में भी सबसे पीछे का कार्नर, आखिरी छोर हम हैं, वहां पानी कम पहुंचता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम पानी में खेती कैसे की जाए, इस प्रकार की टैक्नोलोजी जैसलमेर में स्थापित की जाए। दूसरा, अभी भादरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर एक ऐसा इलाका है जहां नहर में कम पानी मिलता है इसलिए वहां डिग्गी निर्माण होना जरूरी है। वैसे भी सोलर का हब वहां बन रहा है, सोलर की जगह है जैसलमेर, हमेशा धूप रहती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जो अनुदान राशि है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए तो डिग्गी निर्माण से आम किसान बूंद-बूंद पानी से या फव्वारा पद्धति से खेती कर सकता है। हमारे भू-भाग में क़ुदरत ने पानी बिलकुल अभी वन थर्ड में दिया है, 30 परसेंट हिस्से में आज पानी है, हम चाहते हैं, डिग्गी निर्माण यदि जैसलमेर में हो जाए तो सब व्यवस्था हो जाएगी।

दूसरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि हम विशेष ठगे जा रहे हैं सहकारिता के अन्दर जब केसीसी करते हैं। जब फैसला बीमे का होता है तो हमारा फैसला बीमा कम्पनी कर रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत में बीमा कम्पनी या बनिया कौन होता है जो किसानों का फैसला करे? वो अपने हिसाब से फैसला करता है। किसान को हमेशा बिजनस में लास आता है और कम्पनी दिनोंदिन बढ़ती जाती है। किसान की खून-पसीने की कमाई का पैसा कम्पनियों के पास आता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे जिलों में भी सरकार अपने स्तर पर केसीसी के बीमा क्लेम का निर्णय करती है। आपके माध्यम से, मंत्रीजी विराजे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीमा का निर्णय कंपनी के द्वारा न करके सरकारी स्तर पर किया जाए।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी विराजे हैं, मैं धन्यवाद देता हूं कि जैसलमेर की कृषि मंडी में गौण मंडी की आपने घोषणा की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कृषि मंडियां बनी हुई हैं लेकिन रोड साइड में और कृषि मंडी में जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था हमें नहीं मिलती है। कई बार छोटी-

(श्री छोटू सिंह)

सी ओस या बूंद पड़ जाती है तो हमारा लाया हुआ अनाज भीग जाता है और वहां रहने और ठहरने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि एक तो हमारे कृषि मंडी में जो सड़क मार्ग हैं वे सुव्यवस्थित होने चाहिए। दूसरे वहां स्टोरेज बनने चाहिए कि आने के बाद उस किसान का अनाज खराब नहीं हो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं समझ रहा हूं इशारे में। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मंत्री जी विराजे हैं, कि जैसलमेर एक ऐसा जिला है जिस जिले में कृषि मंडियां आपने तीन-चार बनवायी हैं, और हम अर्निंग नहीं दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम कृषि टैक्स पूरा आपको दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि कृषि मंडी में जो व्यवस्था आम किसान को मिलनी चाहिए वो हमें मिले।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ज्यादा नहीं कहते हुए आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन। दस मिनट।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मांग संख्या-36, 37 तथा 39 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित है, इसी पर टिकी हुई है। यों कह सकते हैं कि जनसंख्या का लगभग सत्तर से अस्सी परसेंट किसान है, खेती करता है। इस धरती पर यदि सबसे ज्यादा ईमानदार, कर्मशील, परिश्रमी और दयावान व्यक्ति यदि कोई है तो वो है भारत का किसान और इस धरती पर यदि सबसे बड़ी किसी की दुर्दशा है तो वो भी किसान की है। किसान अपनी जो फसल बोता है उस फसल का वह स्वयं मूल्य निर्धारित नहीं कर पाता है। किसान को अपनी फसल का उत्पादन करने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शुरू से, जब वह बीज लेने के लिए जाता है तो वहां भी उसको ठगा जाता है। ठगा जा सकता है क्योंकि कहीं खराब बीज भी उसको मिल सकता है। यदि वो बीज मिल जाता है तो उसके बाद में रोग लग जाता है और फसल नष्ट हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा, और अभी भी अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई, उस स्थिति में किसान के आसमान से हाथ छूट जाते हैं। यदि फसल तैयार हो जाती है उसके बाद में भी कोई गारंटी नहीं होती है कि उसकी फसल का उसको अच्छा बेनिफिट मिले या

(श्री गोरधन)

उसका अच्छा मूल्य उसको मिले। राजस्थान एक मरु प्रदेश है और यहां पर टीले अधिक हैं। यहां की मिट्टी कम उपजाऊ है। यहां पर अधिकतर जो भूभाग है, उसमें एक ही फसल होती है और वह फसल भी अधिकतर बरसात पर आधारित है। इन्द्रदेव की मेहरबानी होती है तब ही बारिश होती है। यदि इन्द्रदेव की कहीं-कहीं ज्यादा मेहरबानी हो जाती है तो वह भी किसान के लिए दुविधापूर्ण है। इन सब परिस्थितियों में किसान अपना गुजारा कैसे चलाता है और किस प्रकार से अपने परिवार को पालता है, भरण-पोषण करता है? किस प्रकार से अपने बच्चों की पढ़ाई करता है और किस प्रकार से अपने बच्चों की शादी-ब्याह करता है और किस प्रकार वो रहने के लिए मकान बनाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की दुर्दशा बनी हुई है, हमेशा किसान के साथ अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है। लेकिन इन सबके बावजूद भी भारत का किसान, राजस्थान का किसान कुछ नया करके दिखाता है। आपने देखा होगा कि जब अकाल की स्थिति पैदा हो जाती है तो बाजार की रौनक गायब हो जाती है, बड़े-बड़े शहर सूने-से लगते हैं। इसलिए किसान को मजबूत बनाना अति आवश्यक है। तो मेरा यही कहना है कि किसान विकट परिस्थितियों में भी सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है, फलों का उत्पादन करता है और खाद्यान्न सामग्री का उत्पादन अपने परिश्रम से करता है।

मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जो भी सरकार आयी है, किसान की ओर किसी ने भी विशेष प्रकार का ध्यान नहीं दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब-जब भी सत्ता में आयी है, चाहे राजस्थान में हो और चाहे भारत में हो, किसान की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही ध्यान दिया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की जब सरकार आयी थी तो उन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलायी थी जिसमें किसान को अपनी भूमि पर एकमुश्त एक लाख से लेकर 6-7 लाख रुपये तक बैंकों के द्वारा दिये जाते हैं। किसानों के हित में ही माननीय वाजपेयीजी ने नदी को नदी से जोड़ने की स्कीम बनायी थी। तो मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं के बताये हुए रास्ते पर चलकर माननीय मोदी हमारा सपना पूरा करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। मैं धन्यवाद माननीय भैरोंसिंहजी को भी देना चाहूंगा जिन्होंने हर गांव में बिजली पहुंचायी। बिजली पहुंचाने के

(श्री गोरधन)

बाद में खेत में बसे हुए प्रत्येक किसान को बिजली का कनेक्शन दिया जिससे खेतों में भी हरियाली लहराने लगी। मैं इसी के सम्बन्ध में माननीय वसुन्धराजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रत्येक हित को साधना जन प्रतिनिधि का और सदन की नेता का दायित्व होता है उसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पिछले कार्यकाल में प्रत्येक ढाणी और खेत में बिजली पहुंचाने का काम किया। सिंगल फेस का यदि काम किया तो माननीय वसुन्धराजी ने किया। इसी बजट में माननीय वसुन्धराजी ने जैविक खेती के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये जो किसान अच्छा काम करता है उसको राज्यस्तरीय पुरस्कार, जिलास्तरीय पुरस्कार तथा तहसीलस्तरीय पुरस्कार देने की घोषणा की है। उसी को बढ़ावा देने के रूप में यदि अच्छा किसान है तो, देश-विदेश में किस प्रकार से अच्छी खेती की जाती है, वहां किसान को ले जाने के लिये, भ्रमण कराने के लिये प्रोत्साहन के रूप में, एवार्ड के रूप में यह घोषणा की गयी है जिससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। रासायनिक खाद के द्वारा जो खेती होती है जिसे आज रोग की जननी कह सकते हैं, वह कम होगी। मैं माननीय वसुंधरा जी को इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि अभी जब अन्नदाता के ऊपर संकट की घड़ी आयी, ओलावृष्टि व अतिवृष्टि से नुकसान हुआ तो उन्होंने तुरन्त ही कार्यवाही करते हुए, सदन के प्रश्नकाल को भी महत्व न देते हुए, किसान को हम किस प्रकार से सहायता प्रदान कर सकते हैं, साढे तीन घंटे की चर्चा यहां की गयी और सभी माननीय विधायकों और मंत्रियों को अपने क्षेत्र में जाने के लिये कहा गया। मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है तो सबसे ज्यादा किसानों के हित का ध्यान रखती है। किसान की जितनी मदद की जाए, वह कम है क्योंकि वह देश का अन्नदाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्रीजी को एक निवेदन है, किसान की किसी भी रूप में मृत्यु होने पर, वैसे तो किसान अपने खेत में यदि कृषि कार्य कर रहा है तो उसकी मृत्यु होने पर उसको पांच लाख रुपये की सहायता दी जाती है लेकिन मेरा इसमें विशेष निवेदन है कि यदि किसान की 60 साल की उम्र में या उससे पहले मृत्यु हो जाती है, चाहे वह मृत्यु किसी गम्भीर बीमारी से हो या हार्ट अटैक से हो या कैंसर से हो, लकवा से हो, एक्सीडेंट से हो, उसको पांच लाख रुपये की सहायता दी जानी चाहिये। उसके पीछे यदि कोई व्यक्ति कमाने वाला नहीं है तो उसको पांच लाख की सहायता दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोरधन (धोद): दो मिनट, दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, आपको ग्यारह मिनट हो गये।

श्री गोरधन (धोद): मेरा विशेष आग्रह है कि पहले कृषि मंडी से सड़कें दी जाती थीं, उन सड़कों को वापस चालू किया जाए। मेरे विधान सभा क्षेत्र धोद में रसीदपुरा में प्याज मंडी व अनुसंधान केन्द्र की घोषणा की गयी थी, उसकी बजट में घोषणा की जाए और उसको करवाया जाए। लोसल नगरपालिका क्षेत्र में मंडी की स्थापना की जाए। अतिवृष्टि और ओलावृष्टि के समय एक किसान को इकाई मानते हुए उसका सर्वे किया जाए। डार्क जोन में किसानों को पीने के लिये पांच एचपी सिंगल फेज का कनेक्शन दिया जाए। गौ शालाओं की देखरेख का पूर्णत: ध्यान और रखरखाव सरकार अपने हाथ में ले, यही मेरा आपसे अनुरोध है, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता कटारा।

श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, बोलने का समय नहीं दिया इसलिए मैं टेबल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप टेबल पर रखें, बहुत अच्छे। यह रिकार्ड पर जाएगा। श्रीमती अनिता कटारा।

(माननीय सदस्य श्री कन्हैया लाल (मालपुरा) द्वारा मांग संख्या 37, 39 व 36 के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

(लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्यवाही के तहत मांग संख्या 37, 39 और 36 पर मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपकी आभारी हूं। हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, मैं किसानों को भगवान से भी ऊपर मानती हूं क्योंकि मनुष्य को जीवनदान देने का कार्य भगवान करता है परन्तु जन्म लेने वाला बच्चा आंखे खोलता है तो उसे किसान के वहां से दूध लाकर पिलाया जाता है। जन्म लेने वाला बच्चा कितना भी अमीर घर में जन्म ले, फिर भी दूध से उसकी शुरूआत होती है। आज व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, उसके खून में किसान की मेहनत ताकत बनकर रगों में दौड़ती है। आटा, चावल खा कर वह व्यक्ति डाक्टर, इंजीनियर, टीचर, वैज्ञानिक, वकील बनता है, वह किसान की ही मेहनत का फल है। जीवन देने का काम भगवान करता है, संवारने का काम किसान करता है।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जनजाति क्षेत्र के सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सभी वर्गों के किसान काफी गरीब हैं। यहां के लोगों की रोजी-रोटी कृषि

(श्रीमती अनिता कटारा)

है। इस क्षेत्र के किसानों के लिये विशेष पैकेज देकर आधुनिक कृषि से जोड़ने के लिये सरकार को विचार करना चाहिये। यहां के किसानों को कृषि के लिये बिजली कनेक्शन देने की समय अवधि कम कर जल्दी ही उपलब्ध कराने की जरूरत है। किसानों को कृषि तकनीकी की जानकारी वागड़ी भाषा में मिले। राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा इस बजट में जनजाति उप योजना के सभी वर्गों के किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए दो लाख किसानों को नि:शुल्क मक्का बीज किट उपलब्ध कराने की घोषणा स्वागत योग्य है। यहां के किसानों को नि:शुल्क खाद भी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि जनजाति उपयोजना की सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिये आर्थिक सहयोग सरकार द्वारा करने की जरूरत है। इन समितियों के माध्यम से मिनी बैंक संचालित हैं। सरकार द्वारा संचालित मनरेगा सहित कई योजनाओं का भुगतान इन समितियों के माध्यम से संचालित मिनी बैंकों से होता है। इस सेवा के एवज में इन समितियों को आर्थिक मजबूती देने के लिये कुछ फीसदी राशि तय करनी चाहिये। इन समितियों के माध्यम से उचित मूल्य की दुकान चलायी जाती है, वहीं सामान के स्टोर के लिये गोदाम की आवश्यकता रहती है, सभी समितियों को गोदाम निर्माण के लिये बजट देने की कृपा करें।

सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी लोगों की आजीविका है। इस क्षेत्र में उपखण्ड मुख्यालय पर आधुनिक चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता है। हर पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय की जरूरत है। साथ ही पशुपालन को बढ़ावा मिले, उसके लिये विशेष पैकेज की जरूरत है ताकि इस क्षेत्र के पशुपालक विकास की मुख्य धारा से जुड सकें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री भंवर सिंह भाटी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांग संख्या 37, 36 व 39 पर अपनी बात रखने के लिये आपने समय दिया, आपका आभार।

श्री अध्यक्ष: श्रीमान्, 10 मिनट।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं इन विभागों से सम्बन्धित मुख्य मुख्य मांगों पर आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान

(श्री भंवरसिंह)

आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में और हमारे बीकानेर सम्भाग में डिग्गियों के निर्माण हेतु 2013-14 तक निर्माण की लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था। 2014-15 में भाजपा की सरकार बनने के बाद डिग्गी निर्माण की लागत का 25 प्रतिशत अनुदान कर दिया गया। अध्यक्ष महोदय, डिग्गियों पर अनुदान राशि कम करने से डिग्गी का निर्माण किसान के लिए बड़ा भारी हो गया है क्योंकि डिग्गियों के निर्माण की सामग्री लागत में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में 20 लाख लीटर की डिग्गी पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था तो लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण किया गया। 2014-15 में 20 लाख लीटर की डिग्गी पर अनुदान 25 प्रतिशत कर दिया गया जिससे लक्ष्य के विपरीत कम डिग्गियों का निर्माण हुआ। अध्यक्ष महोदय, डिग्गी निर्माण पर अनुदान की राशि का निर्माण लागत का 50 प्रतिशत किए जाने की मैं मांग करता हूं, साथ में डिग्गी निर्माण का प्रदेश और विशेषकर बीकानेर जिले का लक्ष्य बढ़ाने की मैं मांग करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, सोलर इकाई पर अनुदान 2013-14 में 86 प्रतिशत था जिसें 2014 में कम कर दिया दिया। अध्यक्ष महोदय, 2013-14 में सोलर यूनिट का लागत मूल्य 4 लाख 67 हजार था, एक किसान को 67 हजार रुपये हिस्सा राशि देनी होती थी। लेकिन 2014-15 में सोलर यूनिट की लागत 6 लाख 57 हजार हो गयी और कृषक की हिस्सा राशि 1 लाख 85 हजार 770 रुपये कर दी गयी। अनुदान राशि में भारी कमी की गयी जिसकी वजह से बीकानेर जिले में और प्रदेश में सोलर इकाइयां लगाने में किसान को भारी आर्थिक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सोलर इकाई पर नहरी क्षेत्र में और पूरे राज्य में अनुदान पहले की तरह 86 प्रतिशत किया जाए जिससे सोलर इकाइयां लग सकें।

अध्यक्ष महोदय, सूक्ष्म बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति योजना जिसे माइक्रो इर्रिगेशन भी कहा जाता है, वर्ष 2013-14 में बूंद-बूंद सिंचाई योजना में लागत का 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था जिसे 2014-15 में 50 प्रतिशत कर दिया गया। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना पर अनुदान पुन: 90 प्रतिशत करने की मैं मांग करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले के कोलायत और खाजूवाला क्षेत्र को विकसित ब्लाक मानते हुए यहां सिर्फ 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और जिले की अन्य पंचायत समितियों में ज्यादा दिया जाता है। मेरा मंत्री महोदय

(श्री भंवरसिंह)

से निवेदन रहेगा कि बीकानेर के खाजूवाला और कोलायत ब्लाक को विकसित नहीं माना जाए, क्योंकि यह बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और इसमें अन्य ब्लाकों की तरह सुविधाएं दी जाएं।

अध्यक्ष महोदय, ग्रीन हाउस के माध्यम से नर्सरी और सब्जियों की खेती के लिए 2013-14 में 75 प्रतिशत अनुदान लघु और सीमांत कृषकों को दिया जाता था और अन्य सभी कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता था। 2014-15 में अनुदान राशि 50 प्रतिशत कर दी गयी जिससे ग्रीन हाउस बनाने का काम काफी पिछड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कृषि क्षेत्र में दिये जा रहे सभी तरह के अनुदान में वर्ष 2014-15 में भारी कटौती की गयी है जिससे इन योजनाओं का किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा मंत्री महोदय से कि इन सभी योजनाओं में केन्द्र सरकार से मांग की जाए कि अनुदान बढ़ाया जाए। अन्यथा राज्य, केन्द्र सरकार के द्वारा जो कटौती की गयी है, वह अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की मांग पिछले कई दिनों से चल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बीकानेर का स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय तमाम तरह के मापदण्ड पूरे करता है- जमीन की उपलब्धता है, भवन की उपलब्धता है, वैज्ञानिकों की पूरी टीम है। सरकार को कम से कम एक हजार करोड़ रुपये की लागत कम आएगी। मेरा निवेदन रहेगा कि केन्द्र के बजट में प्रधानमंत्रीजी ने पिछले साल घोषणा की थी कि राजस्थान में एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय दिया जाएगा, तो वह केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर जिले को दिया जाए, स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय को दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, खेत में काम करते समय किसान की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये देने की घोषणा की गयी थी, उस पर अभी तक पूरी तरह से पालना नहीं हो रही है, मैं कहना चाहूंगा कि इस पर कार्यवाही की जाए। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में बीज विज्ञान केन्द्र नहीं है, राजस्थान के करीब-करीब सभी जिलों में बीज विज्ञान केन्द्र है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में दो-दो बीज विज्ञान केन्द्र हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि बीकानेर जिले में भी बीज विज्ञान केन्द्र खोला जाए। समर्थन मूल्य पर बीकानेर जिले में

(श्री भंवरसिंह)

मूंगफली, चना आदि की फसलों की पिछले एक साल में कोई खरीद नहीं हुई। साल भर पहले जो मूंगफली की खरीद की गयी थी, बीकानेर जिले के डूंगरगढ़, नोखा, लूणकरणसर के किसानों के लाखों रुपये समर्थन मूल्य पर मूंगफली के बकाया पड़े हैं। 15 महीने बाद भी किसानों को यह राशि नहीं दी गयी है, किसानों पर भारी आर्थिक संकट है। मेरा निवेदन रहेगा कि वह राशि किसानों को दी जाए। खेत में रहने वाले किसान को सिंगल फेस घरेलू कृषि कनेक्शन दिया जाए जिससे किसान ढाणियों में अपने बच्चों को पढ़ा सके और ढाणी में रोशनी कर सके।

तूफानी ओलावृष्टि से किसान बर्बाद हुआ है, इस ओलावृष्टि से बीकानेर जिले में जो गिरदावरी की जा रही है वह निष्पक्षता से नहीं की जा रही है। मेरी मांग रहेगी कि मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए किसानों का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान का सही आकलन करके किसानों को फायदा दिया जाए।

सहकारिता में जीरो प्रतिशत ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये तक का जो ऋण दिया जाता है, उस ऋण में बीकानेर जिले में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी 60 हजार रुपये तक ही किसानों को दिया जा रहा है। मेरी सहकारिता मंत्रीजी से मांग रहेगी कि डेढ़ लाख रुपये की सीमा तक किसानों को सहकारी ऋण दिया जाए। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जीरो परसेंट ब्याज योजना में आज तक जो किसान ऋण ले रहे हैं, उसके अलावा नये किसानों को ऋण नहीं दिया जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि बीकानेर जिले के और प्रदेश के किसानों को, नये किसानों को भी इस योजना का फायदा दिया जाए। ब्याज बिना बहुत ही कम किसानों को लाभ दिया जा रहा है, इसमें गौर फर्माएं।

बीकानेर और कोलायत की एक संयुक्त क्रय-विक्रय सहकारी समिति है, कोलायत से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोलायत में अलग से क्रय-विक्रय सहकारी समिति बनाने का आदेश माननीय सहकारिता मंत्रीजी दें।

राजस्थान में व्यवस्थापक बहुत बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। इन व्यवस्थापकों का न तो कोई सर्विस कैडर है, न इनको कोई निश्चित मानदेय मिलता है। न इनको चिकित्सा भत्ता मिलता है, न इनका कोई पीएफ काटा जाता है, न ही सेवानिवृत्ति के बाद इनकी पेंशन का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हर तरह का कार्य व्यवस्थापक करते हैं

(श्री भंवरसिंह)

लेकिन आज तक किसी सरकार ने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन रहेगा कि इनका एक निश्चित कैडर बनाकर इनको पूरे सरकारी कर्मचारियों के लाभ दिए जाएं। व्यवस्थापकों के राजस्थान में जितने भी पद खाली हैं, उन तमाम पदों को भरने की कृपा करें।

आज से कई साल पहले भूमि विकास बैंकों से राजस्थान में सारे किसान ऋण लेते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि बीकानेर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में भूमि विकास बैंक से किसान ऋण नहीं ले रहे हैं। आज से कई वर्षों पहले जो ब्याज दर थी, आज भी उसी ब्याज दर पर भूमि विकास बैंक चल रहे हैं। मेरा निवेदन रहेगा कि भूमि विकास बैंकों के माध्यम से किसानों को कम ब्याज पर ऋण दिया जाए।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोली जाए। चाहे नरेगा का कार्य हो, चाहे अन्य कार्य हो, तमाम तरह के कार्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में पशुपालन और चिकित्सा पर निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में गोचर भूमि की कोई कमी नहीं है लेकिन पूरे प्रदेश में गोचर भूमियों पर अतिक्रमण हो रहे हैं। मैं पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश की गोचर भूमियों का सीमांकन किया जाए। उनकी तारबंदी करवाई जाए। कब्जे में लेकर वन विभाग द्वारा पौधारोपण किया जाए, सेवण घास लगाई जाए जिससे गोचर भूमियों का संरक्षण हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): राजस्थान में बीकानेर में गो अभयारण्य बनाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी के 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम के दौरान की गयी थी। मेरा निवेदन रहेगा कि बीकानेर में गो अभयारण्य बनाने की जो घोषणा की गयी है, उसको आने वाले समय में लागू किया जाए। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा राज्य की गौशालाओं को अनुदान देने की योजना शुरू की गयी थी तथा विकलांग पशु धन के लिए

(श्री भंवरसिंह)

गोशालाओं को वर्षभर अनुदान दिये जाने का भी कार्य शुरू किया गया था, लेकिन आपकी सरकार के द्वारा राज्य में गोशालाओं को दिया जाने वाला अनुदान बंद कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अभावग्रस्त जिलों में, अकालग्रस्त जिलों में भी गोशालाओं को अनुदान बंद कर दिया गया है। बीकानेर ही नहीं बल्कि जैसलमेर, बाड़मेर में सैकड़ों, हजारों गाएं आज बिना अनुदान के मर रही हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गाय के नाम पर और राम के नाम पर राजनीति करके, वोट मांग कर यह सरकार बनी है। आज गाय के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। मेरा निवेदन रहेगा कि गाय पर ध्यान दीजिये और राजस्थान की तमाम गोशालाओं पर अनुदान देने की योजना शुरू की जाए।

(18.00 बजे)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। मुख्य मंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना में पर्याप्त दवाएं बीकानेर ही नहीं, बल्कि प्रदेश में नहीं मिल पा रही हैं, इनकी पर्याप्त व्यवस्था की जाय।

अन्त में मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में चिकित्सकों के और चिकित्सा विभाग में 50 प्रतिशत से भी अधिक पद रिक्त चल रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सा अधिकारी के 14 पद हैं और 6 पद भरे हुए हैं। वी.ओ. के नौ पद हैं और 4 पद भरे हुए हैं। वी.ए. के 8 पद हैं, 8 के 8 ही खाली हैं। एल.एस.ए. के 25 पद हैं, उसमें से 19 खाली हैं। पशुधन... (व्यवधान) के 16 पद खाली हैं।

श्री अध्यक्ष: खाली पदों की सूची दे दीजिये आप। (व्यवधान) श्री पूराराम चौधरी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): मेरा निवेदन रहेगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेवड़ा, गिरासर, बसरपुर ये तीन पशु चिकित्सालय बंद हैं...

श्री अध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक मिनट, आधा मिनट। (व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप खाली पदों की सूची दे दीजिये न। (व्यवधान) सूची दे दीजिये खाली पदों की।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 36, 37 और 39 पर आज जो चर्चा हो रही है उसमें मैं आपकी अनुमति से भाग लेते हुए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दस मिनट।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): दस मिनट, मैं कभी बोलता ही नहीं हूं। दस मिनट ही बोलूंगा, चिन्ता मत करो आप।

श्री अध्यक्ष: हां, आप तो कभी बोलते नहीं हैं।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल मांग संख्या 37 पर ही बोलूंगा। भारत एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान देश है, इसमें 58 प्रतिशत किसान सिर्फ खेती पर निर्भर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में राजस्थान के अन्दर इस बार आपदा आयी। सबसे ज्यादा ईसबगोल और जीरे की खेती जालौर जिले के अन्दर होती है, लेकिन, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी मेरा निवेदन है और माननीय आपदा राहत मंत्री से भी, कि जालौर जिले को सिर्फ 16.73 लाख रुपये दिये गये, जो कुछ है भी नहीं, और 80 प्रतिशत नुकसान हुआ। आप तो जालौर जिले से एम.पी. भी रहे हुए हैं, बागोड़ा तहसील में 80 प्रतिशत नुकसान ईसबगोल का हुआ है, जीरे का नुकसान हुआ है। हमारे उधर मेन पानी के जो सोर्स हैं, वे कम से कम 700 फीट तक नीचे चले गये हैं और पूरा डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। डार्क जोन घोषित होने की वजह से हमारे को पानी की बहुत बड़ी समस्या, पीने के पानी की भी समस्या आ जाएगी। गुजरात के अन्दर सुजलाम सुफलाम योजना जो लागू की गयी है, वह एक योजना जालौर जिले में लागू हो सकती है। 1966 का एक समझौता था, 1984 में खोसला आयोग की रिपोर्ट आयी और 1988 के अन्दर समझौता हुआ। गुजरात का पानी, राजस्थान का माही का पानी बहकर गुजरात के कडाणा बांध में जाता है। कडाणा बांध हमारे बहुत ही नजदीक है। माही का पानी यदि हम लेने जाएंगे तो माही के पानी में बहुत समय लग जाएगा। यह योजना जो बनी थी उसका एक समझौता था, 1966 में यह समझौता हुआ था। उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्वर्गीय नाथूरामजी मिर्धा थे और गुजरात के पंसोली साहब, ऐसे कुछ थे। सुजलाम सुफलाम योजना हमारे जो बांध बने हुए हैं पाली, जालौर, सिरोही में, कई बांध हैं, जैसे करोटी बांध है, सूकली सेलवाड़ा है, जवाई है, बांडी सांध्रा है और सावीधर है, इन बांधों के अन्दर यह पानी यदि डाल दिया जाए तो आपकी अनुमति से

(श्री पूराराम चौधरी)

मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि हम पी.पी.पी. योजना में जनता से और किसानों से भी पैसा दिलाने के लिये तैयार हैं। यह पानी की मेन योजना है, बहुत बरसों से किसान भी आन्दोलन कर रहे हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है और माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी निवेदन है कि फिलहाल सर्वे के लिये जालौर जिले के अन्दर माही नदी का एक सर्वे आफिस खोला जाए और सुजलाम सुफलाम योजना में जो कडाणा बांध से पानी है, उस पानी को जल्दी से जल्दी दिलाया जाए। कम खर्चे में यह योजना लागू हो सकती है, कम खर्चे के अन्दर, इसलिये एक एस.ई. आफिस खोला जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी की जब यात्रा थी, तब उन्होंने जालौर जिले के अन्दर, कृषि विश्वविद्यालय केसवना में बनाया हुआ है, मगर कृषि विश्वविद्यालय की घोषणा नहीं हुई है, इसलिये एक कृषि विश्वविद्यालय जालौर के अन्दर खोला जाए। आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: बहुत कृपा की आपने। श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 36, 37 और 39 पर चर्चा करने के लिये आज आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जब सूरतगढ़ हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी आये थे, उन्होंने आह्वान किया था कि अब मृदा का परीक्षण करने की जरूरत है। भूमि की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, तभी जाकर किसान को उचित, सही पैदावार मिल सकेगी। मृदा परीक्षण के ऊपर बहुत अधिक दबाव बनाने की जरूरत है। पहले भी हमने यहां पर 32 प्रयोगशालाएं राजस्थान में की हुई हैं जहां पर लगभग तीन लाख नमूने प्रति वर्ष जांच करके दिये जा रहे हैं। इसको और अधिक व्यापक करने की जरूरत है। किसान को यह पता चलेगा कि मेरी जमीन में किस प्रकार का बीज बोना चाहिए ताकि सही पैदावार मिल सके। इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। मृदा परीक्षण के बाद वहां पर किस प्रकार की खेती की जानी चाहिए, वैसा बीज भी उपलब्ध करवाया जा सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करवानी चाहिए। तब जाकर किसान सही पैदावार ले सकेगा।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि किसान जब खेती करता है और वह अपने खेत में फ्लड इर्रिगेशन करवाता है तो उससे

(श्री मदन राठौड़)

अधिक पानी भी बर्बाद होता है और फसल भी सही पैदा नहीं हो सकती है। इसके लिये स्प्रिंकलर पद्धति अपनाने के लिये बढ़ावा देना चाहिए। स्प्रिंकलर पद्धति के लिये कई किसान आवेदन करते रहते हैं लेकिन उनको समय पर मिल नहीं पा रहा है। इसको सुदृढ़ करना चाहिए कि जो किसान लेना चाहे, उसको अनुदान दिया जाए। निश्चित रूप से उस किसान को मिल जाए। केवल इसका ध्यान रखना कि हम कितनी संख्या में देते हैं, उससे अधिक यदि किसान मांगेंगे तो उनको मिलेगा नहीं, यह ठीक बात नहीं है। जो बीज दिया जा रहा है, उसके किट्स जो वितरित कर रहे हैं, उसमें भी सब किसानों को पता नहीं है कि किट्स मिल रहे हैं। वे केवल कुछ ही लोगों को दिये जा रहे हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से लेते रहे हैं, प्रति वर्ष वही लेते रहते हैं। बाकी किसानों को मिलता नहीं है। यह ठीक बात नहीं है।

एक मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब किसान की फसल पैदा होती है, तैयार हो जाती है, उस समय नरेगा चलता रहता है। नरेगा का मजदूर किसान को मिल सके, कृषि को नरेगा से जोड़ दिया जाए। जैसे किसान 50 बीघा खेत जोतता है तो गिरदावरी के हिसाब से, 50 बीघा के हिसाब से उसको मस्टररोल मिल जाना चाहिए। यदि किसी ने 5 बीघा खेती बोई है तो पांच बीघा के हिसाब से उसको मस्टररोल मिल जाए। वहां पर जब नरेगा का मजदूर आएगा तो कुछ प्रतिशत सरकार वहन कर ले मस्टररोल के हिसाब से, और कुछ प्रतिशत राशि किसान दे तो निश्चित रूप से उस किसान को लाभ मिलेगा। मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय भी विचार करें, किसान को नरेगा का मजदूर उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हम जानते हैं कि कोई भी व्यापारी पहले अपने आर्डर्स लेता है। पहले इलाके में एजेण्ट घूम-घूम कर आर्डर लेकर आता है और उसके बाद में वह उद्यमी माल पैदा करता है। इसलिये उस उद्यमी को पता रहता है कि मैंने जितना माल पहले बेचा है उसकी रेट क्या है, फिर वह तैयार करता है। यदि उसको लाभ मिलेगा तभी वह माल तैयार करेगा, नहीं तो आर्डर्स असैप्ट नहीं करता है। लेकिन किसान के साथ में ऐसा नहीं होता है क्योंकि किसान मानसून पर निर्भर करता है। परम्परागत खेती करता है। एक साथ मानसून आता है, सारे किसान एक साथ खेती बोते हैं और उपज भी एक साथ मार्केट में आती है। जब उपज एक साथ मार्केट में आएगी, मार्केट में

(श्री मदन राठौड़)

अधिक माल लेकर आने वाले किसान हैं तो भाव घट जाते हैं। किसान को उचित मूल्य मिलता नहीं है। इसके लिये मेरा एक सुझाव है, अध्यक्ष महोदय, कि उस किसान को सी.सी. लिमिट मिलनी चाहिए। अपने खुद के गोदाम में वह माल रखे और बैंक उसका 80 प्रतिशत कर्जा दे देवे। जितना माल पैदा हुआ है, उसकी कीमत का 80 प्रतिशत अगर कर्जा बैंक दे देवे, उस पर 6 प्रतिशत या 4 प्रतिशत ब्याज वसूले तो मैं सोचता हूं कि किसान को लाभ मिलेगा। वह जब चाहेगा, जब मार्केट में भाव आएगा तब अपना माल बेचेगा। नहीं तो मजबूरन क्योंकि किसान पर तो कर्जा चढ़ा हुआ होता है और वह मजबूर हो जाता है। फिर औने-पौने दामों में अपना माल उसको बेचना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर तकाजा रहता है जिससे उसने कर्जा लिया है। इसलिए यह व्यवस्था होनी चाहिए कि किसान को भी सी.सी. लिमिट मिले ताकि किसान अपनी उपज जब चाहे तब बेच कर लाभ ले सके।

बीमा के लिए जैसा अभी कहा गया, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने इंडिविजुअल एक किसान की फसल को इस बार लाभ देने का निर्णय ले लिया है। पहले तो तहसील को इकाई मानकर या ग्राम पंचायत को इकाई मानकर या रेवेन्यू विलेज को मानकर इस प्रकार का होता था। इस बार यदि पूरे जिले में एक भी किसान की फसल हानि हुई है तो उसको भी लाभ मिलेगा, यह उन्होंने घोषणा की है। मैं सोचता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है, इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जैसे किसान के खेत पर थ्री-फेस बिजली कनेक्शन है तो वहां पर सिंगल फेस का ट्रांसफार्मर भी लगाया जाना चाहिए। उसके बच्चे पढ़ सकें, इस प्रकार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। अभी केन्द्र के ऊर्जा मंत्रीजी आये थे, उन्होंने यह घोषणा की थी कि अगर कहीं पर भी, ढाणी में भी कोई है, वहां पर भी हम कनेक्शन देंगे। यदि कहीं पर भी कोई बिजली का कनेक्शन लेना चाहेगा तो उसको उपलब्ध करवाया जाएगा। यह व्यवस्था राजस्थान में बहुत शीघ्र लागू हो जाए ताकि उनके बच्चे भी पढ़ सकें, उनको भी इस प्रकार का कनेक्शन मिल सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब किसानों को भ्रमण के लिए भेजते हैं तो कई किसान विदेश में जाते हैं, वे केवल घूम-घाम कर आ जाते हैं। यह ठीक

(श्री मदन राठौड़)

बात नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वापस आकर कितने लोगों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया और कितने लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया है तो उनसे वसूली की जानी चाहिए। आप घूम कर आये, जितना खर्चा सरकार का होता है, उसमें किसान भी भागीदार है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): फिर तो मंत्रीजी से भी वसूल करो, मंत्रीजी गये थे।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): नहीं, मंत्रीजी ने तो किया है। मंत्रीजी जब विदेश जाकर आये तो वहां पर जैतून की खेती या स्प्रिंकलर खेती या ड्रिप इर्रिगेशन की खेती का इन्होंने बहुत प्रशिक्षण देने का काम किया था। हम सबको भी यह लेकर गये थे कि किस प्रकार से...(व्यवधान) हां, बिलकुल डैमो किया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुझे पता है कि समय की सीमा है लेकिन एक बात आप जानते हैं कि प्रकृति तो अनुपात समान करती है नर और मादा में। मनुष्यों में थोड़ा गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि मादा का भ्रूण परीक्षण करवाकर उसको समाप्त कर देते हैं, करवा देते हैं। लेकिन प्रकृति जब समान अनुपात में पैदा करती है तो आज बैल की क्या स्थिति है? गाय को बचाने की चिंता तो हम सब लोग कर रहे हैं। गौ रक्षा के लिए अनुदान की मांग सब जगह पर की जा रही है और हम सब यह प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बैल अनुपयोगी हो गया है। बैल का उपयोग नहीं हो रहा है। जब बैल का उपयोग नहीं हो रहा है तो वह फिर कटने के लिए जा रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, मंत्रीजी भी यहां पर बैठे हैं, इस पर जरा चिंता करनी चाहिए। एक आविष्कार हुआ था बैल ट्रैक्टर का। बैल ट्रैक्टर, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि एक साइकल चलाता है कोई व्यक्ति और वह एक पैडल मारता है, आगे वह पैडल लगाता है तो पीछे का पैडल उसका छोटा होता है और वह व्हील बहुत बड़ा होता है तो कई लम्बी दूरी वह तय कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से बैल ट्रैक्टर का आविष्कार किया गया, उस पर सब्सिडी दी जानी चाहिए। मैं सोचता हूं कि उस पर 80 परसेंट सब्सिडी दी जाए तो वह वायबल हो जाएगा। आज डीजल-पैट्रोल के भाव भी बढ़ते जा रहे हैं, यदि बैल ट्रैक्टर के आविष्कार को यदि अधिक ताकत दी जाए, उसमें सब्सिडी दी जाए तो निश्चित रूप से बैल का भी उपयोग होगा और हम पशु रक्षा कर सकेंगे। अन्यथा वह पशु तो मर रहा है।

(श्री मदन राठौड़)

ठीक इसी प्रकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बीमा होता है पशु का, घोड़े का बीमा नहीं हो रहा है। घोड़े की कीमत भी बहुत है। मैं सोचता हूं कि 30-30, 40-40, 50-50 लाख, 60-60 लाख का घोड़ा होता है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपके पास भी है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): लेकिन मेरा नहीं है। मेरे इलाके में बहुत हैं। उसका बीमा ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सदस्य का है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप चिंता मत करो, मेरे घोड़े नहीं हैं। यह कहते हैं न कि व्यक्तिगत बात नहीं उठानी चाहिए, ये वकील हैं तो ये वकालत उलटी मेरी ही कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): घोड़ा तो नहीं है पर घोड़ी है आपके। आप कह दो कि नहीं है घोड़ी आपके?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह आपको पता नहीं कैसे पता चलता है कि वह घोड़ी है कि घोड़ा है। यह आपका ध्यान कहां रहता है, यह आप जानो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह संसदीय कार्य मंत्री हैं, सबका ध्यान रखते हैं कि किसके पास क्या है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जैसे कोआपरेटिव की बात आ रही है, यह बात बिलकुल सही है कि वहां पर भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। एक प्रश्न के उत्तर में आया था कि लगातार बैंक्स लाभ कम प्राप्त कर रही हैं। पहले बैंक बहुत अधिक लाभ प्राप्त करती थीं, फिर धीरे-धीरे लाभ कम होने लग गया। इस पर जरा विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ? यह कम इसलिए होने लगा कि उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। इसकी जो चुनाव प्रणाली है, उसमें भी वे ही लोग मठाधीश बनकर बैठे हुए हैं, लगातार वे ही जीत कर आ रहे हैं। इसके लिए एक तो नये सदस्य बनाये जाने के लिए छूट मिलनी चाहिए। मतलब, सदस्यता बनाई जा सके, इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। दूसरा, इसका जो चुनाव है, मैं सोचता हूं कि इसमें आर.ए.एस. अधिकारी लगाना चाहिए। इस पर जरा विचार करें। आपके जो कर्मचारी चुनाव करवाते हैं, वे भी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी हैं। वे भी इसमें आम लोगों को आने नहीं देते, घुसने नहीं देते। उनका फार्म रिजैक्ट कर देते हैं।

(श्री मदन राठौड़)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हां, मैं बंद कर रहा हूं। बस, केवल दो-तीन बातें कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इसको हमें पारदर्शी बनाना चाहिए। यह चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो। उसमें भी यदि अविश्वास ला सकें, इसको जोड़ सकें तो निश्चित रूप से प्रणाली में थोड़ा संशोधन किया जाए क्योंकि एक बार जो जीत गया वह अपने आपको तीस मार खां समझता है। उसमें कोई दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, अविश्वास उसमें लाया नहीं जा सकता। इसके अलावा उसमें कर्मचारियों पर भी आडिट समय पर होनी चाहिए। कई ऐसे-ऐसे लोगों को ऋण दिये गये हैं, जो कभी था ही नहीं, उस नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। मारवाड़ जंक्शन का अभी एक आडिट में आया था, कहीं खिवाड़ा बैंक का, वहां पर भी इस प्रकार के ऋण दिये गये कि जो लोग हैं नहीं, उनको ऋण बता दिया गया। तो अब कहां से वसूली होगी? कई ऐसे-ऐसे लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

अभी जैसे पाली में एक बैंक के अन्दर सोलर प्लांट लगाया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं मंत्रीजी से भी कहना चाहूंगा कि उसकी जांच करवाएं कि वह सोलर प्लांट जिसमें लाखों रुपया लगा, लेकिन जितने लाख रुपये लगे उतने दिन भी नहीं चला। आप आश्चर्य करेंगे, उसकी जरा जांच करवाएं कि इसमें कहां भ्रष्टाचार हुआ है। क्यों पैसा डुबाया जा रहा है। बैंक तो हमेशा लाभ में रहनी चाहिए। वह घाटे में क्यों है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

खैर, आपने जितना समय दिया, बहुत-बहुत आपका आभार, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जीनगर। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-37, 39 और 36 क्रमश: कृषि, पशुपालन एवं चिकित्सा और सहकारिता पर चर्चा हो रही है, आपने मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: दस मिनट।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): हाल ही में अभी एक आपदा आयी, प्राकृतिक आपदा, और लोगों ने कहा कि राम रूठ गया लेकिन राज नहीं

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

रूठा। राज ने हर सम्भव किसान की मदद करने के लिए यहां पर आपके माध्यम से दो-ढाई-तीन घंटे तक चर्चा करायी। विधायकों को अपने क्षेत्रों में भेजा। हर सम्भव किसान की किस प्रकार से मदद की जा सकती है, हम भी दो दिन तक क्षेत्र में घूमे। वास्तविक रिपोर्ट हमने सरकार को भेजी। किसान को उसकी फसल के खराबे का वास्तविक मुआवजा देने के लिए हर सम्भव प्रयास करने का सरकार ने काम किया है इसलिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

हमारा कृषि प्रधान देश है, कृषि की चर्चा हो रही है और होनी भी चाहिए लेकिन, जिस अनुपात में किसान हैं हमारे देश में, 70 प्रतिशत जनता किसान है, उसके हिसाब से इस सदन में चर्चा नहीं होती है। हम जीत कर आते हैं, हमारा मतदाता यह उम्मीद करता होगा कि हमारा जन-प्रतिनिधि सदन में जाकर हमारे हितों की रक्षा करने के लिए किसान की बात उठाएगा, काम करेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे कृषि मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 'सरकार आपके द्वार' चित्तौड़ जिले में आयी उस समय कृषि मंत्रीजी हमारे प्रभारी थे, मेरे विधान सभा क्षेत्र के। उस समय आपने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाकर दौरा किया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपने पहले ही मुझे सब कुछ दे दिया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जब आप क्षेत्र का दौरा कर रहे थे, उस समय आपने लगभग 7-8 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की घोषणा कर दी। सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल भीमगढ़ में आपने कृषि विषय का संकाय खोलने की घोषणा की। एक और आपने महत्वपूर्ण घोषणा की मेरे क्षेत्र में। मेरा क्षेत्र अजवाइन का है, इतनी अजवाइन होती है कि वहां के किसानों को दूर-दूर तक दूसरी मंडियों में ले-जाकर उस पैदावार को बेचना पड़ता है। इस पीड़ा को आपने समझा और उसी समय कपासन उपखण्ड पर आपने अजवाइन मंडी खोलने की घोषणा की। इसके लिये मैं आपको मेरी ओर से और क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बजट में 200 पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करके खोलने की घोषणा की है। इस बजट में हमारी सरकार ने, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 600 पशु चिकित्सालय उप केन्द्र खोलने की भी घोषणा की है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में 70 प्रतिशत से भी ज्यादा किसान है, खेती का काम करता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती के साथ जुड़ा हुआ है। किसान दिन-रात सर्दी, गर्मी और बरसात में अपने खेत में खड़ा रहकर अन्न पैदा करता है। हमारी भूख मिटाता है। लेकिन उस किसान की पीड़ा को कोई नहीं जानता। जानता भी है तो उसके समाधान का काम हम पूरे मनोयोग से नहीं करते हैं। जब तक हम किसान की पीड़ा को नहीं समझेंगे और उसका समाधान नहीं करेंगे, तब तक हमारा यह कहना और करना सार्थक नहीं होगा। एक कहावत है, 'जाके फटी न पैर बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई'। पीर पर्वत-सी हो गयी, पिघलनी चाहिये। विधान सभा के माध्यम से किसानों को मरहम लगे, ऐसी कोई गंगा निकलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में कृषि प्रधान होने के नाते कई समस्याएं आती हैं। किसान खेती करता है और वह यह जानता है कि मैं यह घाटे का धन्धा कर रहा हूं। फिर भी मजबूर है कि जाए तो कहां जाए। उसको इस घाटे के धन्धे को करना पड़ता है। लेकिन नौजवान पीढ़ी, आने वाला किसान का बेटा खेती के प्रति जागरूक नहीं है, उसकी रुचि नहीं है। वह जानता है, मैं खेती में रहूंगा तो हमारे बाप-दादा जिस प्रकार से खेती के अन्दर ही पैर घिस-घिसकर मर गये थे, मैं भी यहीं दफन हो जाऊंगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस घाटे के धन्धे को मुनाफे में बदला जाए।

उद्योगपति अपना उद्योग लगाता है, उस दिन वह माल की लागत निकालता है, उसका मुनाफा निकालता है। इसलिये मेरा आग्रह है इस सदन के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, कि खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए ताकि किसान की लागत का मूल्य निकले और उसको मुनाफा मिले। तब जाकर हम इस सार्थक बहस में सार्थक बात कर पाएंगे।

पिछली सरकार ने कृषि कनेक्शन की बात नहीं की। लगातार पांच साल तक किसानों को कृषि कनेक्शन नहीं दिया गया। हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 40 हजार कृषि कनेक्शन पिछले साल दिये और इस साल 40 हजार कनेक्शन देने की घोषणा की। चाहे मेरा क्षेत्र हो, चाहे किसी का भी क्षेत्र हो, हम सब जानते हैं कि अपनी खेती के लिये जिस भी किसान ने कुआ खुदवा लिया, बोर्ड लगवा लिया, वह येन-केन-प्रकारेण, चाहे उसके कनेक्शन है, या नहीं है,

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

उसमें मोटर डालकर पानी निकाल रहा है और वह खेती कर रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, किसानों को अस्थाई कनेक्शन मिलना चाहिये ताकि बिजली का राजस्व घाटा भी कम हो सके। किसानों को अस्थाई कनेक्शन मिले, यह मैं पुरजोर शब्दों में यहां पर आग्रह करना चाहूंगा।

कृषि में पिछले महीने बड़ा हा-हुल्ला हुआ पूरे राजस्थान में-खाद नहीं, खाद नहीं। मैंने कृषि विभाग में जाकर आंकड़े देखे, खाद तो आया...

एक माननीय सदस्य: आंकड़ों में।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आंकड़ों में नहीं आया। पिछली सरकार के समय जितना खाद आता था, उससे ज्यादा खाद आया। यह रिकार्ड उठाकर देखें। लेकिन इस बार मैं इस बात को मानता हूं कि वितरण व्यवस्था जो होनी चाहिये, वह ठीक नहीं हुई। जिन किसानों के खेती नहीं है, उन्होंने भी खाद की लाइन में लगकर खाद के कट्टे ले-जाकर अपने घरों में रख दिये और फिर खुद ब्लैक-मार्केटिंग करके सरकार को बदनाम करने का काम किया है। उसमें किसका हाथ रहा है, मैं इस सदन में नहीं कहना चाहता।

एक माननीय सदस्य: वे सब कांग्रेसी थे, ऐसा बोलो न।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): वे कौन थे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाओ अपने आप। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपस में चर्चा नहीं करें। आप इधर देखकर बोलें, 10 मिनट हो रहे हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): भविष्य में खाद की कालाबाजारी नहीं हो। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा, एक बार यदि खाद की कालाबाजारी करने की आदत पड़ गयी लोगों में, तो वह रुकेगी नहीं। इसलिये मैं आग्रह करना चाहूंगा कृषि मंत्रीजी से, अगले वर्ष या इस साल कृषि पर्यवेक्षक या हमारा पटवारी या हमारा गिरदावर किसान के खेत में, उसके घर पर जाए, किसान को कितनी खाद की आवश्यकता है, परमिट बनाकर घर पर देकर आए ताकि जिस समय खाद की आवश्यकता हो, परमिट के माध्यम से खाद लेकर आ जाए। कालाबाजारी को हम इस हिसाब से रोक सकते हैं। इसलिये मेरी बात को ध्यान रखकर करें।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कृषि को बढ़ावा मिले। इसके लिये अभी सोलर पम्प की चर्चा चल रही थी। सोलर पम्प और सब्सिडी पूरी होनी चाहिये। कृषि कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, बिजली कनेक्शन नहीं हो रहे हैं तो सोलर पर सब्सिडी बढ़ जाए। हाई ब्रीड बीज, पाली हाउस, ग्रीन हाउस, जैविक खाद ऐसा प्रयोग करके हम उन्नत कृषि कर सकते हैं। किसान पानी का उपयोग अच्छे ढंग से करे, इसके लिये बूंद-बूंद सिंचाई योजना, फव्वारा योजना पर सब्सिडी बढ़ायी जाए। पशुपालन भी खेती के साथ-साथ अच्छा किया जा सकता है। किसान की माली हालत को बढ़ावा देने के लिये, आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिये, पशुपालन के लिये अच्छी नस्ल के पशु हों और उसको सुलभता से ऋण मिल जाए, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिये।

एक निवेदन और करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति उद्योग लगाता है, कोई भी व्हीकल लाता है। उसका बीमा होता है। कृषि का बीमा होता तो है, लेकिन यदि कृषि में कोई नुकसान हो जाए, तो उसकी भरपाई पूरी नहीं होती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि बीमे की जो शर्तें हैं, उद्योग की तर्ज पर, बीमे की शर्तें भी कृषि के साथ जोड़ी जाएं तो यह काम भी आसानी से हो सकता है।

मैं दो-तीन मिनट और लूंगा, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष: दो-तीन मिनट दिये आपको।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): बहुत-बहुत मेहरबानी हुई आपकी। मैं आपका दत्तक पुत्र हूं।

श्री अध्यक्ष: विराजो आप। आठ मिनट ही हुए, इसलिये मैंने कोई मेहरबानी नहीं की आप पर, ले लीजिये आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह हमको बताया ही नहीं आपने।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अब यह रिकार्ड में आ जाएगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे देश के गौरव, हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्रजी मोदी ने चुनाव के अन्तर्गत घोषणा की थी कि नरेगा के साथ कृषि को जोड़ा जा सकता है। जब नरेगा को कृषि के साथ जोड़ा जाएगा, मैं मानता हूं कि किसान की माली हालत ठीक हो जाएगी। इसके लिये मेरा एक सुझाव है। सीमांत काश्तकार या लघु सीमांत काश्तकार जब खेती करता है, उस समय मजदूर नहीं मिलते हैं, तो उस किसान को खुद 100 दिन की नरेगा की हाजिरी

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

दी जा सकती है। कृषि और नरेगा का कनेक्शन एक हो जाएगा तो किसान की माली हालत ठीक हो जाएगी, मेरा एक निवेदन यह है।

दूसरा निवेदन यह है कि जब फसल पक जाती है, ओगा लग जाता है और प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ कभी आगजनी भी होती है, लेकिन आगजनी के अन्तर्गत हम उसको मुआवजा नहीं दे पाते हैं। मुआवजा देने का एक प्रावधान रखा जाए तो किसान के हित में होगा।

एक निवेदन और है कि पशुपालन के साथ-साथ नरेगा को जोड़ा जा सकता है। गाय हमारी माता है। माता का दर्जा देने के बाद भी स्थिति यह है कि गाय को लोग आवारा कहते हैं। मैं गाय को आवारा नहीं कह सकता। गाय बेसहारा है, उसका सहारा हमने छीन लिया है। गाय दर-दर भटक रही है। इसलिये मेरा आग्रह है कि पांच या दस गाय पालने वालों की एक यूनिट बन जाए। पांच या दस गाय जो पालेगा, उस दस या पांच गाय पालने वाले को नरेगा की 100 हाजिरी एक साल में दे दी जाए तो गो-वंश भी बचेगा और किसान की हालत भी ठीक होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: आ गयी, आपकी सारी बातें आ गयीं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक मिनट, एक मिनट और लूंगा।

मैं अंत में यह निवेदन करना चाहता हूं, किसानों ने उम्मीद की थी और हमने भी घोषणा की थी कि जंगली जानवरों से, पशुओं से किसानों की फसलों की रक्षा की जाएगी। कांटेदार तारों की व्यवस्था की जाए, रोजड़ों से रक्षा की जाए। जंगली पशुओं से रक्षा की जाए, इसके लिए कांटेदार तारों पर सब्सिडी दिलाने की कृपा करें।

अंत में एक निवेदन और करना चाहूंगा, मेरे क्षेत्र में कृषि और पशुपालन विभाग में बहुत पद खाली हैं, उन सब पदों को भरने का काम करें।

श्री अध्यक्ष: अब वो खाली पद लिख कर दे दीजिए। वो सारा लिख कर दे दीजिए, कितने खाली हैं।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री नरेन्द्र कुमार। (व्यवधान) आपका नाम नहीं है।

श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मांग संख्या 36, 37, और 39 पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि और कृषकों के विकास के बिना देश का और प्रदेश का विकास सम्भव नहीं है। इस बार सरकार ने किसानों को यूरिया आपूर्ति हेतु अच्छे प्रयास किये परन्तु अभी भी यूरिया आपूर्ति की व्यवस्था स्थायी और अच्छी नहीं है। इसकी स्थायी और अच्छी व्यवस्था की जानी चाहिए। किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज मिले, यह व्यवस्था भी हो।

भारत में राजस्थान में सबसे ज्यादा बाजरा पैदा होता है परन्तु अब भी बाजरे का बीज अन्य राज्यों से मंगवाया जाता है। क्यों न बाजरे के बीज का उत्पादन राजस्थान में ही हो जिससे किसानों को अच्छी गुणवत्ता का बीज सस्ते दामों पर मिल सके। इसके लिए बीज निगम को निर्देश देकर बाजरे का बीज तैयार करवाया जाना चाहिए।

आज किसान आवारा पशुओं की समस्या से भी जूझ रहा है। आवारा पशुओं के लिए अभी विधायक महोदय ने बताया था कि कंटीले तारों की बाड़ हेतु सब्सिडी दी जाए या कोई अन्य प्रकार की व्यवस्था की जाए। या पी.पी.पी. योजना द्वारा भी इसके लिए पशुओं की व्यवस्था की जा सकती है।

फसल बीमा योजना और पशुपालन बीमा योजना है, इसका भी सरलीकरण किया जाए।

अभी आपदा के द्वारा, ओले या ज्यादा वर्षा से नुकसान हो रहा है इसका मुआवजा दिया जा रहा है, इसमें एक यह भी जोड़ा जाना चाहिए, किसान के अनाज निकालने के बाद एक दिन भी खेत में रह जाता है तो कुछ किसानों के उसी दिन चोरी हो जाता है। वो निकाला हुआ पूरा अनाज भी चला जाता है तो उस चोरी होने को भी किसी आपदा में जोड़ा जाना चाहिए। कुछ चारा जो किसानों का खेतों में रह जाता है, वो भी कई बार आग लग जाने से नष्ट हो जाता है तो उसको भी किसी भी आपदा में जोड़ा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पशुपालन के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जिलास्तरीय पशु चिकित्सालय में उपचार के लिए एक्स-रे और सोनोग्राफी आदि की सुविधा उपलब्ध करवायी जाए। नि:शुल्क पशुधन दवा योजना का समुचित लाभ पशुपालकों को दिलाने हेतु विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सकों को अन्य राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब आदि की तर्ज पर नान-प्रैक्टिस अलाउंस

(श्री नरेन्द्र कुमार)

दिया जाए जिससे पशुपालन विभाग के चिकित्सकों द्वारा नि:शुल्क दवा दी जाए एवं पशुपालकों के घर पर जाकर वे इलाज कर सकें।

जिले में विलुप्त होती जा रही ऊंटों की संख्या में बढ़ावा देने हेतु मादा ऊंटों के प्रजनन हेतु एक-मुश्त अनुदान की राशि पालकों को उपलब्ध करवायी जाए।

झुन्झुनूं जिला हरियाणा से जुड़ा होने के कारण यहां मुर्रा नस्ल की भैंसें बहुत ज्यादा हैं, मुर्रा नस्ल का एक प्रजनन कार्य सेन्टर स्वीकृत करवाने की झुन्झुनूं में अनुमति दी जाए।

पशुओं की पंजाब, हरियाणा की तरह पंचायत समिति स्तर पर प्रतियोगिताएं की जाती हैं, जिला स्तर पर भी प्रतियोगिता करवायी जाए और राज्य स्तर पर भी प्रतियोगिता करवायी जाए। उनकी तर्ज पर किसानों को जो इनाम दिया जाता है, अच्छी नस्ल पालने के लिए और ज्यादा दूध देने वाले पशुओं के लिए जो इनाम दिया जाता है, उसकी राशि भी बढ़ायी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के लिए ही सबसे ज्यादा इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो बतायी वो व्यवस्था की जानी चाहिए।

अंत में समय को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यही कहूंगा, माननीय मंत्री महोदयजी, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जीओ कि किसानों के लिए आपकी मिसाल बन जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्री केसाराम चौधरी। बहुत कम समय लेंगे आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बिलकुल, साहब।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप कल बोल चुके। हां, यहां रख दो।

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं टेबल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, आप टेबल कर दें। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री मान सिंह (गंगापुर) एवं श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) द्वारा मांग संख्या 37, 39 व 36 के सम्बन्ध में सदन अपना वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया)

(लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आज नववर्ष विक्रम संवत 2072 की प्रदेश की सभी जनता को और सब को शुभकामनाएं।

अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 36, 37 और 39 पर जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं अपने आपको शामिल करते हुए निवेदन करना चाहता हूं। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का बहुत अहम योगदान होता है। आज कृषि पर चर्चा हो रही है, उसमें अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण काम किया गया और 60 साल से चले आ रहे ढर्रे को किसी ने ठीक करने की सोची है तो राजस्थान की हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने सोची है। जिस तरह से मनुष्य की बीमारी का पता लगाने के लिए डाक्टर की आवश्यकता होती है, उसी तरह से जमीन की बीमारी को ढूंढने का अगर किसी ने प्रयास किया है तो हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे ने किया है। खेती के लिए मेन आधार अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन, अच्छे बीज और पानी की आवश्यकता होती है। इनमें से सबसे पहले जमीन में किस चीज की कमी है- वर्मी कम्पोस्ट की कमी है या देसी खाद की कमी है या यूरिया की कमी है या डी.ए.पी. की है या सी.एन. की है, या एन.पी.के. की है; किस खाद की कमी है, उसकी जांच के लिए मृदा परीक्षण की सुविधा की है। 25 नवीन मृदा प्रयोगशालाओं का निर्माण होगा। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा फोरकास्ट एस्टीमेट के आधार पर 55 स्थानों पर भवन निर्माण के लिए पैसों की स्वीकृति देकर प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी है। मृदा की जांच कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण किये जाएंगे। 7500 लाख रुपये की विस्तृत परियोजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में स्वीकृत की गयी है। इसकी मैं बहुत-बहुत सराहना करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखिये, हरियाणा में यूरिया डाल-डाल कर, डी.ए.पी. डाल-डाल कर जमीन को ऊसर कर दिया है और कैंसर की बीमारियां वहां पैदा हो रही हैं। मगर हमारी मुख्य मंत्री ने जो यह घोषणा की है, जमीन में किस चीज की आवश्यकता है उसी चीज को दिया जाएगा तो जमीन का उपजाऊपन भी बना रहेगा। इसके बाद अच्छी जमीन जब फर्टाइल हो जाएगी तो उसमें अच्छे बीज की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए भरतपुर में नवीन बीज परीक्षण प्रयोगशाला तथा एक कीटनाशक प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय स्वागत योग्य है जिसमें बीज एवं पेस्टीसाइड की गुणवत्ता की जांच-परख की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने जो बीज दिया

(श्री केसाराम चौधरी)

जाता है उसकी गुणवत्ता का कोई पता ही नहीं लगता। पूर्ववर्ती सरकार ने एक बार जोजावर और आसपास में बाजरे का बीज दिया था, छोटी-छोटी दो-दो इंच, तीन-तीन इंच बाजरे की सिट्टियां लगीं। नकली बीज देने के कारण से किसान उस साल पूरा बरबाद हो गया था। अगर किसान को गुणवत्ता का बीज मिलेगा, निश्चित रूप से जांच-परख कर अगर बीज दिया जाएगा तो किसान की पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी।

इसके साथ-साथ बीमारियां होती हैं और बीमारियों में दवाई स्प्रे करते हैं। आज बाजार में नकली दवाइयां इतनी बिक रही हैं कि किसान समझ ही नहीं पाता कि मैंने हर तरह की दवाई डाल दी मगर बीमारी खतम नहीं हो रही है। तो उसकी भी गुणवत्ता की जांच की जाएगी जिससे फसल की सुरक्षा करने में किसान की सहायता होगी।

इस वर्ष गुणवत्ता युक्त बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हेतु विश्वविद्यालयों से एम.ओ.यू. किया है। जहां भी सीड प्रोडक्शन का हमें फील्ड दिया जाता है उस फील्ड की सूचियां हर क्षेत्र में लगनी चाहिए ताकि हरेक व्यक्ति को मालूम रहे कि फलानी जगह पर कपास का सीड प्रोडक्शन हो रहा है, या बाजरे का हो रहा है, या मक्के का हो रहा है। उससे हर व्यक्ति को ध्यान रहेगा। नहीं तो वह क्या करते हैं कि बाहर से बीज खरीदकर, भले ही पैदा कम हुआ हो, डबल बीज पैदा करके रायड़े का बीज थैलियों में झूठा भर देते हैं। नकली बीज आ जाते हैं। इसलिए इसकी गुणवत्ता की तरफ सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बीजों की गुणवत्ता एवं वृहत् शिकायतों के निस्तारण हेतु गुण नियंत्रण प्रकोष्ठ का गठन किया है। इसके लिए भी मैं माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। उनकी गुणवत्ता बनी रहे ताकि उन्हें गुणवत्ता के बीज मिलें। बीजों की दर भी तय करनी चाहिए।

आज बाजार में जो गेहूं बिक रहा है वह बिक रहा है 20 रुपए, 25 रुपए किलो। आप उस गेहूं के बीज की कीमत लेंगे 60 रुपए, 70 रुपए किलो। इतना जो गैप है उसमें आप खेती करके देखें, आपके पास फार्म हाउस है, कि उसमें एक बीघे पर कितनी प्रोडक्शन कास्ट आती है। उस प्रोडक्शन कास्ट के हिसाब से प्रोफिट जोड़कर बीज बेचें। काश्तकार को सस्ते में बीज मिल सकेगा। अगर बीज और जमीन अच्छी होगी और उसमें अच्छा पानी दिया जाएगा, फव्वारे से और ड्रिप इर्रिगेशन से खेती की जाएगी तो उससे पैदावार भी बढ़ेगी

(श्री केसाराम चौधरी)

और एरिया भी बढ़ेगा। किसान को इससे ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मैं निवेदन कर रहा हूं।

मानीय अध्यक्ष महोदय, जमीन अच्छी, बीज अच्छा, पानी अच्छा और फसल तैयार हो गयी, मगर इस वर्ष प्रकृति ने मार मारी और किसान के मुंह में आया जो निवाला था, वह छिन गया। मगर हमारी सरकार की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से पैकेज की घोषणा की और विधायकों एवं सभी जन प्रतिनिधियों को क्षेत्र में भेजा, उससे किसान का मनोबल बढ़ा और किसान को इस त्रासदी को झेलने की हिम्मत मिली।

इस सरकार ने जो पैकेज की घोषणा की है, पहले भेड़-बकरी के लिए 1650 रुपए मिलते थे, वह चाहे 10 मरो, 50 मरो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते थे। मगर हमारी सरकार ने 1 लाख रुपया देने तक की घोषणा की है, इसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। इसके साथ ही ऊंट, भैंस और गाय जो दुधारू पशु थे, उसके लिए 16400 से ज्यादा कोई पैसा नहीं दे सकता था। उसके लिए वसुंधराजी ने 1 लाख 25 हजार के पैकेज की घोषणा की, इसके लिए भी उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। आपदा में मानव की मृत्यु पर डेढ़ लाख रुपये देते थे, उसकी जगह पर 3 लाख रुपये की घोषणा की है। मेरे क्षेत्र में एक महिला की मौत हुई थी, 14 तारीख को ओलावृष्टि हुई और 15 तारीख को ही एसडीएम ने मेरे साथ चलकर डेढ़ लाख रुपये का कैश भुगतान किया। ऐसी तत्परता जो दिखायी है, वह तारीफ़ काबिल है। इससे किसान का मनोबल बढ़ा है और इस त्रासदी को झेलने की हिम्मत बढ़ी है।

गो-पालन विभाग का गठन करके, दो मिनट पशुपालन की बात कह देता हूं और एक सहकारिता की।

श्री अध्यक्ष: दो मिनट, दो से ज्यादा नहीं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): राज्य में 200 उप केन्द्रों को क्रमोन्नत करके पशु चिकित्सालय खोले गये हैं। किन्तु पुराने में मेरी पूरी पंचायत समिति में केवल मात्र 1 डाक्टर है, यह पूर्ववर्ती सरकार की करामात बता रहा हूं, सिंगल वन डाक्टर के भरोसे पूरी पंचायत समिति चल रही है। ऐसे में मैं निवेदन करूंगा कि आप वहां डाक्टर लगाने की व्यवस्था करें। मेरे पिलावनी में एक पशु चिकित्सालय खोलने की मांग करता हूं। 600 नये पशु चिकित्सा केन्द्र स्थापित करेंगे, डुठारिया में एक पशु केन्द्र की मांग करता हूं।

(श्री केसाराम चौधरी)

26 तहसीलों में पशु धन चल आरोग्य इकाई स्थापित की जाए। ऐसी 1 आरोग्य इकाई रानी और मारवाड़ जंक्शन एसडीएम हैड क्वार्टर पर की जाए।

ऊंट को राजकीय पशु तो घोषित किया है लेकिन, दो बात ही कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: कह लीजिये, कह लीजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया है। जिसको हम रेगिस्तानी जहाज कहते हैं। मगर उसको पालने वालों के मन में शंकाएं पैदा हो रही हैं। माननीय मंत्री महोदय, वह कह रहे हैं कि ऊंट का जो बच्चा है, उसको बाहर कैसे ले जाएंगे। राजस्थान से बाहर ले जाएंगे तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी। तरह-तरह की भ्रांतियां फैला रहे हैं। इसको भी आप स्पष्ट करें कि ऊंट को राज्य पशु तो किया है लेकिन पशुपालक यह दिमाग में लगाये बैठे हैं कि हमें इसके भाव नहीं मिलेंगे। आप अपने जवाब में इसका खुलासा करें।

सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं, सहकारिता एक सबके लिए सब एक के लिए, मगर बैंक में जो कर्मचारी हैं, वे घोटाले कर रहे हैं। पाली सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के कैश में 40 लाख रुपये नहीं मिले और दूसरे दिन लाकर रख दिये। कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं मांग करता हूं कि जिस किसी ने भी गड़बड़ की है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। पाली बैंक द्वारा नोटों को गिनने की मशीनें ढाई-ढाई लाख रुपये में खरीदी गयी हैं। ढाई लाख रुपये कीमत देकर नोटों को गिनने की मशीनें लगायी हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। किसानों को फसल बीमा, पीसीबी द्वारा किसान का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लिबर्टी वीडियोकोन कम्पनी, गुजरात की कम्पनी के...

श्री अध्यक्ष: अब नहीं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सिर्फ एक ही बात। सिर्फ एक ही बात।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): लिबर्टी वीडियोकोन कम्पनी के द्वारा बीमा कराया गया।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं। बिलकुल नहीं। एक-एक मिनट नहीं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): डबल प्रीमियम किसानों से लिया गया है।

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सर, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): डबल बीमा हुआ है वह।

श्री अध्यक्ष: बैठिए आप।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): सर, निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर दे दीजिये। लिखकर दे दीजिए।

श्रीमती द्रोपती।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी का भी धन्यवाद करती हूं कि हाल ही प्राकृतिक आपदा से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक खेत को एक इकाई मानते हुए फैसला लिया है। यह बहुत बड़ा फैसला है जो किसान के हित में है। पूरे राजस्थान के किसानों में अच्छा संदेश दिया और अच्छा निर्णय लिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बधाई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र पीलीबंगा के तहसील क्षेत्र रावसर में कृषि उपज मंडी के विस्तार हेतु आईडीएसएमटी योजना में 9 बीघा भूमि को कृषि मंडी समिति को हस्तांतरित करने के आदेश दिनांक 9.6.2014 को मुख्य नगर नियोजक, जयपुर द्वारा जारी कर दिये गये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात आईडीएसएमटी की कमेटी के चेयरमैन को एक बैठक बुलाकर कृषि मंडी विस्तार के आदेशों की पुष्टि कर नगरपालिका रावसर को देनी होती है। आज 9 माह हो चुके हैं, लेकिन चेयरमैन ने इस विषय पर बैठक बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा। जबकि किसानों के हित में कृषि मंडी के विस्तार की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने की हुई है। यह कार्य जनहित में है। इसके कृषि उपज मंडी, रावसर ने नगरपालिका रावसर में 1 करोड़ 13 लाख रुपये जमा करवाये हुए हैं। एक वर्ष से भी ज्यादा समय हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कलक्टर साहब से कई दफा निवेदन कर चुकी हूं फिर भी उक्त कार्यवाही को सम्पन्न करवाने के लिए आईडीएसएमटी की बैठक बुलाने तक का समय नहीं निकाल सके जो बड़ा खेद का विषय है।

(श्रीमती द्रोपती)

आपके माध्यम से मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि कृषि मंडी समिति की 9 बीघा भूमि को हस्तांतरित करने की कार्यवाही हेतु तुरन्त प्रभाव से कलक्टर, हनुमानगढ़ को दिशा-निर्देश देने का आदेश फर्माएं। साथ ही इस विकास कार्य में विलम्ब होने के कारण की भी जांच करवायी जाए। माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा के बाद भी प्रशासन के अधिकारी गम्भीरता से नहीं ले रहे। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि कलक्टर, हनुमानगढ़ ने अभी तक मीटिंग नहीं बुलाई है और न ही मुझसे इस बारे में कोई चर्चा की है? मैंने कई बार आईडीएसएमटी की बैठक बुलाकर मंडी विस्तार की कार्यवाही निस्तारण करने के लिए कहा ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। जब गेहूं का सीजन होता है तो आवक मंडी में बढ़ जाती है। वर्तमान में मंडी का आकार छोटा है, किसानों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कलक्टर, हनुमानगढ़ को आईडीएसएमटी की योजना की बैठक बुलाकर रावसर कृषि मंडी के विस्तार की कार्यवाही के निस्तारण के दिशा-निर्देश जारी करने के आदेश देने का कष्ट करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में भी मेरा निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़ के रावसर के राजकीय चिकित्सालय की 40 बीघा जमीन है। इस पर बाहुबली कब्जा करके इसको कई सालों से बोते आ रहे हैं। सरकार इनसे कब्जा छुड़वाए व इसको स्वयं ठेके पर देकर पशुओं के लिए हरे चारे की खेती करवाए तो मेरे क्षेत्र की बहुत सारी, शहर एवं देहात की गो-शालाओं को हरे चारे का फायदा होगा और बिक्री कर से राजस्व भी अर्जित किया जा सकेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि इस जमीन को उपयोग में लेने के लिए वेटरिनरी कालेज, अनुसंधान केन्द्र या रावी नस्ल की भैंसों हेतु भैंस प्रजनन केन्द्र खुलवाए जा सकते हैं जिससे बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और रावतसर के विकास में यह जमीन काम आ सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि राजकीय पशु चिकित्सालय की चालीस बीघा जमीन को सुरक्षित रखने के लिए और चारदीवारी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को देने का कष्ट करें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और जो सहृदयता दिखाई, उसके लिए आभार व्यक्त करती हूं। नव संवत् और नवरात्रों पर सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।

हाल ही में जो बजट में घोषणाएं हुई हैं 200 उप केन्द्रों की, पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने की बात, अभी तक तो ऐसा लग नहीं रहा कि कितना उस पर मूवमेंट हो पाएगा। (व्यवधान) अभी देखते हैं, कितना होगा। हमारी सरकार ने जो पशुओं के लिए मुफ्त दवा योजना चलायी थी, उसमें ही कितना फर्क आ गया? लोगों को नहीं मिल रही है समय पर दवा।

अलवर जिले में जितने भी पशु चिकित्सकों के खाली पद हैं, उन्हें भरवाया जाए। बानसूर विधान सभा क्षेत्र में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पशु उप केन्द्र खोलने की अभी आवश्यकता है जिसमें ग्राम पंचायत देवसर, ग्राम गुवाड़ा, ईसराकाबास, ये जो चूला के पास में पड़ते हैं जहां आदिवासियों की तरह पिछड़ा वर्ग है, वहां पर खोलेंगे तो फायदा होगा किसानों को।

गो पालन, गो संवर्द्धन और गो वंश संरक्षण का बजट में भी जिक्र किया गया है लेकिन गो संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से कोई विशेष पैकेज नहीं दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इतना कहना चाहती हूं, माननीय मंत्रीजी अगर आप गोवंश को बचाना चाहते हैं, वास्तव में उनका संरक्षण चाहते हैं तो जो गोचर जमीन है, उसी को गोशालाओं के नाम आबंटित करा दें जिससे वहां पैदा होने वाली फसल से गायों को चारा मिल जाएगा, उनको अनाज मिल जाएगा, उनका संरक्षण हो सकेगा। योजनाएं बनाते हैं कि इतना उनको दिया जाएगा, कोई भी उनके लिए योजना बनाकर पैकेज देने की जो बात करते हैं, वह गोशालाओं तक वास्तव में पहुंच नहीं पाता है। गोशालाएं सिर्फ औपचारिकता रह जाती हैं, सिर्फ सरकारी कागजों में पहुंचता है उन तक, मुआवजा नहीं पहुंचता है। पशु चिकित्सा शिविर लगाये जाने चाहिए। अभी हाल ही में बीमारियां फैली थीं, मेरे बानसूर में ग्राम पंचायत फतेहपुर, गूता, शाहपुर, माजरा अहीर, खिवाड़ी, कराना, खेड़ा, मूंगलपुर, श्यामपुरा, अनेक जगह एक-एक ग्राम पंचायत में चालीस-चालीस, तीस-तीस पशु मरे थे जिनमें पता नहीं लग पाया कौनसी बीमारी फैली। इस तरह के पशुओं के लिए रोग निरोधक टीके लगाये जाने चाहिए, प्रशिक्षण

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

शिविर लगाये जाने चाहिए जिससे कि किसान पशुओं को बचा सकें। गरीब किसान की इतनी तो भैंसे मर गयीं, एक-एक भैंस की कीमत सत्तर-अस्सी हजार से लाख रुपए तक की होती है। इनके लिए भी, मंत्री महोदय, कोई व्यवस्था करवायी जाए।

जहां पशु उप केन्द्र खोले गए हैं उनमें भवन नहीं है। अभी जो खोले गये हैं हाल ही, में फतेहपुर में है, रघुनाथपुरा में है, भुर्जा में है, यहां भवन नहीं है तो काफी दिक्कत होती है उप केन्द्र पर जो कम्पाउण्डर है लगा हुआ है उसको।

सहकारी समितियों में लघु अवधि के जो फसली ऋण होते हैं, इनकी उपलब्धता में सरलीकरण होना चाहिए। प्रत्येक जो राजस्व ग्राम है, उस पर एक समिति का गठन होना चाहिए। फसलों में लगने वाले कीड़े की बीमारी के लिए ऐसे शिविर लगने चाहिए, सेमिनार होने चाहिए जिससे किसानों को उसकी जानकारी मिल सके। रसनाली में सबलपुरा, रसनाली, बेरा का बास, बबेरा ये नयी ग्राम पंचायतें हैं, एक सहकारी समिति यहां पर गठित होनी चाहिए। सहकारी समितियों में गोदाम भी बने होने चाहिए। हजारों बोरी अनाज बह-बहकर निकल जाता है बारिश होने पर। किसान को भी नुकसान होता है और जहां तक अनाज पहुंचना चाहिए, वहां तक नहीं मिल पाता है उसे।

मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं कृषि उपज मण्डी में, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए। प्रदेश में फसलों के लिए कीटनाशक दवाओं का, मंत्री महोदय, जो प्रयोग किया जाता है, वह किसानों के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक होता है, जिससे अनाज की पौष्टिकता समाप्त हो जाती है। जैविक खाद को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि किसान को उच्चतम क्वालिटी की फसल मिल सके। बीज भी उच्चतम क्वालिटी का मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए। क्रेडिट कार्ड का सरलीकरण होना चाहिए।

प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगली जानवरों की। इतनी भारी है, जो वन क्षेत्र से लगते हुए क्षेत्र हैं वहां पर सूअर और नील गाय पूरी फसल को बुरी तरह बर्बाद कर देते हैं। उसके लिए या तो कृषि उपज मण्डी की तरफ से बाउण्ड्री करवाई जाए या तार खिंचवाए जाएं जिससे कि उनकी फसल बच सके। ऐसी जो ग्राम पंचायतें हैं, मैने पहले भी जिक्र किया था एक स्थगन के द्वारा भी। किसान बहुत सारे आये थे मिलने के लिए। रामपुर, लेखड़ी, रतनपुरा, बालास, नाथूसर लोच, टीकली का बास,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बामणवास, कांकड, नांगलेड़ी ऐसे गांव हैं जहां पूरी फसल को सूअर बर्बाद कर देते हैं। जो मेन है वह यह कि अभी जो ओलावृष्टि हुई है, इसमें हमारे आठ-दस पंचायतों में तो सौ परसेंट नुकसान हो गया है। गिरूड़ी, नीमूचाना, होलास, रामपुर, सबलपुरा, खेड़ा, मेहराम का बास, घड़ी, लेखड़ी, जयसिंहपुरा में सरसों, जौ, चना, गेहूं की फसल बिलकुल नष्ट हो चुकी है। इन्हें विशेष मुआवजा मिलना चाहिए। इनका बिजली का बिल माफ होना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड से जो लोन ले रखा है, वह भी माफ होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और रिक्वैस्ट करना चाहूंगी। कोटा सम्भाग में कल हम गये थे तो वहां किसानों की जो फसल थी, वह पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। उनके वहां हथकरघा का काम है, जो हथकरघा व्यापारी हैं, लघु उद्योग चलाते हैं, उनके लिए मिट्टी का तेल पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाता है। वे इतने परेशान हैं, वहां पर जो महिलाएं थीं वे रो-रो कर बता रही थीं कि, मैडम, अब हमें महीने के लिए राशन चाहिए, बच्चों की स्कूल के लिए फीस चाहिए। हमारी व्यवस्था की जाए पूर्ण रूप से कि हम घर पर जाकर बच्चों को पाल सकें, अपना खर्चा उठा सकें। कोई विशेष योजना, विशेष पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से किसानों के लिए करवाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके दो आदमियों की पार्टी है और रोज आप बोलना चाहें, यह सम्भव नहीं है।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट दे दो।

श्री अध्यक्ष: निर्दलीय भी हैं और। अभी केवल पांच मिनट देता हूं लेकिन कल नहीं दूंगा। पांच मिनट। (व्यवधान) दो आदमियों की पार्टी है, रोज ही बोलना चाहते हैं और दोनों नाम आ जाते हैं।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): दो मिनट दे दें, हमारा भी जी खुश हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपको दो के हिसाब से समय मिलेगा। पांच मिनट में बोल दें।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो

(श्री मनोज कुमार)

समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आज विशेष महत्वपूर्ण विषय किसानों के लिए मांग पर विचार चल रहा है, उसमें मैं दो-चार बातें सिर्फ सुझाव के रूप में माननीय मंत्रीजी के सामने रखना चाह रहा हूं।

सबसे पहले तो किसानों का जो बीमा किया जाता है उस बीमा की सीसी में सरलीकरण किया जाए, उसके सीसी में बहुत गम्भीर समस्याएं हैं। किसान को एक सीसी करवाने के लिए कम से कम दो-दो माह तक चक्कर लगाने पड़ते हैं, किसानों के साथ घोर अन्याय है। बैंक में जब सीसी कराने का काम आता है तो वकील के नाम से 500 और 1000 रुपए की फीस ली जाती है। किसानों के लिए बीमा पूर्णत: बाध्यकारी करने के कारण किसान बड़ा दु:खी है, किसान के लिए यह पूर्णत: विफल योजना है। किसानों का जो बीमा किया जाए, वह सरकार के द्वारा किया जाए और सरकार के द्वारा ही उनको अनुदान दिया जाए। वर्तमान में किसानों के लिए कृषि करने के जितने भी रोजगार हैं, कृषि और उद्योग में एक विभाजन करने की जरूरत है। उद्योग को हम जिस तरीके से सब्सिडी देते हैं उसमें रोजगार का अनुमान और किसान के बीच में जो रोजगार का अनुमान है, उन दोनों में लगाकर किसान को सबसे ज्यादा सब्सिडी देने की आवश्यकता है। उसमें सब्सिड़ी दी जाए जिससे किसानों का बहुत बड़ा लाभ हो।

(19.00 बजे)

अभी ओलावृष्टि और अतिवृष्टि में जरूर हमने विचार किया, तीन घण्टे हमारी चर्चा चली, लेकिन अगर किसानों के लिए आपदा प्रबंधन में जो 50 परसेंट का आपका राइडर है, अगर वह स्टैण्ड रह गया तो हम किसानों की चर्चा तक ही सीमित हो जाएंगे। यह सरकार किसानों को किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दे पाएगी। किसान को अगर लाभ देना है तो जो नुकसान हुआ है उसके अनुपात के अनुसार किसान को लाभ दिया जाए। सरकार उसके लिए विशेष पैकेज तय करे।

किसानों के लिए बीज की बार-बार चर्चा चल रही थी, मैं कहना चाहता हूं कि बीज वितरण की जो प्रक्रिया है, किसान जब अपनी खेती की बुवाई कर लेता है उसके बाद तक वितरण किया जाता है, इसलिए समय पर वितरण किया जाए। समय पर वितरण के साथ-साथ जो बीज की दुकानें हैं, उनका समय-समय पर निरीक्षण किया जाए जिससे किसानों का नकली बीज से

(श्री मनोज कुमार)

बचाव हो। जो किसान खेत में रहते हैं, जिनके बिजली का कनेक्शन है, कुएं चल रहे हैं लेकिन उनको घरेलू कनेक्शन नहीं मिल रहा है। उसके कारण से उन किसानों के छात्रों को शिक्षा के लिए वहां लाइट की आवश्यकता है, वह प्राप्त नहीं हो पाती। इसिलए कहना चाहता हूं, चाहे उनको अस्थाई कनेक्शन दें, उनको कनेक्शन जरूर दें।

विशेषकर मैं एक और कहना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्री महोदय, हमारी बात पर ध्यान देना। 2012-13 में हमारे किसानों का बीमा हुआ। जो ऋणी किसान थे, उनको सभी बैंको ने 2012-13 में चूरू जिले में बीमा दिया। अऋणी किसानों ने प्राइवेट कम्पनियों से जो सरकार ने निर्धारित कीं, उन कम्पनियों से बीमा करवाया, लेकिन उन प्राइवेट कम्पनियों ने अऋणी किसान को आज तक बीमा नहीं दिया । वहीं क्षेत्र है, उसी चूरू जिले की बात है, ऋणी किसानों को तो बीमा दिया गया लेकिन अऋणी किसानों को आज दिन तक क्लेम नहीं दिया गया। इसकी आप जांच कराएं और जांच कराकर इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार करें।

दूसरा यह कहना चाहता हूं, किसानों के बेसहारा पशुओं की बात बार-बार आयी है, लेकिन उनके तारबंदी में जो सब्सिडी दे सकते हैं, पूरी सब्सिडी दें।

आज पशुओं के बारे में जो चर्चा चल रही है, पशु चिकित्सक की बात चल रही है। आपके यहां 20-25 दिन से संविदा पर पशु चिकित्सक धरने पर बैठे थे, लेकिन कल माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी संवेदना दिखायी कि बीस दिन बाद उनसे वार्ता करने की मंशा बनायी। अब भी मैं कहना चाहता हूं कि आप उनको नियमित करने की मंशा और बनाइये। वार्ता से काम नहीं चलेगा, उनको नियमित कीजिए। पशु चिकित्सक का जो उद्देश्य है, पशुओं का इलाज कराने के लिए डाक्टर्स की जरूरत है, उन डाक्टर्स को नियमित करके आप लाभ दीजिए।

आपके बीच एक और बात कहना चाहता हूं कि आपके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पिछले लम्बे समय से किसानों की मांग लेकर उद्योग मैदान में धरने पर बैठे हैं रामपालजी जाट, आप वार्ता करने के बजाय बार-बार उनको गिरफ्तार कराकर जेल भिजवाना चाह रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उनकी जो मांगें हैं, उनसे वार्ता करके उनकी जितनी मांगें वाजिब हैं उनको आप स्वीकार करें और जो नहीं कर सकें उसको वार्ता के माध्यम से निपटाने का काम करें। पुलिस के जोर से आप किसानों की आवाज को दबाने का काम नहीं करें।

(श्री मनोज कुमार)

अभी मुझे जानकारी मिली है कि भीलवाड़ा में भी किसान धरने पर बैठे हैं। मंत्री महोदय, कहना चाहता हूं कि जो किसानों की आवाज लेकर जो आ रहे हैं, किसानों की बात रखना चाह रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए, उनसे वार्ता कीजिए। किसानों के हित में जो फैसला कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनके हित में फैसला करके वार्ता के माध्यम से निपटाने का प्रयास कीजिए क्योंकि संघर्ष की स्थिति है। किसान ने हमें जीवन दान दिया है। किसान के माध्यम से हम सब लोग यहां बैठे हैं। किसान जिस दिन अन्न पैदा करना बंद देगा, हमारे जितने भी तंत्र चल रहे हैं, ये सारे के सारे तंत्र बंद हो जाएंगे। किसान के अलावा हमारे राजस्थान में दूसरा कोई उपचार नहीं है। किसान को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी, जिस तरह से हरियाणा में जितने भी किसान की खेती में उपकरण काम आते हैं उन सभी उपकरणों में भारी सब्सिडी का प्रावधान है, हमारे यहां भी सब्सिडी का बड़ा प्रावधान किया जाए। किसानों को उसका लाभ मिल सके। राजस्थान की सरकार इतने बहुमत में आयी है, इस सरकार का इंतजार कर रहे हैं कि किसानों के हित में बहुत बड़े फैसले करने जा रही है।

आपने एक घोषणा की कि किसानों के लिए खाद नहीं मिल रही है, उसके लिए हम भण्डारण की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं उस घोषणा के लिए तो धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन जिस तरीके से मैंने बजट भाषण में आप लोगों के अनुदान की घोषणा गिनायी थी 2004 से लेकर 2008 तक, कहीं आपकी यह घोषणा भी घोषणा न रह जाए। इसकी पालना करने का प्रयास करना जिससे किसानों के लिए भण्डारण व्यवस्था हो सके, किसानों को उसका लाभ मिल सके।

मेरे चूरू जिले के लिए कहना चाहता हूं कि सिर्फ भगवान के भरोसे, बरसात के भरोसे किसान वहां बैठे हैं, चूरू जिले के लिए विशेष पैकेज घोषित किया जाए। 5 साल में 4 साल अकाल पड़ता है, सिर्फ एक साल वहां किसानों को भगवान के भरोसे अन्न मिलता है, इसलिए वहां सूखा जिला घोषित किया जाए। उस जिले में किसानों को विशेष पैकेज दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आपका बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रभुलालजी सैनी, कृषि मंत्री।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान में जो अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई, माननीय सदन की नेता ने, अखबारों के माध्यम से हमने देखा कि उसमें पैकेज दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप रिप्लाई से पहले इसमें कोई घोषणा करेंगे पैकेज की? हम दो दिनों से कोटा और उस साइड थे, माननीय अध्यक्षजी, किसान की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गयी। अभी हमारे माननीय सदस्यों ने बताया, उसमें एक तो चालीस साल का जो किसान है, अपने खेत को देखकर, जो फसल नष्ट हुई उस फसल को देखकर वह सदमे में आ गया और उसकी मौत हो गयी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): 140 साल का ...(व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): 40 साल का आदमी। 140 साल का नहीं, 40 का।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्रतिपक्ष के नेता, जवाब आने दीजिए। आप जवाब आने दीजिए। उस वक्त कोई बात की कमी रह जाए तो आप पूछ लेना।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपके मार्फत निवेदन ...

श्री अध्यक्ष: कर दिया आपने।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आसन पैरों पर है।

श्री अध्यक्ष: हां वो तो है, पर कर दिया आपने।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप पैकेज की घोषणा साफ तौर पर करो।

श्री अध्यक्ष: हां, यह।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ताकि उस किसान को राहत मिल सके।

श्री अध्यक्ष: अब भाषण सुन लीजिए।

श्री अर्जुन लाल (राज्य मंत्री, विधि): अभी आप देखो, घोषणाएं होंगी। घोषणाएं होंगी, अभी आप सुनो तो सही, देखो तो सही।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं कम से कम ....

श्री अध्यक्ष: कृपया आप बैठिए। स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पूरे राजस्थान का किसान बरबाद हुआ है, इस मुद्दे पर मंत्रीजी को पहले वक्तव्य देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): हम निवेदन करना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के पवित्र सदन में आज मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन चिकित्सा के संदर्भ में चर्चा हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 453 माननीय सदस्यों से कृषि, पशुपालन, उच्च शिक्षा से सम्बन्धित जितने कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि 24 घण्टे के अन्तर्गत सभी कटौती प्रस्तावों के जवाब माननीय सदस्यों के यहां भिजवा दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चर्चा के दौरान 28 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने राजस्थान की कृषि और किसान की चिंता व्यक्त की है। जितने भी सकारात्मक सुझाव माननीय सदस्यों ने सदन के माध्यम से दिये हैं, मेरा यह प्रयास होगा कि उन सुझावों को समाहित करते हुए राजस्थान की कृषि व्यवस्था में कैसे सुधार हो, उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता कैसे बढ़े, पशुपालन के क्षेत्र में नये आयाम कैसे स्थापित हों ताकि दूध बढ़े, मैं इन सारे सकारात्मक प्रस्तावों को समाहित करते हुए उनको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस पर जो भी कार्यवाही होगी, वह हम लोग ईमानदारी से करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे जेहन में कृषि और किसान बसा हुआ है। आज इस सदन में जब चर्चा हो रही है, 200 में से इतनी कम संख्या में माननीय सदस्यों ने भाग लिया। मैं समझता हूं कि सकारात्मक सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये। हमारे वरिष्ठ विद्वान लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने विकास दर की बात को विस्तृत बताया, उन्होंने जीडीपी की बात को भी बताया। बीकानेर कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कई ऐसे सुझाव दिये जो निश्चित रूप से सकारात्मक कृषि व्यवस्था को आगे बढ़ाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जहां तक ग्रोथ रेट का प्रश्न है, ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, अन्य राज्यों से प्रतिस्पर्द्धा करने के लिए एग्रीकल्चर में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। न कि हम ट्रेडिशनल क्राप के भरोसे या हम यह यूं कहें कि प्रति वर्ष अनावृष्टि, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि से करोड़ों किसानों की फसलें तबाह होती रहेंगी और फिर हम यह विषय लेंगे कि हमारी जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़े। मैं तो इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले राजस्थान में यदि कृषि में नवाचार को लाने का काम किया है तो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने किया है। मुझे यह कहते हुए बड़ी खुशी है, यदि हम आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान की ग्रोथ रेट 5.27 प्रतिशत है। पंजाब पूरे हिन्दुस्तान में सबसे अग्रणी प्रदेश माना जाता है, यदि हम उस ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 1.6 प्रतिशत पंजाब की ग्रोथ रेट है। यदि हम गुजरात की बात करते हैं तो पूरे देश में कृषि नवाचारों के क्षेत्र में अपना अलग स्थान रखने वाले गुजरात में 6.20 प्रतिशत ग्रोथ रेट मैं आंकड़ों के मुताबिक आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

जहां तक जीडीपी का प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद की बात हम करें तो कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र, पशुपालन सबको मिलाकर 20.27 प्रतिशत, यानी 21 प्रतिशत के लगभग हमारी ग्रोथ रेट राजस्थान की है। कई माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि 28 फरवरी, 1 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च और 15 मार्च को राजस्थान प्रदेश में बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई। यहां तक कि सामान्य जन-जीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी भारत सरकार के मिनिस्टर आफ स्टेट, एग्रीकल्चर आये थे। और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, हमारे माननीय आपदा प्रबंधन मंत्रीजी और हम लोग भी मौका देखने गये। अजमेर में विजयनगर, भीलवाड़ा और यदि हम कोटा की बात करें तो दीगोद, बारां, कापरेन, बूंदी में मौका निरीक्षण हुआ। अध्यक्ष महोदय, आप कल्पना नहीं करेंगे, कई-कई किलोमीटर तक जिस प्रकार की तबाही हुई है, मैं समझता हूं, एक भी बाली गेहूं की वहां नहीं बची। चाहे धनिया की फसल हो, चाहे जीरे की फसल हो, राजस्थान के 28 जिलों में बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान हुआ। राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहली बार चिन्ता की है। क्योंकि ओले तो कांग्रेस के समय भी पड़ते थे। इतनी चिन्ता व्यक्त हुई कि दो दिन के लिए सदन को, पक्ष और विपक्ष को सभी को अपने-अपने क्षेत्र में मौका निरीक्षण के लिए कहा गया। प्रतिपक्ष को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, सत्ता पक्ष

(श्री प्रभू लाल सैनी)

को भी देना चाहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए अपना एक महीने का मानदेय भी इसमें दिया। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम बात करें...(व्यवधान) कर्मचारियों ने भी दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। अब तक की जो सूचना प्राप्त हुई है 34 से ज्यादा कैजुअल्टीज हुई हैं। यदि हम बात करें तो लगभग 3347 पशुओं की मोर्टलिटी की सूचना प्राप्त हुई है। राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल प्रभाव से उनको राहत पहुंचाने का काम किया है। जिस पैकेज की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है, 1.50 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया है, वह राशि भी सारी की सारी देने की प्रक्रिया जिलाधीश को दे दी थी। मैं समझता हूं, वह कार्यवाही पूरी हो गयी होगी। पशुपालन विभाग के द्वारा भी ये सारी प्रक्रियाएं, 16400 रुपये प्रति दुधारू पशु के थे, चाहे वह गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे ऊंट हो, उनके देने के डिसास्टर मैनेजमेंट के प्रावधान थे, 4 पशुओं तक देने के थे, इसको बढ़ाकर 1 लाख 25 हजार दिये। बिजली के बिल की भी कई माननीय सदस्यों ने मांग की, उसको भी चार महीने का माफ करने की घोषणा हुई। खाद्य सुरक्षा के नाम पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा, ऐसे किसानों को, ऐसे परिवारों को जिनकी सर्वस्व फसलें नष्ट हो गयीं, खाद्यान्न की भी व्यवस्था करने की बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कही है। यहां तक कि आपदा सहायता के रूप में प्रति दिन 40 रुपये और 30 रुपये छोटे को दैनिक देने की बात की गयी है। मैं समझता हूं, यह राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्य मंत्रीजी का सकारात्मक प्रयास है। हमारा यह प्रयास है, माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपदा प्रबंधन मंत्रीजी का। भारत सरकार को हम लोगों ने विशेष पैकेज के लिए आग्रह किया है, राजस्थान की जो परिस्थितियां बनी हैं, हालात बने हैं, प्राकृतिक आपदा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान अन्नदाता है, स्वयं भूखा रहता है, दुनिया का पेट भरता है। फल-फूल पैदा करके, अन्न पैदा करके दुनिया का पेट पालने का काम अन्नदाता करेगा। मैं समझता हूं, उस पर भी राजनैतिक चर्चाएं होने लग जाएं तो इस लोकतंत्र के इतिहास में दुर्भाग्यजनक है। चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, इस आपदा की घड़ी में राजनीति करने के बजाय हम सबको एक होकर कैसे हम राजस्थान के किसान को लाभ पहुंचा सकते हैं, उसकी दु:ख की इस घड़ी में कैसे सहायता पहुंचा सकते हैं, इस पर हमको बढ़ने की जरूरत है।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

मानीय अध्यक्ष महोदय, बजट की यदि हम बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में 2015-16 के दौरान कुल बजट प्रावधान 2195.40 करोड़ रुपये रखा गया। इस वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य योजना मद में पिछले वर्ष के 1051.05 करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़ोतरी करके 1479 यानी 40.79 प्रतिशत की वृद्धि माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा की गयी, इसलिए मेरी ओर से मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बजट को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो 2015 में केन्द्र सरकार से हमें 415.64 करोड़ केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत और 300 करोड़ रुपये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में प्राप्त होंगे तथा राज्य मद से 1479.76 करोड़ रुपये उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार किसानों की हितैषी सरकार है।

इस संदर्भ में निवेदन करना चाहूंगा, हमारे राजस्थान की जो कृषि व्यवस्था है, Rajasthan Agriculture is a gamble. राजस्थान की कृषि व्यवस्था वर्षा आधारित जुआ है, यह आज भी है। आजादी के 67 वर्षों में प्रत्येक साल का इतिहास रहा है कि किसान परसों तक यानी 28 फरवरी तक एक अच्छा मालामाल था। अच्छा खाद्यान्न, दलहन, तिलहन उसके पैदा होना था, लेकिन जुआ ऐसा हुआ कि 5 दिन में उसका सब कुछ चौपट हो गया। पूरे हिन्दुस्तान की यदि बात करें तो पूरे हिन्दुस्तान में 317 लाख हैक्टेयर भूमि ड्राई लैण्ड है, सूखी भूमि है। राजस्थान के हिस्से में 61 प्रतिशत सूखी लैण्ड आती है और 40 प्रतिशत हमारा एरिया एरिड और सेमी एरिड क्षेत्र में आता है। 342 लाख हैक्टेयर हमारा पूरा भाग है, यदि हम उसकी बात करते हैं तो 70 प्रतिशत क्षेत्र वर्षा आधारित है और 30 प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई हम अब तक नहीं कर पाये हैं। इस पर चिन्ता व्यक्त करते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा इन विषम परिस्थितियों के बाद में हमारे किसानों, वैज्ञानिकों ने सबने मिलकर कृषि के क्षेत्र में कई नवाचार करने के काम किये। हमारी सरकार और माननीय मुख्य मंत्रीजी का विजन रहा। मैं आपको 1966 की बात करना चाहूंगा, जब हरित क्रान्ति का आगाज हुआ था। यदि हम 1965-66 की बात करते हैं तो हमारा खरीफ का रकबा 86.99 लाख हैक्टेयर था, रबी का रकबा 24.87 लाख हैक्टेयर था। यदि हम 2014 की बात करें तो वह 78.47 लाख हैक्टेयर हुआ और रबी का 49.17 प्रतिशत हुआ। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मैं उत्पादन की बात करूं, नवाचार की बात करूं, हाइटैक एग्रीकल्चर की बात करूं, प्रोडक्शन एण्ड प्रोडक्टिविटी की बात करूं, उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता की

(श्री प्रभू लाल सैनी)

बात करूं तो आसमान को छूने वाले आंकड़े सामने आते हैं। 1965-66 में जहां पर 86.99 लाख हैक्टेयर का प्रोडक्शन 21.84 लाख मैट्रिक टन था, वह 2014-15 में 21 से बढ़कर 77.18 लाख प्रोडक्शन खाद्यान्न का हुआ। यदि हम रबी की बात करें तो 16.55 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 123.69 लाख मैट्रिक टन का प्रोडक्शन का हमारे राजस्थान में हुआ। यदि हम ईल्ड की बात करें, उत्पादकता की बात करें तो 1965 में 215 किलो था, वह बढ़कर अब 984 हुआ।

इसी प्रकार यदि हम तिलहन के क्षेत्र की बात करें तो भी काफी प्रगति हुई है। यदि हम 1965-66 की हरित क्रांति की बात करें तो 143 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर का प्रोडक्शन था, वो बढ़कर 1221 क्विंटल प्रति हैक्टेयर हुआ। इसी प्रकार रबी की बात करते हैं तो 284 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर था वो बढ़कर 1371 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हुआ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपके माध्यम से सदन को जार्ज वाशिंगटन, प्रेसीडेंट, यू.एस.ए. थे, उन्होंने एग्रीकल्चर के बारे में जिस प्रकार की व्याख्या की है, वो बताना चाहूंगा। उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए कहा है, कि ''Agriculture is the most healthful, most useful and most noble employment of man.'' कृषि मनुष्य के लिए सबसे स्वास्थ्यवर्धक, सबसे अधिक उपयोगी और सबसे श्रेष्ठ रोजगार देने वाला व्यवसाय है। अध्यक्ष महोदय, इसी सन्दर्भ में जिम्बाब्वे के प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और किसान एलन सवोरी का भी कृषि के बारे में विजन था कि, ''Agriculture is not crop production as popular belief holds – it's the production of food and fibre from the world's land and waters. Without agriculture it is not possible to have a city, stock market, banks, university, church or army. Agriculture is the foundation of civilization and any stable economy.'' माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका यह कहना है कि हमारी जो कृषि व्यवस्था है यह कृषि व्यवस्था आर्थिक स्थिति के लिए, हमारी संस्कृति के लिए इतनी सुदृढ़ है कि हमको कृषि व्यवसाय केवल फसलों के उत्पादन से नहीं मानना चाहिए। प्रख्यात कथन है कि यह भूमि जल और भोजन एवं फाइबर रेशों का उत्पादन है जो जीव मात्र के लिए आवश्यक है। कृषि के बिना गांव, शहर, आबादी, स्टाक मार्केट, बैंक, यूनिवर्सिटी, चर्च, सेना कुछ भी सम्भव नहीं है। कृषि संस्कृति और टिकाऊ अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, अगर हम इनके कोट्स को देखते हैं तो

(श्री प्रभू लाल सैनी)

कृषि की व्यवस्था आज का विषय नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। कृषि को प्रायोरिटाइज किया है क्योंकि लगभग 78 प्रतिशत लोग राजस्थान और देश में रहते हैं, सब किसान हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से इतना निवेदन करना चाहूंगा, आपने देखा कि 1966 में हरित क्रांति हुई, उसके बाद पीत क्रांति हुई, पीत क्रांति के बाद नीली क्रांति हुई, नीली क्रांति के बाद आपने देखा होगा कि श्वेत क्रांति हुई और अब माननीय प्रधान मंत्रीजी ने घोषणा की है, प्रोटीन क्रांति का आगाज इस हिन्दुस्तान में यदि किया तो देश के प्रधान मंत्री सम्माननीय नरेन्द्र मोदीजी ने किया है। प्रोटीन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए...

श्री रमेश (सपोटरा): मेरा तो यह निवेदन है, मंत्रीजी बहुत विद्वान हैं, पिछले पांच साल भी इनका लम्बा-चौड़ा भाषण सुना, पर हम तो शार्ट में इतना-सा चाहते हैं कि आपने सवा साल के अन्दर डिपार्टमेंट में क्या तो आपके अचीवमेंट हैं और आगे क्या करने जा रहे हो, इतना ही बता दो। बाकी तो हमें आपकी पूरी जानकारी है कि बहुत विद्वान हैं आप।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अब आपका मैं जवाब दे रहा हूं। राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष एम. एस. स्वामीनाथन् ने कहा कि राजस्थान में सब क्रांति हुई लेकिन अब "We need a knowledge-cum-management revolution in the agriculture." यानी ज्ञान प्रबन्धन की क्रांति अब प्रदेश में होनी चाहिए। नवाचार जिस प्रकार के आ रहे हैं वो नालेज टैक्नोलोजी के माध्यम से प्रत्येक किसान तक पहुंचें, सभी जन-प्रतिनिधियों तक पहुंचें। इसमें अब जो हमारा विजन है, माननीय मुख्य मंत्रीजी का जो विजन है उसमें किसान की आय में वृद्धि, उत्पादकता, गुणवत्ता में वृद्धि, जल का उचित प्रबन्धन, कम पानी, कम लागत अधिक उत्पादन, उपज का बेहतर मूल्य और मूल्य संवर्द्धन, वैल्यू एडीशन और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम करने की राजस्थान में जरूरत है। यह माननीय मुख्य मंत्रीजी का विजन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि क्या करना है, मैं कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रौद्योगिकी मिशन पूरे देश में चला हुआ है और इसी मिशन के माध्यम से चार मिशन मोड में मिनी मिशन जो बने हैं, उनके आधार पर राजस्थान में काम किया जा रहा है। मैं आपसे

(श्री प्रभू लाल सैनी)

निवेदन करना चाहूंगा कि मिशन मोड में यदि कोई काम होता है तो उसकी क्रियान्विति निश्चित रूप से बढ़ती है। राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का जिक्र अभी सभी माननीय सदस्यों ने किया, इसमें हमारे खाद्यान्न की उत्पादकता और अधिक बढ़ाने की बात हुई है। राष्ट्रीय तिलहन एवं आयल पाम मिशन जो अभी नया आया है, इसमें 28.93 मिलियन टन जो आयल प्रोडक्शन होता है। उसको बढ़ाकर 35.15 मिलियन टन करने की जो बात देश के प्रधान मंत्रीजी ने कही है, उसकी ओर राजस्थान अग्रसर हो रहा है। कृषि विस्तार राष्ट्रीय मिशन अलग से काम कर रहा है और टिकाऊ खेती पर नियंत्रण वाला मिशन भी अभी राजस्थान में काम कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, नवाचार के क्षेत्र की बात आपने कही है कि क्या है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछली सरकार के वक्त में हम लोगों ने खजूर की खेती वैस्टर्न राजस्थान में शुरू की थी। आप पूछ रहे हो न कि आप लोगों ने क्या किया इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। यदि हम खजूर की खेती की बात करें, ईजिप्ट की बात करें तो लगभग 37 प्रतिशत उत्पादन ईजिप्ट में है, पाकिस्तान में 7 परसेंट है और हिन्दुस्तान में जीरो प्रतिशत है। इस जीरो प्रतिशत को बढ़ाने के लिए राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विजन लिया कि वैस्टर्न राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर की जो धरती है, वो सूखी धरती है जहां पर पानी नहीं है और उसमें विजन लेकर हम लोगों ने डेट फार्म का काम शुरू किया। आज हमें यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि पूरे विश्व में जहां इराक, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, पाकिस्तान, मोरक्को, ट्यूनिशिया, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन में इसकी खेती होती है तो हम लोगों ने भी इसका आगाज किया। यू.ए.ई. यूनिवर्सिटी से 25 हजार पौधे लेकर आये और राजस्थान के किसान के खेत तक ले जाने का प्रयास किया। पहले हम लोगों ने कृषि फार्म पर उसको देखा, जब इन लोगों की सरकार थी 2007-08 में हम लोगों ने उगाया, ये रहे तब तक एक फल नहीं आया और जब हमारी सरकार 2014-15 में आयी तो, जैसा लोग कहते हैं कि वृक्ष देते हैं तो वास्तव में फल देते हैं जब यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी राजस्थान में आयीं तो 2014 में पहली बार डेट फार्म में चाहे मृगी हो, चाहे मेडजुल हो, जगलुल हो, चाहे खलास हो, अन्तरराष्ट्रीय वैरायटी का लगभग 500 टन का प्रोडक्शन राजस्थान में आया। उसी बात को लेकर बीकानेर सम्भाग के दौरान घोषणा हुई कि हम

(श्री प्रभू लाल सैनी)

लोग बीकानेर सम्भाग को डेट फार्म का हब बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं, खजूर की जो क्षमता है, उसमें जिस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, एक किलो में 3100 के लगभग कैलोरी उसमें मिलती है। हमारा प्रयास होगा, इसको बढ़ाने के लिए हम और आगे किसान के खेत तक लेकर जाएंगे। यदि हम बात करें तो अब तक हम लोगों ने लगभग 700 हैकटेयर में बगीचों की स्थापना कर दी है और किसान को सब्सिडी के आधार पर इसको आगे बढ़ायेंगे। ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से होने वाले नुकसान में यह सस्टेनेबल है, इन फसलों में किसी प्रकार की आपदा का फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी फसलों को आगे बढ़ाने में सरकार और आगे बढ़ेगी। इसके अलावा राजस्थान में पहला टिश्यू कल्चर लैब, 25 हजार पौधे प्रति ईयर, टिश्यू कल्चर लैब्स, हूबहू एक टिश्यू से पौधा तैयार करके, एक से लाख पौधे तैयार करने का जो काम है, राजस्थान में पहली बार जोधपुर में टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना हुई और वहां पर पौधे तैयार हो रहे हैं। वहां पर सैकण्ड हार्डनिंग का काम हम लोग कर रहे हैं। प्रोटोकाल तैयार हो गया है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जब ये पौधे हमारे होंगे तो इसको और आगे लेकर हम जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नवाचार के बढ़ते हुए कदम की बात करें तो आज हम सुख और समृद्धि का प्रतीक जैतून की बात करते हैं। जब हम लोग जैतून के इजरायल से एक लाख पौधे लेकर आये तब हमारे प्रतिपक्ष के लोग हंसते थे, आई.सी.ए.आर. के वैज्ञानिक हंसते थे। जैसे अभी हंसते हैं वैसे पहले भी हंसते थे और वो कहते थे कि नो एण्ड नैवर, राजस्थान में कभी भी आलिव की खेती नहीं हो सकती। लेकिन, माननीय मुख्य मंत्रीजी का विजन और हौसला, सेहत का सरताज कहलाने वाला जैतून जो हार्ट के लिए सबसे सुरक्षित है, ऐसे पौधे को लेकर हम आये और राजस्थान में उसकी खेती हुई। लूणकरणसर से आने वाले सम्माननीय विधायक यहां विराजमान हैं, इनके क्षेत्र में जहां जमीन खारी थी, सैलिनिटी लैण्ड थी, वहां लूणकरणसर में आलिव भी उगवाये और मुझे कहते हुए खुशी है कि फल भी पहली बार आये हैं। जब से माननीय मुख्य मंत्रीजी आयी हैं, उनकी फ्रूटिंग भी इसी साल में हुई है। लगभग 8 हजार लीटर आयल, विदेशों में इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, राजस्थान में निकला है।

अब देश का प्रथम राज्य राजस्थान बन गया है जिसमें जैतून के क्षेत्र में काम करके हम लोग आगे बढ़े हैं। मेरा निवेदन आपसे है कि 300 हैक्टेयर

(श्री प्रभू लाल सैनी)

में अभी तक यह जो खेती हो रही है, उसको बढ़ाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की है कि 200 हैक्टेयर में जैतून की खेती को और हम बढ़ाएंगे और हब के रूप में विकसित करेंगे। मैं आज सदन को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जैतून की खेती सबसे उपयोगी है। राजस्थान में आलिव कल्टीवेशन लिमिटेड के माध्यम से ढिंढोल में सबसे पहला प्लांटेशन शुरु हुआ 20 मार्च, 2008 को और उसके बाद आज इस स्थिति में हम पहुंचे हैं। बारानिया, अरबीकुना, पिकूल ये अन्तरराष्ट्रीय वैरायटीज हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में घोषणा करता हूं, यह सलाद के रूप में टेबल पर काम आने वाला जैतून है, ओलिव है, उसका भी एक प्रदर्शन केन्द्र राजस्थान में हम लोग और शुरु करने जा रहे हैं। इसमें 10-10 करोड़ रुपये की लागत का खर्चा आएगा, सलाद के रूप में फाइव स्टार होटल्स में वह काम आ सकेगी। सेहत का सरताज कहलाने वाला जैतून, बेबी आयल बनने वाला जैतून, कास्मेटिक्स बनने वाला जैतून अब राजस्थान में होगा। इस पर भी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा का नुकसान नहीं होता है, इसलिए यह भी हमने काम किया है।

एक मैं निवेदन आपसे और करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय। दो चीजें हमने पहले बड़ी की थीं, एक इच्छाशक्ति की थी। आज दो चीजों के बारे में और निवेदन करूंगा। हो सकता है, माननीय विद्वान सदस्य सब जानते होंगे। जहां उत्पादन होगा, वहां विपणन होगा। इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए उदयपुर में जब हम माननीय गृह मंत्रीजी के साथ गये थे, ट्राइबल बैल्ट के लोगों ने मांग की थी कि, साहब, हमारे यहां वन उपज काफी होता है, वन उपज की स्पेशल मण्डी बने। हम लोगों ने उसको बनाया। वन उपज में महुवा हो चाहे शहद हो। मेडिसिनल और हार्टीकल्चर के क्षेत्र में जो काम नहीं हो रहा था, मुझे आपको आज कहते हुए बहुत खुशी है कि एक ऐसी चीज है जिसको पुहाड़ के नाम से बोलते हैं, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी इतनी डिमांड है, पूरे देश में और पूरे प्रदेश में लाखों टन पैदा होती है जो वीडीसाइड के रूप में, खरपतवार के रूप में पैदा होती है लेकिन उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। आज सदन के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, उसको अंग्रेजी में केशियाटोरा कहते हैं और केशियाटोरा जंगली खरपतवार के रूप में उगने वाला पौधा है जो एशियन और अफ्रीकन देशों में पाया जाता है लेकिन माननीय

(श्री प्रभू लाल सैनी)

अध्यक्ष महोदय, हमने अभी सारी जानकारी करवाई तो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं। हर जिले में इसकी पैदावार होती है और कई वर्षों से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर काफी के सब्सिट्यूट पाउडर के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। लीगमेनेसी परिवार का यह पौधा है और इसके जो लाभ होने वाले होंगे। जब हमने मण्डी खोली तब 15 रुपये किलो इसकी रेट थी। तीन महीने में वह रेट बढ़कर अभी 60 रुपये किलो हो गयी। प्रोसेसिंग होने पर 20,000 रुपये एक क्विंटल की रेट उसकी मिलने वाली होगी उन आदिवासी भाइयों को, ट्राइबल बैल्ट के लोगों को। इसका मेडिसिनल यूज, टोटल यह हार्ट के काम आता है, एंटी-आक्सीडेंट के काम आता है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, शोधकर्ता डाक्टर संतोष कुमार शुक्ला ने डिपार्टमेंट आफ बायो-केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी कालेज आफ मेडिकल साइंसेज, जीटीबी हास्पिटल, पहेली। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च हुआ है। युगांडा में इसका रिसर्च हुआ है और यूनिवर्सिटी आफ द केमिस्ट्री सिनीसेनेट्री यूएसए के द्वारा इसका शोध करने के बाद कहा गया है कि यह एक ऐसा प्रोडक्शन है, ऐसी दवा है, ऐसा हार्टिकल्चर है जो पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में इसकी आवश्यकता है। यदि हम बात करें तो इसको वंडर प्लांट के रूप में भी जाना जाता है, अध्यक्ष महोदय। यह एंटी-आक्सीडेंट, एंटी-डायबिटीक, एंटी-इन्फ्लामेट्री, एंटी-प्रोलिफ्रेशन एक्टीविटी, गांठें कैंसर, आदि की और इसके एंटी-डायबिटीक, एंटी-बायोटिक और एप्टोप्रोटेक्टिव यानी लिवर के बचाव के लिए भी यह मेडिसिन काम आने वाली है। अब यह राजस्थान में क्रांति का रूप होगा क्योंकि यह आर्गेनिक के रूप में होगा। इसको कोई नहीं उगाएगा, यह अपने आप उगेगा और इस साल इसकी विशिष्ट मंडी बनाने की भी मैं बात कर रहा हूं कि हम लोग मंडी बनाकर राजस्थान के किसान को इसका लाभ कैसे मिले, इसकी ओर लेकर जायेंगे।

दूसरा एक और नया अभी, जिसके बारे में आप और हम सब जानते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नई चीज है। आप सब जानते हैं लिनसीड, अलसी के बारे में आप सब जानते हैं। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर डिमांड और इसकी मार्केट वैल्यू, यदि हम औद्योगिक क्षेत्र की बात करें या मेडिसिनल यूज की बात करें तो इसका रिसर्च हुआ है और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि लिनसीड भारतीय बहुमूल्य औषधि और तिलहनी फसल है। भारत में यह 20

(श्री प्रभू लाल सैनी)

लाख हैक्टेयर में होती है। इसका क्षेत्रफल भारत में नम्बर वन है। उत्पादकता में आठवां स्थान है। राजस्थान में 2000 हैक्टेयर में इसकी खेती होती है। लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि यह कम उपजाऊ में, कम पानी में पैदा होने वाली फसल है और यह मेडिसिनल यूज में आने वाली है। यदि हम इसके 100 ग्राम की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट इसमें 28.28 ग्राम है, वसा की बात करें तो 42.16 प्रतिशत है। प्रोटीन की बात करें तो 16.29 प्रतिशत है। विटामिन बी-1, बी 2, बी 3, बी 5, बी 6 और बी 9, कैल्शियम, लोहा, मैग्निशियम, फास्फोरस, जस्ता आदि पोषक तत्व भी इसमें प्राप्त होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा यह खेती जो अभी 2000 हैक्टेयर में होती है, इसको बढ़ाकर राजस्थान के किसानों को हम लोग नि:शुल्क रूप से लिनसीड के मिनी किट देंगे और किसानों को कैश क्रोप की ओर बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि रबी की फसल है, कैश क्राप भी फरवरी माह तक निश्चित रूप से कट जाता है। इसको बढ़ाने के लिए आगे हम काम करेंगे। इसकी जो खास विशेषता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पाये जाने वाला लिग्नेन, स्तन, बच्चेदानी, आंत, प्रोस्टेट, त्वचा अन्य सभी कैंसर और एड्स बीमारियों का भी उपचार करता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी उपज है, सदियों से है लेकिन हम इसको यूज नहीं कर पा रहे। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इसका यूज हुआ है इसलिए मैं आज सदन के माध्यम से कहूंगा कि इसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे।

एक और निवेदन मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, ग्रीन हाउस पर काफी चर्चाएं हुई हैं। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि ग्रीन हाउस पर सब्सिडी कम हो गयी और इसको आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है। राजस्थान में 2005 में जब हमारी सरकार थी, इनके वक्त में नहीं, हमारी सरकार थी, तब हम लोगों ने ग्रीन हाउस की नई टैक्नोलोजी राजस्थान में शुरू की थी। शुरू करने के बाद, आप आश्चर्य करेंगे, इसमें 1000 वर्गमीटर का जो भी बनायेगा, 9.35 लाख रुपये उसकी कास्ट होगी। लघु सीमांत कृषक को 75 प्रतिशत पर 7 लाख रुपये अनुदान देंगे और सामान्य कृषक को 50 प्रतिशत यानी 4.67 लाख रुपये हम देंगे। यदि 4000 वर्गमीटर का कोई भी ग्रीन हाउस एस्टेब्लिश करेगा, उसकी लागत 33.76 लाख रुपये होगी और उसमें अनुदान

(श्री प्रभू लाल सैनी)

25.32 लाख रुपये होगा और सामान्य कृषक को 16.68 लाख रुपये अनुदान के रूप में हम लोग देंगे। बेमौसम बारिश, तापमान, गर्मी, उच्च गुणवत्तायुक्त पौधे, उच्च गुणवत्तायुक्त बीज के पौध तैयार करने के लिए, मैं समझता हूं, इससे अच्छी टैक्नोलोजी नहीं हो सकती। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बेहद खुशी है कि सबसे पहले हमने ढिंढोल बस्सी में शुरू किया। एक टमाटर के पेड़ के लगभग 15 से 20 किलो टमाटर इस ग्रीन हाउस के अन्दर प्रोडक्शन होता है। अगर आप कैप्सिकम की बात करें तो प्रोडक्शन 15 से 20 किलो होता है, इसलिए हमारी उत्पादन, उत्पादकता, गुणवत्ता सुधार के लिए इजरायल के तर्ज पर यदि हमको काम्पीटिशन इजरायल से करना है तो सेफ साइज एण्ड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी हमको करने की जरूरत होगी। राजस्थान में कई किसानों को हम लोगों ने इसकी उपलब्धता करा दी है। 2014-15 में 11.18 लाख वर्गमीटर के ग्रीन हाउस हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने बनाये हैं और उसमें लगभग 15.68 लाख रुपये खर्च हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 2014-15 फरवरी तक 3.16 लाख वर्गमीटर ग्रीन हाउस एवं 1.28 लाख वर्गमीटर पर शेडनैट का निर्माण भी हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सेन्टर फार एक्सीलेंस... अभी बोल लेना आप दो मिनट बाद, आपका पूरा जवाब दूंगा। एक बार मेरी सुन लो, फिर मैं कह दूंगा। प्लीज, मैं बता दूंगा आपको, जो भी आप कहेंगे। सेन्टर फार एक्सीलेंस की स्थापना राजस्थान में पहला राज्य राजस्थान...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र ने अनुदान कम कर दिया है, उसके बारे में मंत्री महोदय बताएं।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं उसके ऊपर आऊंगा, आ रहा हूं। मैं बताऊंगा अभी आपको।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): श्री जोगारामजी फर्मा रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं। अच्छे दिन लाने वाली सरकार ने किसानों की हर योजना में अनुदान कम कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर भाटी, आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, यह आपके समझ के बाहर की बात है।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आप क्या प्रधान मंत्रीजी से लेकर आएंगे, यह बताएं।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अनुदान की बात कही है, मैं इसको स्वीकारता हूं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, भारत सरकार की एक योजना थी- किसी भी योजना को चलाने के लिए एक टेम्परेरी टाइम फेज के लिए, एक साल, दो साल, पांच साल। पचास साल के लिए किसी भी योजना को, जब तक बच्चा दूध नहीं पीये, तब तक निप्पल से उसको दूध पिलाते हैं। जब वह पीने लग जाता है तो फिर अपने आप धीरे-धीरे दूसरी व्यवस्था होती है। उसी तरह से किसानों का आकर्षण बढ़ाने के लिए, इसको प्रोत्साहित करने के लिए, इसकी सब्सिडी ज्यादा दी जाती थी। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें भी इतनी लाइन लगी हुई है अभी कि हमारे बजट से भी ज्यादा लोगों की डिमांड है। माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सेन्टर फार एक्सीलेंस की स्थापना, हम लोगों ने सबसे पहले कोटा में सिटरस का, झालावाड़ में हमने सिटरस का और बस्सी में सभी फसलों का,, मल्टीपल क्राप्स का यह हम लोगों ने बनाया है। उसके अच्छे परिणाम आये। परिणाम आने के बाद अभी हाल ही में 2014-15 में हम लोगों ने खेमरी (धौलपुर), देवड़ावास (टोंक), इनमें भी सेंटर फार एक्सीलेंस के 22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं इस साल में हम उनको भी पूरा करेंगे। अमरूद का जो पौधा है, अमरूद की जो प्लांटेशन है, जितनी भी वैराइटीज होती हैं चाहे सफ़ेदा हो, एल-49 हो, चाहे रेड हो, चाहे जितने भी हैं, एक जगह मातृत्व प्लांट हम लोग तैयार करेंगे और राजस्थान में अभी जो हम बाहर से पौधे ला रहे हैं। आत्मनिर्भर राजस्थान बनेगा, हम लोग इसका भी प्रयास कर रहे थे। सेंटर फोर एक्सीलेंस की स्थापना भी हम लोगों ने चार जगह की है।

अध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने डिग्गी पर, फार्म पोण्ड्स पर कहा और कई प्रकार की सब्सिडियां जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से मिलती थीं, वो कम हो गयी। आज मुझे इस सदन में कहते हुए

(श्री प्रभू लाल सैनी)

बहुत खुशी है, अपना खेत अपना काम योजना जो पंचायती राज के माध्यम से चल रही थी, अभी हाल ही में कृषि एवं उद्यानिकी कंर्जेवेशन से कराये जाने वाले जो कार्य थे, उसमें भूमि का समतलीकरण, भूमि सुधार, छोटे बांध तलाई, फार्म पोण्ड्स, डिग्गीज, जल हाज और टांके, इनका जो निर्माण पहले राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से अकेले होता था, अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना वही है, हम डिग्गी पर तीन लाख रुपये देंगे। लेकिन 25 प्रतिशत अनुदान या तीन लाख अधिकतम देने की घोषणा हुई है, हम उनको देंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब आप कच्चा काम नरेगा से भी करवा सकते हैं। हमारे विभाग का जो पैसा है, वह भी हम आपको मैटीरियल के रूप में अलग से देंगे। उस योजना से भी अच्छी योजना इसलिए गयी कि ये जो सारे काम हैं, ये सारे काम भी नरेगा योजना में अभी सम्मिलित करके 22 जनवरी, 2015 को एक आदेश जारी कर दिया है, सर्कुलर जारी हो गये हैं। हमारे माननीय सदस्यों के मन में शंका थी, वह शंका भी मैं समझता हूं कि स्पष्ट हो गई होगी। जब वो डिग्गी बनाएंगे, जाब कार्डधारी लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। 60-40 प्रतिशत जो नरेगा में श्रम सामग्री का पैसा मिलता है, उसके अलावा इस विभाग के द्वारा जो अनुग्रह राशि दी जाती है, वह भी हम लोग देंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि किसानों को इसका अब और अच्छा लाभ मिल जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, फार्म पोण्ड का जहां जिक्र है, उद्यानिकी विभाग में 50x50x3 अनुदान जो देने की बात है, साढ़े सात लाख रुपये 2013-14 में दिया जाता था। लेकिन पिछले वर्षों में इसको जोड़ने के कारण से 2015 में पांच लाख रुपये हुए। अब पांच लाख तो मिलेगा हमारे विभाग की तरफ से और बाकी बारह लाख रुपये जो इसकी यूनिट कोस्ट आती है, बारह लाख में पांच लाख के अलावा साढ़े सात लाख रुपये जो बचते हैं उसकी अलग से नरेगा योजना में स्वीकृति होकर यूनिट कास्ट बारह लाख रुपये हो जाएगी, पहले साढ़े सात ही मिलते थे। इसलिए मैं यह समझता हूं कि चाहे वह फार्म पोण्ड्स का हो, चाहे वह व्यक्तिगत फार्म पोण्ड्स के हो, सभी को नरेगा से जोड़ दिया गया है। कृषि विभाग द्वारा जो खेत तलाई योजना होती थी, उसमें 20x20x3 की कच्ची खेत तलाई बनती थी। इस वर्ष 2015-16 में लगभग सात हजार कच्चे फार्म पोण्ड हम लोग बनाएंगे और 49.50 करोड़ रुपये उसमें भी खर्च किए जाएंगे।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी द्वारा 2014-15 में किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थीं और उसमें यह कहा था कि अंतर्देशीय मछली पालन मत्स्य क्रांति के रूप में हम लोग करेंगे पूरे देश में। आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि ओरनामेंटल फिशेज का राजस्थान में पहली बार ब्रीडिंग स्टेशन के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी हाल ही में 2 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की है। जो ओरनामेंटल फिशेज हैं वास्तुकार की दृष्टि से सबसे एक्वेरियम जो बनते हैं, उनका ब्रीडिंग स्टेशन राजस्थान में, कई राज्यों में नहीं है, गुजरात में भी अभी नहीं है, राजस्थान पहला राज्य बनेगा जिसमें इस योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये की बीसलपुर में स्वीकृति दे दी है। जमीन का आबंटन हो गया है, उसके टेण्डर भी पूरे हो गये हैं और मैं समझता हूं 2015-16 में इस पर काम पूरा हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र के बजट में स्वदेशी फसलों के नस्ल सुधार की बात की गयी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, राजस्थान की इंडीजिनस जो ब्रीड है- राठी, थारपारकर, गिर, काकरेज और साहिवाल, इन चारों गो-वंश को, इनका दूध कैसे बढ़े, नस्ल कैसे बढ़े और इसके लिए हम लोगों ने बीकानेर में इसका एक बहुत बड़ा सेंटर स्वीकृत किया था 26 करोड़ रुपये की लागत का। इस वर्ष राठी, थारपारकर और गिर जो हमारी देसी ब्रीड हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने फिर बजट की व्यवस्था की है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे सेंटरों पर जितने भी बछड़े पैदा होंगे, बुल्स पैदा होंगे, वो गो-शालाओं को नि:शुल्क उपलब्ध कराएंगे और किसानों को आवश्यकता होगी तो उनको भी हम लोग नि:शुल्क देंगे। अच्छी प्रकार की नस्ल प्राकृतिक नैचुरेल सर्विसेज के लिए अब राजस्थान में उपलब्ध हो सकेंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा, प्रोटीन क्रांति की बात भी कही गयी है। चौथा मिशन मोड आफ द साइल हैल्थ कार्ड की बात भी कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक साइल हैल्थ कार्ड का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको कि राजस्थान पहला सौभाग्यशाली प्रदेश है। राजस्थान में 2003-04 में जब हमारी सरकारी थी तब राजस्थान की यशस्वी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना को शुरू किया था। हमने विलेज सोइल हैल्थ कार्ड के नाम से इस योजना को शुरू किया था। एक गांव का एक साइल हैल्थ कार्ड बनता था। अब तक यदि हम बात करें, 33 लाख किसानों को सोइल हैल्थ

(श्री प्रभू लाल सैनी)

कार्ड विलेज साइल हैल्थ कार्ड के रूप में दे दिये हैं। गत विधान सत्र के दौरान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि 55 साइल टैस्ट लेबोरेटरीज हम स्वीकृत करेंगे, वे स्वीकृत हो चुकी हैं। अब 68.88 लाख हमारी कृषि जोत राजस्थान में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सूरतगढ़ की धरती से माननीय प्रधान मंत्रीजी ने आगाज किया साइल हैल्थ कार्ड का। साइल हैल्थ कार्ड में कौन-कौन से तत्व आपके जमीन में होना चाहिए, जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, एनपीके वगैरह क्या है, आपका पीएच मान क्या है, आपकी पानी की चालकता क्या है उसमें, ये सारी चीज़ें जब तक हमको पता नहीं होतीं, माइक्रो-न्यूट्रिएंस की जो कमी होती है चाहे जस्ता हो, चाहे तांबा हो, चाहे मैग्निशियम हो, जानकारी के अभाव में हमारा किसान अंधाधुंध प्रयोग करता था। फर्टिलाइजर का करता था, इन सैक्टिसाइड का करता था। फर्टिलाइजर के साथ-साथ में पेस्टिसाइड का भी करता था। आज आप बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो कैंसर ट्रेनें चल रही हैं ड्यू टू हमारी जानकारी नहीं This is the knowledge Technolodgy. ये नालेज टैक्नोलोजी होनी चाहिए, किसान को पता होना चाहिए। जब कार्ड उसके हाथ में होगा, दस हैक्टेयर जो असिंचित भूमि होगी उस क्षेत्र में रहने वाले किसानों को एक कार्ड देंगे। ढाई हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र वाले लोगों को नि:शुल्क एक कार्ड देंगे। तीन साल में 68.88 लाख कृषि जोतों को शत प्रतिशत राजस्थान में साइल हैल्थ कार्ड दे दिए जाएंगे, ऐसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने निवेदन किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां प्रोटीन की बात हुई है, प्रोटीन क्रांति की बात प्रधान मंत्रीजी ने भी कही है, मुख्य मंत्रीजी ने भी कही है। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। आज प्रत्येक व्यक्ति को जो मिलना चाहिए प्रोटीन, वह नहीं मिल पा रहा है। खासतौर से शाकाहारी जो लोग हैं, उन लोगों को, दालों के रूप में, दूध के रूप में, मक्का के रूप में उनको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी 2014-15 में 36.14 लाख हेक्टेयर में हम लोग दलहन की खेती को आगे बढ़ाएंगे। उत्पादन की यदि हम बात करें, 21.94 लाख होगा और उत्पादकता 607 क्विंटल पर हैक्टेयर के हिसाब से होगी। यानी कि प्रोटीन क्रांति के क्षेत्र में भी अब दालें, मक्का, सोयाबीन आदि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। दलहनी फ़सलों में राजस्थान में मुख्यत: मूंग, मोठ, उड़द, चौला चना, मसूर

(श्री प्रभू लाल सैनी)

आदि बोये जाएंगे। प्रोटीन क्रांति की ओर भी राजस्थान की सरकार अग्रसर हो रही है ताकि किसानों को बार-बार आपदाओं का नुकसान नहीं उठाना पड़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, करीब 22-23 माननीय सदस्यों ने खाद के बारे में एक बहुत बड़ा इश्यु उठाया कि पिछले वर्ष 2014 में खाद की कमी रही। निश्चित रूप से मैं इसको स्वीकार करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल हकीकत बोलता हूं आपको। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, खाद का जो काम है उसका आपरेशन भारत सरकार के द्वारा होता है। अलाटमेंट भारत सरकार करती है, कम्पनीज को आबंटन भारत सरकार करती है। हमारा काम है कोआर्डिनेटर का। समन्वय का काम हम लोग करते हैं। इसमें उर्वरकों का उत्पादन, आयात, संचालन, प्राथमिक परिवहन, अनुदान इत्यादि गवर्नमेंट आफ इंडिया के काम हैं। राज्यों को कितना देना है यह भी उनका काम है। हमारा काम है, फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट, 1985 के आधार पर यदि कोई अधिसूचित उर्वरकों का भण्डारण करेगा, विक्रय करेगा कहीं न कहीं जाकर इंस्पेक्टरों के द्वारा हम उसको निरीक्षण कराते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष 2014-15 में यूरिया की मांग और आपूर्ति की बात करें तो अक्टूबर के महीने में 1 लाख 80 हजार मैट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता थी और हमें मिला 1.50 लाख मैट्रिक टन। नवम्बर में 2.68 लाख मैट्रिक टन की हमारी मांग थी, हमें मिला 2 लाख 5 हजार। दिसम्बर, 2014 में 2 लाख 85 हजार की मांग थी और, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2 लाख 85 हजार के मुकाबले हम लोगों को 3 लाख 51 हजार मैट्रिक टन मिला।

इसका कारण रहा कमी का, नवम्बर और दिसम्बर के महीने में, माननीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात में आपने देखा होगा, कांडला पोर्ट हो या मुंदड़ा पोर्ट हो, वहां पर हुदहुद और जिस प्रकार के तूफान आये थे, तूफान आने से वहां रैक्स प्राब्लम होने से रैक्स हमें नहीं मिल पायीं। रैक्स नहीं मिल पाने के कारण से, खाद की कमी रही। चुनाव का वक्त भी था, माननीय, लोग राजनीतिक लाभ उठाना चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करते हैं तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 लाख मैट्रिक टन पहली बार, इनके टाइम में साढ़े ग्यारह लाख टन था 2013-14 में, हम लोगों ने 12 लाख मैट्रिक टन खाद की जो हमारी व्यवस्था थी उसको हम लोगों ने पूरा कर लिया है। 11.30 लाख मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति फरवरी तक हम लोग कर चुके हैं। एक लाख मैट्रिक टन और इन 15 दिन में राजस्थान को आबंटन हो गया है,

(श्री प्रभू लाल सैनी)

वो मिलेगा। मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि आगामी वर्षों के लिए हम लोगों ने, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने तीन लाख मैट्रिक टन यूरिया के अग्रिम भण्डारण की बात कही है। अब आगामी जो मौसम है आपका खरीफ आने वाला है उसके लिए मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि छः लाख के मुकाबले आठ लाख मैट्रिक टन यूरिया की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है जिसमें से तीन लाख मैट्रिक टन यूरिया का अग्रिम भण्डारण होगा। डीएपी की भी चार लाख मैट्रिक टन की व्यवस्था हम लोगों ने पूरी कर ली है। इस प्रकार 16.23 लाख मैट्रिक टन खाद आगामी खरीफ 2015-16 में मिलेगा।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो कमियां रही हैं, वो रही हैं, उनको हम लोगों ने धीरे-धीरे मीट आउट किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि हम सबको यह प्रयास तो करना ही पड़ेगा, मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, माननीय सदस्य उसको बार-बार दोहरा रहे हैं। आज यूरिया की आवश्यकता देखें तो पैकेजिंग प्रैक्टिस के आधार पर, प्रतिपक्ष के नेता, आप तो किसान हैं, बीस से पच्चीस किलो प्रति बीघा के हिसाब से उसका यूज होना चाहिए, 46 प्रतिशत उसमें नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का ज्यादा यूज करना। यदि आप उसका ज्यादा प्रयोग करते हो तो पौधे के काम नहीं आता, हवा और पानी में उसका मिसयूज हो जाता है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों की राय है उसके आधार पर यह होना चाहिए। इसके आधार पर जो बात सबने कही है, मुझे आज बहुत खुशी है कहते हुए कि कई माननीय सदस्यों ने आर्गेनिक खेती का भी जिक्र किया है। आज मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है कि राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्य मंत्रीजी और हम सब लोग यह प्रयास कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में यू-टर्न करने की आवश्यकता इसलिए हो गयी, सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, this is not an issue. इश्यू यह रहा कि हम लोगों ने अन्धाधुन्ध किसी का भी यूज किया। उसका मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक प्रभाव हुआ। अब हमको यदि फसल में हमारे खाद्यान्न में, हमारे दूध में या हमारे दलहन-तिलहन में यदि टेस्ट चाहिए, यदि हमको गुणवत्ता चाहिए तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको यू-टर्न करना पड़ेगा, जैविक खेती को अपनाना पड़ेगा। देसी खाद को फिर से एडाप्ट करना पड़ेगा। मुझे बहुत खुशी है, यदि प्रति हैक्टेयर में दस टन गोबर की खाद डालते हैं, फार्म यार्ड मैनुअल जो बना हुआ है उसमें आर्गेनिक फार्मिंग का जो सिस्टम है उसका

(श्री प्रभू लाल सैनी)

बहुत बड़ा फायदा एक्स्ट्रा आर्गेनिक कार्बन 14 प्रतिशत मिलेगा। दस तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे जस्ता, ताम्बा, लोहा, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, कापर आदि भी हमको ज्यादा मिलेगा जब हम उसकी खेती करेंगे। जलधारण करने की क्षमता बढ़ेगी। चूंकि अधिक फर्टिलाइजर के यूज से हमारा मृदा स्वास्थ्य खराब हो चुका है, इसलिए पक्ष और विपक्ष हम सबको स्वीकार करने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी गये वो लोग चले गये, उनको जल्दी होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बता रहा हूं, कि सब्जियों में जहर की सेंधमारी बढ़ती जा रही है। आर्सेनिक हो चाहे केडियम हो, चाहे क्रोमियम हो, चाहे लैड हो, इनकी मात्रा निश्चित रूप से बढ़ती जा रही है। पहली बार अमानीशाह नाला हो या फिर बस्सी हो, हम लोगों ने अलग-अलग जगह से सैम्पल लेकर उनका टैस्टिंग करवाया। टैस्टिंग करवाने के बाद जो परमिसिबल होना चाहिए, मानव स्वास्थ्य के लिए जितना होना चाहिए वो मात्रा हमें पूरी मिली है। उसके बारे में आप कभी चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। रंगाई-छपाई से या अन्य प्रकार के बेट्री बनाने से या केमिकल यूज करने वाली जो फैक्ट्रीज हैं उनका हैवी मैटेरियल निकल जाने से उसमें हुआ बाकी इन्सैक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का कोई भी प्रभाव वहां पर देखने को नहीं मिला है। वहां सिर्फ और सिर्फ मिला है तो फैक्ट्रियों से आने वाले गन्दे अपशिष्ट के कारण से केडियम, लैड, क्रोमियम, कापर, आर्सेनिक की मात्रा अधिक पायी गयी है। उसके उपाय के लिए जिला कलक्टर को सीआरपीसी के अन्तर्गत और आईपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही करने के लिए हमारे विभाग के द्वारा निवेदन कर दिया गया था।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब संक्षेप में निवेदन करूंगा। बीज की काफी चर्चा हुई। कृषि का मूल आधार, माननीय अध्यक्ष महोदय, बीज है। यदि अच्छा बीज है, गुणवत्तायुक्त बीज है, प्रामाणिक बीज है तो निश्चित रूप से सभी माननीय सदस्यों की राय में मेरी भी राय है कि उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता काफी अधिक बढ़ती है। सीड के स्टेज की यदि हम बात करें तो माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो बीज होगा वो न्यूक्लियर सीड होगा।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

न्यूक्लियर सीड यूनिवर्सिटीज के द्वारा तैयार किया जाता है वह किलो-दो किलो की मात्रा में होता है। यदि उसके बाद हम बात करते हैं, तो इसका ब्रीड सीड (प्रजनक बीज) होता है जो सेकिंड स्टेज है। यदि हम थर्ड स्टेज की बात करते हैं तो फाउंडेशन सीड बन जाता है और फाउंडेश्ंन स्टेज के बाद चौथी जो स्टेज आती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वो सर्टिफाइड सीड होता है। पांचवीं जो स्टेज आती है, उसकी यदि बात करें तो वो ट्रूथफुल लेवल सीड बनता है। और फिर और कोई बात करें उसके नीचे तो आन फार्म सीड यह इतने प्रकार के स्टेजेज से गुजरने के बाद कोई भी अच्छी गुणवत्तायुक्त बीज आता है। राजस्थान में राजस्थान स्टेट सीड्स कोरपोरेशन, नेशनल सीड्स कोरपोरेशन यदि हम पूरा प्रयास करें तो भी पच्चीस प्रतिशत से ज्यादा बीज अभी तक राजस्थान में उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं चूंकि स्व उत्पादित नहीं है। इस बार पहली बार बाजरे का आन्ध्रप्रदेश और अन्य राज्यों में स्व उत्पादित बीज आरएसएससी के माध्यम से हम लोग तैयार कर रहे हैं। मूंग का बीज स्व उत्पादित कर रहे हैं हम लोग। मक्का के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हम लोग बन रहे हैं। कई ऐसे प्रकार के जो बीज हैं वो राजस्थान स्टेट सीड्स कोरपोरेशन के माध्यम से हम लोग करने की स्थिति में हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नकली बीज, अब कोई भी कह देता है नकली बीज। नकली बीज कोई नहीं होता, माननीय अध्यक्ष महोदय। अमानक होता है वो मिसब्रांड होता है। उसकी जो क्वालिटी है जितना जर्मीनेशन होना चाहिए, जो उसकी प्योरिटी होनी चाहिए वो उसमें नहीं मिल पाती है। उसको हम नकली बीज की संज्ञा दे देते हैं। उसकी गुणवत्ता नहीं होती है। इसलिए हम लोगों ने राजस्थान में बीज के गुणवत्ता के मापदंड किये हैं। फिजिकल प्योरिटी, हम भौतिक शुद्धता को देखते हैं जो 98 प्रतिशत उसकी होनी चाहिए। जैनेटिक प्योरिटी आनुवांशिक शुद्धता पैंतीस प्रतिशत होना चाहिए और जर्मीनेशन होना चाहिए 70 से 80 प्रतिशत। डिजीज फ्री होनी चाहिए, इन्सैक्ट फ्री होना चाहिए और उसका माइश्चर लेवल उसका 8 से 12 होना चाहिए। इन सारी परिस्थितियों से गुजरने के बाद, मैं आज सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि धीरे-धीरे इन हमारे चार वर्षों में बीज के क्षेत्र में हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे

(श्री प्रभू लाल सैनी)

ताकि किसानों को किसी भी प्रकार के नकली बीज की शिकायत होती है, वो नहीं मिल पाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और छोटा-सा विषय है, मौसम आधारित फसल बीमा योजना के बारे में भी सभी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है। अभी यदि हम देखें तो राजस्थान के बारह जिले ऐसे हैं जहां मोडीफाइड फसल बीमा योजना चलायी जा रही है और इक्कीस जिले ऐसे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर वैदर बेस्ड इंश्योरेंस चलायी जा रही है, मौसम आधारित फसल बीमा। मौसम आधारित फसल बीमा की जो बात भाई कर रहे हैं, इन भाइयों से मैं यह कहना चाहूंगा कि 2010 में आपने ही शुरू किया है इसको। आप लोगों ने ही इसको एडाप्ट किया। ओलमा म्हाने दे रिया हो और खुद कर रिया हो। उद्देश्य था प्राकृतिक आपदाओं-सूखा, बाढ़, कीट रोग प्रबंधन, आपदा वर्षों में कृषि आय का स्थिर करना और ऋणी और अऋणी कृषकों को इसके माध्यम से दिया जाता है। 2015 में मौसम आधारित फसल बीमा में कुछ संशोधन हुए। पहले तहसील स्तर पर मौसम संदर्भ केन्द्र लगते थे जिससे कई शिकायतें मिलती थीं कि ये मौसम संदर्भ केन्द्र था ये ठीक था, ये खराब था। लेकिन अब दस किलोमीटर की परिधि में प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर मौसम संदर्भ केन्द्र होगा। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, थर्ड पार्टी को ये काम देंगे। इसमें अभी तीन कम्पनियां हैं जो थर्ड पार्टी हैं, बीमा कम्पनी के अलावा। मौसम संदर्भ केन्द्र हैं स्काईमेड इंजन, एनसीएम, एलएल। तीनों कम्पनियों के मिलकर लगभग 1700 के लगभग मौसम संदर्भ केन्द्र अभी राजस्थान में चल रहे हैं। इनकी रिपोर्ट आने के बाद पैंतालीस दिन में निश्चित रूप से किसान को मुआवजा देने की बात की गई है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विडम्बना है यदि हम पिछले वर्षों को देखें तो अभी ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि में फसल का काफी नुकसान हुआ। 5 एमएम से लेकर 20 एमएम और 22 एमएम तक बारिश हुई। जिन जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा था, 21 जिलों में चाहे नुकसान हुआ हो या नहीं हुआ, यह इश्यू नहीं है, इश्यू यह है कि मौसम आधारित फसल बीमा में फसल का बीमा नहीं करके मौसम का बीमा किया जाता है। वहां पर टैम्प्रेचर कितना है, उस टैम्प्रेचर का भी एक ट्रिगर बना हुआ है। उसके बाद माइश्चर कितना है, रेनफाल कितना है। 1 मार्च से लेकर 15

(श्री प्रभू लाल सैनी)

अप्रैल तीनों ट्रिगर तय होते हैं और यदि इनमें कवर होता है तो किसानों को उसका मुआवजा दिया जाता है।

(20.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत चिंता का विषय उठाया और यह कहा कि सारी कम्पनियां लूट रही हैं। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू थी जब 2003-04 में जब हम लोग आये थे और 2009 तक यह योजना चली। इस योजना के अन्तर्गत किसानों को 112 करोड रुपये, 2003-04 से लेकर 2009-10 तक की मैं बात कर रहा हूं, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, किसानों के द्वारा 112 करोड 59 लाख रुपये प्रीमियम दिया गया और गवर्नमेंट आफ इंडिया और गवर्नमेंट आफ राजस्थान के प्रीमियम को भी जोड़ते हैं तो 381 करोड़ 45 लाख रुपये हुआ, लेकिन किसानों को 356 करोड़ 14 रुपये का राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ मिला। अगर हम बात करें 2010 से 2014 की, जब आये, तब तक की बात करें, मौसम आधारित फसल बीमा के आंकड़े की बात करें तो किसानों ने 1134 करोड़ का प्रीमियम दिया, राज्य का 1202 करोड़ था और केन्द्र का 1202 करोड़ था। कुल प्रीमियम मिला 3538 करोड़ और किसानों को मुआवजा मिला 2447.23 करोड़ रुपये का। अध्यक्ष महोदय, व्यावहारिक रूप से हम देखें, चाहे वह मोडिफाइड फसल बीमा हो, मोडिफाइड फसल बीमा योजना जिन 12 जिलों में संचालित की जा रही है, क्राप कटिंग के आधार पर जहां हमारे माननीय सदस्य मांग करते हैं कि इसका लेवल तहसील से हटाकर इसको और कम करना चाहिये, पंचायत लेवल पर जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, गिरदावर सर्किल तक यह पहुंच गया है, पंचायत सर्किल तक पहुंच गया है। किसी भी पंचायत में मोडिफाइड फसल बीमा की चार क्राप कटिंग होती है, पहले 16 क्राप कटिंग तहसील लेवल पर होती थीं। इस क्राप कटिंग के आधार पर पिछले सात वर्षों का मूल्यांकन करके जितना उनका उत्पादन था और अभी जो उत्पादन आया, उसमें यदि वेरिएशन होता है तो बीमा कम्पनीज के द्वारा उन किसानों को मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत लाभ पहुंचाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कल ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाया था और कल जो एग्रीकल्चर केन्द्रीय एमओए जो आये थे उनको भी कहा है। उपज की गारंटी बीमा योजना के प्रस्ताव राजस्थान की सरकार ने केन्द्र सरकार को भेजे

(श्री प्रभू लाल सैनी)

हैं कि अब किसान की उपज की गारंटी दीजिए हमको, आपके इन बीमाओं से काम नहीं चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी मंशा ठीक है कि किसान को लाभ मिले। विपक्ष भी कम से कम अपना अपना आत्म अवलोकन कर ले कि हमने क्या दिया, हमने क्या नहीं दिया, हमने क्या किया। कोई कह रहा था कि आपने क्या किया, यह उपलब्धियां मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां सौर ऊर्जा पम्प का विषय आ गया, भारत सरकार के एमएनआरई, मिनिस्ट्री आफ न्यू रिन्युअल एनर्जी के द्वारा जवाहर लाल नहेरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के अन्तर्गत यह चालू हुई। सबसे पहले इसमें तीन एचपी के कनेक्शन देने की बात हुई। 2014 तक राजस्थान में 14917 लोगों को इससे लाभान्वित किया जा चुका है। 2010 से लेकर 2013 -14 तक 86 प्रतिशत इसका अनुदान था। 86 प्रतिशत में (आरकेवीवाई) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का 52 प्रतिशत था और एमएनआरई से 30 प्रतिशत मिलता था 2013-14 तक। लेकिन जब मिशन मोड में काम हुआ और जब अन्य नवाचार क्षेत्र में काम किया तो उन्होंने कहा कि किसी भी योजना को परिचित करने के लिये, उसको लोकप्रिय करने के लिये अनुदान दो। आज भी प्रत्येक जिले में जाएं तो 10 गुणा, 20 गुणा एप्लीकेशन मिल पा रही हैं। मैं तो आपसे इतना निवेदन करना चाहूंगा, हमने पहली बार 3 एचपी से बढ़ाकर इसको 5 एचपी किया। 2598 इस वर्ष में हम 5 एचपी के लगाएंगे और 3 एचपी के 2600 यानी 5200 लोगों को सोलर पम्प 2015-16 में एस्टेब्लिश किये जाएंगे। इसके लिये 100 करोड 15 लाख रुपये के प्रावधान की व्यवस्था हो गयी है। इसलिए अभी हमें किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है, निश्चित रूप से हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा मांग संख्या 39 के संदर्भ में। कई माननीय सदस्यों ने गायों की अज्ञात बीमारी के बारे में बात कही है। बेचुलिज्म की बात भी हुई है। ऊंटों के खसरा बीमारी की बात भी हुई है। हमारे विभाग ने कोशिश की है, वेटरिनरी कालेज की टीमों को जांच के लिये हम लोगों ने लगाया है। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह विषय उठाया था। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा, मिनरल मिक्सर की जो डेफिशिएंसी होती है, उस डेफिशिएंसी के कारण से पशुओं में यह बीमारी हो जाती है। मिनरल मिक्सर की राजस्थान में कोई कमी नहीं है। अध्यक्ष

(श्री प्रभू लाल सैनी)

महोदय, राजस्थान में जो आरोग्य पशुधन योजना चल रही है, मुफ्त दवा योजना, उसमें 84 प्रकार की मेडिसिन हैं। इसके साथ ही राजस्थान के सभी जिलों में और 288 मोबाइल यूनिट चली हुई हैं जिन क्षेत्रों में हमारे सब सेंटर नहीं हैं, हास्पिटल नहीं या दूरदराज के गांवों में, राजस्व गांवों में हमारी पहुंच नहीं है, वहां पर 288 के माध्यम से हम लोग उसका उपचार भी कर रहे हैं। ऐसी बीमारियां जो सूची में नहीं हैं और यदि हमको तत्काल आवश्यकता होगी तो मैं आज सदन में कहना चाहूंगा, प्रत्येक जिले पर 7-7 लाख रुपये की एडवांस व्यवस्था कर देंगे ताकि जब भी किसान को आवश्यकता होगी, उसकी मांग के आधार पर वहीं पर वह कर देगा। उसके रिएबर्स के बिल पेश कर देगा तो उसका पुनर्भरण कर दिया जाएगा। ऊंटो में जो खसरा बीमारी की बात चल रही है, इंजेक्शन आइवरगेटिंग की 12 हजार वाइल्स अभी हमने मंगवा ली है और 60 हजार ऊंटों की चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था हो चुकी है। मैं समझता हूं कि अब इसमें भी ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने अभी बजट में 600 सब सेंटर खोलने की बात कही है और 200 ऐसे सब सेंटर्स को क्रमोन्नत करने की बात की गयी है। मैं निश्चित रूप से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा, अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में जो भी आपके हिस्से में आएंगे, आवश्यकता बेस सभी भाइयों को जहां जरूरत होगी, हम लोग उनको स्वीकृत करने का काम करेंगे।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): पक्ष विपक्ष दोनों को ही देंगे क्या? पक्ष विपक्ष दोनों को देंगे या हां पक्ष को ही?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपको जरूर दे देंगे।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य पहले इस बात को क्लीयर कर लें, मैं सदन में माननीय सदस्यों का वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं कर रहा हूं। अब यह तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिये। यदि आपकी मांग है और यदि आवश्यकता है कि वहां मिलना चाहिये तो सबको मिलेगा। सभी सदस्यों का है, पैसा किसी पार्टी का नहीं है। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): गायें मर रही हैं, इसका क्या करेंगे आप? बार्डर पर जैसलमेर में छोटू सिंहजी को पूछो, बार्डर पर गायें मर रही हैं, चारा नहीं मिल रहा है, उनके लिये कुछ करोगे?

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): आगे तो सुनो, विराजो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम (टोडाभीम): ...(व्यवधान) जो प्रस्ताव लिये गये हैं वे कांग्रेसी सदस्यों से नहीं लिये गये।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार, माननीय मुख्य मंत्री और प्रतिपक्ष सहित सभी माननीय सदस्यों ने गो संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन और प्रजनन पर काफी चिंता व्यक्त की है और सबने मिलकर अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास किया। मैं कहना चाहूंगा, राजस्थान में 1 करोड़ 35 लाख के लगभग गोवंश है, 1476 के लगभग हमारी गोशालाएं हैं। साढ़े पांच लाख के लगभग उनमें पशुओं का संधारण किया जा रहा है। जो चिंता माननीय सदस्यों को है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये अभी आपदा प्रबंधन हो गया, 28 जिलों में काफी नुकसान हुआ है और जहां पर डिसास्टर मैनेजमेंट एसडीआरएफ का विजन होगा, निश्चित रूप से गोशालाओं को अनुदान मिलने का काम भी करेंगे। ऐसे पशुओं को जो कि कत्ल खाने या कहीं पर गोकशी के लिये ले जाये जाते हैं 5.88 करोड रुपये की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, हम लोग उन पकड़े हुए पशुओं को एक साल तक 32 रुपये और छोटों को 16 रुपये देंगे। यह संवेदनशील सरकार है। गुरु गोलवलकर योजना के अन्तर्गत भी ...(व्यवधान) मर रही हैं तो आपको किसने रोक रखा है, बात तो सुनो। प्लीज एक बार मेरी सुन लो, अभी मैं उस पर आ रहा हूं। अभी बताता हूं आपको।

अभी गोपालन में दो बड़ी समस्याएं हैं, एक बड़ी समस्या तो आपके नागौर के कई माननीय सदस्यों ने उठायी है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो तीन साल से छोटे बछड़े हैं, उन बछड़ों को बाहर नहीं भेज सकते। यह समस्या हमारे वक्त में भी थी, हम लोगों ने सब कमेटी बनायी थी। नेता प्रतिपक्षजी से भी कहना चाहूंगा, आपके वक्त में भी आपने एक सब कमेटी बनायी थी, आप भी पांच साल तक कमेटी में चलते रहे। लेकिन मैं आज सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, राजस्थान गोवंश का प्रतिषेध एवं अस्थाई प्रत्यावर्जन का निर्यात अधिनियम, 1995 में जो प्रावधान थे, जोधपुर के माननीय उच्च न्यायालय ने डाइरेक्शंस दिये थे कि तीन साल से छोटा बछड़ा न खेती के काम आता है, न

(श्री प्रभू लाल सैनी)

रिसर्च के काम आता है और न दूध के काम आता है, इसको आप बाहर नहीं भेजें। उसमें संशोधन करने के लिये हम लोगों ने काफी प्रयास किये हैं, गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी प्रयास किये हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, जो कमेटी की रिपोर्ट आयी है, हम लोग शीघ्र ही कानून में परिवर्तन करके नागौर के सभी भाइयों को भी उचित समय पर लाभ मिलेगा, उसकी उम्र घटाने पर हम लोग विचार कर रहे हैं। वहां के लोगों की जो समस्या है, उससे निजात मिल सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में ऊंट को राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। आप आश्चर्य करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में नम्बर-एक स्थान हमारा है ऊंट के क्षेत्र में, पापुलेशन में। लेकिन यदि हम बात करें तो पहले साढ़े सात लाख था, फिर छह लाख हो गया, फिर साढ़े चार लाख हो गया और इस वर्ष 3 लाख 20 हजार हमारे ऊंटों की गणना हुई है। उसके होने के बाद में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चिंता व्यक्त की कि इसको राज्य पशु का दर्जा देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको दर्जा दिया। लेकिन अब कई प्रकार के प्रश्न कई प्रकार के एन.जी.ओ. के माध्यम से या कई प्रकार के लोगों से प्राप्त हो रहे हैं। उन पर हम लोग गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। राजस्थान उष्ट्र वंश वध का प्रतिषेध एवं अस्थाई प्रत्यावर्जन का निर्यात का अधिनियम, 2014 बना रहे हैं, शीघ्र ही हम उस पर भी कार्यवाही कर रहे हैं। विधि विभाग से हम लोगों ने करा लिया, राष्ट्रपति से भी उसकी असेंट आ चुकी है। शीघ्र ही हम इस पर भी कार्यवाही करेंगे।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री महोदय, एक निवेदन। ऊंटनी के दूध को सरस डेयरी वालों द्वारा खरीदने की कोई व्यवस्था की जाए।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): आ रहा हूं, आ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह चिंता जाहिर की माननीय सदस्य ने कि ऊंटनी का दूध यह बहुत पैरिशेबल है, कम समय में ही खराब हो जाता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसको पेटेण्ट कराने के लिये भी हम लोगों ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। शी-कैमल, ऊंटनी का दूध तो नहीं होता, शी-कैमल बोलता हूं, उसका जो दूध होता है वह डाइबिटीज के लिये, हार्ट के लिये और हेपेटाइटिस-बी के लिये, मैं समझता हूं रामबाण औषधि का काम करता है। इसलिये हम इसको मेडिसिनल यूज के बारे में भी रिसर्च करवा रहे हैं। केन्द्रीय उष्ट्र अनुसंधान

(श्री प्रभू लाल सैनी)

केन्द्र जो बीकानेर में है, उसके साइंटिस्टों के साथ में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर हम लोग त्वरित गति से इस कार्य को करना चाह रहे हैं। शीघ्र ही ऊंट की कैमल सफारी हो, उसका हैरिटेज में काम हो जाए और उसका संरक्षण, संवर्धन और प्रजनन हो जाए तो शीघ्र ही एक अच्छा-सा ब्रीडिंग सेण्टर खोलने की कार्यवाही, हम लोग प्रयास करके इसको शीघ्र कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पशुपालन के क्षेत्र में एक और बात आप से निवेदन करूंगा। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 26 तहसील मुख्यालयों पर तहसील स्तरीय मोबाइल यूनिट चलाने की घोषणा की है। हमारा यह प्रयास होगा, हम एक अभिनव प्रयास यह भी कर रहे हैं कि 288 मोबाइल यूनिट्स हमारी चली हुई हैं, 28 और हम लोग खोल लेंगे, इसके अलावा एक और ऐसी यूनिट हम तैयार कर रहे हैं जो राजस्थान में सभी जगह जाएगी। उसका मुख्य काम यह होगा कि 108 की तरह काल पर वे लोग जाएंगे। जहां भी किसी का काल हो गया, ज्यों ही टेलीफोन आएगा, काल सेण्टर के आधार पर उसके टोल नम्बर हम देंगे। उसके आधार पर जहां भी उसको इलाज की आवश्यकता होगी, तत्काल हमारा मोबाइल पर फोन होगा और मोबाइल पर फोन होने के बाद वह जाएगा और वहां पर उसका एक उपचार करने का काम भी करेगा। यह बहुत बड़ा होगा। धीरे-धीरे हम इसको पूरे राजस्थान की ओर लेकर जाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मेरा आपके माध्यम से सदन को यह कहना था, कल मेरी अनुपस्थिति में माननीय सदस्य, क्या नाम था उनका, सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था, आरोप लगाया था कि सांचोर में बाजरे के बीज कृषि विभाग के द्वारा मंत्रीजी के इशारे पर किसानों को दिये जा रहे हैं। सौ रुपये की रेट है और 436 रुपये में दिये जा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्तब्ध हूं, व्यथित हूं। मैं इसलिये व्यथित हूं, निराधार बात यदि कोई भी माननीय विधायक सदन में कहता है। मैं नेता, प्रतिपक्ष से भी आग्रह करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा, पहले सत्यता को जान लें, पहले पहचान लें। मेरे जो अधिकार हैं, हमारे कार्य संचालन के नियम 276 के अन्तर्गत मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की किसी भी कोआपरेटिव को हम लोग किसी भी प्रकार का बीज नहीं देते हैं। बीज बेचने का काम कृषि विभाग नहीं करता है। हम जब भी देते हैं, बीज नि:शुल्क देते हैं। नि:शुल्क बीज देने के अलावा मिनीकिट

(श्री प्रभू लाल सैनी)

देते हैं। हां को-आपरेटिव सोसाइटी यदि हमसे विक्रय का लाइसेंस मांगती है तो हम उसको लाइसेंस देते हैं। जहां सांचोर का विषय आया है, पर्ची के माध्यम से माननीय सदस्य ने उठाया, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जालौर में मैक्सहाट कम्पनी के बीज जी.एस.एस.एस. के माध्यम से जो मिल रहे हैं, मंत्रीजी ने उसकी घोषणा की है कि मैं जांच कराऊंगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कृषि विभाग के मेरे किसी अधिकारी के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा किसी भी कम्पनी को या किसी भी व्यक्ति को न तो डाइरेक्शन दिये गये हैं और न ही किसी प्रकार की अनुमति किसी भी कम्पनी को दी गयी है। यदि कोई भी कम्पनी किसी से मिल कर काम कर रही है तो सात दिन में मैं उसकी जांच करा कर सदन में सारे विषय को लाऊंगा। यदि जरूरत पड़ती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कठोर से कठोर कार्यवाही करने की जरूरत होगी तो मैं भी सदन के इसी मंच पर उसकी कार्यवाही करूंगा। ये जो आरोप हैं, ये निराधार हैं। इस प्रकार के आरोपों से बचना चाहिए। आप उन्हें प्रताड़ना दें। कम से कम अनर्गल बात, बिना तथ्यों के बात सदन के माध्यम से कोई उठा कर यदि उसको इस प्रकार प्रचारित करे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आत्मा बहुत व्यथित है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष से मैंने आग्रह भी किया है, कम से कम अपने सदस्यों को बोलते वक्त इस बात का संयम तो रखना ही चाहिए। आचरण, व्यवहार, संस्कार और नियमों की जानकारी के बिना, मैं समझता हूं, सदन में किसी भी प्रकार, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का अधिकार, आपके हाथ में उस्तरा देने का मतलब यह नहीं है, आप जंचे जिसके बाल जहां से काटना शुरू कर दो, यह अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। मेरी अपील है, प्रार्थना है। लेकिन मैं अंत में यह कह सकता हूं आपको, भगवान यीशु, प्रभु ईसा मसीह ने कहा है, हे, ईश्वर इन्हें माफ कर देना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आपकी पार्टी के माननीय सदस्य ने भी इसका समर्थन किया था। (व्यवधान) आपकी पार्टी के सदस्य ने भी समर्थन किया था।

एक माननीय सदस्य: कहीं न कहीं तो सच्चाई होगी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनको नहीं पता, ये क्या बोल रहे हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आपकी पार्टी के माननीय सदस्य ने भी सुखरामजी की बात का समर्थन किया था।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं और स्पष्टीकरण पेश कर रहा हूं। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने आज सदन में जो वक्तव्य दिया, वक्तव्य में यह कहा कि कृषि उपज मण्डी में चपरासियों की भर्ती में या तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करेंगे, या फिर पैसे इकट्ठे हो रहे होंगे, उनको करेंगे। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, मैं इसका खण्डन करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी कृषि व्यवस्था में कृषि उपज मण्डी अधिनियम, कर्मचारी सेवा नियम, 1975 बने हुए हैं, उसमें कर्मचारी को भर्ती करने के प्रावधान बने हुए हैं। प्रावधान करने के बाद में हमारे विभाग ने एक फैसला लिया कि राजस्थान स्तर पर हम किसी भी भर्ती को नहीं करेंगे। सम्भागीय खण्ड स्तर के अधिकारियों को डाइरेक्शन दिये गये कि जहां आपको जरूरत है, अपने-अपने स्तर पर आप लोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दें। हम लोगों ने नहीं किया। मैं यह भी बात कहना चाहूंगा, 143 पोस्टें खाली थीं, 143 पोस्टों के लिये 77644 लोगों ने आवेदन किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह और सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 07.07.2014 को खण्ड स्तर पर इसकी मांग, हमारी इसकी योग्यता थी, वह हमारे मण्डी समिति कर्मचारी सेवा नियम में प्रावधान है कि कक्षा पांच पढ़ा होना चाहिए। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि हम देखते हैं तो पांचवीं के अलावा सारे लोग-एम.ए., बी.ए., बी.एड., एम.बी.ए., सब तरह के लोग उसमें आ गये। शुचितापूर्वक इस पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सोचा कि हमें पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बी.पी.एल. के लोग हैं, जो विधवा है, विकलांग है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता से लेकिन यह फैसला बोर्ड करेगा-एक कलक्टर का प्रतिनिधि होगा, एक कमिश्नर का होगा, एक एग्रीकल्चर का होगा, एक मार्केटिंग का होगा। इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिये अलग-अलग तरह से बोर्ड बनाये सब जगह, और बोर्ड बनाकर इसकी प्रक्रिया शुरू की गयी है। मैं आज आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, और माननीय नेता, प्रतिपक्ष से भी कहना चाहूंगा, यदि आपको भी और आपके किसी सदस्य को, राजस्थान के किसी माननीय सदस्य को यदि इस प्रकार की कहीं सूचना मिलती है तो आप मुझे दें या सदन को सूचना दें। कहीं भी अनियमितता या पारदर्शिता में कहीं कमी पायी जाती है तो मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, जितनी भी कठोर कार्यवाही करने की जरूरत होगी, निश्चित रूप से उनके खिलाफ मैं कार्यवाही करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ घोषणाएं मांग संख्या 37 के सन्दर्भ में

(श्री प्रभू लाल सैनी)

करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य पालन व कृषि से सम्बन्धित अन्य तकनीक का कृषकों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य के 30 जिला मुख्यालयों पर जिला स्तर पर कृषि तकनीकी ज्ञान, नालेज सेंटर की बात जो मैंने अभी कही, कृषि तकनीकी ज्ञान संदर्भ केन्द्र, प्रत्येक 85.40 लाख रुपये की लागत का बनेगा। इस पर कुल 25.62 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे, 2015 में इसमें बनेंगे।

दूसरा, माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा अपने बजट भाषण में 59 पंचायत समितियों एवं 1 हजार 410 ग्राम पंचायतों पर किसान सेवा केन्द्रों के निर्माण पूर्ण करने की घोषणा की गयी है, मैं इस क्रम में घोषणा करता हूं कि इस वर्ष 1700 किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण पूर्ण किया जाकर 153 करोड़ व्यय किया जाएगा।

तीसरा, 5 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फल-बगीचों की स्थापना की जाएगी। इस पर लगभग 9 करोड़ रुपए का अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

3 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस की स्थापना करवायी जाएगी। इस पर लगभग 12.79 करोड़ रुपये का अनुदान कृषकों को दिया जाएगा।

50 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में शेडनैट की स्थापना करवायी जाएगी। इस पर 1.77 करोड़ रुपये का अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

50 पैक हाउस स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपये का अनुदान कृषकों को उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रदेश में शीत भण्डारण क्षमता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 2 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए 2 करोड़ रुपये का अनुदान देने की भी मैं घोषणा करता हूं।

विभाग में कृषि पर्यवेक्षक के स्वीकृत 2224 पद रिक्त चल रहे थे। उनकी भर्ती प्रक्रिया करने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा परीक्षा आयोजित कर ली गयी है। इन पदों पर वर्ष 2015-16 में नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा 496 विभिन्न पदों के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को व 459 पदों के लिए राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अर्थना भेजी जा चुकी है। भेज रहे हैं हम लोग।

मोबाइल में वाट्स-एप के माध्यम से आडियो-वीडियो का आदान-प्रदान कुछ क्षणों में हो जाता है। कृषि क्षेत्र में भी इस तकनीकी को अपनाकर कृषकों

(श्री प्रभू लाल सैनी)

की समस्याओं का समाधान करने का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। प्रारम्भ में जयपुर जिले में पायलट स्तर पर इस योजना को लागू किया जाएगा और इसकी सफलता होने के पश्चात् पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री महोदय द्वारा साइल हैल्थ कार्ड स्कीम के उद्घाटन के समय 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' का नारा दिया गया है। इस क्रम में आगामी समय में वर्ष 2015-16 के अंत तक वर्तमान क्षमता को बढ़ाते हुए प्रति वर्ष 10 लाख साइल सैम्पल टैस्ट करने की क्षमता विकसित की जाएगी। इसी संदर्भ में आगामी तीन वर्षों में 68.88 लाख किसानों को, शत-प्रतिशत लोगों को नि:शुल्क साइल हैल्थ कार्ड उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

खरीफ, 2015 में विभाग द्वारा 8 लाख टन यूरिया, 4 लाख टन डीएपी, 3.65 लाख टन एसएसपी व 0.58 लाख टन अन्य उर्वरकों की मांग भारत सरकार को प्रेषित की गयी है जो स्वीकृत हो चुकी है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि खरीफ, 2015 में कृषकों को उनकी मांग के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराया जाए।

खरीफ, 2015 में चौला, मोठ व तिल फसल की 10 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के राज्य में बीजोत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बीज उत्पादक कृषकों को चौला बीज उत्पादन पर रुपये 800 के स्थान पर रुपये 1000 प्रति क्विंटल, मोठ बीज के उत्पादन पर रुपये 850 के स्थान पर रुपये 1100 प्रति क्विंटल व तिल बीज उत्पादन पर रुपये 900 के स्थान पर रुपये 1100 प्रति क्विंटल की दर से प्रीमियम अलग से दिया जाएगा।

कृषि ग्राह्य परीक्षण केन्द्र, हनुमानगढ़ में 10 हैक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती हेतु कृषकों को उन्नत तकनीक प्रदर्शन देने के साथ प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कृषकों को 1000 हैक्टेयर क्षेत्र में 80 लाख रुपये की अनुदान सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

राज्य में राजस्थान जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जैविक प्रमाणीकरण हेतु लिये जाने वाले शुल्क में अभी जो प्रमाणीकरण किया जाता था, उसमें 20 प्रतिशत छूट दी जाएगी किसानों को। किसानों को अब अपना रजिस्ट्रेशन और पंजीयन करवाकर उनके प्रमाणीकरण का लाभ मिलेगा।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

बीजों की आनुवांशिक गुणवत्ता हेतु बांसवाड़ा में ग्रो आउट टैस्ट (जी.ओ.टी.) फार्म विकसित किया जाएगा।

आंतरिक बीज गुणवत्ता नियंत्रण के लिए राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज परीक्षण का काम भी करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि विपणन के माध्यम से की जाने वाली घोषणाओं के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मंडियों में पंजीकृत कार्यरत हम्मालों एवं पल्लेदारों की महिलाओं, अभी सूरतगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह मामला उठाया था, मंडियों में पंजीकृत कार्यरत हम्मालों एवं पल्लेदारों की महिलाओं के दो संतानों तक प्रसूति के समय सहायता करने, उनकी पुत्रियों के विवाह के समय सहायता करने, उनके मेघावी बच्चों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ उनकी गम्भीर बीमारी में चिकित्सा सहायतार्थ मंडी हम्माल एवं पल्लेदार सहायता योजना प्रारम्भ की जाएगी।

राज्य में मंडियों में सीमित भूमि को दृष्टिगत रखते हुए कृषि उपज मंडी समिति श्रीगंगानगर में 13.87 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत एग्रो ट्रेड टावर भवन के निर्माण की तर्ज पर कोटा, जयपुर एवं खैरथल मंडियों के लिए भी एग्रो ट्रेड टावर सेंटर बनाये जाएंगे।

जैसा कि मैंने पूर्व में भी सदन को अवगत करवाया है, कृषि विपणन विभाग द्वारा विशिष्ट, 'अ' एवं 'ब' श्रेणी की मंडियों में कृषकों एवं मंडी में कार्यरत मजदूरों को किसान कलेवा योजना के तहत 5 रुपये में भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अच्छे परिणाम आये हैं और आज मैं यह घोषणा करता हूं कि 'स' श्रेणी की जितनी भी ऐसी मंडियां हैं यदि वे भी स्वेच्छा से इस योजना को चालू करना चाहेंगी तो उनको रसोई निर्माण के लिए और इसको चलाने के लिए भी अनुमति मैं देता हूं, मांग के आधार पर इसको वे प्रारंभ अब कर सकेंगे।

सरसों उत्पादक जिलों में कृषकों को उचित मूल्य प्रदान करवाने की दृष्टि से 16 मंडियों में स्थापित की गयी आयल टैस्टिंग लैब की सफलता को देखते हुए सरसों एवं अन्य तेल उत्पादक फसलों के क्षेत्रों की मंडियों में भी उनकी आवश्यकता के अनुरूप आयल टैस्टिंग लैब इस वित्तीय वर्ष में स्थापित की जाएगी।

आदिवासी भाइयों को उनके द्वारा एकत्रित वन उपज का उचित मूल्य दिलाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा पहल करते हुए उदयपुर में वन उपज

(श्री प्रभू लाल सैनी)

हेतु पृथक् मंडी की स्थापना की गयी है जिसके कम समय में ही अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी वन उपज के साथ-साथ औषधीय पौधों से प्राप्त उपज के मूल्य संवर्धन हेतु विशिष्ट प्रयासों की आवश्यकता है।

अत: मैं घोषणा करता हूं कि जिन मंडियों में औषधीय पौधों से प्राप्त उपज तथा वन उपज लायी जाती है, वहां इनके प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन हेतु लगने वाली इकाइयों को भूमि आबंटन अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु नीति बनाई जाएगी एवं उनको दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-39 के संदर्भ में मैं कुछ बजट घोषणा करना चाहूंगा।

पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रभावी मानिटरिंग करने के लिए चरणबद्ध रूप से 2500 पशु चिकित्सा संस्थाओं को 2.50 करोड़ रुपये की लागत से कम्प्यूटराइज किया जाएगा।

350 पशु चिकित्सकों की राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाधीन है। माननीय सदस्य इस विषय को उठा रहे हैं, इसके अतिरिक्त इसके लिए 315 पशु चिकित्सकों की भर्ती किये जाने की स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त कर भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाएगी।

600 पशुधन सहायकों के पद भरे जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।

राज्य में देशी गोवंश की नस्लों के संवर्धन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए यूनीसैक्स सीमन की तकनीक का उपयोग भारत सरकार के सहयोग से किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सैक्स सीमन योजना अभी देश के कुछ राज्यों में है जिसमें पंजाब खास तौर से है- एक्स क्रोमोजोन, वाई क्रोमोजोन। यदि किसान को बछड़ी ही चाहिए तो बछड़ी और बछड़ा चाहिए तो बछड़ा। देसी इंडिजीनस हमारी जो ब्रीड हैं, राठी थारपारकर कहते हैं, इसके बारे में भी वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करके, जिस प्रकार से नागौर में बछड़ों की अनावश्यक रूप से समस्याएं खड़ी होती हैं, उससे किसान की मर्जी पर विकल्प उसको दिया जाएगा और इस योजना के बारे में भी गम्भीरता से हम लोग विचार कर रहे हैं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

वैक्सीन की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर रुपये 436 लाख की लागत से कूलिंग चैम्बर का निर्माण किया जाएगा।

जोधपुर, जैसलमेर एवं बाड़मेर जिलों में थारपारकर एवं श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़ में साहीवाल नस्ल के गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 6 करोड़ रुपये की एक पायलट परियोजना संचालित की जाएगी।

गोवंशीय पशुओं के वध को रोकने के लिए राज्य में लागू राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन एवं निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 को, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में जो कानून बना हुआ है, राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन एवं निर्यात का विनिमयन) अधिनियम, 1995, आबकारी की तर्ज पर इसमें और संशोधन हम लोग कर रहे हैं ताकि कोई भी ट्रक यदि एक से दूसरी बार पकड़ा जाएगा तो उसको उतनी पैनल्टी, जुमार्ना देना पड़ेगा जितनी ट्रक की कीमत होगी। मालिक को भी हम लोग मुल्जिम बनाएंगे, जिस मालिक का ट्रक बार-बार गो-वंश तस्करी में पकड़ा जाएगा। इस कानून को भी हम लोग करेंगे और वध से बचाये गये गोवंशीय पशुओं को दिये जाने वाले अनुदान की राशि को 5 रुपये प्रति दिन से बढ़ाकर 32 रुपये प्रति बड़े पशु तथा 16 रुपये प्रति छोटे पशु प्रति दिन किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा ऊंट को राजकीय पशु घोषित किया गया है। ऊंटों के विकास के लिए ऊंटों के वध पर प्रतिषेध के लिए अधिनियम शीघ्र लाया जाएगा।

ऊंटनी के दूध के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान कार्य किया जाएगा तथा ऊंट-पालक सहकारी समितियों का गठन कर ऊंट टोलों का पंजीकरण किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: मांग कीजिए न। मांगें पास करने की मांग कीजिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): गाएं मर रही हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, शिविर खोलोगे या नहीं?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी चीजें दीं लेकिन उस किसान को क्या दिया जो ओलों की मार से भूखा बैठा है? उस किसान के लिए तो कोई घोषणा नहीं की, विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री अजय सिंहजी।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 36-सहकारिता पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। चर्चा में माननीय सदस्यों द्वारा किसानों एवं सहकारिता के हित में जिस उत्साह एवं गम्भीरता से भाग लिया गया, उसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। माननीय सदस्यों के कुल मुझे 167 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनके जवाब मैंने सम्बन्धित माननीय सदस्यों को प्रेषित भी कर दिये हैं। माननीय सदस्यों के अच्छे सुझाव आये हैं। विभाग की कमियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट करवाया गया है। अच्छे सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा तथा सकारात्मक सोच के साथ विभाग की कमियों को दूर किया जाएगा।

माननीय अध्यक्षजी, सहकारिता हमारे देश एवं राज्य की एक सनातन परम्परा रही है। प्रदेश में संयुक्त परिवारों की व्यवस्था रही है। आज भी अधिकांश परिवारों में 'एक सबके लिये' और 'सब एक के लिये' की भावना देखी जा सकती है। माननीय अध्यक्षजी, हमारी सरकार सहकारी व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाना चाहती है, सहकारी संस्थाओं को तकनीकी सुविधायुक्त बनाना चाहती है। जो भी सहकारिता विभाग की जटिल प्रक्रियाएं हैं, उनका सरलीकरण हम करना चाहते हैं और इसके बाद में हम चाहते हैं कि हमारी सहकारी सुविधाओं का पूरे प्रदेश में विस्तार हो।

माननीय अध्यक्षजी, एक छोटा-सा कंकर होता है, लेकिन वह पूरे तालाब को हिला देता है और अपने होने का एहसास करा देता है। माननीय अध्यक्षजी, लोकतंत्र में यह बहुत आवश्यक है, चाहे वह कोई भी सरकार हो, कोई विभाग हो, कोई संस्था हो, या कोई भी जन-प्रतिनिधि हो, जब तक जनता को उसका एहसास न हो, तो सब बेमानी है। जनता को एहसास तभी होगा जब हम अच्छी योजनाएं सच्चे मन से लाएं, उनकी अच्छे ढंग से क्रियान्विति करें और उनका एक लाभदायक परिणाम प्राप्त करके जनता को हम बताएं।

माननीय अध्यक्षजी, मैंने मेरे विभाग को बहुत ही चैलेजिंग रूप में लिया है। मैंने जब अभी अधिकारियों की बजट के सम्बन्ध में कई मीटिंग लीं तो मेरा पहला प्रश्न ही उनसे यह था। जब मुझे बताया गया कि हमारी बैंक है, हमारी सी.सी.बी. बैंक है, हमारी पी.एल.डी.बी. है, हमारी जी.एस.एस. है, तो

(श्री अजय सिंह)

मेरा उनसे पहला ही प्रश्न था कि व्यक्ति क्यों हमारी बैंक के अन्दर खाता खुलवाए, क्यों हमारी बैंक से वह ऋण ले। हमारी पी.एल.डी.बी. बैंक है, जब हम उससे ब्याज का प्रतिशत ज्यादा ले रहे हैं तो क्यों वह हमारी बैंक में आएगा? इसी तरह से ग्राम सेवा सहकारी समिति का कोई भी गांव का व्यक्ति सदस्य क्यों बनेगा? इन्हीं बातों को लेकर हमने माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में सहकारिता विभाग की कुछ प्राथमिकताएं तय कीं। एक रोड मैप तैयार किया और उसके बाद में इस पवित्र लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं।

माननीय अध्यक्षजी, वर्तमान में प्रदेश में हमारे कुल 29 केन्द्रीय सहकारी बैंक हैं, 455 उनकी शाखाएं हैं। ये बैंक और उनकी शाखाएं हमारी जी.एस.एस. से जो कि 6 हजार से अधिक हैं, सीधे तरीके से जुड़े हुए हैं। उनको अल्पकालीन ऋण वितरण करते हैं और मध्यकालीन ऋण वितरण करते हैं। अभी तक इस वर्ष हमने 29 लाख से अधिक व्यक्तियों को साढ़े 15 हजार करोड़ के अल्पकालीन ऋण का वितरण कर दिया है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए फसली ऋण को पुन: शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ही रखा है। इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा 370 करोड़ के अनुदान की घोषणा की गयी है। सहकारी बैंकों को भी ब्याज हेतु 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, वर्ष 2015-16 के लिये हमने इस बजट को, अल्पकालीन बजट को बढ़ाकर डेढ़ हजार करोड़ का हमने किया है। इस वर्ष हमने साढ़े 17 हजार करोड़ का लक्ष्य रखा है जिसका वितरण आगामी वर्ष में हमारे किसानों को अल्पकालीन ऋण के रूप में किया जाएगा।

माननीय अध्यक्षजी, फसली ऋण उपलब्ध कराने में नाबार्ड हमें बहुत बड़ा सहयोग देता है। विगत वर्षों में जो विगत सरकार थी, उनके द्वारा नाबार्ड से जो राशि प्राप्त की गयी, 42 से 45 प्रतिशत के लगभग हमेशा उन्होंने राशि प्राप्त की। हमने और प्रयास किया माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में और हमारा यह प्रयास फल लाया और अब यह आंकड़ा 50 प्रतिशत को छूने जा रहा है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पूरे देश के अन्दर राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो नाबार्ड से सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता किसानों के लिये प्राप्त कर रहा है।

(श्री अजय सिंह)

माननीय अध्यक्षजी, आज प्रतिस्पर्धा का युग है, लेकिन कम्प्यूटरीकरण का भी युग है। अगर दूसरों को देखें हम तो सभी बैंक-एस बी आई, एस बी बी जे, पंजाब नेशनल बैंक, सभी के अन्दर सी.बी.एस. सिस्टम से वे कार्य कर रहे हैं- कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम से। यह बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे केन्द्रीय सहकारी बैंक और उनकी जो भी शाखाएं हैं, आज भी मैनुअली काम कर रहे हैं। हस्तलिखित कार्य बिलकुल बन्द कर दिया, माननीय अध्यक्षजी, इस कदम से अन्य वाणिज्यिक बैंकों की स्पर्धा में हम आ गये हैं। इस कार्य से बैंकों का व्यवसाय बढ़ेगा, जनता का विश्वास बढ़ेगा, पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा। माननीय अध्यक्षजी, मैं एक और घोषणा करता हूं कि हमारे जो भी सहकारी बैंक मुख्यालय पर हैं 29, आगामी वित्तीय वर्ष के अन्दर सभी जगह ए.टी.एम. का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। माननीय अध्यक्षजी, प्रदेश की जनता को अच्छी बैंकिंग सुविधा मिले, इसके लिए प्रदेश में अगले वित्तीय बजट के अन्दर केन्द्रीय सहकारी बैंकों की 20 नयी शाखाएं खोलने की मैं घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्षजी, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि केन्द्रीय सहकारी बैंक पिछली सरकार के कार्यकाल में लाभ में थे, लेकिन बाद में 6 बैंक घाटे में आ गये। हमने प्रयास किया और हमारे प्रयास का नतीजा यह रहा कि इनमें से आधे बैंक अब समग्र लाभ, लगभग 20 करोड़ के लाभ में आने वाले हैं।

माननीय अध्यक्षजी, किसानों की स्थिति अच्छी रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि बैंकों में वित्तीय अनुशासन रहे और वित्तीय अनुशासन तभी रहेगा कि जो भी रिजर्व के मापदण्ड हैं, उनका हम कड़ाई से पालन करें। माननीय अध्यक्षजी, पूंजी पर्याप्तता के जो न्यूनतम मापदण्ड रिजर्व बैंक ने तय किए हैं उसके हिसाब से सी.आर., ए.आर. की दर है वो बैंकों की 7 प्रतिशत होनी चाहिए। पिछला हमने जब प्रथम बजट प्रस्तुत किया था उस समय सी.आर., ए.आर. की दर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असैट्स रेशो की दर कई बैंकों की कम थी, हमने प्रयास किया और आज केवल 2 बैंक कोटा और चूरू ऐसे बैंक हैं जिनका सी.आर., ए.आर. है वो 7 प्रतिशत से कम है, बाकी सभी बैंकों का 7 प्रतिशत से अधिक है। मैं सदन को यह भी आश्वस्त करता हूं कि हम जल्दी ही इन दोनों बैंको को भी खतरे की स्थिति से बाहर ले जाएंगे।

माननीय अध्यक्षजी, हजारों करोड़ रुपये का हम फसली ऋण बैंकों के माध्यम से किसानों उपलब्ध करवाते हैं। कई माननीय सदस्यों ने इसके

(श्री अजय सिंह)

सम्बन्ध में बड़े अच्छे सुझाव दिये हैं कि प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा, किसी को भी पक्षपात के रूप में राशि नहीं मिले। हम प्रयास करेंगे कि आगे नये सदस्यों को भी इसमें जोड़ा जाए और उनको भी ऋण उपलब्ध हो। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमने इस वर्ष 50 हजार से अधिक नये सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाया है।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे केन्द्रीय सहकारी बैंकों में 613 पद काफी लम्बे समय से रिक्त चल रहे थे। इसको हमने समझा और जब हमारा प्रथम बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया था, उसमें भी मैंने घोषणा की थी कि इनकी भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र चालू की जाएगी। हमने भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी है और अभी परीक्षाएं चल रही हैं, मार्च में परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। 2-3 महीने में इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे और रिक्त पद भर देंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी बैंकों के द्वारा किसानों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं लेकिन कृषि के लिए आवश्यक है कि हम दीर्घकालीन ऋण भी किसानों का अच्छे ब्याज पर उपलब्ध करवाएं। इसके लिए मैं एक नई ऋण योजना की घोषणा करता हूं जिसका नाम होगा सहकार किसान कल्याण योजना। हम आगामी वित्तीय वर्ष में 400 करोड़ रुपये का ऋण किसानों को उपलब्ध करवाएंगे जो अधिकतम ऋण 20 लाख रुपये का होगा। सावधि ऋण की जो प्रारम्भिक...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): ओलावृष्टि वाले क्षेत्रों में ऋण माफ करेंगे या नहीं?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): अभी एक मिनट में बता रहा हूं। अधिकतम 20 लाख रुपये का सावधि ऋण 11.5 प्रतिशत ब्याज की दर से किसानों को उपलब्ध कराएंगे। माननीय अध्यक्षजी, अभी आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा था कि किस तरह से इसका सरलीकरण करोगे। तो सुराज संकल्प घोषणा पत्र में भी इस चीज को हमने लिया है। इसको डी.एल.सी. और मार्केट वैल्यू से जोड़ दिया है तथा जमाबंदी के अनुसार जो भी किसान की भूमि होगी उसका 70 प्रतिशत तक ऋण उसको तुरन्त उपलब्ध कराएंगे।

माननीय अध्यक्षजी, वर्तमान में लघु अवधि फसल स्ट्रक्चर से हमारे किसान जुडे हुए हैं और उन किसानों के लिए दुर्घटना बीमा नामक एक योजना

(श्री अजय सिंह)

हमने चला रखी है। दुर्घटना में किसी भी किसान की मृत्यु होने पर उसको 50 हजार रुपये का भुगतान बीमा के द्वारा मिलता है। माननीय अध्यक्षजी, यह राशि बहुत कम है। एक परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको हम बहुत कम राशि दे पाते हैं। हम निरन्तर प्रयास कर रहे हैं कि इस राशि को बढ़ाया जाए। अभी मैं घोषणा करता हूं कि हम किसान की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में 50 हजार रुपये के स्थान पर तीन लाख रुपये का बीमा का लाभ उपलब्ध करवाएंगे।

माननीय अध्यक्षजी, प्रदेश में हमारे 36 प्राथमिक भूमि विकास बैंक हैं और इनकी आर्थिक स्थिति लम्बे समय से बड़ी ही खराब चल रही है। इन बैंकों के द्वारा किसानों को 13 से 14 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। माननीय अध्यक्षजी, आज अगर एक किसान ट्रैक्टर लेने जाता है तो उसको 13 से 14 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है और यदि कोई व्यक्ति लग्जरी कार खरीदने जाता है तो उसको 12 प्रतिशत या साढ़े 11 प्रतिशत पर लोन। इसको किसी ने नहीं समझा, इसको हमने समझा। हमारे पहले बजट में ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की पांच प्रतिशत अनुदान देने की। अगर पांच प्रतिशत अनुदान को देखते हैं तो बैंक रेट जो ब्याज की है वो आ जाती है 9 प्रतिशत पर। इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अन्दर 30 करोड़ का प्रावधान भी किया है जिससे निश्चित रूप से किसानों को सस्ती दरों पर ब्याज पर ऋण मिलेगा और बैंकों की आर्थिक स्थिति जो लगातार बिगड़ रही है वो भी इससे ठीक होगी।

माननीय अध्यक्षजी, पिछले बजट के दौरान 36 बैंकों में से हमारे 21 भूमि विकास बैंक घाटे में चल रहे थे, हमने प्रयास किया, अच्छी मानिटरिंग की और इसका नतीजा यह हुआ कि आज चालू वर्ष व्यवसाय के अनुसार बैंक लगभग लाभ की स्थिति में आ रहे हैं।

माननीय अध्यक्षजी, भूमि विकास बैंकों में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, मैं यह घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष में 150 से अधिक रिक्त पदों पर हम शीघ्र भर्तियां प्रारम्भ करेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, हमारे केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा किसानों को जो अल्पकालीन ऋण दिया जाता है और फसली ऋण दिया जाता है, उसके ऊपर भारत सरकार के द्वारा तीन प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। हमारे

(श्री अजय सिंह)

प्राथमिक भूमि विकास बैंक भी किसानों को फसली ऋण देते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और हमने हमारे स्तर पर भारत सरकार को इसके लिए पत्र लिखा है कि जिस तरह का अनुदान वो केन्द्रीय सहकारी बैंकों को दे रहे हैं उसी तरह से प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को भी अनुदान दिया जाए ताकि उनकी स्थिति में भी सुधार आए और किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सके।

माननीय अध्यक्षजी, प्रदेश में लगभग 6 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनी हुई हैं, गठन हो चुका है, जबकि आज भी साढ़े तीन हजार ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां नहीं हैं। इसी प्रकार लगभग 60 पंचायत समितियों में क्रय-विक्रय सहकारी समितियां नहीं हैं। माननीय अध्यक्षजी, सरकार की यह प्राथमिकता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन हो। इसी तरह से प्रत्येक पंचायत समिति पर हम क्रय-विक्रय समिति का गठन करना चाहते हैं। माननीय अध्यक्षजी, हमने इस वर्ष में 163 नयी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया है। मैं मानता हूं कि यह संख्या बहुत कम है, इसीलिए अब मैं यह भी घोषणा करता हूं, आने वाले समय के लिए हम इसको लेकर चल रहे हैं कि जो भी साढ़े तीन हजार ग्राम पंचायतें हैं, कम से कम दस प्रतिशत उन गांवों के अन्दर हम ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करेंगे।

मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें आधे से अधिक जो माननीय सदस्य हैं वो यह चाह रहे हैं कि उनके क्षेत्र के अन्दर ग्राम सेवा सहकारी समितियों का गठन किया जाए। माननीय विधायक सुमेरपुर, अलवर ग्रामीण, सिवाना, लूणी, खण्डेला, नोहर, भरतपुर, तिजारा, किशनगंज, डूंगरपुर, बहरोड़, सहाड़ा, भादरा, किशनगढ़ बास, शेरगढ़, शाहपुरा, चौरासी, मुण्डावर, कुशलगढ़, वल्लभनगर, बड़ी सादड़ी, जमवारामगढ़, सांगोद, रानीवाड़ा, जायल, घाटोल, चाकसू, फतेहपुर, खेतड़ी, भोपालगढ़, चौमूं, पाली, सूरजगढ़, सांचौर और टोंक, सभी ने यह चाहा है कि उनके वहां गठन किया जाए। मैं इसके बारे में माननीय विधायकों को बताना चाहूंगा कि इसके मापदण्ड बने हुए हैं और जिला कलक्टर के अधीन एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी की अनुशंसा आने पर हम तुरन्त उसका गठन कर देते हैं। जो इसके मापदण्ड हैं उसमें मोटे-मोटे रूप से यह है कि वो पांच लाख की हिस्सा राशि जमा कराएंगे, वो एक लाख की अमानत राशि जमा कराएंगे और गठन के लिए कम से कम 500 सदस्यों का पंजीयन होना

(श्री अजय सिंह)

आवश्यक है। माननीय अध्यक्षजी, हम यह लेकर चल रहे हैं कि सरकार के समय ही कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत न रहे जहां पर कि ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन न हो। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्षजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी का विजन है कि प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को गांव के समग्र विकास हेतु एक आर्थिक हब के रूप में विकसित किया जाए। हमारी कई समितियां इस दिशा में बड़ा रोल माडल अदा कर रही हैं। जब उदयपुर में सरकार आपके द्वार गयी थी तो डूंगरपुर के अन्दर एक टामटिया लैम्प्स है, उसका माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विजिट किया था। उसके बाद में उन्होंने दिशा-निर्देश दिये कि यह जो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, एक ही छत के नीचे, खाद, सुपर मार्केट की तरह खाद और सब तरह का सामान किसानों को, उस गांव के लोगों को मिल रहा है, इसी तरह से आप इसको आगे भी उदाहरण देकर शुरू करो। हमने तत्काल उदयपुर सम्भाग के अन्दर सभी जिलों में पांच-पांच सुपर मार्केट बनाने को क्रियान्वित कर दिया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि अब हम इसी तर्ज पर प्रत्येक जिले में तीन-तीन समितियों में एक-एक सुपर मार्केट आगामी वित्तीय वर्ष में बनाएंगे।

माननीय अध्यक्षजी, हम रास्तों पर चलते हैं, रास्ते हमें मंजिल की ओर ले जाते हैं। माननीय अध्यक्षजी, हर बार एक ही रास्ते पर चलना ठीक नहीं है, हमें कभी-कभी नया रास्ता भी खोजना चाहिए और उस पर चलने की आदत डालनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): दर्शक दीर्घा की तरफ आपकी आंखें बार-बार क्यों उठ रही हैं?

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): मैं तो माननीय अध्यक्षजी को इंगित कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, निगाहें कहीं और हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्षजी की ओर हैं, अध्यक्षजी की ओर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप जोरदार तरीके से बोलिये।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय अध्यक्षजी, हर बार वहां मत जाइये जहां रास्ते ले जाएं बल्कि वहां जाइये जहां कोई रास्ता न हो। और अपने निशान छोड़ कर जाइये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलने दो। (व्यवधान)

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): सर, एक बात है।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): दे देंगे, बता देंगे आपको, आप बैठो तो सही।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): अध्यक्षजी ने अनुमति दी है एक मिनट के लिए। मैं मेरा निवेदन रख दूं।

श्री अध्यक्ष: विराजो आप, विराजो। (व्यवधान) भाषण पूरा होने दीजिए। आप वक्तव्य दीजिए।

श्री अजय सिंह (राज्य मंत्री, सहकारिता): माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सहकारिता के क्षेत्र में कुछ ऐसे नये निशान छोड़ रही है जो शायद कभी नहीं मिट पाएंगे।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का कोटि-कोटि आभारी हूं कि उन्होंने इस बजट में भामाशाह योजना व विभिन्न योजनाओं के तहत नागरिकों को लाभ हस्तान्तरण से जोड़ते हुए हमारे पैक्स, लैम्प्स व ई-मित्र केन्द्रों को बिजनस कारसपोंडेंट बनाने की घोषणा की। माननीय अध्यक्षजी, पहली बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ग्राम सेवा सहकारी समिति को भामाशाह से जोड़ा है और हमने अभी तक 2706 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बिजनस कारसपोंडेंट घोषित कर दिया, मतलब उस ग्राम का व्यावसायिक अभिकर्ता। इसके अलावा 3325 ई-मित्रों को भी बिजनस कारसपोंडेंट घोषित किया गया। माननीय अध्यक्षजी, हमारी यह मंशा है कि हमारी कोई भी ग्राम सेवा सहकारी समिति किसी भी तरीके से घाटे में न रहे और वो विविध तरह का व्यवसाय करे। वो खाद तक सीमित न रहे, बीज तक सीमित न रहे, वो सब तरह का सामान बेचे। उसके जो ग्रामीण सदस्य हैं, ज्यादा से ज्यादा उनकी आवश्यकताएं पूरी करे और कम कीमत पर देकर लाभ कमाए। माननीय अध्यक्षजी, वर्तमान में हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां सभी तरह का भुगतान कर रही हैं। वर्तमान में नरेगा के कार्य का भी भुगतान वो कर रही हैं लेकिन उनको किसी

(श्री अजय सिंह)

तरह का कमीशन नहीं मिलता है, जबकि इसके अन्दर उनका स्टेशनरी खर्चा भी होता है, उनकी जन-शक्ति भी लगती है। हमने इसको भी पंचायती राज विभाग को भेजा है और पंचायती राज विभाग ने इसको भारत सरकार को भेजा है। यदि भारत सरकार कमीशन की स्वीकृति दे देती है तो निश्चित रूप से मुझे यह कहते हुए खुशी है कि कोई भी हमारी ग्राम सेवा सहकारी समिति किसी भी प्रकार से घाटे में नहीं रहेगी।

माननीय अध्यक्षजी, वर्तमान युग तकनीक का युग है, कम्प्यूटर महती आवश्यकता है। मैं यह घोषणा करता हूं, इस आगामी वित्तीय वर्ष में हमने एक प्रोजैक्ट तैयार किया है और 211 हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण हम कर देंगे। माननीय अध्यक्षजी, कम्प्यूटरीकरण करके सरकार चाहती है, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि उसको आनलाइन किया जाए। ग्राम सेवा सहकारी समिति में जो कार्य मैनुअली हो रहा है, हाथ से हो रहा है, उसको हम बंद करना चाहते हैं, आनलाइन करना चाहते हैं। आगे चलकर हम यह भी चाहते हैं कि मिनी ए.टी.एम. के द्वारा अपने खाते का भी संचालन वो सदस्य वहां पर आकर कर ले, गांव में बैठा हुआ।

माननीय अध्यक्षजी, हर किसान को खाद की आवश्यकता होती है। माननीय कृषि मंत्रीजी ने अभी इसके ऊपर प्रकाश डाला। प्रदेश में सहकारी समितियों के पास में 7954 गोदाम हैं, लेकिन हमारी 500 ऐसी ग्राम सेवा सहकारी समितियां अभी हैं जिनके पास में गोदाम नहीं हैं और हमारी 60 ऐसी क्रय-विक्रय सहकारी समितियां हैं जिनके पास में गोदाम नहीं हैं। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि समितियों की भण्डारण क्षमता बढ़े और हर ग्राम सेवा सहकारी समिति के पास में एक-एक गोदाम हो। इसके लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गत वर्ष बजट में किया था और इस बार भी 100 समितियों में गोदाम बनाने का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। इसके अलावा उन्होंने गोदाम के रख-रखाव के लिए भी 10 करोड़ रुपये का बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, किसानों को पीक सीजन में खाद की उपलब्धता में कठिनाई नहीं हो, इसके बारे में अभी कृषि मंत्रीजी ने भी कहा। मैं इसके बारे

(श्री अजय सिंह)

में आपको बताना चाहूंगा कि सहकारी समितियां अपने गोदाम के अन्दर रखकर इसको अपने सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इसका आबंटन कृषि विभाग के द्वारा हमें किया जाता है। इसका उनके द्वारा ही हमें रैक प्लान भी दिया जाता है। अब की बार बफर स्टाक में जो भी कृषि विभाग के द्वारा हमें आबंटन किया जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा समितियों में हम उसका भंडारण कराएंगे। अभी भी हमारे पास किसानों के लिए 30 हजार मैट्रिक टन यूरिया और 30 हजार मैट्रिक टन डीएपी भंडारण किया हुआ है। अभी सदन के अन्दर कहा गया, पिछली बार खाद के सम्बन्ध में कोई समस्या आयी, मैं इसके लिए घोषणा करता हूं कि भंडारण केन्द्रों को हम आनलाइन कराएंगे, राजफैड के। कोई भी किसान या किसान का बेटा देख सकता है कि मेरे आसपास की समिति में आज की तारीख में कितना खाद पड़ा हुआ है और जो भी उसकी आपूर्ति होगी, रैक प्लान होगा, वह भी कब प्राप्त हुआ है। rajfed.gov.in और rajcooperatives. nic.in इन हमारी वैबसाइट्स पर कोई भी किसान या उसके परिवार का सदस्य देखकर पता लगा सकता है।

माननीय अध्यक्षजी, अलवर जिले में विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया से जिंसों की खरीद में मिली सफलता को देखते हुए इस बार बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जयपुर सम्भाग के समस्त जिलों में विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया के द्वारा खरीद का निर्णय लिया है जिसका मैं स्वागत करता हूं।

माननीय अध्यक्षजी, 2010 में वैद्यनाथन कमेटी की अनुशंसा पर 2013 में 97वें संविधान संशोधन के तहत राजस्थान सहकारिता अधिनियम, 2001 के अन्दर कुछ प्रावधान जोड़े गये थे। इस तरह के संशोधन किये गये कि इससे समितियों को आडिट कराने में और कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में स्वायत्ता मिल गयी।

माननीय अध्यक्षजी, पिछले 3-4 वर्षों से यह देखा गया कि समितियां अपना आडिट नहीं करवा रही हैं। इसके साथ ही समितियां जांच अधिकारी, प्रशासक तथा अवसायकों को रिकार्ड नहीं देती हैं। गबन एवं वित्तीय अनियमितताओं के प्रकरणों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। अभी कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में प्रश्न भी किया था, इस विषय को ध्यान में लाये। पाली से भी लाये, मारवाड़ जंक्शन विधायक ने भी इसका जिक्र किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाली विधायक ने जो प्रश्न लगाये थे और जो वह

(श्री अजय सिंह)

ध्यान में लाये हैं, उसके बारे में हम कार्यवाही कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके सम्बन्ध में थाना शहर पाली कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज करा दी गयी है। धारा 55 की जांच हम करा रहे हैं और रिकार्ड न देने के बाबत सिविल कोर्ट में भी प्रकरण दर्ज करा दिये गये हैं।

माननीय अध्यक्षजी, हम इसके लिये प्रयास कर रहे हैं, जो समितियां आडिट नहीं कराएं, उनके विरुद्ध हम कठोर कार्यवाही करेंगे। साथ ही हम आडिट तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में हमारे एक्ट को भी देख रहे हैं। इसमें जो पुराने विधिक प्रावधान हो गये हैं जिनमें कि हम बदलाव लाना चाहते हैं, इसमें भी हम समय पर बदलाव लाएंगे।

माननीय अध्यक्षजी, ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत व्यवस्थापक एवं अन्य कार्मिकों के पद काफी लम्बे समय से रिक्त पड़े हुए हैं। साथ ही इनके वेतन, भत्तों तथा सेवा शर्तों के सम्बन्ध में भी बड़े लम्बे समय से कठिनाई आ रही है। गत सरकार ने भी इस सम्बन्ध ने कुछ नहीं किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्बन्ध में हम सकारात्मक होकर रिजल्ट ओरिएन्टेड तरीके से कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री के ध्यान में इसको लाकर हम गुणावगुण के आधार पर इस पर जल्दी से जल्दी निर्णय लेंगे, ऐसा मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों के वेतन भत्तों व प्रशासनिक खर्चों की अनुमति सीमा वर्तमान में 60 प्रतिशत है, कि वह जो भी समिति का लाभ है उसका 60 प्रतिशत अपने वेतन, भत्तों और प्रशासनिक खर्चों में काम ले सकती है। इसकी लगातार मांग उठती रही है कि इसको बढ़ाया जाए। मैं आज इसकी घोषणा करता हूं कि 60 से इसको 70 प्रतिशत किया जाएगा। लेकिन इस निर्णय का लाभ उन समितियों को दिया जाएगा, जो चालू वर्ष का आडिट पूर्ण करवा लेंगी तथा वृद्धि की गयी सीमा तक वेतन उठाने के पश्चात् भी लाभ में रहेंगी।

माननीय अध्यक्षजी, राज्य में कानफैड व जिला उपभोक्ताओं के माध्यम से हम उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। हमारी उच्च प्राथमिकता है कि हम नैटवर्क को और अधिक बढ़ाएं और व्यवसाय में विविधता के साथ-साथ इन्हें हम गांवों तक ले

(श्री अजय सिंह)

जाएं। इनके मध्य हम प्रभावी रूप से कड़ी बंधन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सस्ती दरों पर चाहे वह खाने-पीने की सामग्री हो, चाहे वह दवाइयां हों, चाहे वह किसी तरह की भी सामग्री हो, गांव तक सस्ती दरों पर अच्छी ब्रांडेड कम्पनियों का सामान हम पहुंचाएं, इसका हम प्रयास करेंगे।

माननीय अध्यक्षजी, वर्तमान में पूरे प्रदेश में 36 जिला भंडार हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि 36 में से 25 से अधिक भंडारों ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लाभ अर्जित किया है। हमारी सरकार राज्य में पहली बार नवाचार के रूप में 13 महिला सुपर मार्केटों का संचालन कर चुकी है। इसमें यह उल्लेखनीय है कि इन सुपर मार्केटों का संचालन केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक जिले में एक-एक महिला सुपर मार्केट और खोला जाएगा।

माननीय अध्यक्षजी, आज के समय में आर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बहुत मांग है, जैविक उत्पाद की। भारत वह देश है जहां धन से ज्यादा काया की चिंता की गयी है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, 'पहला सुख निरोगी काया'। आज हर नागरिक शुद्ध सब्जी खाना चाहता है। आज हर नागरिक शुद्ध फल खाना चाहता है। वह शुद्ध अनाज खाना चाहता है। वह शुद्ध मसालों का सेवन करना चाहता है। लेकिन आज भी इनकी मार्केटिंग के केन्द्र नहीं हैं। इनकी कमी को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में आर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मैं भी इससे प्रेरित होकर इसी क्रम में घोषणा करता हूं कि आर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए हम आगामी बजट के अन्दर 4 केन्द्र-जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर में खोलेंगे और इसको हमारे भंडार और सहकारी विभाग के जो कानफैड हैं, वे चलाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वहां पर शुद्ध सब्जी, फल, मसाले और अनाज सभी के लिए मिलेगा।

माननीय अध्यक्षजी, प्रदेश की जनता ने हमें निर्वाचित करके इस सदन में भेजा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमें इस असाइनमेंट के साथ में भेजा है कि हम अच्छा किरदार निभाएं और अपने-अपने क्षेत्रों में ईमानदारी से अच्छा कार्य करें ताकि जनता उसे महसूस करे। ईश्वर ने भी निश्चित रूप से हमें कुछ असाइनमेंट के साथ इस दुनिया में भेजा है।

(श्री अजय सिंह)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी बतौर मंत्री मुझे असाइनमेंट दिया है कि मैं भी अच्छा काम करूं और अच्छी तरह से मेरे किरदार को निभाऊं। इस सम्बन्ध में मैं दो लाइन कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा :

'जीवन में इतनी शिद्दत से निभाओ अपने किरदार को

कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें'।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मांग संख्या 36-सहकारिता को पारित करें।

मांग संख्या-37 का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37-कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,51,17,38,000/- (इक्कीस अरब इक्यावन करोड़ सत्रह लाख अड़तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-39 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,95,71,19,000/- (पांच अरब पिचानवे करोड़ इकहत्तर लाख उन्नीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-36 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36-सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,92,65,29,000/- (चार अरब बानवे करोड़ पैंसठ लाख उन्तीस हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक रविवार, दिनांक 22 मार्च, 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.00 बजे रविवार, दिनांक 22 मार्च 2015 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-37 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-37 मुख्य शीर्षक कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रूपया कम कर दिया जाय-

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

1 प्रदेश के किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

2 बहरोड़ तहसील मुख्यालय पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3 अलवर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4 अलवर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5 बहरोड़ में कृषि विश्वविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहौर) :

6 विधान सभा क्षेत्र आहौर के 22 गांव जो जंवाई नहर से सिंचित हैं, को कृषि मण्डी सुमेरपुर से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

7 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कृषि उद्यान के अधीन कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय का पुर्नगठन एवं सहायक कृषि अधिकारियों के पद स्थापन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8 प्रदेश में मौसम आधारित बीमा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों पर मौसम यंत्र स्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

9 विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर द्वारा नवीन सड़कों का निर्माण एवं सड़कों का नवीनीकरण के प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10 जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के लिए शीघ्र भूमि का आबंटन कर भवन निर्माण करवाने एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाते हुये विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

11 जिला अलवर के किसानों को फसल बीमा योजना का पूरा लाभ देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

12 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में किसानों को खाद्य एवं प्रमाणित बीज सही मात्रा में व सही समय पर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

13 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के किसानों की सुविधा हेतु कोटकासिम में गौण मण्डी यार्ड का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के खैरथल कस्बे में प्याज मण्डी का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

15 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) :

16 विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा आबू में स्वरूपगंज की बंद कृषि मण्डी को पुनः प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

17 प्रदेश के किसानों को अपने खेत की मृदा का परीक्षण करवाने एवं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप बीज का उपयोग कराने के कारगर उपाय उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

18 प्रदेश में किसानों को बुआई की शुरूआत से पूर्व ही उन्नत बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

19 प्रदेश में किसानों को उन्नत खाद्य एवं उत्कृष्ट बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

20 प्रदेश में इजराइल पद्वति पर बूंद-बूंद सिंचाई खेती की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

21 प्रदेश में किसानों की मांग पर उन्नत बीज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

22 प्रदेश में किसानों को अपनी उपज को गोदाम में सुरक्षित रखकर मोरगेज मानकर ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

23 विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर स्थित ''कृषि उपज मण्डी'' क्षेत्र की दुकानों के आगे बरामदा निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

24 पाली व सुमेरपुर की ''कृषि मण्डियों'' की दुकानों की डी.एल.सी. दरें न्याय संगत निर्धारित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

25 प्रदेश के किसानों को देय सब्सिडी समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

26 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के किसानों की बिजली दर को कम करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के किसानों को फसल बुवाई से पहले बीज वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

28 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की राजगढ़ तहसील में ओलावृष्टि से हुये नुकसान का मुआवजा दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में किसान क्रेडिट कार्ड का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

30 विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में ऋणी किसानों का बीमा बाध्यकारी नहीं करने एवं अनुदान की राशि सीधी किसान को देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ह्मीरसिंह भायल (सिवाना) :

31 प्रदेश में राष्ट्रीय भूमि स्वास्थ्य कार्ड योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

32 अलवर में होलसेल नई सब्जी मण्डी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

33 प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय को पूर्ण बजट दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह भादू (सूरतगढ़) :

34 विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

35 विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ के गांव बीरमाणा में नई अनाज मंडी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

36 प्रदेश में आवारा पशु एवं रोजड़ों से फसलों को बचाने के लिए किसानों को बाड़ के लिए अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

37 प्रदेश में डिग्गियां व सोलर पावर के लिये दी जा रही सब्सिडी पहले की भांति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

38 प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा गांवों को आपस में जोड़ते हुये अनाज मण्डियों तक अपनी जीन्स सरलता से लाने के लिए नई सड़कों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

39 प्रदेश में जंगली जानवरों से खेतों व खेती (फसलों) की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

40 पश्चिमी राजस्थान में रोहिड़ा, खेजड़ी, केर व कुमढियां की सुरक्षा व संवर्धन हेतु प्रति पेड़ काश्तकारों को मुआवजा या संवर्धन राशि दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

41 विधान सभा क्षेत्र लूणी में वेयर हाउसिंग बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42 विधान सभा क्षेत्र लूणी में स्थित लूणी नदी व जोजरी नदी में पाली व जोधपुर शहर स्थित उद्योगों से प्रवाहित प्रदूषित पानी से किसानों की खेती योग्य जमीन बर्बाद होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) :

43 विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कृषि कार्मिक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

44 विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कृषि भूमि का भूमि कटाव रोकने के लिए एनीकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

45 विधान सभा क्षेत्र तिजारा में किसानों को वृक्षारोपण लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

46 विधान सभा क्षेत्र तिजारा में कृषि महाविद्यालय, तिजारा में खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

47 विधान सभा क्षेत्र तिजारा में मिट्टी परीक्षण व प्रयोगशाला खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

48 विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के किसानों को अच्छे प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

49 कृषि के क्षेत्र में उपयोग आने वाली सौर ऊर्जा पर अनुदान राशि को 90 प्रतिशत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

50 कृषि विभाग द्वारा डिग्गियों पर देय अनुदान को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

51 प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

52 भरतपुर जिले में असमय हुए वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुये फसल के नुकसान की भरपाई का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहौर) :

53 विधान सभा क्षेत्र आहौर के 22 गांवों को सुमेरपुर कृषि उपज मण्डी से जोड़ने के लिए चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

54 कृषि मंत्रीजी द्वारा विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के ग्राम समरानियां में नई स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी की घोषणा की क्रियान्विति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

55 विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के शाहाबाद तहसील के शाहाबाद कस्बे में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

56 विधान सभा क्षेत्र किशनगंज में कृषि पर्यवेक्षक (AAO) के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

57 विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

58 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के किसानों को कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप बीज का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में कृषि को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

60 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में घोषित डार्कजोन हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

61 विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के नहरी इलाकों में डिग्गी निर्माण कर कम पानी पर कृषि कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

62 विधान सभा क्षेत्र महुवा के ग्राम रोहतड़िया में कृषि उपज मण्डी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

63 विधान सभा क्षेत्र महुवा में मण्डावर, रिलायंस पैट्रोल पम्प से मण्डावर तक कृषि उपज मण्डी सड़क बनाने पर चर्चा के लिए।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

64 डूंगरपुर जिले में कृषि सिंचाई हेतु सोलर पम्प एवं सब्सिडी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

65 डूंगरपुर जिले के उपखण्ड बिछीवाड़ा में कृषि उपज मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

66 नाबार्ड का कार्यालय डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67 डूंगरपुर में आयुर्वेदिक औषधि की खेती को बढ़ावा देने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68 डूंगरपुर जिले में कृषि महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

69 राजकीय पी.जी. कालेज, सवाई माधोपुर में एग्रीकल्चर विंग को कोटा कृषि विश्वविद्यालय से सम्बन्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

70 प्रदेश के किसानों की फसल बीमा योजना को दुरूस्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

71 विधान सभा क्षेत्र भादरा के किसानों को यूरिया खाद, डी.ए.पी. खाद एवं अन्य खाद समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

72 प्रदेश में कृषि विभाग के तहत डिग्गी निर्माण कार्य में किसानों को मिलने वाला अनुदान बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

73 हनुमानगढ़ में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

74 कृषि विभाग के तहत किसानों को कुट्टी मशीनें (चैस कट्टर) दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

75 प्रदेश के बारां जिले में मानसून पूर्व ही यथा समय किसानों को बीज उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमृत लाल (सलूम्बर) :

76 प्रदेश में मानसून से पूर्व ही समय पर किसानों को बीज, खाद उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

77 प्रदेश के कृषकों को अपनी फसलों को (नील गाय) रोजड़ों से बचाने हेतु महानरेगा कार्य के अन्तर्गत खेती की बाड़ा बंदी के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के उपखण्ड सलूम्बर व उपखण्ड सराड़ा और तहसील-सेभारी में कृषि कार्य हेतु निजी कुओं को खोदने व निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

79 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर-सराड़ा, सेभारी के तालाबों व नहरों की ऊंचाई व कच्ची नहरों को पक्की करने एवं धोरों को पक्का करने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

80 विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर-सराड़ा, सेभारी में किसानों के लम्बित कृषि कनेक्शन शीघ्र देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

81 विधान सभा क्षेत्र रेवदर में किसानों के कृषि कुओं पर तारबंदी के लिए अनुदान दिलाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

82 विधान सभा क्षेत्र कोटा के किसानों को समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

83 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में नव-सृजित सहायक निदेशक, कृषि विस्तार कार्यालय भवन में लेवल व मिट्टी भराई की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

84 बाड़मेर में जीरा मण्डी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

85 कृषि मण्डी बाड़मेर में आये दिन व्यापारियों के साथ हो रही लूट एवं चोरी को रोकने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

कुं. जगत सिंह (कामां) :

86 प्रदेश में भारी बरसात एवं शीतलहर से किसानों की खराब हुई फसलों की जांच कर किसानों को विशेष सहायता पैकेज देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

87 बाड़मेर में बे-मौसम हुई बारिश एवं हवाओं से खराब हुई फसलों के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

88 राजकीय बाबा भगवान दास कृषि महाविद्यालय चिमनपुरा, शाहपुरा (जयपुर) को स्नातकोत्तर महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

89 प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के नाम की कृषि उद्योगों की भूमि का किस्म परिवर्तन होकर अन्य श्रेणी के नाम सस्ती दरों पर करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

90 प्रदेश में मानसून पूर्व ही यथा-समय किसानों को बीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

91 प्रदेश में मौसम आधारित बीमा योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों पर मौसम यंत्र स्थापित नहीं होने से किसानों को फसलों के नुकसान होने पर उचित आंकलन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

92 विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93 प्रदेश के काश्तकारों को खेतों पर होने वाली प्राकृतिक पैदावार के लिए प्रशिक्षण देने एवं इनके अधिकतम मूल्य दिलाने हेतु विक्रय केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

94 विधान सभा क्षेत्र करौली के किसानों को हो रही बीज की सप्लाई की परेशानी के समाधान हेतु कारगर उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95 कृषि उप निदेशक करौली द्वारा मनमानी कर व्यापारियों के साथ अवैध वसूली करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल (निवाई) :

96 विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम डोडवाड़ी, लोहरवाड़ा में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

97 कृषि मण्डी बांदीकुई में हाइमास्क लाइट लगाने, कृषि जिंसों हेतु चबूतरा निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

98 विधान सभा क्षेत्र वैर के किसानों को समय पर खाद-बीज उपलबध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

99 प्रदेश में कृषि क्षेत्र में कृषकों के विकास की योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

100 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

101 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय अरांई पर गौण मण्डी निर्माण की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102 विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) स्थित कृषि उपज मण्डी समिति परिसर में काश्तकारों एवं व्यापारियों को सुलभ पेयजल आपूर्ति हेतु कृषि विभागीय योजनाओं में एक नवीन उच्च जलाशय निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103 राज्य में स्थित कृषकों को प्राप्त कृषि अनुदान की आवेदन पत्रावली की आनलाइन प्रक्रिया बंद कर पुन: आनलाइन आवेदन प्रक्रिया से अनुदान पत्रावली स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

104 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, किशनगढ़ (अजमेर) में कृषि विज्ञान विषय में छात्रों को अध्ययन शुरू करवाने के लिये विभागीय पहल की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

105 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में किसानों को समय पर बीज वितरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

106 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में समय पर कीटनाशक दवाइयों का वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के किसानों को समय पर यूरिया खाद उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

108 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पोली हाउस का अनुदान बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

109 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में देय आत्मा अनुदान के सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

110 विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में गैहूं की बम्फर पैदावार को देखते हुए आने वाले समय में सही सर्वे करवाकर बढ़े हुए रकबा अनुसार खाद (डी.ए.पी.) व यूरिया उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

111 विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में खेत को इकाई मानते हुए फसली बीमा योजना का फायदा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

112 प्रदेश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु जैविक खाद पर सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

113 विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कृषि उप निदेशक कार्यालय, कुशलगढ़ में स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

114 प्रदेश के किसानों को अपनी उपज भेजने हेतु बाजार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

115 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में हुई बर्षा से फसल की खराबी पर मुआवजा दिलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

116 विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में फार्म पोण्डों का टार्गेट बढ़ाए जाने एवं किसानों के लम्बित भुगतान करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

117 स्वामी केश्वानन्द कृषि विश्वविद्यालय को केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

118 बीकानेर जिले के ग्राम/कस्बे झझु व कोलायत में कृषि उपज मण्डी खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

119 बीकानेर जिले में बीकानेर, कोलायत, बज्जू में बीज विधायन केन्द्र (Seed Prossesing Point) खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

120 प्रदेश में कृषकों के बच्चों को कृषि से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु आरक्षण व छात्रवृत्ति दिलाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121 प्रदेश के किसानों को डिग्गी निर्माण व सोलर ऊर्जा व मय पम्प सेट पर देय अनुदान राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

122 विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में कृषि विभाग के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

123 विधान सभा क्षेत्र मावली में फतेह नगर मण्डी में किसान भवन का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) :

124 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में संतरा मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

125 विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कृषि आधारित उद्योग लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

126 प्रदेश में कृषि आपदा में लागत जोड़कर कुल खर्च पर मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

127 राज्य में किसानों को कृषि क्षेत्र में तकनिकी शिक्षा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

128 प्रदेश में कृषि उपज का मूल्य निर्धारण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

129 राज्य में कृषि को उद्योग का दर्जा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता (नगर) :

130 विधान सभा क्षेत्र नगर में बीज विधायन केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131 विधान सभा क्षेत्र नगर में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132 विधान सभा क्षेत्र नगर में आधुनिक खेती फव्वारा, ड्रिप योजना से सिंचाई के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि व सब्सिडी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

133 विधान सभा क्षेत्र नगर में मार्केटिंग बोर्ड की एम.डी.एफ. एवं विशेष कोष से स्वीकृत सड़कों के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

134 राज्य में यूरिया खाद की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

135 विधान सभा क्षेत्र सांगोद कृषि क्षेत्र में जंगली जानवरों, रोजड़ों से फसलों को बचाने हेतु तारबंदी योजना को नरेगा में शामिल करने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

136 विधान सभा क्षेत्र सांगोद के दीगोद उपखण्ड पर राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

137 प्रदेश में किसानों के लिए कृषि यांत्रिकी पोर्टेबल बीज ग्रेडिंग मशीन को अनुदान में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

138 विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कृषि बीमा के तहत फसल हानि का सही मूल्यांकन करवाकर मुआवजा राशि दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

139 विधान सभा क्षेत्र सांगोद में सहायक निदेशक (कृषि विस्तार) कृषि अधिकारी (प्रशिक्षण) कृषि अधिकारी पौध संरक्षण एवं पैंतीस पद कृषि पर्यवेक्षक व सात पद सहायक कृषि अधिकारी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

140 विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में खरीफ व रबी फसलों में रसायनिक खाद यूरिया व अन्य रसायनिक खाद समय पर उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

141 राजस्थान के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान (स्तर कीमतों 2004-05) में मात्र 21 प्रतिशत रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

142 कृषि क्षेत्र में डिग्गीयों व फव्वारा पद्धति पर अनुदान बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

143 चालू वित्तीय वर्ष में लूणकरणसर व अन्य मण्डियों में मूंगफली व अन्य कृषि उत्पादों की सरकारी खरीद न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

144 जालोर जिले में किसानों को बीज एवं खाद समय पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145 विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में क्रोप कटिंग आधारित फसल बीमा का लाभ किसानों को दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

146 विधान सभा क्षेत्र करौली के किसानों को बूंद-बूंद सिंचाई हेतु अनुदानित फव्वारा सेट दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

147 विधान सभा क्षेत्र करौली के किसानों को अनुदानित फार्म पोण्ड बनाये जाने हेतु प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मान सिंह (गंगापुर) :

148 गंगापुर सिटी स्थित गौण मण्डी के व्यापारियों को नवीन मण्डी प्रांगण में दुकानें आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

149 कृषि उपज मण्डी बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

150 कृषि उपज मण्डी बांदीकुई में कृषि जिन्सों हेतु चबूतरा निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

151 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कृषि यंत्रों के अनुदान के लक्ष्यों को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

152 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में फार्म पोण्डों के लक्ष्य बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

153 केकड़ी व सरवाड़ कृषि उपज मण्डी समिति में किसानों के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

154 विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में कृषि विभाग में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

155 विधान सभा क्षेत्र जायल के किसानों की सुविधा हेतु जायल में ही कृषि मण्डी का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

156 विधान सभा क्षेत्र घाटोल के घाटोल उपखण्ड स्तर पर कृषि मण्ड़ी खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

157 घाटोल उप खण्ड कार्यालय पर मक्का बीज (संकर मक्का) की उपलब्धता के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

158 करौली जिले में उप निदेशक खाद द्वारा की जा रही खाद वितरण में कालाबाजारी की जांच उच्च स्तरीय कमेटी से करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

159 विधान सभा क्षेत्र चाकसू में कृषि विपणन बोर्ड़ द्वारा निर्मित सड़कों का डामरीकरण एवं मरम्मत कार्य कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

160 उपखण्ड मुख्यालय फलौदी में उप निदेशक कृषि कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

161 फलौदी एवं बाप उपखण्ड़ मुख्यालय पर भूमि/जल/बीजों के उपचार हेतु जांच केन्द्रों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

162 ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की नई तकनीकों की जानकारी कृषकों तक पहुंचाने के लिए संगोष्ठी/सेमीनार/रात्रि चौपालों का आयोजन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

163 प्रदेश में रसायनिक खाद की समय पर आपूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

164 प्रदेश में फसल बीमे का सरलीकरण व खेती में आगजनी से हो रहे नुकसान के लिए विशेष योजना बनाकर किसानों को लाभान्वित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

165 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में स्थित चिमनपुरा कालेज के कृषि संकाय को कृषि महाविद्यालय का दर्जा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

166 प्रदेश में निर्मित किसान भवनों को दी जाने वाली सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

167 विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के किसानों की सुविधा हेतु पावटा गौण मण्डी को मुख्य मण्डी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

सुश्री कीर्तिकुमारी (माण्डलगढ़) :

168 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में हुई ओलावृष्टि से हुए नुकसान की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

169 विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में कृषि उप निदेशक कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

170 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के काश्तकारों को पर्याप्त खाद एवं बीज समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

171 विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर में कृषि विभाग का कार्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

172 जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के लम्बित पेंशन व वेतन का भुगतान कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

173 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में कृषि विज्ञान केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

174 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में वेयर हाउस का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

175 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला (Soil Testing Laboratories) खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

176 विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

177 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में किसानों को कृषि मण्डी तक अपनी फसल ले जाने हेतु कृषि मण्डी की टूटी सड़कों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

178 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में ड्रिप सिंचाई पर देय सब्सिडी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

179 विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में ग्राम पंचायत मुख्यालय पं. आसोप में किसान भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) :

180 विधान सभा क्षेत्र दूदू के काश्तकारों को कृषि प्रोत्साहन देने हेतु कृषकों को खाद, बीज एवं अन्य सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

181 प्रदेश में कृषि जिन्सों, मसालों व अन्य उत्पादित अनाजों पर होने वाले वायदा कारोबार को प्रतिबंधित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

182 प्रदेश में किसानों को मौसमी मार से सुरक्षा दिलाने के लिए मौसम आधारित बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित फसलों की क्लेम राशि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

183 कृषि उपज मण्डी कपासन के क्षतिग्रस्त भवन का नवीनीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

184 नई तकनीकी से कृषि कार्य करने के लिए पोली हाऊस/ग्रीन हाउस बनाने पर दी जाने वाली कृषक अनुदान राशि को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

185 प्रदेश में कृषि कार्य के लिए सोलर पम्प योजना का कृषक अनुदान बढाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) :

186 लालसोट दौसा में कृषि करते हुए किसानों की आकस्मिक मृत्यु पर मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

187 दौसा जिले में दी जाने वाली कृषि सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

188 दौसा जिले में कृषि उपज मण्डी में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं एवं कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

189 विधान सभा क्षेत्र लालसोट में हुई फसल खराबे के मुआवजे के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

190 विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के किसानों को समय पर सब्सिडी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

191 बाड़मेर में जमीन की गुणवत्ता एवं उर्वरा के पहचान के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

192 विधान सभा क्षेत्र बायतू में किसानों को बागवानी व वनस्पति फसलों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान व सहायता देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

193 पश्चिमी राजस्थान में अनार की खेती विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

194 उपखण्ड मुख्यालय बायतू में कृषि मण्डी की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

195 उप खण्ड मुख्यालय बायतू (बाड़मेर) में कौशल विकास केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

196 कृषकों को अपने खेत में तारबंदी करने हेतु अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

परिशिष्ट-2

मांग संख्या-39 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 मुख्य शीर्षक पशुपालन एवं चिकित्सा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

1. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशुओं की विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु मोबाइल यूनिट की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
2. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पशु चिकित्सा, पशु चिकित्सक सहायक एवं पशुधन सहायक के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पंजीकृत गौशालाओं को समय पर अनुदान व सुविधायें देने एवं पशु चिकित्सा केन्द्रों पर दवाइयां व चिकित्सकीय संसाधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
4. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नवीन पशु उप केन्द्र खोलने, पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में एवं पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

5. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में नगरीय क्षेत्रों के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित पशु चिकित्सालयों को शहर के बाहर स्थानान्तरित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशुधन सहायक नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
7. राज्य में घोड़ों के लिए पशु बीमा कवर करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
8. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के विभिन्न पशु चिकित्सालयों में, चिकित्सक व स्टाफ नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (पिलानी) :

9. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के चिड़ावा, पिलानी व मंजेला में स्थित गौशाला की सहायता राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र पिलानी में आवारा पशुओं के लिए पंचायत मुख्यालय में पशु बाड़ा बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

11. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में कैरवावाल में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में ढहलावास में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में अहीर बास भडकोल में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में चिकानी में पशु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पशु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण में बहादुरपुर में पशु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को पशु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

16. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के शहर राजगढ़ में पशु सिटी डिस्पेंसरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के राजगढ़ तहसील में रिक्त पशु डाक्टरों के पद भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की सिधमुख उप तहसील में पशु पी.एच.सी. को पशु सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में आवारों पशुओं की पुर्नवास व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के पशु चिकित्सालयों में डाक्टर एवं कम्पाउण्डर की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

21. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में पशु एम्बुलेन्स की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

22. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में महामारी से राज्य पशु ऊंटों की हुई मौतों का मुआवजा दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) :

23. विधान सभा क्षेत्र कोटा उत्तर में नान्ता में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीराम भींचर (मकराना) :

24. प्रदेश में 2–3 वर्ष के नागौरी बछड़ों का राजस्थान से बाहर विक्रय नहीं होने से वर्तमान समय में गाय की हो रही दुर्दशा एवं किसान की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

25. विधान सभा क्षेत्र लूणी में पशुओं की बीमारी सम्बन्धी दवाइयों की उपलब्धता व नि:शुल्क वितरण तथा प्रत्येक पंचायत में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र लूणी के ग्राम डोली व दुन्दाड़ा स्थित पशु चिकित्सालय को बहुद्देश्य पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने व ग्राम लूणी में वेटेनरी कालेज खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र लूणी में संचालित पशुधन आरोग्य चल इकाई, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने व जिन गांवों में पशु चिकित्सालय नहीं है वहां पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

28. विधान सभा क्षेत्र लूणी में भवन विहीन पशु चिकित्सालय प्रथम व पशु चिकित्सालय का भवन बनाने एवं पशु चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र लूणी में पशु औषधालय, ग्राम चोखा तथा सर जिला जोधपुर, पशु चिकित्सा उपकेन्द्र लूणावास, सालावास, मोगड़ाकला, घटियाला व गुड़ा विशनोइया को वर्तमान स्तर से क्रमोन्नत करने एवं स्टाम्प व डाक्टरों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) :

30. विधान सभा क्षेत्र तिजारा की पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

31. विधान सभा तिजारा में पशु चिकित्सालय कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र तिजारा मोहनी बाबा गौशाला में पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

33. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

34. विधान सभा क्षेत्र नोहर में नवीन पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र नोहर के सभी पशु उपकेन्द्रों को आगामी 3 वर्षों के अन्तर्गत क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

36. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर की ग्राम पंचायत बहनेरा के ग्राम ऊचानंगला के पशु सब सेन्टर में कम्पाउण्डर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

37. पशु चिकित्सालय भरतपुर में सोनाग्राफी की मशीन पर डाक्टर लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. पशु चिकित्सालय भरतपुर में एक्सरे मशीन लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश (महुवा) :

40. विधान सभा क्षेत्र महुवा के ग्राम सालिमपुर व ग्राम हुडला में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

41. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की ग्राम पिलोवनि उपकेन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के ग्राम इूठारिया में पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

43. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पशुधन (नन्दी बेलो) को बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पशुधन को बीमारी से बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में अकाल (आपदा) के समय पशुधन को बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

46. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज के भंवरगढ़ में पशु चिकित्सक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

47. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के ग्राम जटवाड़ा में नवीन पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

48. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के कृषकों को दुधारू पशु पर सब्सिडी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में दुग्ध उत्पाद का संग्रहण केन्द्र व दूध डेयरी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कुक्कुट पालन व बकरी पालन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र, हथोड़, मेहणा, बोजला, धूघरा एवं गामड़ी देवल में खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पशु चिकित्सालय को डूंगरपुर शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

53. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पशु चिकित्सालयों में जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के पशुपालकों के लिए बीमा योजना का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम जखराना में बकरी की नस्ल सुधार केन्द्र व शोध संस्थान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में भवन रहित पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के बहरोड़ पशु चिकित्सालय में लेबोरेटरी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

58. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम पाटन अहीर, उजौली, नांगल सालियां, खानपुर अहीर, कतोपुर तिगांवा, घीघाका, मीरका, लगड़बास, नसोपुर, राता खुर्द, माछरोली एवं धमूकड़ आदि में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के राजकीय पशु चिकित्सालयों/उप केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के ग्राम मूसाखेड़ा, बघाना, गुणसार, पुर व बिलाहेड़ी में राजकीय पशु चिकित्सालय केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में पंजीकृत गौशालाओं को समय पर अनुदान एवं सुविधाएं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के राजकीय पशु चिकित्सालयों/ उपकेन्द्रों का भवन निर्माण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

63. प्रदेश के पशु चिकित्सालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत करवाने एवं नवीन भवन बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. राजकीय पशु चिकित्सा उपकेन्द्र गांधी बड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र भादरा की प्रत्येक गौशालाओं में समय-समय पर गायों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र भादरा में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय अथवा उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. प्रदेश में पशु चिकित्सालयों का समय बदलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

68. बारां जिले में घायल पशुओं को पशु चिकित्सालय ले जाने के लिए एम्बूलेंस उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

69. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी में पशु चिकित्सालय भवनों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी में प्रत्येक पंचायत में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी में पशु बीमारियों सम्बन्धी दवाइयों का नि:शुल्क वितरण एवं मौसमी बीमारियों में विशेष ध्यान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर) :

74. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

75. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के बड़े कस्बों में दुग्ध डेयरी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

76. विधान सभा क्षेत्र सोजत के रायपुर तहसील ग्राम पंचायत हाजिवास में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

77. बाड़मेर जिले में स्वीकृत पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. बाड़मेर में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. राजकीय पशु चिकित्सालय बाड़मेर में पशु चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

80. राजकीय पशु चिकित्सालय बाड़मेर में नि:शुल्क दवाओं की कमी को पूरा करने एवं चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. बाड़मेर में अकाल की स्थिति को देखते हुए पशु शिविर खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

82. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में स्थित पशु चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

84. जिला डूंगरपुर मुख्यालय पर स्थित पशु चिकित्सालय को शहर से बाहर स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्राम माण्डली, सरथूना, पुनावाडा, डुका, कोचरी, बासिया, करावाड़ा, गैजी, सुराता, गन्धवापाल, डुगरसारण, कुआ में पशु चिकित्सालय स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

87. राज्य के क्षेत्र विशेष में पाये जाने वाले पशुओं के लिए अलग-अलग योजना बनाकर क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

88. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्राम गुडला में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल (निवाई) :

89. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम झिराना में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण करवाने एवं पीपलू के पशु चिकित्सालय भवन की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम कुदेडी, नटवाड़ा, खणदेवत, रजवास, बोरखण्डी, अरनिया, बहड़, सुनारी, सोहेला में पशु चिकित्सालय खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भजनलाल जाटव (वैर) :

91. विधान सभा क्षेत्र वैर की ग्राम जहाज, मौलोनी आदि में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) :

92. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के डोडावली एवं जाई के पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पाई ग्राम पंचायत में पशु उप चिकित्सालय को चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

94. विधान सभा क्षेत्र बारां अटरू में पशु चिकित्सा केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

95. राज्य में स्थित गौशालाओं को पर्याप्त अनुदान देकर गौ रक्षा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. उपखण्ड मुख्यालय किशनगढ़ (अजमेर) स्थित "अ" श्रेणी राजकीय पशु चिकित्सालय को बहुद्देश्य पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर स्थित "अ" श्रेणी राजकीय पशु चिकित्सालय में पशु शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ का नवीन पद सृजन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में संचालित भवन विहीन पशु उपकेन्द्रों के नवीन भवन निर्माण एवं जीर्ण-शीर्ण चिकित्सालयों के भवनों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में संचालित पशु चिकित्सा संस्थानों में सभी संवर्गों के लम्बे समय से रिक्त चल रहे पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजम मण्डी) :

100. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की प्रत्येक पंचायत हैड क्वाटर पर पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में पशु गणना के आधार पर पशुओं के लिए पीने का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कार्यरत वेटनरी डाक्टर/अध्ययनरत डाक्टर को एलोपेथिक डाक्टर की भांति सोनोग्राफी का प्रशिक्षण देने एवं पशु चिकित्सालयों में सोनोलोजिस्ट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में पशुओं के लिए मिलने वाली नि:शुल्क दवाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की गौशालाओं में गायों की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

105. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ के ग्राम पंचायत खजुरा, बिलीपाड़ा, शोभावटी एवं मस्का मधुडी में पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

106. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में वेटनरी कालेज नवानिया में ओडीटोरियम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

107. प्रदेश के पशुपालकों को पशु आहार खरीदने व उत्पादित दूध को डेयरी के माध्यम से विक्रय करने पर पशु आहार व दूध पर दो रुपये प्रति

किलोग्राम अनुदान देने की घोषणा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र कोलायत के ग्राम/कस्बा कोलायत व बज्जू के पशु चिकित्सालयों को राजकीय बहु-उद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. प्रदेश व बीकानेर जिले की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर यथासम्भव पशु चिकित्सालय या पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र कोलायत में भेड़, बकरियों व अन्य पशुओं में समय-समय पर फैलने वाली मौसमी बीमारियों व अन्य बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

111. बीकानेर जिले में बंद पड़े पशु चिकत्सालय व पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों को चालू करने व कोलायत तहसील के ग्राम 860 आरडी, ग़डियाल, नौखड़ा, खारीचारणान सियाणा, भेलु, माणकासर, मिठड़ीया, खारिया मलीनाथ, बीठनोक, गुडा व गौडू में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

112. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम ल्हावद तहसील नादौती व ग्राम नसूरा तहसील टोडाभीम में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बडी सादड़ी) :

114. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पशु चिकित्सकों के रिक्त पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम आसोद, नेगड़ीया, नाड़ाखेड़ा, रावतपुरा, बड़वई, नन्नाणा, जोसर, मेरियाखेड़ी एवं खोरिया में पशु चिकित्सा, उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के पशु चिकित्सा उप स्वास्थ्य केन्द्र सगेसरा, बिलोदा, सांगरिया, नकोर, बरड़ीया, बारावरदा एवं सरिपीपली को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

117. विधान सभा क्षेत्र मावली के पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

118. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. राज्य में पशुपालकों के पशुओं का पशुओं की कीमत के बराबर बीमा पालिसी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. राज्य में पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. राज्य में पशुपालन हेतु पशुपालकों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

122. विधान सभा क्षेत्र नगर में पशु चिकित्सालय में रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र नगर में स्थित ग्राम सुन्दरावली में संचालित पशु चिकित्सालय के भवन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र नगर में गौशाला पर विशेष ध्यान देने व पशुओं के लिए सस्ती दरों पर चारा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र नगर में पशुधन बीमा योजना की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र नगर की ग्राम पंचायतों में नये पशु चिकित्सालय/ पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

127. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में पूर्व स्वीकृत पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र, पशु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के उप स्वास्थ्य केन्द्र देवली एवं हिंगी को पशु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के पी.एच.सी. आंवा एवं बपावर को मोडल पी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के पशु चिकित्सालय एवं उप पशु चिकित्सालयों में भवन सहित अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

131. ग्राम कालू तहसील लूणकरणसर के पशु चिकित्सालय में किसी भी डाक्टर व नर्सिंग कर्मी के पदस्थापन न होने के पशु चिकित्सालय के बंद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

132. ग्राम सुराणी पंचायत समिति खण्डेला (सीकर) में पशु विकास उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के ग्राम नालोट पंचायत समिति श्रीमाधोपुर (सीकर) में पशु विकास उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर में पशुओं की गणना के आंकड़ों के अनुसार पशु चिकित्सा, पशुपालकों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के ग्राम जसवन्तपुरा पंचायत समिति श्रीमाधोपुर (सीकर) में पशु विकास उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर के ग्राम भारनी पंचायत समिति श्रीमाधोपुर (सीकर) में पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

137. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में संचालित पशु चिकित्सा केन्द्र एवं उप केन्द्र में पशु चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा सहायक के अलावा

अन्य स्टाफ के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पांचला, गुन्दाऊ, पंसेरी, सीलासन, बामनवाड़ा व मोत्रीवाड़ा में पशु चिकित्सा हेतु नये पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

139. बीकानेर पशु चिकित्सालयों में पशु वाहन एवं ड्राइवर की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

140. बीकानेर पशु चिकित्सालयों में नर्सिंग स्टाफ अटेंडेन्ट एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

141. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में पशु चिकित्सकों के खाली पद भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

142. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के पशु चिकित्सालयों के विभिन्न रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम सदारा, मोलकिया, लसाडिया, भरई, फतेहगढ़, हिगोनिया एवं अजगरा में नये पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम पारा, रामपाली, गोयला व गिरवसु के पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. प्रदेश में स्थित गौशालाओं को पर्याप्त अनुदान देकर गौ रक्षा कार्य पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

147. विधान सभा क्षेत्र जायल में रिक्त पशु चिकित्सक एवं पशु कमाउण्डरों के पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

148. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

149. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के ग्राम पंचायत मुख्यालय तीतरिया, कादेड़ा, आकोडिया एवं छांदेल कला में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. उपखण्ड मुख्यालय चाकसू के "अ" श्रेणी पशु चिकित्सालय हेतु भवन निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी) :

151. फलौदी मुख्यालय पर उप निदेशक एवं संयुक्त निदेशक, पशुपालन के कार्यालयों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

152. फलौदी में पशुओं की बीमारियों की जांच हेतु लैब की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

153. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के विराटनगर पशु चिकित्सालय में लेबोरेटरी स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में गत वर्ष में फैली बीमारी से भैसों की हुई मौतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

155. प्रदेश में पशुपालन बीमा की प्रीमियम राशि न घटाने एवं बीमा राशि न बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. देशी गौ वंश को राज्य के बाहर परिवहन कर ले जाने पर की गई असन्तोषजनक कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

158. राजकीय पशु चिकित्सालय किशनगढ़-रेनवाल में नये पद सृजित करने एवं रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत नांदरी तथा रोजड़ी में नये पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के पशु चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाइयां एवं उपकरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

161. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में पशुपालकों को बढ़ावा देने हेतु ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में नि:शुल्क पशु दवा वितरण केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में संजय नगर, गाडराटा, बीलवा, पपुरना, डांडा फतेहपुरा में पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पड़े पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

166. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में पशु चिकित्सा का कैम्प प्रत्येक तीन माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

167. विधान सभा क्षेत्र कपासन में संचालित पशु चिकित्सालय व पशु उप केन्द्रों में रिक्त चिकित्सकों व कम्पाउण्डरों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) :

168. लालसोट पशु चिकित्सालयों में स्टाफ लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

169. दौसा जिले के लालसोट में पशुपालन को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

170. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पशु चिकित्सालय खोलने एवं पशु चिकित्सकों के पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

171. पश्चिमी राजस्थान में पशुपालन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में सरकारी प्रोत्साहन देने की सुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

172. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पशु चिकित्सालय में सरकार द्वारा मुक्त दवा योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-3

मांग संख्या-36 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-36 मुख्य शीर्षक सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. सुमेरपुर तहसील के पावा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण) :

2. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के मौहब्बतपुर में ग्राम सेवा समिति खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र अलवर ग्रामीण के भजीट में ग्राम सेवा समिति खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) :

4. प्रदेश के किसानों को बिना ब्याज मिलने वाले ऋणों की जमा अवधि 30 अप्रैल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

5. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की राजगढ़ तहसील की वंचित पंचायतों में सहकारी सोसायटी केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में सहकारी सोसायटी केन्द्रों पर बैंकों की सभी सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

7. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में नवीन सहकारी समितियों का गठन पंचायतवार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

8. विधान सभा क्षेत्र लूणी के समस्त किसानों को आवश्यकतानुसार समय पर उन्नत बीज, खाद एवं दवाइयां उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. जोधपुर शहर स्थित सहकारी उपभोक्ता हालसेल भण्डार में गत 10 वर्षों में हुई अनियमितताओं व भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच करवाकर दोषी अधिकारियों को कठोर सजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. विधान सभा क्षेत्र लूणी की ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति स्वीकृत करवाने एवं समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. जोधपुर शहर स्थित भूमि विकास बैंक की शाखा को सोजती गेट जोधपुर से बाहर स्थानान्तरित करने एवं भवन विहीन ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भवन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) :

12. विधान सभा क्षेत्र तिजारा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी बैंक खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

13. प्रदेश की ग्राम सहकारी समितियों के सदस्य बनाने में पारदर्शिता रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

14. प्रदेश में ग्राम सहकारी समिति एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अध्यक्ष के चुनाव समय पर एक साथ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

15. विधान सभा क्षेत्र नोहर में शेष रहे सभी ग्राम पंचायतों पर नवीन जी.एस.एस. (ग्राम सहकारी समिति) स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. प्रदेश में किसानों को वितरित किये जा रहे ऋण की राशि को 2 लाख तक बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. किसानों को सहकारिता ऋण प्रदान करने में आ रही कठिनाई को दूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

18. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालय जाटली रथवान में सहकारी समिति का गठन कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक में पिछले पांच वर्ष में हुई अनियमितताओं एवं गबन की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) :

20. विधान सभा क्षेत्र तिजारा में नवीन बनी 11 पंचायतों में ग्राम सहकारी समितियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) :

21. जैसलमेर जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारी दुकान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. जिला जैसलमेर में ग्राम पंचायत चान्दण, मोहनगढ़ एवं रामगढ़ में रबी की फसलों के लिए सहकारी समर्थित मूल्य की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

23. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज की ग्राम पंचायतों पर नई सहकारी समितियां स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

24. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में पी.सी.सी.बी. पाली द्वारा किसानों के लिबर्टी विडियोकोन एश्योरेन्स कम्पनी से कराये गये बीमों के कमीशन की जांच कम्पनी के खातों से कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में वर्तमान एम.डी. पी.सी.सी.बी. पाली के रहते बैंकों से लोन देने में शाखा खिवाड़ा की तरह अन्य शाखाओं की जांच करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. पी.सी.सी.बी. कालेज रोड पाली के कैश में चालीस लाख रुपये कम पाये जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. पी.सी.सी.बी. पाली द्वारा किसानों के फसल बीमा के साथ दूसरा बीमा गुजरात की कम्पनी से करने से किसानों को हानि एवं बैंक को मिले कमीशन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

28. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की सभी लेम्पस में व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में चल रही लेम्पस में भ्रष्टाचार को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के लेम्पस में सभी दैनिक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के सभी लेम्पस को कम्प्यूटरीकृत कर आन-लाइन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर लेम्पस/सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

33. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर नई ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम सेवा सहकारी समिति के नये सदस्यों को ऋण नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में ग्राम सेवा सहकारी समिति के पुराने सदस्यों को उनकी साख सीमा 1.50 लाख रुपये तक ऋण दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में खाद व बीज भण्डारण की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में सरकारी खरीद केन्द्र खोलने की समुचित व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

38. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में क्रय-विक्रय सहकारी समिति की ऋण सीमा बढ़ाने एवं समितियों की आडिट कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में सहकारी ऋणों का सरलीकरण करते हुये आम काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृत लाल (सलूम्बर) :

40. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी के किसानों के अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी के किसानों के फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 225 हैक्टेयर से बढ़ाकर 865 हैक्टेयर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी के प्रत्येक पंचायत स्तर पर मिनी बैंक खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी के प्रत्येक पंचायत स्तर पर लेम्पस खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, सेमारी के सहकारिता विभाग द्वारा खाद, बीज के भण्डारण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

45. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद के प्रत्येक ग्राम पंचायत में सहकारिता बैंकों की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संजीव कुमार (भादरा) :

46. विधान सभा क्षेत्र भादरा में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव में ऋणी एवं अऋणी सदस्यों को एक समान वोट का अधिकार देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

47. प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समिति में कार्यरत व्यवस्थापकों, सेल्समैनों एवं सहायक कर्मचारियों की सेवा शर्तें राज्य कर्मचारियों के समान सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र भादरा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों क्रमश: छानी बड़ी, भाड़ी एवं मलखेड़ा में ऋण से वंचित किसानों को शीघ्र ऋण दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति पर किसानों को खाद, बीज एवं दवाइयां आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

51. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की वंचित ग्राम पंचायतों में ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

52. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में ग्राम सेवा सहकारी समितियों से वंचित ग्राम पंचायतो में नवीन समितियां सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में किसानों के ऋण की साख सीमा बढ़ाने व प्राकृतिक आपदा के समय ऋण का समय बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति शेरगढ़ (तहसील मुख्यालय) एवं सेखाला में नवीन क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. प्रदेश में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में मापदण्डों में शिथिलता प्रदान करते हुए हिस्सा पूंजी राशि 5.00 लाख के स्थान पर 2.50 लाख एवं सदस्यों की संख्या 500 के स्थान पर 250 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

56. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के सरवाड़ उपखण्ड में क्रय-विक्रय सहकारी समिति में गोदाम निर्माण कार्य एवं चारदीवारी की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी की सावर तहसील मुख्यालय पर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

58. बाड़मेर तहसील में ग्राम पंचायतवार ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खेमाराम (सुजानगढ़) :

59. प्रदेश में सहकारिता विभाग में सुधार कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

60. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (जयपुर) की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

61. प्रदेश के किसानों के ऋण की साख सीमा बढ़ाने व प्राकृतिक आपदा एवं ओलावृष्टि के समय ऋण का समय बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में ग्राम सेवा सहकारी समिति से वंचित ग्राम पंचायतों में नवीन समितियां सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. प्रदेश में सहकारी समितियों में भण्डारण के लिए गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की पंचायत समिति चिखली एवं झौथरी में नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. प्रदेश में सहकारी भूमि विकास बैंक व केन्द्रीय सहकारी बैंक के विलय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दर्शन सिंह (करौली) :

66. विधान सभा क्षेत्र करौली के कृषकों के फसली ऋण माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र करौली के कृषकों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र करौली के ग्रामों का ब्लाक बनाकर उपभोक्ता संघ की दुकानें खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

भजनलाल जाटव (वैर) :

69. विधान सभा क्षेत्र वैर में उपभोक्ता संघ की दुकानें खोलकर आम जनता को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामपाल (बारां-अटरू) :

70. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में शेष रही प्रत्येक ग्राम पंचायत केन्द्र पर ग्राम सेवा सहकारी समितियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

71. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर सहकारी उपभोक्ता भण्डार का नवीन ''सुपर स्टोर'' खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

72. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) में कार्यरत ग्राम सेवा सहकारी समितियों की भण्डारण क्षमता को विकसित करने हेतु नवीन गोदामों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर संचालित ग्राम सेवा सहकारी समितियां बांदरसिंदरी, पाटन एवं सिलोरा को माडल ग्राम सेवा सहकारी समिति के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) :

74. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नवगठित सहकारी समितियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

75. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ की ग्राम पंचायत बस्सी, बावलीलापाड़ा, खजुरा, सबलपुरा एवं पाली बड़ी में लेम्पस खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

76. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

77. बीकानेर जिले के कस्बे कोलायत, बज्जू, देशनोक में कृषकों द्वारा उत्पादित जिन्स की सरकारी खरीद हेतु सरकारी खरीद केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. बीकानेर जिले की कोलायत तहसील मुख्यालय पर क्रय-विक्रय सहकारी समिति स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. प्रदेश व बीकानेर जिले में राशन वितरण व्यवस्था का कार्य ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से करवाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. प्रदेश की सहकारी समितियों में चल रहे सभी रिक्त पद भरने एवं श्रीकोलायत तहसील मुख्यालय पर सहकारिता मुख्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

81. प्रदेश व बीकानेर जिले के समस्त किसानों व खेतीहर मजदूरों को सहकारिता से जोड़ने हेतु उन्हें सहकारी समिति का सदस्य बनाकर अल्पकालिक व दीर्घकालिक ऋण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

82. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के किसानों को समय पर फसली ऋण उपलबध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के केमरी ग्राम सेवा सहकारी समिति का गोदाम बनवाये जाने एवं अन्य ग्राम सेवा समिति में गोदामों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बडी सादड़ी) :

84. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारी समितियां खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के ग्राम नैगडीया, भाटोली ब्राम्हनान, आकोलागढ़, करेडीया एवं नकोट में सहकारी समिति के गोदाम की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

86. विधान सभा क्षेत्र मावली में सहकारी समितियों के भवनों का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

87. राज्य में सहकारी समितियों को किसानों की सहायता के लिए सुदृढ़ बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को पर्याप्त उन्नत बीज, उर्वरक, खाद, दवाई आदि उचित दाम पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किसान, मजदूर के हितों को मध्य नजर रखते हुए मृत पड़ी सहकारी समितियों को शीघ्र चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक सहकारी समिति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. प्रदेश में सहकारिता को एक आंदोलन बनाकर किसान को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

92. विधान सभा क्षेत्र नगर में सहकारी विभाग द्वारा किसानों को ट्यूबवैल, पम्पसैट, फव्वारा, ट्रैक्टर, थ्रेशर के लिए लोन उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र नगर के डीग में निलम्बित क्रय-विक्रय सहकारी समिति को पुन: बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र नगर के सहकारी संस्थानों में नये सदस्य को ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र नगर में क्रय-विक्रय सहकारी सोसायटी में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

96. सहकारिता विभाग को राजस्थान में भी गुजरात पेटर्न पर विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की ग्राम सेवा सहकारी समिति मुख्यालय पर वेयर हाउस बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के उपखण्ड सांगोद, कनवास, दीगोद में सुपर मार्केट या उपभोक्ता भण्डार खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की ग्राम सेवा सहकारी समिति में नये सदस्य बनाकर की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

101. प्रदेश में सहकारी बैंकों को लाख रुपये का अल्पकालीन ऋण दिये जाने के लिए अधिकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

102. प्रदेश में मूंगफली की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीद एवं दीर्घकालीन ऋण पर सब्सिडी दिये जाने एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों को गोदाम का निर्माण कराये जाने हेतु शत-प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. ग्राम सहकारी समितियों को आधुनिक बनाये जाने एवं ग्राम सहकारी समिति से वंचित ग्राम पंचायतों में नई ग्राम सहकारी समितियां खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. दी जालोर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक जालोर की जसवंतपुरा पंचायत समिति मुख्यालय पर शाखा खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

105. प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के पंजीकरण में नियमों की पालना कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

106. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के प्रत्येक किसान को रकबे के अनुरूप खाद व बीज वितरण की समुचित व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में खेती में काम आने वाली दवाओं को ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जिन्सों का भण्डारण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की बन्द पड़ी सेवा सहकारी समितियों को पुन: चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम) :

110. बीकानेर में सहकारी उपभोक्ता दुकान खोलने एवं सस्ती दर पर सामान दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

111. बांदीकुई में गुढलिया सहकारी समिति के भवन के पुनरूत्थान के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

112. केकड़ी एवं सरवाड़ क्षेत्र में क्रय-विक्रय ग्राम सहकारी समिति में सुपर बाजार खोलने व मिनी बैंक की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. सरवाड एवं केकड़ी क्षेत्र की ग्राम सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण कार्य व अन्य कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. केकड़ी एवं सरवाड़ मुख्यालय पर सहकारी उपभोक्ता भण्डार का नवीन ''सुपर स्टोर'' खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

115. विधान सभा क्षेत्र जायल की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं होने से काश्तकारों को होने वाली असुविधा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

116. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सहकारी समिति खुलवाने तथा भवन एवं गोदाम बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

117. विधान सभा क्षेत्र चाकसू की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

118. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में विभागीय डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में किसानों की सुरक्षा व उनके हितार्थ किसान क्रेडिट कार्ड योजना का सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. प्रदेश में ग्राम सहकारी साख समिति द्वारा नये सदस्यों को ऋण न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

121. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में काश्तकारों के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में ग्राम पंचायत आकोडा में नई ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर में स्थित सहकारिता विभाग के कार्यालय में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

124. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वातानुकूलित गोदाम बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सहकारी भूमि विकास बैंक की शाखा बबाई ग्राम में खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम भवन व मिनी बैंकों को बिजली पानी व टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्राम सेवा सहकारी समिति खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के बबाई ग्राम में केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

129. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

130. उपखण्ड मुख्यालय राशमी में क्रय-विक्रय को-आपरेटिव सोसायटी बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) :

131. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में बहुउद्देशीय महिला समितियों द्वारा सामग्री वितरण के गबन की जांच कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में सहकारिता की दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र लालसोट में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ऋण वितरण में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर) :

134. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

135. राज्य में महिलाओं के विकास के लिए महिला सहकारी समितियों को विकसित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

136. राज्य की को-आपरेटिव सोसायटियों को कम्प्यूटरीकृत कर आम नागरिक तक सुविधा प्रदान करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. राज्य में सहकारी बैंकों की शाखाएं बढ़ाकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-4

लिखित वक्तव्य

(मांग संख्या-36, 37 व 39 पर माननीय सदस्यों द्वारा सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य जो पढ़े हुए माने गये)

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़) :

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुदान की मांगों पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं, मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना से 25 किलोमीटर दूर बीकानेर रोड पर रोजड़ी कृषि फार्म है जो लगभग 80 मुरब्बों में फैला हुआ है जिसमें विभाग द्वारा ठेका पद्धति से खेती की जाती है। विभाग को पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। अतः आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहती हूं कि इस फार्म पर जैतून के पौधे लगाकर विकसित किये जाएं ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिले और सरकार को लाभ मिले।

अनूपगढ़, घड़साना व रावला कृषि मण्डियों में किसानों की सुविधा के लिए बने किसान विश्राम गृहों में सुविधाओं में विस्तार किया जाए। इसके साथ-साथ किसानों को फसल के लिए खाद समय पर उपलब्ध करायी जाए।

गेहूं की खरीद एफ.सी.आई. के माध्यम से करायी जाए ताकि व्यापारियों और किसानों को लाभ मिले। समय अनुसार फसलों का भुगतान हो सके।

अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों में पड़े खाली पदों को भरा जाए एवं उनमें सुविधाओं का विस्तार किया जाए। पशुपालकों को चारे और रखरखाव के लिए विशेष अनुदान दिया जाए।

धन्यवाद।

श्री रामचन्द्र (डग)

माननीय अध्यक्षजी, कृषि के क्षेत्र में मैं मेरे कुछ अमूल्य सुझाव प्रस्तुत करना चाह रहा हूं।

पहला, फसल बीमा योजना व्यावहारिक दृष्टि से अभी किसान हित में नहीं है। इसका पुनरावलोकन कर फसल बीमा योजना जो सम्पूर्ण किसान हित में हो, वो लागू करें।

दूसरा, पश्चिमी राजस्थान में पिंड खजूर की खेती प्रचुर मात्रा में की जा रही है जो कि मरूस्थल को कम करके हरियाली आच्छादित करने के साथ-

साथ किसानों की आय का एक नवीनतम स्रोत है। बहुत अधिक मात्रा में इसका उत्पादन हो रहा है परन्तु विपणन की दृष्टि से राजस्थान में इसका बाजार नहीं होने से किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा है। अतः आवश्यक है कि विपणन हेतु नवीन बाजार के शोध कर स्थापना की व्यवस्था करें।

तीसरा, नकद फसल की ओर किसान का ध्यान आकर्षित करना चाहिये जिससे किसान नवाचार कर उच्चतम कृत्रिम कृषि तकनीक अपनाए। उच्च तकनीक से कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ आय में वृद्धि होगी एवं प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति मिलेगी।

चौथा, हार्बीकल्चर, किसानों को औषधीय खेती की ओर रुझान बढ़ाना चाहिये जिनका कि मूल्य बहुत अधिक होता है। बहुत कम रकबे में खेती कर अधिकतम मूल्य अर्जित करने की कृषि जिंस यह साबित होगा।

अंत में, राजस्थान के सभी कृषि विश्वविद्यालयों में नियमों की असमानता है। सभी विश्वविद्यालयों में कृषि जनित अध्यन एवं उत्पादन से सम्बन्धित सभी नियम एक समान करने से प्रदेश के किसान एवं छात्रों को एक-सा लाभ मिलेगा।

धन्यवाद।

श्री दलीचंद डांगी (मावली)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, आपका आभार व्यक्त करता हूं।

मैं मांग संख्या 37, 39 व 36 में कुछ निवेदन आपके सम्मुख करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्यमंत्री को बहुत ध्न्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 2015-16 का बजट पेश किया और इस बजट में विकसित राजस्थान पर विशेष रूप से ध्यान दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ओलावृष्टि एवं बे मौसम वर्षा के कारण हुए नुकसान के लिए किसानों को राहत दी जाए।

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किसान सेवा केन्द्र खोला जाए। उसमें खाद, बीज, कीटनाशक दवाइयां व कृषि यन्त्र उपलब्ध हो। इससे किसान लाभान्वित होगा।

किसानों के लिए सही क्वालिटी का बीज प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर

पर उपलब्ध कराया जाए। बुआई की शुरूआत से पूर्व ही उन्नत बीज उपलब्ध हो जिससे किसान खेती में लाभ ले सके।

किसानों के खेत की मिट्टी की जांच करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर लेबोरेटरी खोली जाए। जैसी मिट्टी वैसी फसल बोने में किसान को सुविधा होगी।

किसानों की उपज का सही दाम मिले। महंगाई के कारण किसान का पालन-पोषण भी नहीं होता है। उपज का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। बोनस दिया जाएं।

पंचायत स्तर पर फसल उपज खरीद के केन्द्र खोले जाएं ताकि किसानों को उपज का सही दाम मिल सके। भण्डारण गोदाम की व्यवस्था हो, ऋण दिलाया जाएं।

नीलगिरी गायों या रोजड़ों द्वारा फसल को तहस-नहस किया जा रहा है। इससे बचाव के लिए किसानों को नरेगा के अन्तर्गत कच्चा कोट या तारबंदी/बाड़बंदी के लिए रियायत दी जाए। किसानों को लाभ मिलेगा।

अन्न पैदा करने वाले किसानों को अभी तक लाभ नहीं हुआ है, खेती में किसानों को सिंगल फेस का कनेक्शन दिया जाए ताकि किसान बूंद-बूंद सिंचाई कर सके।

थ्री हार्स पावर का किसानों को टैम्परेरी कृषि कनेक्शन दिया जाए जिससे कि किसान सिंचाई कर सके।

कृषि उपज मण्डी फतहनगर में कृषि भवन का निर्माण किया जाए। किसानों के लिए फसल बीमा योजना के लिए पंचायत स्तर पर केन्द्र खोले जाएं।

कम जमीन वाले किसानों को पोलीहाउस निर्माण के लिए रियायत दी जाए।

किसानों के कृषि के लम्बित कनेक्शनों को अतिशीघ्र जारी किया जाए। 2500 कनेक्शन पैंडिंग हैं।

किसानों को सिंचाई में उपयोग आने वाले पम्पसैट, पाइप, मोटर आदि पर सब्सिडी दी जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षकों व पटवारी के रिक्त पदों को भरा जाए।

मांग संख्या 39 पर मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में पंचायत स्तर पर दूध डेयरी खोली जाए। दूध की दरें बढ़ायी जाएं जिससे किसानों को सही दाम मिले।

पंचायत स्तर पर पशुओं की बीमारी सम्बन्धी दवाइयां व टीकाकरण नि:शुल्क किया जाए।

किसानों को दुधारू पशु खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाए।

पंचायत स्तर पर पशु केन्द्रों पर ही पशु आहार और चारा आदि किसानों को सही दाम पर देने की व्यवस्था की जाए।

पंचायत स्तर पर पशुओं के लिए बीमा योजना लागू की जाए ताकि पशु की अकाल मौत होने पर किसान को फायदा मिल सके।

मेरे क्षेत्र में नवीन पशु उप केन्द्र खोले जाएं तथा पशु उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाए।

पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाएं। पशुधन सहायक की नियुक्ति की जाए। रिक्त पदों को भरा जाए।

मेरे क्षेत्र में भवन रहित पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण किये जाएं। जर्जर भवनों की मरम्मत की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 36 पर सहकारिता मंत्री से निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के पुराने लैम्प्स व गोदामों के भवनों की मरम्मत की जाए।

भण्डारण के लिए नये लैम्प्स, गोदामों का निर्माण किया जाए।

मेरे क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में नये लैम्प्स कार्यालय खोले जाएं ताकि स्थानीय स्तर पर ही खाद, बीज और सारी व्यवस्था मिल सके।

मेरे क्षेत्र में पूर्व सरकार के समय लैम्प्स में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि मावली विधान सभा क्षेत्र की जनता की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उनको गम्भीरता से लें और निश्चित ही उनका समाधान करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली के प्रत्येक गांव में कृषि की जाती है, लेकिन कई सालों से किसानों को ऐसी कोई सुविधा नहीं मिली जिससे किसान का जीवन खुशहाल हो सके। किसानों को खाद,

बीज, पानी, बिजली, कृषि संसाधन, गोदाम, रोजड़े, दूध भंडार, पशु चिकित्सा, फसल बीमा आदि की समस्या रहती है, किसान हमेशा परेशान रहता है। इसके लिए मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में एक कृषि केन्द्र खोला जाए जिससे किसान को सुविधा मिलती रहे। साथ ही फसल बीमा की भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक डेयरी खोली जानी चाहिए।

अंत में एक बार पुन: आपसे निवेदन है कि उक्त समस्याओं के समाधान के लिए गौर फर्माया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 37, 39 व 36 पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, आपका आभार।

भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह बात हम सभी जानते हैं। कृषि के क्षेत्र में हमारे देश ने पिछले कई वर्षों से अनेकानेक प्रयोग किये हैं। कई कृषि वैज्ञानिक हमारी खेती की दिशा और किसानों की दशा सुधारने में लगे हैं। हमारी सरकार भी प्रति वर्ष अपने बजट का बड़ा हिस्सा कृषि के लिये आरक्षित करती है। इसके बावजूद भी आज किसान की स्थिति ठीक नहीं है। हमारे देश का नौजवान पढ़-लिखकर डाक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई व्यवसाय करना चाहता है, लेकिन कोई भी नौजवान पढ़-लिखकर खेती नहीं करना चाहता है। किसान भी मजबूरीवश चाहता है कि उसके बच्चे नौकरी या व्यवसाय करें। हमें आखिर सोचना होगा, हमें मंथन करना होगा कि आज तक हम किसानों से जुड़ी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान नहीं कर सके।

जब किसान के फसल बोने का समय आता है तो कभी समय पर बरसात नहीं होती। जब कभी किसान समय पर फसल बो भी देता है तो कभी अकाल पड़ जाता है, कभी ओलावृष्टि आ जाती है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी फसल में कोई रोग लग जाता है। किसान का हर समय जोखिम भरा रहता है। अभी हाल ही में ओलावृष्टि से राजस्थान की जनता का जो नुकसान हुआ है, वह हम सभी के सामने है। किसानों से जुडी छोटी से छोटी समस्या का समाधान हो, हमारा किसान कैसे समृद्ध बने, इसकी ओर हमें प्रयास करने होंगे।

मानमीय अध्यक्ष महोदय, आधुनिकता के दौर में हम हमारे मूल को भूलते जा रहे हैं। आज भी हमारे मस्तिष्क में गुलामी की मानसिकता हावी है जिसका उदाहरण आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। हमारे देश का बजट कई वर्षों तक 28 फरवरी से सायं 5.00 बजे रखा जाता रहा हैं। बजट तो सुबह 11.00 बजे भी रखा जा सकता था, लेकिन नहीं, शाम को 5.00 बजे ही रखा जाता रहा, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में 12.00 बजे का समय होता था और वहां की पार्लियामेंट 12.00 बजे ही शुरू होती थी। हम 5.00 बजे ऐसे बजट रखते थे जैसे हमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट को रिपोर्ट करनी हो। हम भूल गये कि हम आजाद हो गये हैं। केन्द्र में जब अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार आयी तब से सुबह 11.00 बजे बजट रखने की शुरूआत हुई। हमें हमारी इस गुलामी वाली मानसिकता से छुटकारा पाना होगा, तब जाकर हम अपने मूल को याद रख पाएंगे।

यूरोप के देशों में ठंड अधिक रहती है, इस कारण वहां के लोग घरों में कांच की खिड़कियां लगाते हैं ताकि कभी धूप आए तो गर्मी आ सके। किन्तु हम गर्मी में रहते हैं फिर भी हम घरों में कांच की खिडकियां लगाते हैं, फिर तीन चार पर्दे लगाते हैं। फिर भी कमरा ठंडा नहीं होता तो हम ए.सी. लगाते हैं। हम आधुनिकता की ओर भाग तो रहे हैं, लेकिन हमारा ज्ञान अधूरा है।

आज हम देख रहे हैं कि खेत में बीज बोते समय हाई ब्रीड बीज हम बोते हैं, जबकि हम हमारे मूल बीज को लुप्त करते जा रहे हैं। हमें कृषि को सुधारने के लिये मनरेगा को कृषि से जोड़ना होगा। किसान अपने खेत में काम करता है, उसको भी मनरेगा से जोड़ना होगा।

अजमेर जिले में खाली पड़े कर्मचारियों के पदों को जल्दी भरने की आवश्यकता है। साथ ही कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सही-सही किसानों को मिले, इसकी हमें पुख्ता व्यवस्था करनी होगी। किसानों को खेती करते समय होने वाली दुर्घटनाओं पर विशेष मुआवजा दिया जाए। हमारा देश मरु प्रदेश है, पानी की कमी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ड्रिप व फव्वारा पद्धति से सिंचाई को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।

किसानों द्वारा ट्रैक्टर खरीदने, कुट्टी की मशीन खरीदने, खेती के अन्य उपकरणों को खरीदने के लिये अनुदान देने की जरूरत है।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम स्तर पर अनाज के भण्डारण केन्द्र खोलने की आवश्यकता है।

किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान को देखते हुए किसानों के ऋण की सम्पूर्ण माफी, किसानों के बिजली बिलों की माफी, साथ ही उचित मुआवजा देने की आवश्यकता है। साथ ही किसानों की लागत में कमी करने के लिये बीज, खाद, बिजली, खेती के उपकरणों में ज्यादा मात्रा में अनुदान देकर व उत्पादन का समर्थन मूल्य बढ़ाकर हम हमारे किसान को समर्थ बना सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 39 पर मेरा निवेदन है कि मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता है, खाली पड़े पदों को अतिशीघ्र भरने की जरूरत है तथा पशु चिकित्सक व संविदा पर लगे कर्मियों को नियमित करने की आवश्यकता है ताकि उनका जीवन स्तर सुधर सके।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में रूपनगढ़, नरवड़, करकेड़ी, बीर, गगवाना, बड़ल्या, व पुष्कर में पशु नस्ल सुधारने के लिये पशु नस्ल सुधार गृह खोलने की आवश्यकता है। पशुपालन को मनरेगा से जोड़ने से पशुपालन के कार्य में वृद्धि होगी।

पुष्कर में आवारा गौवंश बहुत बड़ी मात्रा में है उनके लिये विशाल गौ-अभयारण्य बनाने की आवश्यकता है। पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के पशुपालकों को पशु खरीदने पर अनुदान मिले तथा पशुओं की मृत्यु पर उचित मुआवजा मिले, इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

मांग संख्या 36 पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारी सोसायटियों में व्यवस्थापकों को नियमित कर उनकी 60 प्रतिशत लाभ की सीमा को समाप्त करने की आवश्यकता है।

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में सेवा सहकारी समितियों को समय पर ऋण उपलब्ध हो ताकि किसानों को समय पर ऋण मिल सके।

सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की फसलों के लिये मिट्टी परीक्षण, फसल में लगने वाले कीड़ों व मौसम के अनुसार फसल बोने के लिये प्रशिक्षण व सेमिनार करने की आवश्यकता है।

धन्यवाद।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा)

अध्यक्ष महोदय, मुझे मांग संख्या 36, 37 व 39 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि किसानों को फसली ऋण 100000 से 150000 रु. देने का प्रावधान है जबकि हमारे क्षेत्र मालपुरा के किसानों की मात्र 20,000 रु. ही दिया जा रहा है। वह भी समय पर नहीं दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, आज किसानों के खाद, डीजल और बीज का लागत मूल्य काफी बढ़ गया है। अत: मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे किसान समय पर ऋण चुकाते हैं, ऋण भी समय पर दिलवाने की कृपा करें और राशि भी 50000 रु. से ज्यादा देवें जिससे किसान समय पर फसल बो सके और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र में नहीं सहकारी समिति खोली गयी है जिसके गोदाम निर्माण हेतु राशि दिलवाने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि मेरे क्षेत्र में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है इसलिए ड्रिप सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दिया जाए। फार्म पोण्ड को भी बढ़ावा दिया जाकर किसानों को सब्सिडी बढ़ायी जावे। कम पानी की वजह से ग्रीन हाउसों को बढ़ाया जावे और ज्यादा सब्सिडी दी जावे जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

मंत्री महोदय से निवेदन है कि पानी की कमी से खेती नुकसान का सौदा साबित हो रही है, हमारे किसान पशुपालन पर ध्यान दे रहे हैं। यही मुख्य आर्थिक आधार किसानों का बन रहा है। पशुओं की सेहत के लिए मेरे क्षेत्र में नये और पुराने पशु चिकित्सालयों में डाक्टर्स की व्यवस्था कराएं।

मंत्री महोदय से निवेदन है कि पचेवर लाम्बा हरिसिंह पारली लावा, डिग्गी के पशु चिकित्सालय जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं नये भवन बनवाने की कृपा करें।

श्री मानसिंह (गंगापुर)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 37-कृषि, 39-पशुपालन, चिकित्सा एवं 36-सहकारिता पर अपनी बात रखते हुए आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि जिस विभाग पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह विपरीत परिस्थितियों में धरती का सीना चीर कर अपना और अपने परिवार के साथ ही हम सब का पालन पोषण करता है। सर्दी, गर्मी, बरसात में बड़ी हिम्मत से वह कार्य करता है, ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी खेती को बढ़ावा दें, उचित मूल्य दें एवं ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से बचाव हेतु यथा सम्भव उपाय करें।

अध्यक्ष महोदय, कृषि को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधान मंत्रीजी ने राजस्थान की धरती से मृदा कार्ड जारी करने की शुरूआत की है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित रूप से इस मृदा परीक्षण से किसान को कौनसी जमीन में कौनसी खेती अच्छी हो सकती है, इसकी जानकारी मिल सकेगी।

मान्यवर, किसान को समय पर बीज, खाद, लोन आदि की व्यवस्था के साथ-साथ पूरी बिजली मिले, यह जरूरी है। आज किसान कृषि से दूर भाग रहा है। यह प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। केवल कृषि से 76 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसे हमें बचाना है। महोदय, किसान की फसल न खेत में सुरक्षित है न खलिहान में। ऐसे में हमें किसान की फसल का पूर्ण रूप से बीमा हो सके, ऐसी व्यवस्था करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की निम्न मांगों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं:-

1. मेरे क्षेत्र में कृषि अनुसंधान केन्द्र खोला जाए क्योंकि गंगापुर सिटी सर्वाधिक सरसों उत्पादन का क्षेत्र है। यहां की कृषि उपज मंडी भी ''अ'' श्रेणी की है।

2. नवीन कृषि मंडी क्षेत्र की अवाप्तशुदा 67 बीघा जमीन को तुरन्त कब्जे में लेकर गौण मंडी के दुकानदारों को दुकानें आबंटित की जाएं। जिससे दो जगह चल रहे सरकारी कार्यालयों के खर्चे को भी कम किया जा सके व एक जगह कृषि मंडी संचालित हो सके।

3. ग्राम नौगांव, बड़ीउदेई, नारायणपुर-टटवाड़ा, अहमदपुर, कुसांय, रेण्डायल, कमालपुर, चुली आदि में पशु औषधालय खोले जाएं। साथ ही पशु प्रजनन केन्द्र भी खोले जाएं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि किसानों को शून्य प्रतिशत ऋण का लाभ नहीं मिल रहा है। ऋणी व अऋणी के मापदण्डों को खतम कर सहकारिता के लाभ सभी को दिलाये जाएं। मेरे क्षेत्र में स्थित गंगापुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति की स्थिति बड़ी दयनीय है, ब्याज दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है जबकि सोसायटी के पास परिसम्पत्तियां बहुत हैं। अगर सरकार गंगापुर सहकारी समिति पर जो कि प्राइम लोकेशन में स्थित है, सुपर मार्केट डवलप करे तो सोसायटी की आर्थिक स्थिति ठीक होगी व लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं माननीय कृषि मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि अभी हाल में हुई बे मौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से मेरे क्षेत्र में काफी नुकसान हुआ है। मैने 17-18 मार्च को जिला कलक्टर, उप जिला कलक्टर, तहसीलदार एवं कृषि अधिकारी के साथ दौरा किया तो पाया कि सभी 38 पंचायतों में 50-60 प्रतिशत नुकसान हुआ है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सीआरएफ के जो मापदण्ड हैं उनके अनुसार किसान को पूरी सहायता मिलना मुश्किल है, बीमा कम्पनियों की शर्तें भी बेतुकी हैं, कृपया खेत का सर्वे करावें तथा फसल के औसत उत्पादन एवं नुकसान के बाद होने वाले उत्पादन का आकलन कर नुकसान की भरपाई हो। मेरा अनुरोध है कि गंगापुर सिटी क्षेत्र में किसानों को उचित मुआवजा दिलाया जाए।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़)

अध्यक्ष महोदय, मांग 36, 37 व 39 पर चर्चा चल रही है, मेरा निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र व राजस्थान का दक्षिण क्षेत्र बांसवाड़ा कुशलगढ़ गुजरात की सीमा से लगा हुआ है तथा पहाड़ी नान कमाण्ड क्षेत्र है। सहकारी समितियां सभी ग्राम पंचायतों में नहीं होने से आम जनता को काफी परेशानी हो रही है जैसे रोजगार गारन्टी का भुगतान, कृषि लोन, खाद, बीज व दवाइयों की उपलब्धता। मेरा निवेदन है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन करना अति आवश्यक होगा।

कृषि के क्षेत्र में मेरे क्षेत्र में छोटी खेती है, 5 बीघा से 10 बीघा जमीन काश्तकार के पास कृषि हेतु उपलब्ध है। पहाड़ी क्षेत्र होने से पानी जो गिरता है, वह बह कर चला जाता है इसलिये छोटे कृषकों को नरेगा योजना से जोड़ कर निजी कुंए खुदवाये जाएं ताकि छोटे काश्तकारों को फायदा हो सके। काश्तकारों के कृषि कनेक्शन पर साल भर का बिजली बिल वसूला जाता है जबकि पहाड़ी क्षेत्र होने से मात्र तीन से चार माह तक पानी कुओं में रहता है। साल भर का मिनिमम चार्ज बिजली बिल वहन करना पड़ता है। अत: मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब तक पानी रहता है उसी अनुसार बिल वसूला जाए। पशुओं की दिनौदिन कमी हो रही है, हर ग्राम पंचायत स्तर पर पशु हास्पीटल खोला जाए। पशु अस्पतालों में डाक्टरों एवं कम्पाउंडरों के रिक्त पद यथा शीघ्र भरे जावें। सरकारी गोशाला खोली जावें। पशुओं के लिये चारे डिपो खुलवाकर अनुदान दिया जावे। कृषि औजार पर अनुदान दिया जाता है, उनपर स्थानीय स्तर पर खेती के औजार करवाकर दिये जावें। खाद, बीज व दवाइयां

तथा कम पानी वाले क्षेत्र में उड़द, तिलहन आदि के मिनी किट्स दिये जाने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता की मांगों पर मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के लिये कुछ मांगें रखता हूं। कृषि में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग यह है कि जालौर जिला कृषि प्रधान जिला है जहां किसान खरीफ एवं रबी की फसलों की खेती करते हैं। किसानों को बुआई के दिनों में पर्याप्त मात्रा में बीज एवं खाद की परेशानी उठानी पड़ती है। समय पर बीज एवं खाद नहीं मिल पाने के कारण किसान बुआई नहीं कर पाता है। ग्राम स्तर पर उन्नत किस्म के बीज एवं खाद किसान को समय पर मिल सकें, इसके लिये विभागीय अधिकारियों, राजफैड, मार्केटिंग सोसायटी एवं अन्य बीज व खाद उपलब्ध करवाने वाली एजेंटियों को निर्देशित किया जाए।

पश्चिमी राजस्थान में गेहूं, रायड़ा, सरसों एवं जीरा की बुआई किसानों द्वारा अधिक मात्रा में की जाती है। वर्तमान में अतिवृष्टि-ओलावृष्टि के अलावा पाला, बीज खराब फसलों की बीमारी या हवा चलने, जंगली जानवरों के द्वारा फसलों के नष्ट होने से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता जिसका कारण है कि इन कारणों को सीआरएफ में शामिल नहीं किया गया है। सीआरएफ के नार्म्स में नहीं होने के कारण उक्त कारणों से खराब हुई फसलों का आर्थिक नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। इन कारणों को भी सीआरएफ में शामिल किये जाने से किसानों को अपनी खराब हुई फसलों का उचित लाभ मिलेगा। साथ ही यह भी निवेदन करता हूं कि वर्तमान में प्राकृतिक आपदा–ओलावृष्टि, अतिवृष्टि से नष्ट होने वाली फसलों के नुकसान के लिये तहसील क्षेत्र को इकाई बनाया गया है। इसमें परिवर्तन किया जाकर ग्राम स्तर इकाई बनाये जाने से किसानों को इसका उचित लाभ मिलेगा।

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा पशुपालन के लिये जाना जाता है। सेवाड़िया में पशु मेला लगता है, यह मेला गोड़वाड़/मालाणी क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। जिले के अधिकांश लोगों का कृषि एवं पशुपालन ही मुख्य आमदनी का साधन है।

क्षेत्र में पशुओं की चिकित्सा के लिये चिकित्सा केन्द्र/उप केन्द्र खोले हुए हैं मगर पर्याप्त स्टाफ नहीं होने से समय पर इलाज नहीं हो पाता है। अत: विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में चिकित्सा अधिकारी/सहायक के अलावा

अन्य रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाए ताकि क्षेत्र के पशुपालकों को इसका लाभ मिल सके।

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में बड़ी ग्राम पंचायतें एवं पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण जन हित में पांचला, गुन्दाऊ, पंसेरी, सीलासन, बामनवाड़ा व मेत्रीवाड़ा में पशु चिकित्सा हेतु नये पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है। इन पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाने से पशुपालकों को तुरन्त चिकित्सा मिल पाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सहकारिता के विषय में निवेदन करना चाहूंगा कि जालोर जिले में वर्तमान में मूंगफली की फसल अत्यधिक मात्रा में होती है, पर इस पर समर्थन मूल्य नहीं होने के कारण पड़ोसी राज्य गुजरात के मण्डी व्यापारी मनमानी कीमत से किसानों से मूंगफली की खरीद करते हैं। राजस्थान में इसका समर्थन मूल्य देकर किसानों से मूंगफली खरीद किये जाने से किसानों को भी फायदा होगा और सरकार को भी।

विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में वर्तमान में 26 ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं जिनमें से पंचायत समिति रानीवाड़ा में 14 हैं जिनके गोदाम एवं भवनों का निर्माण 1982 के समय हो रखा है। इन भवनों की हालत जीर्ण-शीर्ण हो गयी है। वर्तमान स्थिति के अनुसार इनमें अनाज का संग्रहण किया जाना सम्भव नहीं है। अत: इनका पुनर्निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं। मौखातारा, गांग, करड़ा, आजोदर में पुनर्निर्माण आवश्यक है जबकि वणधर, जैतपुरा, जाखड़ी, रानीवाड़ा कलां में मरम्मत से काम चल सकता है। राजी का वास में वर्तमान में कोई गोदाम नहीं है। पांचला, नेनोल, सरनाऊ में समिति का भवन आवश्यक है।

मैं इसके साथ एक और मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पंचायत समिति जसवंतपुरा के मुख्यालय पर वर्तमान में दी जालोर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, जालोर की शाखा नहीं होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जन हित में पंचायत समिति मुख्यालय पर दी जालोर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, जालोर की शाखा खोली जाए।

धन्यवाद।